

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

पंचम सत्र

गुरुवार, दिनांक 06 मार्च, 2025
(फाल्गुन 15, शक सम्वत् 1946)

[अंक 08]

Web copy



छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 06 मार्च, 2025

(फाल्गुन 15, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और आपका जैकेट का कलर लगभग मिल रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- ऐसा है कि हम दोनों एक-दूसरे की तरफ नजर रखें और नजर में चढ़ें रहें।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जैकेट का कलर भी बहुत सुंदर है। आपके तरफ ही देखेंगे तो कैसे चलेगा? अध्यक्ष महोदय, इधर भी देखते रहियेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मुझको उनकी विशेष कृपा चाहिए।

निधन का उल्लेख

डॉ. देवचरण सिंह मधुकर, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, डॉ. देवचरण सिंह मधुकर का दिनांक 12 फरवरी, 2025 को निधन हो गया है।

डॉ. देवचरण सिंह मधुकर का जन्म 23 मार्च, 1938 को पचपेड़ी, जिला बिलासपुर में हुआ था। उन्होंने डी.एच.बी. व एल.एल.बी की शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्रारंभ से ही कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सन् 1985 में प्रथम बार मालखरौदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तथा सन् 1993 में दूसरी बार मस्तूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे मध्य प्रदेश विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य रहे। उनकी समाजसेवा में विशेष अभिरुचि थी। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा संघर्षशील रहे।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा में मस्तूरी एवं मालखरौदा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे डॉ. देवचरण सिंह मधुकर जी का 12 फरवरी, 2025 को दुःख निधन हो गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें। डॉ. देवचरण सिंह मधुकर जी ने वर्ष 1985 में मालखरौदा निर्वाचन क्षेत्र तथा वर्ष 1993 से मस्तूरी निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति बेहद सजग रहते थे और विधान सभा में उन्हें प्रभावी रूप से उठाते थे। मेरे राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक दौर में मुझे अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा में संसदीय परंपराओं को देखने, समझने और सीखने का अवसर मिला। डॉ. देवचरण सिंह मधुकर जी और अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों ने जिन परंपराओं को स्थापित किया, छत्तीसगढ़ विधान सभा ने भी उन्हें अपनाया है। डॉ. देवचरण सिंह मधुकर जी का निधन हम सभी के लिए एक गहरी क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डॉ. देवचरण सिंह मधुकर जी का जाना हम सब लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। वे मस्तूरी के रहने वाले एक बहुत सीधे, सरल एवं बहुत अच्छे इंसान थे। वे जब भी बिलासपुर जाते थे तब हमेशा अपनी हाजिरी जरूर देते थे। जब वर्ष 1985 में वे मालखरौदा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में आये थे तब भी मैं उनके साथ था। चूंकि मैं उनसे सीनियर था, वे बड़े अदब से आते थे, मुझसे मिलते थे, कुछ बात करने की बात करते थे, कुछ विधान सभा में प्रश्न रखने की बात करते थे। वर्ष 1993 में भी वे मेरे साथ ही थे। हम लोग जब मंत्री बन चुके थे तो वे लगातार कोई न कोई कागज लेकर किसी न किसी गरीब के बारे में मदद करने के लिए हमेशा आए रहते थे। उनके रहते तक सतनामी समाज के भाईयों में एक बड़ी आशा बन गयी थी कि वे हमारे एक अच्छे सेवक होंगे। उन्होंने कृषि मंडी के संचालक के रूप में भी काम किया है, एक अच्छे विधायक के रूप में काम किया है और ऐसे सरल व्यक्तित्व के लोग आजकल नहीं मिलते हैं। बड़ा दुःख होता है कि तब हमारे लोग कैसे थे और आज हमारे लोग कैसे-कैसे होते जा रहे हैं। मैं उनके निधन को अपना व्यक्तिगत क्षति समझता हूँ। हमने एक अपना मित्र, अपना भाई एवं अपना सखा खोया है। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप यही कहना चाहता हूँ कि उनके जीवनकाल से सीखें और आने वाले समय में डॉ.मधुकर के चरित्रों का अपने मन, वचन और कर्म से उसका पालन करें, ताकि इस तरह के लोग समाज में आते रहें, यह कहते हुये उनके परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूँ, दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरण में स्थान दें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ॐ. शांति।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ । दिवंगत के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा ।

(सदन के द्वारा दिवंगत के सम्मान में मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- ऊँ. शांति । दिवंगत के सम्मान में सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित ।

(11.07 से 11.12 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11:12 बजे

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सत्र के चलते हमने दूसरी बार कंडोलेंस दिया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है । मेरी जो जानकारी है कि जब विधानसभा की अधिसूचना नहीं हुई थी, उस समय माननीय दिवंगत विधायक की देह फरवरी महीने में शांत हो चुकी है, । इससे पहले भी आपने एक बार व्यवस्था दी थी कि हमने सदन के चलते हुए बीच में दूसरी बात श्रद्धांजलि दी तो प्रशासन ने क्या व्यवस्था दी, क्या कार्यवाही हुई, वह मैं नहीं जानता । यह घटना आज फिर हो गई कि नोटिफिकेशन के पहले दिवंगत हुए हैं । हमने एक बार श्रद्धांजलि दे दी, फिर अचानक किसी को होश आया, फिर जानकारी भेज दी की इस पूर्व विधान सभा सदस्य का निधन हो गया है, हम फिर दोबारा कंडोलेंस कर रहे हैं । कल भी यह बात हुई थी कि इसमें विधान सभा की अवमानना दिखती है । इन विषयों पर प्रशासन विधान सभा को गंभीरता से लेता है या नहीं लेता है या मेरी जानकारी गलत है कि इनका निधन फरवरी महीने में हुआ, वह गलत है तो आप वह व्यवस्था देंगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन यह घटनाएं लगातार हो रही हैं । आपने एक ही विषय में दो बार व्यवस्था दी है । कल भी आपने एक प्रश्न के उत्तर में दो बार व्यवस्था दी थी। आपसे आग्रह है कि इसमें भी आपकी कोई व्यवस्था आ जाये ।

समय :

11:14 बजे

अध्यक्षीय निर्देश

निधन की सूचना विलंब से भेजी जाना पर निर्देश जारी करना

अध्यक्ष महोदय :- जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूर्व सदस्य श्री विजय सिंह के निधन के उल्लेख के समय सभा में सदस्यों द्वारा पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना विलंब से प्राप्त होने पर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया गया था, जिस पर मेरे द्वारा शासन को निर्देश दिए गए कि "सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसदों/विधायकों के निधन की सूचना कलेक्टर तत्काल विधान सभा सचिवालय को सूचित करें, मगर यह देखा जा रहा है कि अत्यंत विलंब से जानकारी विधान सभा सचिवालय को भेजी जा रही है। यह आपत्तिजनक है, अनुचित है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, आवश्यक निर्देश जारी करें।"

यह स्पष्ट रूप से उस समय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया था और आज अजय जी ने फिर से ध्यानाकर्षित किया है। मैं निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे निर्देश के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को सभी कलेक्टरों को तत्संबंध में निर्देश जारी किया गया। शासन के निर्देश के बावजूद भी अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ. देवचरण सिंह मधुकर का निधन दिनांक 12 फरवरी, 2025 को हुआ, जिसकी जानकारी विधान सभा सचिवालय को दिनांक 04 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई।

पूर्व निर्देश और राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के उपरांत कलेक्टर, बिलासपुर की ओर से पूर्व सदस्य डॉ. देवचरण सिंह मधुकर के निधन की सूचना तत्काल न भेजते हुए विलंब से भेजा जाना आपत्तिजनक है।

मैं शासन को पुनः निर्देशित करता हूं कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से इसी सत्र में अवगत कराया जाये।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 566) श्री संदीप साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा वर्ष 2021-22

से दिनांक 31.01.2025 तक कौन-कौन से कार्य, किन-किन योजनाओं से, कितनी लागत राशि से स्वीकृत किये गये हैं ? कार्यों के पूर्ण-अपूर्ण तथा कार्य प्रारंभ-अप्रारंभ की स्थिति ग्रामवार एवं विकासखण्डवार विवरण देवें? (ख) क्या ग्रामों में निर्माण कराये जा रहे पानी टंकी की निर्माण में गुणवत्ता विहीन होने तथा ग्राम एवं नगर के अनेक स्थानों पर निर्माण हेतु सड़कों एवं गली चौराहों की खुदाई करके छोड़े जाने की शिकायतों एवं ऐसे अधूरे कार्यों का विवरण देवें ? (ग) प्रश्नांस 'ख' अनुसार उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरुण साव) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2025 तक योजनावार स्वीकृत कार्य एवं लागत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। कार्यों के पूर्ण-अपूर्ण तथा कार्य प्रारंभ-अप्रारंभ की स्थिति की ग्रामवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) ग्रामों में निर्माण किये जा रहे पानी टंकी की गुणवत्ता विहीन होने तथा ग्रामों में अनेक स्थानों पर निर्माण हेतु सड़कों एवं गली, चौराहों की खुदाई करके छोड़े जाने की शिकायतों एवं ऐसे अधूरे कार्यों से सम्बंधित जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

श्री संदीप साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कसडोल विधान सभा क्षेत्र के जल जीवन मिशन से संबंधित सवाल था, जिसमें कसडोल विधान सभा के 197 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी मंत्री महोदय द्वारा दी गई है, जिसमें 118 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है। एक गांव ऐसा भी है, जिसका कार्य विगत तीन वर्षों से प्रारंभ ही नहीं हुआ है। इसी पर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 197 में से कितने ग्राम जल स्रोत विहीन हैं?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार से दिया है। कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन विकासखंड पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल हैं। कुल मिलाकर 300 ग्राम कसडोल विधान सभा में हैं और विधान सभा के अंतर्गत 80 रेट्रोफिटिंग, 199 सिंगल विलेज स्कीम और 25 सोलर आधारित स्कीमें हैं। विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत 2020-21 से 31.01.2025 तक कुल 753 कार्य, जिनकी लागत 4457.48 करोड़ है, स्वीकृत हैं, जिसमें से 632 कार्य पूर्ण, 120 कार्य अपूर्ण एवं 01 अप्रारंभ है। इसकी जानकारी विस्तार से दी है। 01 ग्राम भरवाडीह है, जो कि विकासखंड पलारी में है, गांव के लोगों ने आवेदन देकर कहा कि हमें जल जीवन मिशन के कार्य की आवश्यकता नहीं है, हमारे घरों में नल है और जल जीवन मिशन के काम से हमारी जो बनी हुई सड़कें हैं, वे खराब होंगी, इसलिए हमें जल जीवन मिशन के काम की आवश्यकता नहीं है, इस आधार पर वह काम रुका हुआ है। ग्राम में निर्माण किए जा रहे पानी टंकी के गुणवत्ताविहीन होने या ग्रामों में सड़कों, गली चौराहों की खुदाई करके छोड़ने के विषय में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। कसडोल विधान सभा के अंतर्गत 199 ग्रामों के पाईप लाईन के कार्य पूर्ण

हैं। इन ग्रामों में 82 सड़कों का समतलीकरण कर दिया गया है। 117 ग्रामों में सड़कों के समतलीकरण के उपरांत कांक्र्रीटीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है और ठेकेदार के अनुबंध में स्पष्ट है कि जब कार्य की पूर्णता होगी, उससे पूर्व जिस हालात में सड़क थी, वह करना है और जैसा मैंने पहले भी सदन के सामने कहा है कि ये जल जीवन स्कीम प्रगतिरत है और एक-एक जो प्रावधान हैं, चाहे वह ठेकेदार के अनुबंध में हो, नियम में हो, उसका पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

श्री संदीप साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि कितने गांव ऐसे हैं, जो जल स्रोत विहीन हैं?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि अभी जल जीवन मिशन का कार्य प्रगतिरत है और सोर्स के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारी पूरी प्राथमिकता है कि सोर्स उपलब्ध हो और वहाँ जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।

श्री संदीप साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी के अनुसार ऐसे 118 गांव, जिनके कार्य अपूर्ण हैं, उनमें से बहुत से ऐसे गांव हैं, जो कि जल स्रोत विहीन थे, जहां पर काम किया गया है, तो मंत्री महोदय जी ऐसे जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इन योजनाओं पर काम किया, उन पर कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि हम योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन करेंगे। यदि काम के पूर्ण होने के बाद भी सोर्स की उपलब्धता नहीं होगी तो ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा और साथ ही हम संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।

जिला-सूरजपुर में जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. (*क्र. 239) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा जिला सूरजपुर में जल-जीवन मिशन योजना के तहत कितनी निविदा लगी है? उसमें कितने ग्राम MVS स्कीम में हैं और उनकी कार्य प्रगति एवं वर्तमान में भुगतान की क्या स्थिति है? (ख) सिंगल विलेज स्कीम में कितने ग्राम हैं और कितने ग्राम में हर घर नल-जल योजना के तहत ग्राम पंचायत को हस्तांतरण हो गया है? (ग) MVS स्कीम जिन निविदा के तहत कार्य 100% पूर्ण हो गया है, उन कार्यों में जल प्रदाय की क्या अस्थायी व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरुण साव) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिला सूरजपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत 577 निविदा जारी की गयी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। उसमें से 413 ग्रामों में जल प्रदाय MVS योजना से है और उनकी कार्य प्रगति एवं वर्तमान में भुगतान की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जिले के 130 ग्राम सिंगल विलेज स्कीम में है, जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। 24 ग्राम में हर घर नल-जल योजना के तहत ग्राम पंचायत को हस्तांतरण हो गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है। (ग) MVS स्कीम के अंतर्गत 04 ग्रामों की योजना में निविदा के तहत कार्य 100% पूर्ण हो गया है। जी हाँ, उन कार्यों में जल प्रदाय की अस्थायी व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई अनुसार है।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन योजनांतर्गत है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) जी से पूछना चाहता हूँ कि सूरजपुर जिले में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत कितने ग्रामों में काम स्वीकृत हुए हैं और कितने ग्रामों के लिए निविदा हुई है ?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिले के अंतर्गत 543 ग्राम हैं और समूह जल योजना के अंतर्गत 413 ग्राम शामिल हैं। MVS के अंतर्गत 413 ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था का कार्य, पाइपलाइन और टैंक निर्माण का कार्य पृथक से ठेकेदार द्वारा किया जाना है। समूह जल योजना के कार्यादेश में ग्राम के अंदर के कार्य सम्मिलित नहीं है। जिले में MVS के 413 ग्रामों को छोड़कर शेष बचे हुए 130 ग्रामों में एकल योजना से 24 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणित कर पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। जिले के कार्यों हेतु 577 निविदाएं आमंत्रित की गयी है। जिला स्तर पर 565 निविदाएं आमंत्रित हैं और राज्य स्तर पर 12 निविदाएं आमंत्रित हैं, जिसमें 11 निविदाएं MVS की तथा 1 निविदा TPI की है। MVS में सम्मिलित 413 ग्रामों में 4 ग्रामों में अंदरूनी पेयजल की व्यवस्था वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से प्रारंभ कर ली गयी है। असत्य दस्तावेज के आधार पर जो निविदाएं निरस्त हुई हैं। उनमें से सूरजपुर जिले की 11 में से 6 ऐसी MVS स्कीम हैं, जिसको समाप्त किया गया है, जिसकी लागत 194 करोड़ रुपये है। सूरजपुर जिले में कुल मिलाकर 358 करोड़ की MVS स्कीम स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में MVS स्कीम के अंतर्गत जो 413 ग्राम शामिल है, उनमें 951 सोलर पंप, 71 पॉवर पंप और 11,344 हैण्ड पंप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिले में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत 543 ग्राम पंचायत शामिल है। इसमें जैसा माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि 4 ग्राम पंचायतों में अंदरूनी पेयजल की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो 4 ग्राम पंचायतों में कार्य हैण्ड ओव्हर हुआ है, वह उस ग्राम पंचायत के दूरचल के जो ग्रामीण हैं, उनको अभी तक उस योजना के माध्यम से पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- पारे टोले मंजरे में या उसी गांव में ?

श्री भूलन सिंह मरावी :- अध्यक्ष महोदय, पारे टोले मंजरे वाला।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बताईये।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिले में जो हर घर रिपोर्टेड ग्राम है, वह 37 है। हर घर जल के लिए जो प्रमाणित ग्राम है, यह ग्राम पंचायत नहीं है। मैं ग्राम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पूर्ण रूप से यह 28 की 28 योजनाएं हस्तांतरित है।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं। उस दौरान हम देखते हैं कि बहुत जगहों में नल जल योजना के अंतर्गत जिन घरों में नल लगे हुए हैं, वे नल अभी से बहुत जगह से टूट गये हैं, जबकि वहां पर अभी तक पानी टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। ठेकेदार उसे एकदम घटिया स्तर का बना दिये हैं। वह अभी से टूट के गिरना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में हम उस घर तक, उस किसान तक पानी नहीं पहुंचा पायेंगे। माननीय मंत्री महोदय, इस संबंध में जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है कि इस योजना का कार्य प्रगतिरत है। यदि किसी तरह की अनियमितता की शिकायत या टूट-फूट की शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा दे। हम निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे। यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं होगी और इसको अक्षरशः पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जो भी शिकायत है, आप उसे लिखित में मंत्री जी को दे दीजिये।

गौण खनिज मद से प्राप्त राशि में की गई अनियमितता की जाँच विषयक

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

3. (*क्र. 1381) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 17/12/2024 के अतारांकित प्रश्न क्र.-242 के तारतम्य में गौण खनिज मद अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में अकलतरा निकाय को 213.44 लाख रु. प्राप्त हुई? उक्त मद से कुल 56 कार्य कराए गए? जिसमें 30 कार्य निविदा आमंत्रित कर एवं 26 कार्य भाव पत्र एवं अन्य क्रय नियम से कराया गया? भाव पत्र के माध्यम से कराए गए ज्यादातर कार्य जल प्रदाय में व्यय किया गया है? क्या सामान्य प्रवृत्ति अथवा प्रकृति के कार्यों के लिए बिना निविदा जारी कर टुकड़े-टुकड़े में भाव पत्र से कार्य एजेंसी तय किया जाना विधि संगत है? जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) उक्त अतारांकित प्रश्न क्र.-242 के ही प्रश्नांश (घ) के दिएजवाब में नगर पालिका-अकलतरा द्वारा, परिशिष्ट 25 में सरल

क्र.-21 से लेकर 56 तक में कराए गए कार्य स्थल का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है? कार्यस्थल की जानकारी उपलब्ध करावें। एवं सरल क्र. 45 व 46 में सिर्फ सामाग्री उल्लेखित है? सामाग्री का नाम बतावें। (ग) उक्त मद से कराए गए कार्यों के संबंध में भ्रष्टाचार/अनिमिता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच हेतु आदेशित किया गया है अथवा नहीं? जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) हाँ, दिनांक 17/12/2024 के तारांकित प्रश्न क्र. 242 के तारतम्य में गौण खनिज मद अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में अकलतरा निकाय को 213.44 लाख रु. प्राप्त हुई। उक्त मद से कुल 56 कार्य कराए गए हैं जिसमें 30 कार्य निविदा आमंत्रित कर एवं 26 कार्य भाव पत्र सीमित निविदा पद्धति द्वारा भाव पत्र के माध्यम से कराया गया है। भावपत्र के माध्यम से कुल 21 कार्य जलप्रदाय से संबंधित हैं। सामान्य प्रवृत्ति अथवा प्रकृति के कार्यों के लिए बिना निविदा जारी कर टुकड़े-टुकड़े में भाव पत्र से कार्य एजेंसी तय किया जाना जाँच का विषय है। जिस हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर को पत्र क्रमांक 1368 दिनांक 19.02.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न¹ प्रपत्र अनुसार है। (ग) हाँ, उक्त मद से कराए गए कार्यों के संबंध में श्री राघवेन्द्र कुमारसिंह, माननीय विधायक अकलतरा के पत्र दिनांक 19.12.2024 द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर से कराये जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 1368 दिनांक 19.02.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। हाँ, जाँच हेतु आदेशित किया गया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे प्रश्न में जो जवाब आया है। उसमें मैंने यह पूछा था कि गौण खनिज की कितनी राशि आयी थी, उसमें से कितने कार्य भावपत्र में और कितने टेण्डर में किये गये थे ? इसके उत्तर में बताया गया है कि 26 कार्य भाव पत्र से किये गये हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि कुछ कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित हुई और कुछ कार्य भाव पत्र में किये गये। क्या भाव पत्र में भण्डार एवं क्रय नियम का पालन किया गया है ? क्या इसमें सक्षम अधिकारी या बी.आई.सी. के द्वारा अनुमति या अनुमोदन लिया गया है ? मेरा इसमें साथ में एक और प्रश्न यह था कि क्या इसकी जांच करायी गयी है क्योंकि पहले भी मैंने शिकायत की थी और अभी इसकी जांच रिपोर्ट में क्या आया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत अकलतरा नगर पंचायत को वर्ष 2024-2025 में गौण खनिज मद से वर्ष 2020-2021 के गौण खनिज मद से प्राप्त राजस्व संवितरण वर्ष 2023-2024 में 2 करोड़ 13 लाख 44 हजार 65 रुपये प्राप्त हुए थे। इस मद से 56 कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें 30 कार्य निविदा आमंत्रित कर और 26 कार्य भाव पत्र सीमित

¹ परिशिष्ट "एक"

निविदा पद्धति द्वारा कराया गया। इसमें भाव पत्र के माध्यम से 26 कार्यों में से 21 कार्य जल प्रदाय से संबंधित है और इन एक समान प्रकृति के कामों को टुकड़ों में बांटकर, भाव पत्र के माध्यम से क्रय किया गया। जो प्रारंभिक रूप से शिकायत के आधार पर हमने संयुक्त संचालक से जांच करायी। हमने इसमें जांच कराने के बाद यह पाया कि भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन हुआ है। जिनमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सब इंजीनियर सहित कुल मिलाकर 6 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हमने तत्कालीन अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले की विस्तृत जांच की गई। इसमें भाव पत्र के माध्यम से लगभग 71 लाख रुपये की खरीदी कर ली, लेकिन वास्तव में धरातल में वह काम हुए हैं, नगर पंचायत में सामग्री आयी या नहीं आयी? इसकी विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम बनायी है। हम उसमें जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक और प्रश्न था। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका एक विषय पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मैं बहुत समय से इस पर जांच की मांग कर रहा था। जब विधान सभा में यह प्रश्न लगा तब इसमें आनन-फानन में कार्यवाही की गई। मैं आपसे मिला भी था। आपने तुरंत निर्देशित भी किया था। इसमें क्या यह सही है कि एक ही फर्म को जल प्रदाय सामग्री, एक ही फर्म को 75 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ? हमने उनको निलंबित तो कर दिया। क्या हम इनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करेंगे ? क्या उनकी रिकव्हरी की कार्यवाही की जाएगी और उन पर आर्थिक अपराध दर्ज होगा ? क्या इन सब पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ही फर्म नहीं है, कुछ अन्य फर्म भी हैं इसलिए हमने बहुत विस्तार से जांच करने के लिए कमेटी बनायी है और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, हम उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, जो यह जांच रिपोर्ट है यह कल से घूम रही है, वाट्सअप में सब जगह, जिसमें हस्ताक्षर भी हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि लगभग 75 लाख को टुकड़ों में वितरित किया गया था। इसमें एक ही फर्म से क्रय किया गया है। क्या ऐसे फर्मों को भी ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे, हम उन सभी पर कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

रायगढ़ जिला अंतर्गत सियारपाली औद्योगिक क्षेत्र की अद्यतन जानकारी

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 1035) श्री उमेश पटेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिलांतर्गत सियारपाली में औद्योगिक परिक्षेत्र की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? क्या यह प्रोजेक्ट अपूर्ण है? यदि हां तो किस कारण से अपूर्ण है और इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? औद्योगिक परिक्षेत्र के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी? इस प्रोजेक्ट से कितने रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है? इसमें कितनी राशि खर्च हो चुकी है तथा आगे कितनी राशि खर्च होनी है? प्रोजेक्ट तय समय में पूर्ण हो जाये इसके लिए क्या कार्ययोजना बनाई गयी है? जानकारी दें।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- रायगढ़ जिलांतर्गत सियारपाली-महापल्ली में औद्योगिक परिक्षेत्र की स्वीकृति भारत शासन की माईक्रो एंड स्माल इन्टरप्राइजेस -क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना अंतर्गत दिनांक 30.08.2018 को प्रदान की गई है। परियोजना पूर्ण हो चुकी है। औद्योगिक परिक्षेत्र के लिए ग्राम सियारपाली की भूमि रकबा 2.037 (दो दशमलव शून्य तीन सात) हेक्टेयर तथा ग्राम महापल्ली की भूमि रकबा 24.964 (चौबीस दशमलव नौ छः चार) हेक्टेयर कुल रकबा 27.001 (सत्ताईस दशमलव शून्य शून्य एक) हेक्टेयर अधिग्रहित की गई थी। इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 500 (पांच सौ) रोजगार सृजन होने की संभावना है। अधोसंरचना विकास कार्य में कुल रु. 1291.19 लाख (बारह सौ इक्यानवे लाख उन्नीस हजार) व्यय हुआ है। उक्त परियोजना समयावधि में पूर्ण हो गई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि भारत शासन की माईक्रो एंड स्माल इन्टरप्राइजेस-क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, वह पूर्ण हो चुका है। यह प्रोग्राम कब पूर्ण हुआ, मैं इसकी जानकारी चाहता हूँ ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बार अपना प्रश्न दोहरा दें।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया प्रश्नकाल के समय मंत्रियों के पास न बैठें। जिनका प्रश्न है, इनकी एकाग्रता भंग होती है। आप फिर से प्रश्न कर लें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने उत्तर में यह दिया है कि यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि यह कब पूर्ण हुआ ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दिनांक 30/06/2022 को पूर्ण हुआ है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह परियोजना वर्ष 2022 में पूर्ण हो चुकी है तो अभी इसमें कितने लोगों को आवंटन मिल चुका है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें आवंटन किसी को नहीं मिला है। वर्ष 2022 में यह परियोजना पूर्ण हुई। उसके बाद कुछ काम बाकी था इसमें जैसे बिजली, ऑफिस का काम बाकी था। उसको हमारी सरकार आने के बाद, पूरा किया गया है। हम लोग अभी इसी मार्च महीने में आवंटन की कार्यवाही को प्रारंभ कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भूमि अधिग्रहण और इसको मिलाकर 13 करोड़ रुपये के आसपास खर्च हो चुका है और अभी तक इसमें आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग का कहना है कि प्रचार-प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस समय आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद में कांग्रेस सरकार में यह काम पूरा हुआ और कुछ काम बाकी रह गया था। उसको एक साल में उनके द्वारा नहीं कराया गया, बाकी काम को हम लोग कराये हैं। अभी मैं माननीय सदस्य को अवगत करा रहा हूँ कि इसी माह में..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 2022 में पूर्ण हो चुका था और पूर्ण होने के बाद आपको बोर्ड से अनुमति चाहिए और बोर्ड से अनुमति के बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू करनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही था कि इससे वहां लोक स्तर पर रोजगार बढ़े। 500 लोगों को नौकरी देने का इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक कोई प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसी मार्च महीने इसके आवंटन की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयपुर में भी सेम प्रोजेक्ट चल रहा है और विजयपुर में भी ये सरकार आने के बाद उसमें पूरी तरीके से काम बंद हो गया है। उसका भी बतायेंगे कि विजयपुर का इंडस्ट्रीयल पार्क चालू हो जायेगा या नहीं होगा और अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों की प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू हुई है। हम लोगों का प्रयास है कि सारे प्रोजेक्टों को हम लोग जल्दी से चालू करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उद्योग नीति से संबंधित ही नहीं है। इसका उद्योग नीति से क्या लेना देना है, यह विजयपुर का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह से सियारपाली का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका उद्योग नीति से लेना देना ही नहीं है, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विजयपुर में इंडस्ट्रीयल पार्क पूरी तरीके से ठप है। जब से यह सरकार आई है, तब से उसमें न फंड दिया जा रहा है, न कुछ दिया रहा है, वह प्रोजेक्ट वैसे का वैसे रुका हुआ है। मैं आपसे

यही कहना चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट क्यों रुका हुआ है? कम से कम उस प्रोजेक्ट का काम चालू होना चाहिए, आवंटन होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय से हटकर पूछ रहे हैं, अगर उसके बारे में बता रहे हैं तो उसको मुझे बता देंगे, निश्चित तौर पर जल्दी उसको प्रक्रिया में लायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रायगढ़ जिले की बात है, जो M.S.M.E. industrial park है, उसी की बात है, मैं इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। चलिए, आप यह बता दीजिए कि क्या आपका लक्ष्य 500 लोगों को नौकरी देने का है?

श्री लखन लाल देवांगन :- जी है।

श्री उमेश पटेल :- आप 500 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 50 प्लॉट दिये गये हैं, 5 हजार से 20 हजार square fit के अलग-अलग उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पर 500 लोगों को रोजगार देने लक्ष्य पूरा होगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक आवंटन नहीं हुआ है। इतना धीमे गति से काम कर रहे हैं। न प्रचार-प्रचार हुआ है और इसके बारे में किसी को पता है। आपने इसके लिए प्रचार-प्रसार, विज्ञापन किया है तो हम कैसे मानें कि आप आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि इसी मार्च महीने में इसको हम लोग प्रारंभ कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत अच्छा। वह बता दिये कि मार्च महीने से शुरू कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या यहाँ जो भूमि अधिग्रहण किया है, उनको मुआवजा मिल चुका है और अगर मुआवजा मिल गया है तो किस दर से मिला है?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी जमीन अधिग्रहित की गई है, उनको सभी को मुआवजा मिल चुका है। किसी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राजनांदगांव जिले में सामूहिक जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. (*क्र. 1421) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले में सामूहिक जल प्रदाय योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति राशि, कार्यादेश एवं पूर्णता दिनांक, किये गये संरचनावार व्यय व मूल्यांकन सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी व निर्माणाधीन स्थलों की नक्शा खसरा सहित नदी-नालों, एरिया की जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : विभाग में सामूहिक जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं है, अपितु "ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना" स्वीकृत है। योजनाओं की स्वीकृत राशि, कार्यादेश एवं पूर्णता दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब एवं किये गये संरचनावार व्यय व मूल्यांकन सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी व निर्माणाधीन स्थलों की नक्शा खसरा सहित नदी-नालों, एरिया की योजनावार पृथक-पृथक जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, द, ई, फ, ग अनुसार है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले में सामूहिक जल प्रदाय योजना के बारे में है। एल.बी. नगर समूह जल प्रदाय योजना में संरचना 13 घटक पर होनी है जिसमें मैं 02 ही घटक इंटकवेल और एम.बी.आर. के बारे में बात करूंगा। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वीकृत संरचना इंटकवेल और जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण कौन-कौन से स्थलों में किया गया है, स्थलों का नक्शा, खसरा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में 5 एम.बी.एस. स्वीकृत हैं, 2 पूर्व से हैं। धीरे और...

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भाषण नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। मैंने जो दो शब्दों में बात की है, लाल बहादुर और धीरे-धीरे मैं जाने की क्या ज़रूरत है ?

श्री अरूण साव :- बिल्कुल-बिल्कुल।

अध्यक्ष महोदय :- वे थोड़ा भूमिका के साथ बता रहे हैं न। आप धैर्य रखिए न। मैं आपको अवसर दूंगा, आप पहले मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लें फिर आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व से 2 संचालित हैं। जल जीवन मिशन से 3 एम.बी.एस. स्वीकृत हुए हैं। माथलडबरी लागत 14 करोड़ का जिससे 12 गांवों को पानी मिलेगा। सूखा नाला बैराज और घुमरिया नदी से जिसके लिए पानी आएगा। एल.बी. नगर जिसकी लागत 21.35 करोड़ है, 20 ग्रामों के लिए पानी की व्यवस्था होगी। खातुटोला बैराज और झूरा नदी से पानी लाने की योजना है। मोगरा एम.बी.एस. जिसकी लागत 396.47 करोड़ है, जिससे 330

ग्रामों को पेयजल मिलेगा । सेमरबांधा एनीकट और शिवनाथ नदी से यह आएगा । जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, एल.बी. नगर के मामले में जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उसमें वास्तविकता यह है कि चारागाह की जमीन पर water treatment plant लगा हुआ है । उस स्थान के लिये ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद चारागाह की जमीन चूंकि शासकीय जमीन होती है और इसलिये वह शासकीय जमीन पर ही बना हुआ है ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक साधारण सा उत्तर चाहा है कि कौन से नक्शा-खसरा में चूंकि आपने मेरे पास जो प्रस्तुत किया है । आपने जो उत्तर दिया है वह कृषि भूमि है और किसी किसान की जमीन है । आप संभलाह चारागाह की बात कर रहे हैं, आपने मेरे पास जो उत्तर दिया है, आप उसकी जांच करा लीजिएगा । आप साधारण सा यह भर बता दीजिये कि आपने कौन से नक्शा-खसरा में दिया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्शा-खसरा आपको उपलब्ध कराया है । मैं उसको पढ़कर सुना भी देता हूं कि शासकीय जमीन का खसरा पूरा लगा है । पंचायत ने उसके लिए विस्तृत रूप से प्रस्ताव पारित किया है, वह उसी जमीन पर है । स्पष्ट रूप से खसरा में मेहतर पिता पितांबर अन्य कृषक का नाम शामिलार्य में दर्ज है, यह खसरा-नक्शा, शाला सब-कुछ आपको उपलब्ध कराया है ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जांच करवा लीजिएगा । इसमें आपने लिखा जरूर है कि मेहतर लेकिन उनके अलावा 10 लोगों का है लेकिन आपने मुझे जो जानकारी दी है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि संभलाह चारागाह है करके । आपने उसको किस ठीक ढंग से मतलब आपके पास जो है उसको आप जानेंगे । आपने मुझे जो कागज दिया है वह सिर्फ कृषि भूमि और मेहतर जमीन के नाम से है । साहब, चलिये ठीक है । आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप अग्रिम आधिपत्य के लिए अनुमति ले लेते, आप उस जगह को अपने नाम में कर लेते, पी.एच.ई. के नाम में कर लेते हैं । यह तो प्रक्रिया है, यह तो नियमित प्रक्रिया के रूप में है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह प्रक्रियाधीन है ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरी जानकारी में यह किसान की जमीन है । दूसरा आप जो इंटकवेल बना रहे हैं, वह कौन नक्शा-खसरा में बना रहे हैं यह भी बता दीजिएगा ? यह तो जल शुद्धिकरण का है, आप इंटकवेल कौन से स्थल में बना रहे हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय भूमि पर ही बनाये जा रहे हैं । शासकीय जमीन पर ही सारा काम हुआ है और जिसमें पंचायत का प्रस्ताव होता है, आगे और समितियों में उसका अनुमोदन होता है । शासकीय जमीन पर बनाया हुआ है और यदि किसी तरह से कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा दें । निश्चित रूप से हम जांच करा लेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साधारण सा खातुटोला बैराज पानी का स्रोत झुरा नदी का उल्लेख है। आपके ही कार्यकाल में आपने खातुटोला बैराज बनाया, उसी के नीचे एक एनीकट भी बनाये हैं कि शुद्ध रूप से लालबहादुर में पानी जाने के लिये आपने करोड़ों रुपये का एनीकट बनाया। आपके डी.पी.आर. में भी उस एनीकट का उल्लेख है। आप जो इंटकवेल बना रहे हैं वह किसी दूसरी जगह बना रहे हैं तो मैं किसी के ऊपर कार्रवाई भी नहीं चाहता। यह नल-जल योजना, सामूहिक नल-जल योजना उपयोगी है और हम 21 करोड़ रुपये खर्च भी कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी उपस्थिति में आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो संरचना है, जो घटकवार है, वह कहां-कहां बना रहे हैं? मेरी उपस्थिति में जांच करा दीजिए। सिंपल सा है। मैं कार्रवाई करने के लिए भी नहीं बोलना चाहता, पर मंत्री जी, इतना तो करा सकते हो।

श्री अरुण साव :- जो स्वीकृत योजना है, उसके अनुरूप काम हुआ है। निश्चित रूप से सदस्य महोदय की उपस्थिति में जांच करा लेंगे।

जिला-महासमुन्द अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की जानकारी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 1450) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-महासमुन्द के नगरीय निकायों में पेयजल व्यवस्था हेतु अमृतजल योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत एवं लंबित की जानकारी निकायवार बतायें? (ख) महासमुन्द जिले के नगर पंचायतों में से बागबाहरा नगर पंचायत हेतु पेयजल की पूर्ति के लिए क्या सिकासेर जलाशय से अमृत जल योजना अंतर्गत जल आपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त है ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) यदि नहीं तो क्या नगर पालिका बागबाहरा में पेयजल आपूर्ति हेतु सिकासेर जलाशय से अमृत जल योजना या अन्य योजना से जल आपूर्ति हेतु शासन की क्या दीर्घकालिक योजना है, बतायें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरुण साव) : (क) जिला-महासमुन्द के नगरीय निकायों में पेयजल व्यवस्था हेतु मिशन अमृत योजनांतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। (ख) जी नहीं। (ग) नगर पालिका बागबाहरा में पेयजल आपूर्ति हेतु सिकासेर जलाशय से मिशन अमृत योजना अथवा अन्य योजना अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। निकाय की पेयजल आपूर्ति हेतु 15वें वित्त मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40.09 लाख एवं वर्ष 2024-25 में पाईप लाईन विस्तारीकरण तथा ओवर हेड टैंक निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि रु. 135.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल काफी गंभीर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका

बागबाहरा में पेयजल की काफी गंभीर समस्या है, लेकिन आपके उत्तर से उस गंभीर समस्या का हल हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आज आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, पांचवी बार गंभीर शब्द यूज कर रहे हो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्या ही उतनी है। उसी लेवल की समस्या है। माननीय मंत्री जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, आज तेहा पढ़ के आए हस?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बिल्कुल।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो देख के कइसे पढ़थेस?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- पढ़ नहीं रहा हूं, सवाल कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, ममा बिन पढ़े आये हस।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बागबाहरा के साथ अन्याय मत करो भाई, आप वहां के भांचा हो, उधर वाले अन्याय कर रहे हैं, उसको आप देखिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आज द्वारिकाधीश बहुत गंभीर हैं। आप उनको छेड़िए मत। चलिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आपने मेरे सवाल के जवाब में यह दिया है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही है कि अमृत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन नगर पालिका बागबाहरा में मेरे पास संकल्प क्रमांक 37 है, मैं प्रस्ताव पारित हुआ है और शासन को भेजा गया है और आपके विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सरासर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो इस प्रस्ताव की कॉपी मैं पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए प्रश्न पूछ लिये, अब जवाब सुन लीजिए।

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। नगर पालिका बागबाहरा की जहां तक बात है, नगर पालिका बागबाहरा को पेयजल आपूर्ति के लिए 15वें वित्त मद के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 40 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 में पाइपलाइन विस्तारीकरण तथा ओवर हेड टैंक निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। लोगों को पेयजल मिले, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये सही है। आपने स्वीकार भी किया है कि अमृत मिशन के लिए कोई प्रस्ताव निकाय ने नहीं दिया है और अमृत मिशन 2 के लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आएगा तो निश्चित रूप से उसके जो मापदंड हैं, उसके अनुरूप विचार करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उस समस्या को हल करने के लिए आप सदन में यह घोषणा कर दीजिये कि निश्चित रूप से शामिल करेंगे। दूसरी बात आपने जो जवाब दिया है कि 15वें वित्त आयोग के तहत जो राशि उपलब्ध कराई गयी है, ये सही है। माननीय मंत्री जी, मेरा यह कहना है कि पूरे प्रदेश में यह समस्या आ रही है, जो बागबाहरा में समस्या है। बगैर जल स्रोत के केवल और केवल पाइपलाइन और टंकी का निर्माण कर दिया गया, 1 करोड़ 35 लाख कुछ धनराशि है, लेकिन जब प्राक्कलन तैयार हुआ तो उसमें उपयोगिता स्पष्ट उल्लेखित रहता है। जब वहां पर जल स्रोत है ही नहीं तो उस पाइपलाइन और उस टंकी का क्या उपयोग है? आप पहले ये बताइए कि ये शासन की नीति में क्या है? पहले जल स्रोत खोजना है या पाइपलाइन बनाना है? बगैर जल स्रोत के इस पाइपलाइन का जो प्राक्कलन तैयार किया गया और उसकी उपयोगिता प्राक्कलन में गलत ढंग से प्रस्तुत की गयी। उस पर आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं कि अमृत मिशन से कोई प्रस्ताव नहीं गया। 1 करोड़ 35 लाख रुपये दिया है, वह भी स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और अभी भी मैंने कहा है कि अमृत मिशन 2 के लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आता है तो जरूर मापदंड के अनुसार विचार करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि पालिका छोटी संस्था है । पालिका प्रस्ताव भेजती है लेकिन उस समस्या का हल किस योजना से होगा, यह शासन के उच्च स्तर पर तय होना चाहिए । मेरा सवाल यह था कि जल स्रोत के बगैर पाइप लाईन का निर्माण किया गया, जिससे समस्या का हल नहीं हुआ बल्कि राशि का दुरुपयोग हुआ । इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या ? आप तो दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं ।

श्री अरूण साव :- देखिए, अनियमितता या गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से जांच करते हैं किंतु सामान्यतः यह निकाय ही निर्धारित करता है, उसकी योजना, उसका प्रारूप निकाय स्तर पर बनता है, फिर भी आप कहते हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आप मेरे संज्ञान में लाएं, निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धन्यवाद ।

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का भुगतान

[लोक निर्माण]

7. (*क्र. 1513) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में यातायात को सुगम बनाने हेतु कितने घाटों का घाट कटिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है ? कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने का भुगतान हुआ? (ख) क्या घाट पेंडारी के घाट कटिंग की स्वीकृति हो पाई है? अगर नहीं तो कब तक होगी ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरुण साव) : (क) निरंक। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) जी नहीं, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा था कि मेरे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में यातायात को सुगम बनाने हेतु कितने घाटों का घाट कटिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है ? लेकिन उत्तर में निरंक बताया गया है । उप मुख्यमंत्री जी, यह सार्वजनिक हित की बात है तो मैं इसमें आपका जवाब जानना चाहूंगी ।

श्री अरुण साव :- अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता का विषय है सूरजपुर जिला के अंतर्गत घाटपेंडारी में घाट कटिंग के संबंध में उन्होंने बार-बार मेरा ध्यान आकर्षित कराया है । वह महत्वपूर्ण रोड है, वह खराब हो गया है । परंतु स्थिति यह है कि उसके लिए घाट कटिंग करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट का क्लीयरेंस भी आवश्यक है और विभाग पूरी गंभीरता से उस सड़क को ठीक करने के लिए, कि एक्ज़ीस्टिंग आर.ओ.बी. में, आर.ओ.डब्ल्यू. में सड़क को बनाएं, फिर भी कुछ घाट कटिंग की जरूरत पड़ेगी । हम गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं । माननीय सदस्य की चिंता जायज है, वह महत्वपूर्ण सड़क है, परंतु जो नियम प्रक्रिया है, उसको ध्यान में रखकर निश्चित रूप से हमारा विभाग पूरी गंभीरता से उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेगा । यह सड़क लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जनहित का मामला है, इसके लिए विभाग गंभीर है और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसका कोई समाधान निकले ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा घाटपेंडारी है, यह छत्तीसगढ़ के हित के लिए है । क्योंकि यह बनारसी मुख्य मार्ग है, जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ धाम है, मंदिर है और अभी प्रयागराज जाने के लिए हजारों गाड़ियां उसी सड़क से जाती थीं । हमारे यहां पिछले 2 वर्षों में लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आप जिस प्रकार से लुचकी घाट में Viaduct Bridge बना

हुआ है। उसी प्रकार का ब्रिज बनाने की कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्र वासियों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वह बनारस का मुख्य मार्ग है।

श्री अरुण साव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय सदस्य की चिंता जायज है। उन्होंने ओवरब्रिज बनाने की बात की है। इसकी बहुत लागत आती है और यह अभी एकज़ीस्टिंग बजट में सम्मिलित भी है और कैसे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो, इस पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कर लेंगे।

रायपुर संभाग में हितग्राहियों को सामग्री वितरण

[श्रम]

8. (*क्र. 1333) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) श्रम विभाग के अंतर्गत रायपुर संभाग में वर्ष 2022 से दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक कितने हितग्राहियों को कितनी व कौन-कौन सी सामग्री का वितरण किया गया है ? इस हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, कितने स्वीकृत व कितने निरस्त हुए व कितने लंबित हैं? वितीय वर्ष 2022 व 2025 में उक्त सामग्री हेतु किन-किन फर्मों को कितना-कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार सामग्री आपूर्ति में सामग्री प्रदायकर्ता फर्म व विभागीय अधिकारियों को लेकर क्या-क्या शिकायतें की गईं व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत रायपुर संभाग में वर्ष 2022 से दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक संचालित सामग्रीमूलक योजनांतर्गत प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, लंबित आवेदन एवं लाभान्वित हितग्राहियों की मंडलवार एवं योजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र² अनुसार है। वितीय वर्ष 2022 व 2025 तक मंडलों अंतर्गत संचालित सामग्रीमूलक योजनाओं हेतु किसी भी फर्म से सामग्री क्रय नहीं किए जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

डॉ. सम्पत अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रम विभाग अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री वितरण के संबंध में प्रश्न किया था। इस संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा सीधे खाते में पैसा जमा करना बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हितग्राहियों को सीधे पैसे देने का कोई प्रावधान है। यदि है तो किस नियम के अंतर्गत उक्त योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा की गई है।

² परिशिष्ट "दो"

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 2021 को निर्देश हुआ कि जो सामग्री हम उनको देते हैं, उनको उनके खाते के डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर किया जाए। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च, 2023 को लागू हुआ और अभी जितने भी हितग्राहियों की सामग्री मूलक योजनाएं हैं, उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं।

डॉ. संपत अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी उक्त योजना के लिए हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया गया है ? क्या जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया, उनको योजनाओं को लाभ नहीं मिला है, उस संबंध में संबंधित हितग्राहियों को सूचना दी गई है या नहीं तो क्यों ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सतत् प्रक्रिया है। हमारे पास आवेदन आते हैं, स्वीकृत भी होता है और किसी-किसी में अगर पेपर वगैरह में कमी रहती है तो बहुत ज्यादा पेपर की आवश्यकता नहीं रहती है। उनको अवगत भी कराया जाता है और अभी हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया है कि किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं करना है, उनके पास जो पेपर कम है, उसकी पूर्ति करा करके पूरे दस्तावेज को कम्प्लीट करा के पात्र सूची में डाले, विभाग के द्वारा ऐसा निर्णय भी लिया गया है।

डॉ. संपत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा परिशिष्ट दो में दिये गये उत्तर के आधार पर लगभग योजनाओं में 70 से 80 प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है जिससे यह प्रतीत होता है कि योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से कुछ हितग्राहित लोगों को लाभान्वित किया गया। जो सही पात्र गरीब तपके के लोग थे, उनको जानबूझकर इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, क्या आप इस पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी अधिकारी के द्वारा अनियमितताएं नहीं बरती गई हैं, मैंने पहले ही बताया कि उनका जो आवेदन आता, उसमें निरंतर प्रक्रिया है, अगर जो भी लंबित आवेदन है, माननीय सदस्य के क्षेत्र से कोई इस प्रकार का प्रकरण है तो वे बता देंगे, उसका तत्काल निराकरण करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मंत्री जी को बता दीजिए।

डॉ. संपत अग्रवाल :- जी सर।

प्रदेश में आयोजित इन्वेस्ट छत्तीसगढ़

[वाणिज्य एवं उद्योग]

9. (*क्र. 1389) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक किस-किस प्रकार के कितने

उद्योगों की स्थापना हेतु शासन द्वारा किन-किन उद्योगपतियों/संस्थाओं के साथ कितनी-कितनी राशि के एम.ओ.यू. किए गए हैं? एम.ओ.यू. के अनुसार कितने उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है? संस्था का नाम/ निवेशक का नाम, उद्योगपति के नाम सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार उद्योगों की स्थापना प्रदेश के किन जिले, ब्लाक, ग्राम पंचायतों में की जानी है तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कितने कुशल एवं अकुशल रोजगार प्राप्त हुआ अथवा होगा? (ग) वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन कहाँ-कहाँ किस तिथि को किया गया? कितनी राशि किस-किस व्यवस्था एवं कार्य में व्यय हुई जानकारी दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कोई एमओयू नहीं किए गए हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए रुपये 100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्राप्त होने वाले अभिरुचि प्रस्तावों पर एमओयू निष्पादन के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट संबंधी पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कुल 31 इकाइयों को उनके निवेश अभिरुचि प्रस्तावों पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए गए हैं। **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ"**³ पर दर्शित है। (ख) उपरोक्त निवेश प्रस्तावों में उद्योग स्थापना हेतु वर्तमान में स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन उद्योगों में कुल 22557 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम को राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों/श्रमिक के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। (ग) वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन दिनांक 23.12.2024 को नई दिल्ली एवं दिनांक 23.01.2025 को मुम्बई में किया गया। उक्त आयोजनों में मदवार व्यय की **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब"** पर दर्शित है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी बहुत सीधे सादे सरल हैं। इसलिए मैं उनको बहुत सरल भाषा में प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी परंपरा है कि दूल्हे के बगैर बारात जाया जाता है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता जी का इशारा समझ रहा हूँ। हम लोगों ने दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्ट सम्मेलन किया था, शायद वे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी नई उद्योग नीति बनी है। सभी सरकारें अपनी-अपनी उद्योग नीति को लेकर बाहर जाते हैं और उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे प्रदेश में आकर उद्योग स्थापित

³ परिशिष्ट "तीन"

करें। कांग्रेस सरकार में भी विदेश तक इनवेस्ट सम्मेलन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई बार इनवेस्ट सम्मेलन किया। उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी मुंबई और दिल्ली में इनवेस्ट सम्मेलन किया गया था, उसमें हम लोगों को बड़ा लाभ मिला है। हम लोगों को 31 प्रस्ताव मिले हैं जिसमें लगभग 47 हजार करोड़ इनवेस्ट का प्रस्ताव मिला है। (मेजों की थपथपाहट) जिस दिन आपने प्रश्न लगाया, उसके बाद अभी 1 लाख करोड़ रूपए से उपर का इनवेस्ट का ऑफर मिल चुका है। हम चाहते हैं कि आप सब के सहयोग से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपको जितना सीखाया गया, आपने कह दिया। मेरे पूछने का अर्थ यह है कि बिना दूल्हे के बारात का मतलब आपने अपने उद्योग के लिए भूमि का चयन किया ही नहीं है। भूमि का चयन नहीं हुआ है और आप वहां इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। आप बिना भूमि के कैसे बताएंगे कि कौन सी भूमि में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है ? दूसरी बात, आपने 31 उद्योगपतियों का चयन किया है। आपने उनको Invitation भेजा है, Invitation to invest. आपको यहां आकर हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाना है इसलिए आपने आमंत्रित किया है। ये आए नहीं हैं, आपने लिख-लिखकर बुलाया है। मैं कह रहा हूं कि इतनी जल्दी नहीं है, आप विभाग में अच्छे से काम करा लीजिए, अपनी जमीन खोज लीजिए, जल का स्रोत समझ लीजिए, वहां पर बिजली आएगी या नहीं आएगी, यह समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइये न। आपको किसने मना किया है ? आप भी जाइये, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी विदेश जाते थे। आप हम लोगों को भी ले जाइये। यदि कोरबा वगैरह के लिए जाना हुआ तो हम 1-2 में तो चल ही सकते हैं। यदि आप कोरबा के लिये जाएंगे तो हम भी विदेश चलेंगे और देखेंगे कि आप वहां पर क्या-क्या करते हैं ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इस बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनवेस्ट सम्मेलन करने के लिए कहीं भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उद्योग लगाने का प्रयास करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भूमि के बारे में कहा है तो निवेशकों के द्वारा मांग के अनुसार उनको भूमि प्रदान की जाती है। बहुत जगह स्वयं निजी भूमि के अधिग्रहण की अनुमति न्यायालय, कलेक्टर के माध्यम से मिलती है। हम लोगों का भी जो लैंड बैंक रहता है, उसको भी हम उनको देते हैं। अभी 4 जगह हमारे नवीन निवेशकों ने भूमि चिन्हित कर ली है, यदि आप कहेंगे तो कहां-कहां पर भूमि चिन्हित की गई है, मैं उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 4 निवेशकों ने जो भूमि चयनित की है, उसमें

मेजरपाली मेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेमी कन्डक्टर को NRDA के द्वारा दिनांक 28.02.2025 को नया रायपुर में 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसी तरह से एसफेन इन्स्योरेंस एप्लाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पंखा, वेनबैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नया रायपुर में जमीन का चयन किया गया है। अबरलगिरी एनर्जी सोलर पॉवर द्वारा, ढाका-चाका, डंगनिया, विकासखण्ड-पथरिया-मुंगेली में स्थल का चयन किया गया है। वह जहां पर भी जमीन चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको जमीन मिल जाए और वहां पर उद्योग लगे। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप लोग दिल्ली में मीटिंग करने के लिए गये थे तो आपने वहां पर 1 करोड़, 3 लाख रुपये खर्च कर दिये। आप लोग मुंबई गये थे तो आपने वहां पर 1 लाख, 61 हजार रुपये सिर्फ होटल, किराये, बैठक, यात्रा व्यय और इन्वेस्ट व्यवस्था में खर्च कर दिये थे। क्या आप इसके लिए अलग से इन्वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले हैं? आपने उनको पैसे दिये हैं या आपके जो अधिकारीगण गये थे, उनकी व्यवस्था में आप गये थे ? क्या आप मुझे इस बात की जानकारी दे पाएंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निवेश सम्मेलन करते हैं तो वहां पर होटल में जो उद्योगपति आते हैं, उनके खाने-पीने और भी जो किराये के पैसे लगते हैं, वह सारा खर्चा आता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस speed से दोनों माननीय चल रहे हैं, उसमें आप विशेष कृपा करके प्रश्नकाल को 5 मिनट और बढ़ा दीजिए। (हंसी)

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता जी को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने दिल्ली में।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी को तकलीफ हो रही है और समय भी बीतते जा रहा है।

श्री लखन लाल देवांगन :- एक मिनट, मैं आपको बता देता हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। उसको जोड़ दीजिए। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- या तो आप जवाब दीजिए या इनके प्रश्न में 2 मिनट निकाल देते हैं। आप लंबा प्रश्न करिये।

डॉ. चरण दास महंत :- हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट का प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप लंबा प्रश्न कर लीजिए। अभी 3 मिनट बाकी है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह कह रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि यह उद्योगपतियों को बुलाते हैं और उनके खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप उनके पीने-खाने की व्यवस्था करते हैं या खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं ? (हंसी)

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाना के साथ पानी भी रहता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि पीना भी कर रहे हैं तो दिक्कत है ? आप उद्योग लगाओ। आपको जो पीना है, वह पिलायेंगे। देशी, महुआ जो चाहिए, सब दिलवायेंगे। आप उनको बुलवाओ और पिला-खिला दो और खिला-पिला दो। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। प्रश्न क्रमांक-10। दिलीप लहरिया जी। लहरिया जी, आप जल्दी प्रश्न पूछ लीजिए।

बिलासपुर जिले अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य

[लोक निर्माण]

10. (*क्र. 1326) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिले अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग के बजट में किन-किन कार्यों को शामिल किया गया है ? विधान सभावार विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार बजट में शामिल किन-किन कार्यों को प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? विधानसभावार, विवरण देवें? कितने कार्यों को अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है? कारण क्या है? विधानसभावार, विवरण देवें? (ग) कितने स्वीकृत कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ हैं? स्वीकृत कार्यों के संदर्भ में कब-कब निविदा आमंत्रित की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्री दिलीप लहरिया :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2024-2025 में लोक निर्माण विभाग के बजट में बिलासपुर जिले में और विशेषकर मस्तूरी में किन-किन कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत विस्तार से बिलासपुर जिले की सभी विधान सभा क्षेत्रों की जानकारी दी है। वर्ष 2024-2025 में बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र में बजट में 11 काम शामिल थे, उसमें से 2 की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। भवन के 4 काम शामिल थे, उसमें से 2 की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। सेतु के लिए बजट में 2 प्रावधानित थे।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखता हूँ।

(2) विद्युत विभाग की अधिसूचना क्रमांक 422/एफ 11-02/2006/13/1, दिनांक 12 फरवरी, 2025

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 422/ एफ 11-02/ 2006/ 13/1, दिनांक 12 फरवरी, 2025 पटल पर रखता हूँ।

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उप धारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार :-

- (i) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
- (ii) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूँ।

(4) आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 07-22/2023/32, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07-22/2023/32, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परसो दिनांक 04 मार्च को हमारे डौण्डी ब्लाक में जनपद सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। पूरी प्रक्रिया चालू हो गई थी। सदस्य लोग अंदर चले गये थे। उसके बाद ऐसा क्या कारण हुआ कि आदेश के द्वारा वहां चुनाव को निरस्त किया गया। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाजें) इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं। ऐसे बहुत सी जगहों में हुआ है। हमारे बस्तर जिले में भी हुआ है। तो मेरा, आपसे निवेदन है कि मैं इसका कारण जानना चाह रही हूं कि ऐसा क्या कारण आ गया कि प्रत्याशियों के अंदर जाने के बाद प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। मैं इस विषय का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में सत्ता पक्ष के नेताओं के ईशारों पर कुछ लोग एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी सदस्य अंदर चले गये थे। 10 मिनट बाद उनको बोला जाता है कि चुनाव निरस्त कर दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीनों ब्लाक चारामा, भानुप्रतापपुर या दुर्गकोंदल में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तीनों हमारी पार्टी के बन रहे थे। इस प्रकार प्रक्रिया निरस्त कर दिया जाता है। प्रत्याशियों को खरीदने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी खरीद-फरोख्त हो रही है। अचानक प्रक्रिया निरस्त करने का क्या कारण है। अध्यक्ष महोदय, कृपया इस पर संज्ञान लेकर अधिकारियों के ऊपर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए।

द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय से जुड़ा हुआ मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी है। 2 शासकीय कर्मचारी शिक्षा विभाग से हैं, जिनके परिवार के सदस्य जनपद सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं। पहली बात है कि प्रक्रिया की तिथि आगे बढ़ाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। दूसरी बात, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था में उनके परिवार के सदस्य के मत को प्रभावित करने के लिए प्रधान अध्यापक को आदेश जारी किया गया है। एक महिला जनपद सदस्य है, उसके परिवार को भी व्यवस्था में लिया गया है। व्यवस्था नीति में 60 किलोमीटर दूर व्यवस्था किया गया है, जो कि शासन के नियम विरुद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि वह व्यवस्था निरस्त हो और जिस जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध आदेश जारी किया है, उस पर कार्रवाई हो।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-3 जगहों में इस तरह की बातें सुनने में आ रहा है। जहां हमारे पार्टियों के सदस्यों की संख्या अधिक है और जब वे वोटिंग के लिए अंदर चले जाते हैं, उसके बाद उसे निरस्त कर दिया जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अपवाद होगा।

श्री उमेश पटेल :- एक जगह अपवाद होगा, लेकिन लगातार 3-3 जगह यह देखने को मिल रहा है। क्या आपका लोकतन्त्र के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरह से शासन और प्रशासन का उपयोग करके सरकार बनाना चाहती है? क्या यही सुशासन देखना चाहती है? छत्तीसगढ़ की जनता यह सुशासन के लिए तैयार नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चार इंजन बनाने का तरीका हो गया है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार को सता रहे हैं। कोई शिक्षक है, कोई पुलिस है, इन लोगों को सता रहे हैं कि उन लोगों की पत्नियों को बी.जे.पी. के उसमें भेजो। वे लोग इस प्रकार की हरकते कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है और [xx]। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है। कल भी उसी प्रकार से एक घटना घटित हुई कि दुर्ग जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था और जो जिला पंचायत सदस्य है, उसका देवर शासकीय कर्मचारी है, उसको वहां भेजा गया। जिला पंचायत सदस्य अनुसूचित जाति महिला है और दो महिला जीत कर आई हैं, उसको बुलाकर एक विधायक के घर में बैठा दिया गया और वह निर्विरोध निर्वाचित हो गया। (शेम-शेम की आवाज) यदि इसी प्रकार से स्थिति रही तो ऐसे में [xx]। अभी विधान सभा सत्र चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसमें कृपा करके जवाब दें और इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय मंत्री जी, यदि निरस्त होना है तो एक दिन या दो दिन पहले निरस्त होना चाहिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मोदी जी गंभीर नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, निकाल कर ले गये। उसको एक विधायक के घर बैठा दिया गया और वह निर्विरोध हो गया। शासकीय तौर पर सदस्य का ही अपहरण करवा लिये। यह दुर्भाग्यजनक है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बहुत सारे सरपंच जीत कर आ गये थे। उनको निर्वाचन अधिकारी का जवाब मिल चुका था कि वह विजय हो गये हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, एक दिन या दो दिन पहले निरस्त होना चाहिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह [xx] है।

श्री दिलीप लहरिया :- यह [xx] है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :

12:07 बजे

बहिर्गमन

शासन का उत्तर न आने पर

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा जनपद पंचायत चुनाव के संबंध में शासन का उत्तर नहीं आने के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परसो कुरुद विधान सभा क्षेत्र के कुरुद ब्लॉक के एक गांव-कुरा में, माननीय गृह मंत्री जी भी सदन में हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के साथ तोड़-फोड़ की गई। मैं चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर दोषी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना। श्रीमती भावना बोहरा।

समय :

12:08 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) पंडरिया विधान सभा अंतर्गत स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में आर्थिक संकट होना

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

पंडरिया विधान सभा अंतर्गत स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया वर्तमान परिस्थिति में अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा है और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस कारखाने के माध्यम से क्षेत्र के हजारों किसान परिवारों का जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए शक्कर कारखाने को आर्थिक संकट से उबारने एवं किसानों से अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना की खरीदी करने के लिए प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के आर्थिक संकट से गुजरने का प्रमुख कारण पूर्ववर्ती सरकार के समय में ऋण भुगतान की किश्त की अदायगी नहीं किया जाना है, जिससे आज दिनांक पर्यन्त भुगतान करना पड़ रहा है तथा कारखाने पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) [N.C.D.C.] द्वारा 81.00 करोड़ रुपये का ऋण 11.45% ब्याज दर पर दिया गया था। जिसका कारखाने द्वारा अब तक 121.47 करोड़ रुपये व्याज सहित भुगतान किया जा

चुका है एवं बकाया मूलधन ऋण राशि 16 करोड़ रुपये है। पेराई सत्र 2024-25 के लिए क्रय किये गये गन्ने की राशि का भुगतान भी शेष है। ऐसे स्थिति में कारखाने द्वारा शेष मूलधन ऋण राशि 16 करोड़ रुपये का पूर्ण भुगतान निर्धारित अवधि में किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। यदि शक्कर कारखाने की स्थापना हेतु लिए गए ऋण एवं ब्याज में रियायत मिलती है तो इसका संचालन सुचारु रूप से हो सकता है। शासन द्वारा 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की खरीदी की जाती है, जिसके भुगतान में देरी होती है, इस वजह से किसान कारखाने में गन्ना कम मात्रा में बेच रहे हैं, जबकि क्षेत्र के आस-पास के जगरी गुड़ के प्लांट द्वारा किसानों से 400 से 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है और उन्हें अग्रिम रूप से भुगतान किया जाता है, जिसकी वजह से किसान कारखाने की जगह स्थानीय फैक्ट्रियों में अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्षेत्र के किसानों को कम दर पर भुगतान एवं राशि के भुगतान की समय-सीमा अधिक होने के कारण किसानों का रुझान निजी गुड़ प्लांट की ओर अधिक हो रहा है, जिससे कारखाने को जल्दी बंद करना पड़ सकता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने के स्थापना हेतु लिए गए ऋण एवं व्याज में रियायत देने, समय पर भुगतान एवं मार्केट दर पर किसानों को भुगतान नहीं किये जाने के कारण शासन-प्रशासन के प्रति किसानों सहित आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सहकारिता मंत्री (केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पंडरिया विधान सभा अंतर्गत स्थिति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया वर्तमान परिस्थिति में अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा है। यह भी सही है कि कारखाने में 11 हजार से अधिक किसान अंशधरी सदस्य हैं।

यह कहना सही नहीं है कि कारखाने द्वारा समय पर ऋण किस्त की अदायगी नहीं की गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रैल, 2023 तक कारखाने द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये सावधि ऋण के किस्तों का भुगतान समय पर किया गया है। यह सही है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना मर्या.पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) [NCDC] द्वारा 81.00 करोड़ रुपये का ऋण 11.45 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया गया था, जिसका कारखाने द्वारा अब तक 121.47 करोड़ रुपये ब्याज सहित भुगतान किया जा चुका है। यह सही नहीं है कि बकाया मूलधन ऋण राशि रु. 16 करोड़ है, अपितु वास्तविक स्थिति यह है कि वर्तमान में अंतिम दो किस्तों का मूलधन एवं ऋण पर ब्याज सहित 17.09 करोड़ रुपये भुगतान किया जाना शेष है। शेष ऋण राशि का कारखाने द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार भुगतान किया जा रहा है। कारखाने पर बकाया सावधि ऋण के दंड ब्याज की राशि को माफ करने एवं ऋण के प्रभावी ब्याज दर पुनर्निर्धारण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पेराई सत्र 2024-2025 में दिनांक 01/03/2025 की स्थिति में क्रय किये गये गन्ने की राशि रु. 47.31 करोड़ में से राशि रु. 5.69 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा राशि रु. 41.62 करोड़ भुगतान हेतु शेष है ।

यह सही नहीं है कि शासन द्वारा राशि 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की खरीदी की जाती है, अपितु भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) पर गन्ने की खरीदी की जाती है । पेराई सत्र 2024-2025 के लिये भारत सरकार द्वारा 9.5 प्रतिशत की शक्कर रिकव्हरी पर राशि रु. 315.10 प्रति क्विंटल एवं 9.5 प्रतिशत से अधिक रिकव्हरी होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत रिकव्हरी हेतु अतिरिक्त रु. 3.32 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा किसानों को गन्ना प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। कारखाने द्वारा गन्ना कृषकों को 9.5 प्रतिशत रिकव्हरी दर पर एफ.आर.पी. लगभग 3 प्रतिशत की अतिरिक्त रिकव्हरी की राशि तथा गन्ना प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल गन्ना हेतु लगभग 454.60 रुपये दिया जाना संभावित है । भारत सरकार द्वारा शक्कर विक्रय हेतु नियमित मासिक कोटा जारी किया जाता है, इसी प्रणाली के अनुसार कारखाने द्वारा प्रतिमाह निर्धारित मात्रा में शक्कर विक्रय एवं सह उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि से कृषकों को गन्ने की क्रय राशि का भुगतान किया जाता है । सामान्यतः कारखाने द्वारा 9.5 प्रतिशत की रिकव्हरी पर गन्ने की राशि का भुगतान कृषकों को 2-3 माह में कर दिया जाता है, अतिरिक्त रिकव्हरी का भुगतान पेराई सत्र समापित पश्चात् एवं शासन से गन्ना प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान किया जाता है ।

राज्य शासन द्वारा शक्कर कारखाने के कसुचारु रूप से संचालन हेतु प्रतिवर्ष कार्यशील पूंजी ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है । इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में शासन-प्रशासन के प्रति किसानों सहित आम जनता में किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शुगर फैक्ट्री की स्थापना भाजपा के कार्यकाल में ही हुई है और जब आप मुख्यमंत्री थे, उसी कार्यकाल में शुगर फैक्ट्री की स्थापना हुई है। पण्डरिया विधान सभा, जहां पर शक्कर कारखाना स्थित है, वहां लगभग 8 हजार किसान इसे Direct अपना गन्ना बेचते हैं और अगर हम Indirectly देखें तो वहां 8 हजार किसान हैं, उनके पीछे हर परिवार की बात करें तो एक परिवार में 5 से 6 व्यक्ति आते हैं । पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र का 70 या 80 प्रतिशत हिस्सा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और इस स्थिति में अगर भुगतान में विलंब हो रहा है तो यह बहुत ही गंभीर विषय है । इस विषय पर लगातार अनेक संगठनों के द्वारा संज्ञान लिया गया, इसमें पिछले एक-डेढ़ वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में धरना-आन्दोलन भी में किये जा रहे हैं । चूंकि 2023-24 का जो Payment है, वह कांग्रेस के कार्यकाल का भी Payment बचा हुआ था, जो पहली रिकव्हरी राशि थी, उसका Payment बचा था । सरकार पर जो बोझ आया, वह पूर्ववर्ती सरकार का भी पैसा था, उसका बोझ आया । वर्तमान

स्थिति यह है कि गन्ना पेराई हुए अभी लगभग 2-3-4 महीने हो गए हैं, गन्ना पेराई की जो क्षमता थी, वह 3.5 लाख मेट्रिक टन थी। चूंकि Payment में Delay हो रहा है तो न समर्थन मूल्य पर भुगतान हो रहा है, न ही बोनस और न ही रिकव्हरी रेट का भुगतान हो रहा है। स्थिति यह हो गई है कि अभी तक 1.5 लाख मेट्रिक टन ही गन्ने की खरीदी हो पाई है और आने वाले सप्ताह भर में यह उम्मीद की जा रही है कि शायद गन्ना की पेराई या गन्ना की खरीदी लगभग-लगभग बंद हो जाएगी। मैंने इस विषय पर पिछले सत्र में भी प्रश्न और ध्यानाकर्षण के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया था और जो मंत्री जी जो रिपोर्ट बता रहे हैं, उसके अनुसार अभी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन इस विषय पर लगातार संज्ञान लिया जा रहा है और विभाग में भी पत्र वार्ता के जरिए लगातार बात हो रही है। सहकारिता विभाग और राज्य विपणन बोर्ड को भी बार-बार पत्र लिखकर एवं 1.3.2024 को भी पत्र के माध्यम से 20 करोड़ रुपये के ऋण की बात उसमें की गई है कि अगर वहां से ऋण मिले, जिसका ब्याज प्रतिशत कम हो तो शायद आगे शुगर फैक्ट्री को Continue कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इसमें जवाब दे दीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष जी, इसमें 81 करोड़ का लोन था, उस लोन के बिहाफ में ब्याज सहित लगभग 121 करोड़ रुपये आलरेडी पटाया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो जवाब में आ गया है। आपको प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि अगर इसमें यह स्थिति रहेगी, जो अभी वर्तमान में स्थिति है तो मेरी मांग सिर्फ यही है कि यह गंभीर विषय है। या तो ब्याज की दरों में कुछ रियायत या छूट मिल जाये या फिर जो मूलधन पटाने के लिए बचा हुआ है, उस मूलधन को पटाने से छूट मिल जाये, ताकि आगे सुचारु रूप से Payment हो सके। दूसरा विषय यह है कि इसमें 350 रुपये के हिसाब से ही Payment हो रहा है, जबकि प्राइवेट फैक्ट्री में 400 या 450 रुपये के हिसाब से Payment हो रहा है तो निवेदन यह भी है कि गन्ने के पेराई की दर 350 है, उसे बढ़ाकर 400 या 450 रुपये जो उचित हो, वह किया जाये और समय पर भुगतान किया जाये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने ध्यानाकर्षण के उत्तर में स्पष्ट किया है कि शक्कर को जो मूल्य है, वह हम दो-तीन महीने के बाद ही दे पाते हैं और आज भी जो स्थिति है, उसमें लगभग 41 करोड़ रुपये का हमारा भुगतान शेष है। वहां पर 15 से 16 हजार मेट्रिक टन शक्कर का उत्पादन होता है। जो हमारा कोटा निर्धारित है, उस कोटे के आधार पर हम शक्कर का विक्रय करते हैं। यदि हमारे शक्कर का कोटा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम किसानों को समय में राशि उपलब्ध करा पाएंगे। अभी 6 हजार मेट्रिक टन शक्कर का कोटा निर्धारित है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें शत-प्रतिशत हो जाये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा निवेदन यही है कि चूंकि शुगर फैक्ट्री

पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है, उससे बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, जो किसान हैं तो उनको भुगतान की मार न पड़े। मैं इसमें फिर से मांग करती हूँ कि जो उचित कार्यवाही है, या तो ब्याज की दर कम कर दी जाये या फिर सहकारिता विभाग से उनको ऋण कम ब्याज में दिया जाये।

दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी। इसमें शुगर फैक्ट्री से मोलासिस की जो बिक्री होती है, मोलासिस की बिक्री जो पूर्ववर्ती अनुबंध है, उसके अनुसार अभी हम पण्डरिया शक्कर कारखाने से भोरमदेव शक्कर कारखाने में हम मोलासिस देते हैं, जिसमें 12 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से मोलासिस का मूल्य निर्धारित है। उसमें क्वालिटी के अनुसार ए, बी, सी ग्रेडिंग होती है तो पण्डरिया का मोलासिस बी ग्रेडिंग है तो उसका जो रेट है, वह 12 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से हम भोरमदेव शक्कर कारखाने में मोलासिस देते हैं और अगर हम बाहर बात करें जैसे अम्बिकापुर या अन्य क्षेत्रों की बात करें, जहां शुगर फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पर मोलासिस का रेट 13 हजार रुपये प्रति टन है और हम उसको 12 हजार रुपये प्रति टन में भोरमदेव शक्कर कारखाना में देते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट कंपनियों की बात करूँ तो वहां पर मोलासिस की खरीदी 16 हजार रुपये प्रति टन में की जाती है। तो निवेदन यही है कि वह किस अनुबंध के तहत भोरमदेव में जा रहा है? अगर हम डायरेक्ट उसे एथेनॉल प्लांट में दे पाए या फिर यदि किसी निजी कंपनी को देने के लिए अनुबंध किया जा सके, तो यदि 16 हजार के हिसाब से देखें तो इसमें हमको साल का लगभग 4 करोड़ का उसमें बेनिफिट हो सकता है। इसलिए अनुबंध पर एक बार विचार करके इस पर पुनर्चर्चा करके इसमें जो उचित कार्रवाई है, इस पर संज्ञान लेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोलासिस के दर के संबंध में हमारे माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है। हमारा जो मोलासिस है उसका पूर्व में 11995 रुपये प्रति टन का रेट मिल रहा था, वर्तमान में उसकी टेंडर प्रक्रिया भोरमदेव कारखाने द्वारा प्रक्रियाधीन है। भोरमदेव कारखाने के द्वारा जो प्राप्त रेट है, उसका बाजार दर से कम दर प्राप्त होने पर टेंडर निरस्त कर हम नवीन टेंडर की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इसके साथ-साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो शक्कर का रिकवरी रेट है, वह अभी इस वर्ष 2024-25 में 12.50 प्रतिशत है, तो कहीं न कहीं से अभी हम बात करें तो लगभग तीन चार महीने में हमारा 315.100 रुपये एफ.आर.पी. की राशि हम उन्हें देते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय, रिकवरी रेट ही अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं और जो समर्थन मूल्य है, 350 रुपये के हिसाब से वर्तमान में वह हमारा लगभग 41 करोड़ के आसपास पेंडिंग है। मेरा इसमें ध्यानाकर्षण का कारण सिर्फ यही था कि विषय बहुत गंभीर है और मैं बार-बार अनुरोध कर रही हूँ कि इस पर कोई ठोस कदम उठाकर, किसानों को हित को देखते हुए इस पर कार्यवाही करें क्योंकि यह विषय मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था, प्रश्नोत्तरी में हम लगातार उठा रहे हैं, तो निवेदन यही है कि अगली बार फिर इसे ध्यानाकर्षण या प्रश्नोत्तरी में न लगाना पड़े, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज इस

पर कोई उचित कार्रवाई करेंगे और मैं मंत्री जी से इस बात का अनुरोध भी करूंगी कि वे घोषणा भी कर दें कि इसमें आगे क्या ठोस पहल है, तो कम से कम किसानों को एक संतुष्टि होगी कि सरकार ने हमारी बात सुनी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कुछ ठोस पहल करिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो ध्यानाकर्षण है, वह उचित है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आर्थिक दृष्टि से हमारे इस शक्कर कारखाने को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से क्या और बेहतर हो सकता है, आर्थिक दृष्टि के जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से उस पूरे कारखाने का हम परीक्षण करायेंगे और कैसे वह मजबूत बने, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय, सहकारिता से या फिर मंडी बोर्ड से जहां से भी संभव हो सकता है, इसे ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप सहमत हैं, तो उसमें समयावधि में कार्रवाई कीजिए क्योंकि बीमारी और बढ़ेगी, उसके बाद आपकी सहमति का कोई मतलब नहीं होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह जो पंडरिया का शक्कर कारखाना है, वह जब आप मुख्य मंत्री थे, तो आपने उसे विशेष रुचि लेकर बनाया। उसमें कितना पापड़ बेलना पड़ा, कहाँ-कहाँ से जमीन का इंतजाम करना पड़ा, कितनी तकलीफ हुई थी। कवर्धा जिले के दोनों शक्कर कारखाने किसी भी शक्कर कारखाने से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। प्रबंधन या कुप्रबंधन के कारण मामला ऊपर-नीचे हो रहा होगा। कुप्रबंधन के कारण।

श्रीमती भावना बोहरा :- कुप्रबंधन का भार किसानों पर पड़ रहा है, दिक्कत ये है, इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया उस पर आज संज्ञान लें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर यह कहना है कि शक्कर के कारखाने के किनारे गुड़ वाली फैक्ट्री लगी हुई है। लोग वहाँ चार सौ-सवा चार सौ में गन्ना बेच देते हैं, क्योंकि उनको cash payment मिलता है। आपके यहाँ तौलने का सिस्टम ठीक होना चाहिए, पेमेंट का सिस्टम ठीक होना चाहिए। जो पंडरिया का शक्कर कारखाना है, वहाँ पर कुछ नेता किस्म के लोग हैं, जो दिन भर प्रबंधन के ऊपर जी.एम. आदि के ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं कि मेरा इतना लेबर चलेगा, मेरा इतना लेबर चलेगा, मेरे इतने को रखो, मेरे इतने को रखो। यह वहाँ होता रहता है, मैं सुनते रहता हूँ। इसलिए आज मौका मिला है, तो बोल रहा हूँ कि एस.पी. और कलेक्टर को बोलकर वहाँ कड़क व्यवस्था करवाइए। आप हाईपॉवर कमेटी भेजकर वहाँ पर दिखवाइए। एक इतना बड़ा संस्थान जो कि बड़ी मुश्किल से बना है, ये 10 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ से किसी को कोई लेना-देना नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ब्याज ज्यादा लगा है, तो आप पैकेज दे सकते हैं। अगर उस फैक्ट्री के बंद होने की स्थिति है, तो

आप उसे बचा सकते हैं या नहीं, किसानों को पैसा मिल रहा है, तो आप उसे दे सकते हैं या नहीं। कैसे देंगे, कहां से देंगे, कैसा करेंगे, यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहाँ से एक हाईपॉवर कमेटी भेजिए, जिसमें finance department के भी अफसर हों, को-ऑपरेटिव के भी अफसर हो और कलेक्टर और एस.पी. साहब भी रहे। वहां पर बैठकर इस पूरे मामले का शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। हमारे किसानों को भुगतान हो, वहां अच्छी व्यवस्था हो और वहां जो तमाम असामाजिक तत्व जाकर दबाव बनाये रखते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। आप उसको नेतागिरी का अड़्डा मत बनने दीजिये। फैक्ट्री बहुत मुश्किल में खुलती है। हमारे कवर्धा में सिवाय शक्कर कारखाने के और कुछ नहीं है। आप उसको जिंदा रखने के लिये कोशिश करिये। क्या आप एक हाई पॉवर कमेटी भेजकर उसकी समीक्षा करायेंगे ? यदि उसको कोई पैकेज सरकार की ओर से देना पड़े तो क्या आप उसके लिये पहले करेंगे? आप मुझे यह बता दीजिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लेकिन अभी पेमेंट का क्या होगा ? चूंकि यह विषय बहुत गंभीर है। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रही हूं। उसका पेमेंट किस तरीके से होगा ? आप उसमें समीक्षा करेंगे तो उसमें समय लगेगा, जिससे इसका असर किसानों की जेब में पड़ेगा, उनकी आमदनी में पड़ेगा, जो पूरी तरीके से गन्ना की खेती पर निर्भर है। मैं उनके लिये आपसे बार-बार अनुरोध कर रही हूं कि आप कृपया करके यहां पर उसकी घोषणा कर दे कि या तो उनकी ब्याज दर माफ किया जाये या तो वर्किंग कैपिटल, शुगर फैक्ट्री को दिलाया जाये या फिर जो Molasses है, उसके लिये मैंने वित्त मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि जो Molasses का अनुबंध भोरमदेव से हुआ है, उसको फ्री करके किसी निजी कंपनी को या फिर जो सिस्टम है, जिससे 4 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है, उसमें किया जाये। कृपया आप इन तीनों विषयों पर संज्ञान ले और मेरा निवेदन है कि अगर समीक्षा हो पाये तो बहुत अच्छा है। परंतु पहला विषय पेमेंट का है, जो डायरेक्ट किसानों से जुड़ा है। मैं उसमें जरूर आपका संरक्षण चाहूंगी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यहां पर जो चिंता जाहिर की है, मैं उन सब को आश्वस्त करता हूं कि हम जल्द से जल्द भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो चिंता जाहिर की है कि वहां पर एक हाई पॉवर कमेटी बनायी जाये। उसके लिए हम अपनी को-ऑपरेटिव के माध्यम से एक कमेटी बनाकर वहां भेजेंगे (मेजों की थपथपाहट) ताकि वहां जो व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने की दृष्टि से क्या बेहतर हो सकता है। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं ताकि व्यवस्था और बेहतर हो सके और हम वहां पर कलेक्टर और एस.पी. के सहयोग से और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप सहमत हैं और आपका उत्तर भी सही है लेकिन विधायक महोदय ने जो गंभीरता बताई है। इसके अतिरिक्त वहां जो नेतागिरी हो रही है, जिसके लिये

धर्मजीत सिंह जी ने प्रकाश डाला। आप उसमें समयावधि तय कीजिये कि आप उसे 2 महीने में या 3 महीने में करेंगे। क्योंकि यदि आप उसके बाद किसी तरह का पैकेज देंगे तो उसको ठीक करने के लिये उसकी लागत और बढ़ते जायेगी। जब आप सहमत है तो आप उसको कितने दिनों में ठीक करेंगे ? आपकी ओर से, शासन की ओर से यह कमिटमेंट आ जाये तो अच्छा होगा। उसे लाभ होगा। जितनी देर होगी उतना मद बढ़ेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो शक्कर कारखाने का किराया भी बंद है। अभी जैसा कि माननीय विधायक जी बोल रही हैं कि उसके भुगतान का ही मुख्य मुद्दा है। आप पहले भुगतान को तो करा ही दीजिये। वह कैसे होगा आप उसको देख लीजिये। लेकिन वहां के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और वहां की खरीदी बिक्री के सिस्टम को बिल्कुल ठीक करिये। नेता लोग जा जाकर वहां पर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और सब अपने अपने दबाव में वहां पर काम कराते हैं। वह लोग आपके अधिकारियों के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। वहां जो भी मैनेजर और अन्य पद में लोग होते हैं, उनको जरा ठीक से रखिये न। वह कारखाना किसानों के लिये बना है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, यह सुझाव ठीक है। आप एक हाई पावर कमेटी भेजकर सारी समस्याओं का अध्ययन करके उसका निराकरण करें और पेमेंट जल्द से जल्द हो इसकी चिंता कर लीजिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगी। इसमें अभी इन राशियों का जो भुगतान है, वह 31.03.2025 तक किया जाना अनिवार्य है क्योंकि यह राज्य शासन की गारंटी है। अभी मार्च का पहला हफ्ता लगभग समाप्त होने जा रहा है। शुगर फैक्ट्री के पास आज की डेट में ऐसा कोई फण्ड नहीं है कि वह या तो ब्याज पटा सके या जो उनको 17 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, उसे पटा सके। इस स्थिति में शुगर फैक्ट्री बंद करने की स्थिति आ जायेगी। इसलिए मैं बार-बार निवेदन कर रही हूं कि समीक्षा होगी, आगे कार्यवाही होगी, समिति बैठेगी, वह तो अच्छी बात है और बहुत स्वागत योग्य है परंतु यदि आज तत्काल निर्णय नहीं किया गया तो इतनी बड़ी शुगर फैक्ट्री, जिससे लाखों परिवारों की आमदनी चल रही है, किसानों की आमदनी है, वह बंद करने की स्थिति में आ जायेगी। मैं बार-बार इसी विषय पर घूमकर इसलिए आ रही हूं कि मंत्री जी इसमें जरूर यह बोल दे कि हफ्ते, 10 दिनों के भीतर यह पेमेंट करा देंगे या इसमें कब तक कितना पेमेंट हो पायेगा, कृपया आप उसको यहां पर बहुत स्पष्टता के साथ बताने की कृपा करेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर समय-सीमा तो नहीं बता सकता लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से माननीय वित्त मंत्री जी भी सदन में हैं और आपने इस ध्यानाकर्षण में इतना अवसर दिया है, इसका मतलब यह है कि आप भी इस स्थिति की गंभीरता से वाकिफ हैं या सहमत हैं। जो भुगतान करना है, वह सरकार की ज्वॉईट रिस्पांसिबिलिटी है। माननीय वित्त मंत्री जी सदन में हैं और सहकारिता मंत्री जी उनसे इस विषय में चर्चा करके इस बात को कह सकते हैं। इसमें शासन ज्वॉईट रिस्पांसिबिलिटी दिखा सकती है कि हम यह कार्य करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक शक्कर कारखाना है। यह शक्कर कारखाना...।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आप मेरे प्रश्न के बाद प्रश्न कर लीजिएगा। मैं उसी विषय में जा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में आपके सपनों को साकार करने के लिए यह शक्कर कारखाना बना हुआ है। आपको यह पता ही है कि एशिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर यह शक्कर कारखाना बना है और अभी सर्वाधिक शक्कर की Recovery इसी शक्कर कारखाना से होती है। आपको यह जानकारी होगी। जब 15 दिसम्बर, 1950 को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था तो अभी उनकी जयंती वर्ष मनायी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष 2025 को मतलब इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का थीम यह है कि सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकती है। तो यह शक्कर कारखाना केवल शक्कर का कारखाना नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी चिंता है, आपकी भी चिंता है। इसमें विधायक जी की भी चिंता है और वहां के मंत्री, पण्डरिया की विधायक महोदया और माननीय ठाकुर साहब की भी चिंता है। मेरा यह निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री जी, वहां आप सिर्फ केवल इतना तय करवा दीजिए कि इस शक्कर कारखाने को कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से बचाते हुए, बेचा नहीं जाएगा। इस शक्कर कारखाने को मत बेचिए। यह अपने किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए, आप ऐसी व्यवस्था को रोकिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ इसमें बाकी कितना देना है, क्या लेना है, यह सब चलता रहेगा। आप यह तय करिये कि यहां से यह शक्कर कारखाना नहीं जाएगा, मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2016-2017 में हमारा यह शक्कर कारखाना स्थापित हुआ था। पिछले 5 वर्षों में इसकी स्थिति को और बेहतर करना था, लेकिन जैसा माननीय नेता जी ने कहा कि वहां कुप्रबंधन के कारण स्थितियां ऐसी गंभीर हुईं। हम आपको आशा दिलाते हैं कि हम वहां पर स्थितियों को बेहतर करने की दृष्टि से व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। हम उसको उससे कैसे उबारें, इस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए हम एक कमेटी बनाकर, भेजेंगे और वहां पर उसका आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण भी करेंगे कि हम उस शक्कर कारखाने

को लाभ की दृष्टि से लेकर आएंगे। जहां तक Recovery रेट की बात है तो हम Recovery रेट की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो Recovery रेट है वह आज सबसे अच्छा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसका समयबद्ध पेमेण्ट करवा देंगे। अभी सदन में माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं। इसमें मूल विषय इतना ही है। माननीय वित्त मंत्री जी कुछ बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका पेमेण्ट भी करवा दें।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या वहीं के वहीं बनी हुई है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भावना बोहरा जी बोल रही हैं कि यह समस्या वहीं के वहीं है। इसका मुख्य कारण कुप्रबंधन है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, केदार जी इधर देखिए। उस कुप्रबंधन के कारण, यहां का Molasses शराब बनाने वालों को चला जाता है। वहां पर शराब बनाने की फैक्ट्रियां भी आसपास ही हैं। इस कारण उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेरा, आपसे यह निवेदन है कि जब आप जांच कराने जाएं तो इसको भी देख लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- इस पर सारे बिन्दुओं में जांच हो जाए। माननीय राघेन्द्र जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न केवल एक मिनट का है। मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी अपना प्रश्न कर लीजिए। इसके बाद उसमें क्या बचा है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक शक्कर कारखाना है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें प्रश्न लगा लीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से मिलता-जुलता प्रश्न है। उन्हें केवल 200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात कर रहे थे और वहां पर लगातार हड़ताल कर रहे थे। जो शक्कर कारखाना है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र और पण्डरिया में है। पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र में जो शक्कर कारखाना खुला है, मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपके अथक प्रयास से खुला और आज बंद होने के कगार पर है। जो हमारे यहां संजारी बालोद विधान सभा में जो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। लगातार वहां के किसानों की मांग आ रही है कि उन्हें 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाये क्योंकि डीजल और सभी चीजों का रेट बढ़ चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इसमें निवेदन कर रही हूँ कि माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लेवें क्योंकि अब गन्ने का उत्पादन कम होते जा रहा है इसको संज्ञान में लेते हुए, उन्हें 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की कृपा करें।

(2) विकासखण्ड अकलतरा की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जल स्रोतों एवं तालाबों को राखड़ से पाटना।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में पचपेड़ी (पचपेड़ीया) तालाब को ग्राम पंचायत के जिम्मेदार व्यक्तियों, सरपंच, सचिव एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसी सौंठगोठ कर वर्धा संयंत्र नरियरा से निकलने वाली राखड़ से पाटकर जल स्रोत एवं निस्तारित तालाब को नष्ट कर दिया है। शासन के द्वारा उक्त तालाब पर विगत वर्षों में ही मनरेगा से गहरीकरण एवं पचरी निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किया गया था। ग्रामवासियों की शिकायत पर तत्कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत जांजगीर-चांपा द्वारा दिनांक 23/09/2023 को उक्त तालाब का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि तालाब को राखड़ से पाटने, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने, पाटे गए राखड़ में 3 मवेशी (गाय) का फंसा होना पाया गया। जिसको देखते हुए दिनांक 16/10/2023 को जांच हेतु आदेशित किया गया था। गठित जांच दल द्वारा जांच उपरांत ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को जिम्मेदार माना गया। जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 30/10/2023 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र प्रेषित किया गया। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं कंपनी ने अधिकारियों से सौंठगोठ कर ली। जिसके कारण अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। कार्यवाही नहीं होने के कारण क्षेत्र के अपराधिक वर्गों द्वारा अन्य जल स्रोतों एवं तालाबों को राखड़ से पाटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तालाबों/जल स्रोतों को पाटने एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही नहीं होने से शासन-प्रशासन के प्रति किसानों एवं आम नागरिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर-चांपा के जनपद पंचायत अकलतरा के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में पचपेड़िया तालाब गहरीकरण एवं 02 नग पचरी निर्माण कार्य हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 4755 दिनांक 07/12/2012 के द्वारा 9.19 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कार्य कराया जाकर कुल 7.779 लाख रुपये (सात लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रुपये) व्यय कर कार्य पूर्ण कर लिया गया। कुल व्यय में पचरी निर्माण कार्य की राशि 1.912 लाख रुपये सम्मिलित है। ग्राम पंचायत कल्याणपुर में स्थित पचपेड़िया तालाब को समतलीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत में पारित प्रस्ताव अनुसार वर्धा संयंत्र नरियरा (मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड) अकलतरा को राखड़ पाटने का प्रस्ताव किया गया है जिसकी जांच जनपद पंचायत अकलतरा से दल गठित कर कराया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शासकीय संपत्ति को नष्ट करने के लिए ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सरपंच, सचिव एवं

ग्राम रोजगार सहायक को जिम्मेदार बताया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक को तालाब में राखड़ पाटने के संबंध में कार्यालय जनपद पंचायत अकलतरा के पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 10/12/2024 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। ग्राम रोजगार सहायक से प्राप्त जवाब के परीक्षण में यह पाया गया कि संबंधित दस्तावेज (पंचायत बैठक) में ग्राम रोजगार सहायक का हस्ताक्षर नहीं है जिसके आधार पर ग्राम रोजगार सहायक की संलिप्तता नहीं पायी गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय जनपद पंचायत अकलतरा के पत्र क्रमांक 5621 दिनांक 30/10/2023 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अकलतरा की ओर प्रकरण प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अकलतरा द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202406065200074/2023-24 दिनांक 28/06/2024 दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में दिनांक 28/06/2024 से प्रक्रियाधीन है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कल्याणपुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 43/पंचायत/2025 जांजगीर, दिनांक 09/01/2025 के द्वारा श्रीमती जलवती वैष्णव, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कल्याणपुर के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है। विभागीय जांच प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

अतः यह कहना सही नहीं है कि कार्यवाही नहीं होने के कारण क्षेत्र के अपराधिक वर्गों द्वारा अन्य जल स्रोतों एवं तालाबों को राखड़ पाटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अतः आम जनता में कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक serious मेटर है, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप dates में देखें तो 28/10/2024 को हमारे पास प्रतिवेदन आ गया और उसके बाद दिनांक 30/10/2024 को वह एस.डी.एम. कार्यालय भेज दिया जाता है और उसके 8 महीने बाद फिर वह प्रकरण दर्ज किया जाता है यानी 8 महीने बाद प्रकरण दर्ज करते हैं और जब एक-बार जांच प्रतिवेदन आ चुका है तो इस साल वर्ष 2025 में, जनवरी में सचिव के खिलाफ एक दोबारा विभागीय जांच का आदेश किया जाता है। मेरा आरोप यही है कि इसमें सांठगांठ करके इस मामले को बार-बार उलझाया जा रहा है। एक बार जांच होती है फिर उसकी दोबारा जांच की जाती है, 8 महीने बीत जाते हैं लेकिन प्रकरण दर्ज नहीं होता है और लगातार वहां पर यह चल रहा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जुलाई, 2016 को जस्टिस मसीह साहब का जो decision है उसमें Supreme Court ने यह कहा है कि State has a constitutional duty not only to protect the water bodies within the state but also to restore them. Restore the bodies which have been illegally filled in तो क्या हम लोग इसको तुरंत इसके पुराने स्वरूप पर वापस लाएंगे ? और क्या पर्यावरणीय जितनी क्षतिपूर्ति हुई है, हम

लोग इस राशि का आंकलन करके क्या क्षतिपूर्ति की जाएगी और क्या इन लोगों के खिलाफ यानी आखिर कब तक यह जांच का खेल खेला जाएगा और आप उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कब करवाएंगे ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रकरण है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है । जैसा कि सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं, वैसे इस ज़मीन का रेवेन्यू land records में जो nature है । उसको भी मैंने दिखवाया है, उसमें water के नीचे, पानी के नीचे की ज़मीन नहीं थी, यह घास भूमि थी लेकिन उससे मैं यह नहीं बोलना चाह रहा हूं कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके बाद वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 के आसपास इसमें तालाब निर्माण मनरेगा के अंतर्गत कराया गया है और जांच में भी यह पाया गया है कि तालाब के रूप में उपयोग हो रहा था । भले ही ज़मीन का जो भी हो लेकिन तालाब के रूप में प्रयोग हो रहा था और उसके बाद उसको पाटा गया है और पाटने के संबंध में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया गया है तो इसमें जो पंचायत सचिव है उसके खिलाफ Departmental inquiry विभागीय जांच संस्थित हो चुकी है उसे भी हम शीघ्रातिशीघ्र कराने का पूरा प्रयास करेंगे । माननीय सदस्य की चिंता है कि यह एक समय-सीमा के भीतर हो तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 3 महीने के अंदर इसमें विभागीय जांच हो जाए ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, एक बात कि मैं आपको बार-बार जो dates पर आपका ध्यानाकर्षित करा रहा हूं । आप कृपया इस पर ध्यान दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपका भी संरक्षण चाहूंगा कि दिनांक 28.10.2023 को जांच हो चुकी है, प्रतिवेदन आ गया है और दोषी कौन है यह मान लिया गया है लेकिन उसके बाद से कागज का खेल खेला जा रहा है । उस पर 8 महीने प्रकरण दर्ज नहीं होता है और इस साल वर्ष 2025 में विभागीय जांच शुरू होती है, यह समझ के परे है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि यह जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, जो भी राखड़ पाटने का काम हुआ, यह पूर्ववर्ती सरकार के समय घटित हुआ है और यह जो report जाना था, वह अनुविभागीय अधिकारी के पास पूर्ववर्ती सरकार के समय अक्टूबर महीने में चला भी गया था लेकिन उसके बाद जो प्रकरण दर्ज हुआ है वह हमारी सरकार के समय हुआ है, जून महीने में हुआ है लेकिन फिर भी जो विलंब हुआ है वह निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायत सचिव के खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही है । विभागीय कार्यवाही की एक प्रक्रिया होती है, सम्मानित सदस्य इस बात को समझते हैं, उसमें पूरा साक्ष्य लेना, उसको एक पूरा Court procedure की तरह करना पड़ता है इसलिए मैं 3 महीने का समय, ऑलरेडी मैं time limit देते हुए कह रहा हूं कि हम प्रयास करेंगे कि उससे और जल्दी से जल्दी हो जाए और दूसरा जो विषय है वह अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दर्ज प्रकरण है तो न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है और एक विधायिका के माध्यम से या कार्यपालिका के माध्यम से किसी की न्यायिक गतिविधि को हम सीधा इंटरफेयर नहीं कर सकते, सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते फिर भी हम प्रशासनिक

रूप से प्रयास करेंगे कि उसमें भी जल्द से जल्द हो और सचिव की जो डी.ई. है वह 3 महीने के भीतर पूर्ण हो ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो दो बातें कही हैं उसके अलावा क्या इसको इसके पुराने स्वरूप पर वापस Supreme Court के निर्देशानुसार ले जाया जाएगा और क्षतिपूर्ति राशि का क्या इस पर जांच कर क्षतिपूर्ति राशि जितनी भी होगी वह क्या उन पर टैक्स किया जाएगा ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले बताया कि ज़मीन का जो nature था या राजस्व रिकॉर्ड में जो जमीन है वह घास भूमि है। वह पानी के नीचे की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन निश्चित रूप से मनरेगा के तहत उसे तालाब का स्वरूप दिया गया था । अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करती है कि उसी तालाब को वापस खोदा जाए या बगल में कुछ नया तालाब खोदा जाए, ऐसा कोई भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत पारित करती है तो प्रस्ताव अनुसार यदि बगल में तालाब बनाने के लिए क्योंकि वहां पर अगर राखड़ पटा है और उसको खोदेंगे तो भी उस तालाब का स्वरूप क्या होगा, कितना प्रदूषित होगा, नहीं होगा। ये थोड़ा टेक्निकल विषय हो सकता है। बगल में अगर तालाब खोदने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत पारित करती है तो भी तालाब खोदवाने का काम कंपनी के पैसे से करवाया जाएगा और अगर उसी को खोदवाने के लिए भी ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करती है तो थोड़ा टेक्निकली मुझे लगता है कि उसे देखना चाहिए कि खोदने के बाद क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा संरक्षण चाहिए। आदरणीय मंत्री जी आपसे निवेदन है। माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि आप जब भी बाय रोड रायगढ़ जाते हैं तो वाया अकलतरा ही जाते हैं। अकलतरा के बाद जांजगीर, चांपा, बाराद्वार, सक्ती के बाद आप खरसिया पहुंचते हुए रायगढ़ जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आज आप पहली बार पूर्ण भूमिका में दिख रहे हैं। प्रत्येक मोशन में आपकी दमदार उपस्थिति दिख रही है।

डॉ. चरणदास महंत :- धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या बात है, आज कुछ विशेष तो नहीं हुआ है?

डॉ. चरणदास महंत :- कल आपने जो बताया था, सिखाया था, उसी का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ न कुछ तो है, नहीं तो आप..।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं दोष थोड़े न दे रहा हूं। आपके सिखाए हुए मार्ग पर चल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। आपने देखा होगा कि जहां से जांजगीर अकलतरा शुरू होता है, वहां जो एन.एच. बना हुआ है, उसके दोनों तरफ जो गड्ढे रहते हैं, उसकी भाषा में क्या कहते हैं, नहीं पता। दोनों गड्ढे राखड़ से पाटे

जा रहे हैं। आपको रोड से निकलने में राखड़ रोक देती है, वहां अंधापन शुरू हो जाता है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसी पंचायत के खिलाफ आपको कुछ करने का अधिकार है या नहीं? आपके विभाग के हिसाब से अगर है तो इसको आप कितने दिन में दूर करेंगे? ताकि वहां के लोग अच्छे से अपना जीवन बिना वायु प्रदूषण के जी सकें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों के तहत, एन.जी.टी. के निर्देशों के तहत environment compensation अधिरोपित करने का अधिकार विभाग को है और मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022- 23 में कुल 23 इंडस्ट्री पर इस तरह के environment compensation impose किए गए थे। 33 फैक्ट्रियों पर, उसमें से 15 एन.जी.टी. के compulsion में किए गए थे। बाकी स्वेच्छा से वर्ष 2022-23 में विभाग ने केवल 18 प्रकरणों में compensation impose किया था। वहीं वर्ष 2023-24 में 9 माह पूर्ववर्ती सरकार रही। करीब 3 माह हम लोगों की सरकार रही। उसमें हमने आखरी तीन महीनों में बहुत सारे कार्रवाई की, उसके के कारण 199 प्रकरणों में environment compensation impose किया गया और वर्ष 2024-25 का वित्तीय वर्ष अभी समाप्त होने को है, 703 प्रकरणों में ऐसे ही environment compensation impose किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में एन.जी.टी. के compulsion को छोड़ दें तो 18 प्रकरण थे और 2 साल बाद हमने 703 प्रकरण में environment compensation impose किया है। आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि विभाग की ओर से जो फ्लाई ऐश डंपिंग होती है, जहां पर परमिशन रहता है, वहां पर डंपिंग के अलावा जो जहां-तहां डंप कर दिया जाता है, वह मूल समस्या है और जिसके कारण उड़ता है और तरह तरह के प्रदूषण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसके लिए विभाग से हमने initiative लिया है कि अभी जितने भी फ्लाई ऐश की गाड़ियां हैं, उन पर जी.पी.एस. सिस्टम install करने का और जहां पर भी उसको डंप किया जाता है, वहां पर जियो टैगिंग करके उसको अक्षांश-देशांतर (latitude and longitude) के साथ उसको एप में अपलोड करने का सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सम्माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि 10 अप्रैल से हम इस व्यवस्था के लिए पूरी तरह से लिखित निर्देश भी जारी कर देंगे कि जी.पी.एस. और जियो टैगिंग के साथ ही फ्लाई ऐश को डिस्पोज किया जाए।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी ही एक समस्या और है। हमारी विधान सभा से आप आगे जाएंगे तो ग्राम मूरा है। वहां पर एक मशरूम की खेती होती है और उन्होंने अपना कचरा ऐसे पाटना शुरू किया कि ग्राम मूरा के बोरिंग का पानी का रंग बदल गया है। उसमें बदबू आनी शुरू हो गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवाएंगे कि वहां मशरूम की खेती करने वाली जो कंपनी है, क्या उनको उस जगह पर अपने कचरे को पाटने का अधिकार है या नहीं है? जो पानी की व्यवस्था गांव की प्रभावित हुई है, उस पर एक विषय और है इसी से मिलता हुआ कि जितनी फैक्ट्री

होती हैं, उनको 33 प्रतिशत अपना क्षेत्र ग्रीन बेल्ट बनाना होता है । ज्यादातर कंपनियां अपने इस राखड़ को उन्हीं 33 प्रतिशत क्षेत्रों में कर देती हैं और वहां प्लांटेशन नहीं करती हैं । वो पानी के सोर्स के साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इन दोनों विषयों पर वे कोई कड़ा निर्देश जारी करें और कृपा करके इस पर एक्शन लें ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बहुत हो गया ।

समय

12.50 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर,
2. श्री बघेल लखेश्वर,
3. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
4. श्री अटल श्रीवास्तव
5. श्री रामकुमार यादव

समय

12.51 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेंडी (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय का निर्धारण करने की सिफारिश की है :-

<u>अशासकीय संकल्प क्र.</u>	<u>सदस्य का नाम</u>	<u>समय</u>
(क्रमांक-10)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-14)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक-11)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय

12.53 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्री दलेश्वर साहू
3. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
4. श्री कुंवर सिंह निषाद
5. श्री ललित चन्द्राकर

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूणा साव की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय

12.53 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1)	मांग संख्या	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
	मांग संख्या	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
	मांग संख्या	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल
	मांग संख्या	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
	मांग संख्या	67	लोक निर्माण कार्य - भवन
	मांग संख्या	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
	मांग संख्या	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये - दो हजार सात सौ तिरानबे करोड़, साठ लाख, तिहत्तर हजार रुपये,
मांग संख्या	-	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय के लिये - चौबीस करोड़, अड़तीस लाख, तेरह हजार रुपये,
मांग संख्या	-	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल के लिये - चार हजार छः सौ चौसठ करोड़, आठ लाख, छप्पन हजार रुपये,
मांग संख्या	-	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये - आठ सौ चौरानवे करोड़, पैंतालीस लाख, बीस हजार रुपये,
मांग संख्या	-	67	लोक निर्माण कार्य भवन के लिये - दो हजार एक सौ एक करोड़, निन्यानबे लाख, छत्तीस हजार रुपये,
मांग संख्या	-	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण के लिये- एक हजार सात सौ पंद्रह करोड़, चौवालीस लाख, छियालीस हजार रुपये,
मांग संख्या	-	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- उनहत्तर करोड़, बीस हजार रुपये तथा
मांग संख्या	-	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - तीन हजार एक सौ तेईस करोड़, पैतालीस लाख, तिरासी हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत माने जाएंगे।

मांग संख्या - 20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

1. डॉ. चरण दास महंत	2
2. श्री लखेश्वर बघेल	1
3. श्रीमती शेषराज हरवंश	1
4. श्री दिलीप लहरिया	5
5. श्री इन्द्र साव	2
6. श्री ब्यास कश्यप	1

मांग संख्या - 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

1. डॉ. चरण दास महंत	1
2. श्री लखेश्वर बघेल	10
3. श्रीमती अंबिका मरकाम	9
4. श्रीमती शेषराज हरवंश	1
5. श्री ब्यास कश्यप	1
6. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	3
7. श्री संदीप साहू	1
8. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 24

लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल

1. डॉ. चरण दास महंत	2
2. श्री लखेश्वर बघेल	2
3. श्रीमती अंबिका मरकाम	18
4. श्री दिलीप लहरिया	4
5. श्री लालजीत सिंह राठिया	2
6. श्रीमती शेषराज हरवंश	7
7. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1
8. श्री फूलसिंह राठिया	3

9. श्री इंद्र साव	6
10. श्री ब्यास कश्यप	3
11. श्री बालेश्वर साहू	1
12. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1

मांग संख्या - 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

1. डॉ. चरण दास महंत	2
2. श्री लखेश्वर बघेल	2
3. श्री दिलीप लहरिया	1
4. श्रीमती संगीता सिन्हा	1
5. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1
6. श्री ब्यास कश्यप	1
7. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1

मांग संख्या - 67

लोक निर्माण कार्य-भवन

1. श्री लखेश्वर बघेल	1
2. श्रीमती शेषराज हरवंश	5
3. श्री ब्यास कश्यप	1
4. श्री बालेश्वर साहू	3
5. श्री ओंकार साहू	3

मांग संख्या - 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

1. श्री ब्यास कश्यप	1
---------------------	---

मांग संख्या - 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

1. श्री द्वारिकाधीश यादव	1
--------------------------	---

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय :- उप मुख्यमंत्री (श्री अरुण साव जी) के विभागों से संबंधित मांगों की चर्चा के लिए दो घंटे तीस मिनट समय निर्धारित है। मेरे पास वक्ताओं के नाम बहुत अधिक हैं। मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखते हुए, अपने विचार 10-10 मिनट में रखें। अपने विधान सभा क्षेत्र की मुख्य समस्याओं के विषय पर मांगों से संबंधित विचार रखें और ये अपनी प्राथमिकता रखें ताकि ये पूरा विषय ढाई घंटे में सिमट जाए। श्री दलेश्वर जी।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20, मांग संख्या 22, मांग संख्या 24, मांग संख्या 29, मांग संख्या 67, मांग संख्या 69, मांग संख्या 76, मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के विरोध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से चर्चा प्रारंभ करूंगा। हमारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुख्य रूप से जीवन का एक अंग है। जल के बिना जीना संभव नहीं है।

समय :

1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, आज यदि हमारी बसाहटों में नलकूप खनन व नगरीय-निकायों में नलकूप खनन के लक्ष्य के अनुरूप शासन-प्रशासन के काम को देखा जाए तो मैं सोचता हूं कि उसमें 50 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। जैसे हमारा लक्ष्य 6,473 था, जिसमें से हम 3,537 को ही पूर्ण कर पाये। मतलब, हम अपने लक्ष्य को 50 प्रतिशत से भी कम पूर्ण कर पाये। अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्रों में नलकूप खनन का हमारा लक्ष्य 327 है, परंतु हम सिर्फ 100 नलकूप का ही खनन कर पाये हैं। ऐसे में हम कैसे सुनियोजित व्यवस्था कर पाएंगे ? हमारे पास बजट है, लक्ष्य है और इसलिए हमें धरातल पर कार्य करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हम लोग अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह 70-80 प्रतिशत होता तो हमें मान्य होता। यह आपका प्रतिवेदन ही बता रहा है।

समय :

1.01 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास जो मशीनें हैं। कल्चर माउन्टिंग रिंग मशीन 2 नग, ट्रैक्टर माउन्टेड रिंग मशीन 9 नग, ट्रक माउन्टेड रिंग मशीन 26 नग। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, परंतु यदि आपके पास स्रोत ही नहीं है तो आप क्या कर

लेंगे? पहले के जमाने में 200-250 फीट की गहराई में पानी निकल जाता था। यदि आपकी मशीन की कैपिसिटी 200-300 फीट से ज्यादा है और यदि आपकी मशीन की कैपिसिटी 500 फीट तक की है तो आप 400-450 फीट तक खनन कर सकते हैं। जब तक आप मशीनों को चेंज नहीं करेंगे और मशीनों को नया अपडेट नहीं करेंगे। मैंने पिछले समय भी आपको सलाह दी थी। मेरा तो खेती-किसानी का कारोबार है। पहले के जमाने में जब मैंने खेती-किसानी की शुरुआत की थी तो 200 फीट की गहराई में 5 एच.पी. क्षमता तक पानी निकल गया था। लेकिन आज के डेट में 25 साल के अंदर में अब 700-800 फीट की गहराई के बिना पानी ही नहीं निकलता है। यदि हम समय के अनुरूप स्वयं को अपडेट नहीं करेंगे और केवल पैसे लगाते रहेंगे तो यह संभव नहीं है। ठीक है, आज हम सामूहिक नल-जल योजना की ओर भी जा रहे हैं। आज इस सामूहिक नल योजना विषय पर प्रश्न था और उसपर बहस भी हुई। यदि आप मेरे राजनांदगांव जिले में देखेंगे तो वहां पर यह सैकड़ों की संख्या में हैं। हम इंटेकबेल कहीं बना रहे हैं, कहीं दूसरी जगह बना रहे हैं। आज भी मेरे डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में जल आवर्धन है। उसको बढ़िया से शुरू किया गया और एनीकट में बनाया गया, लेकिन आज भी वह 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। ढिरी के लिए कितने सालों तक प्रयास किया गया और ले-देकर वह शुरू हुआ। आप कार्य को स्वीकृति तो देते हैं, परंतु समय अवधि में कार्य नहीं होने से हम उसको पुनरीक्षित बजट में करते हैं, जिससे शासन को कितना घाटा होता है। डोंगरगांव के जल आवर्धन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराऊंगा कि आप वहां पर पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं और उसकी टेस्टिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? ठीक है, आपका एक एनीकट फूट गया, परंतु आज भी आपकी यह योजना अधूरी है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में है। अभी मैंने मोहारा सामूहिक जल प्रदाय योजना की बात की, मोंगरा की बात की और ढिरी की बात की। वैसे ही माथलडबरी और लाल बहादुर नगर का भी है। आप उसको कहीं भी बना रहे हैं, स्थल कहीं पर है, स्रोत कहीं पर है और आपका उद्देश्य कहीं पर है। आपने जो डी.पी.आर. बनाया है, उसको आपने कहीं पर भी धरातल पर देखकर नहीं बनाया है और आप लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने में तुल गये हैं। हमको तो परिणाम चाहिए। जब तक हम लोगों को पानी नहीं पिलायेंगे, तब तक हमारा यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, यह आपका भी उद्देश्य है और हम भी चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी उस क्षेत्र के विधायक हैं और हम लोग कितनी बार बोलेंगे कि हम विपक्ष के विधायक हैं और हम कितनी बार बोलेंगे कि अब हमारा शासनकाल नहीं है? परंतु हमसे बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं तो आपका जो alignment खराब है, खासतौर पर PHE का alignment खराब है तो उस alignment को आप कैसे पटरी में लाएंगे ? यह आपके लिए चुनौतीभरा काम है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और इसपर चिंतन-मनन करते हुए आपको कहीं न कहीं PHE के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप मशीनें नहीं बदलेंगे, खाली 5 सौ फीट तक बोर कर देने से धरती से पानी नहीं निकलने वाला है। आपको कम से कम 1 हजार फीट बोर करने वाला मशीन लाना पड़ेगा या फिर किराये में लेकर, निविदा करके

व्यवस्था करना पड़ेगा। जब तक आप नई मशीन नहीं लायेंगे, तब तक यह सफेद हाथी की तरह पानी टंकी बना रहेगा। हमने, हमारे विधायकों ने बार-बार कई प्रश्नों के माध्यम से इस बात को कहा कि पानी का स्रोत जाने बगैर पाइप लाइन बिछा दिया गया है। आपने पानी के स्रोत जाने बगैर पानी टंकी बनवा दिया है। क्योंकि ठेकेदारों द्वारा पाइप लाइन बिछाना सरल होता है, उनको फायदा होता है। बगैर पानी के स्रोत जाने योजना सफल होना संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको घर-घर नल योजना में पानी पहुंचाना है तो आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। खासतौर आप 1 हजार फीट बोर खनन वाला मशीन नहीं लायेंगे, आपका 5 साल भी गुजर जायेगा, तो भी आप कुछ नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने किसी नदी, किसी एनीकट या किसी बैराज के जल को जल स्रोत के रूप में लिया है। वह किसानों के हित के लिए बना है। हमने पहले एग्रीमेंट किया है। जब कोई भी सिंचाई परियोजना बनती है तो किसानों को कितना लाभ मिलेगा, उनको कितना पानी सिंचाई के लिए मिलेगा, इस उद्देश्य के साथ एग्रीमेंट कर योजना बनाते हैं। अगर हम उस पानी का उपयोग पेयजल के रूप में करेंगे तो किसानों के जीवन यापन का जो साधन है, दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होगा। हमारे किसानों के हित के लिए खातूटोला बैराज बना है, सूखा नाला बैराज बना है, मोंगरा बैराज बना है। अब हम पानी के लिए उसी को स्रोत मानकर सामूहिक नल जल योजना का काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। परन्तु हमें कहीं न कहीं दूसरा स्रोत विकल्प के रूप में ढूंढकर रखना पड़ेगा। हम कब तक धरती से पानी निकालते रहेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, बात आई कि गर्मी में धान नहीं बोना है। हम लोग भी चाहते हैं कि गर्मी में धान की फसल ना ले ताकि पेयजल की व्यवस्था हो। अगर आप लोग उस पर अंकुश लगाते हैं, अगर सब मिलकर यह निर्णय ले कि गर्मी में धान की खेती नहीं करना है, तो मैं समझता हूँ कि 50 प्रतिशत समस्या खत्म हो जायेगी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जल संसाधन विभाग में बोल रहे हैं या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बोल रहे हैं ? क्या है कि उनकी चर्चा में किसान, सिंचाई और बाकी चीजें आ गई तो मुझे लगा कि आप सीधे जल संसाधन विभाग की चर्चा में चले गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, दलेश्वर जी क्या है कि हम सबको प्रतिवेदन खानेदार आलमारी से मिलता है। तो हो सकता है कि वह जल संसाधन विभाग का प्रतिवेदन पढ़ रहे हों, ऐसा हम लोगों से mistake हो सकता है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, mistake नहीं हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, वह उस विभाग से जुड़े हुए विषय पानी की टंकी के बारे में भी बात कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जैसे शक्कर कारखाना पंडरिया से बालोद पहुंच गया था, उस तरह से।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपकी जो योजना है, आप मंत्री जी से पूछिये, अगर आप थोड़ा सा भी इस पर चिंतन-मनन करते तो इसका लिंक जल संसाधन विभाग की योजनाओं जुड़ा है, ऐसा लगेगा। मैं क्यों नहीं बोलूंगा ? आप मोंगरा बैराज को सामूहिक नल-जल योजना में ले रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको मना थोड़ी न कर रहा हूं। आप जल संसाधन विभाग में पूरा बोलिये। लेकिन अभी जिस विभाग की चर्चा कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर बाद कर लें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आपको जो बोलना है, वह बोलिये। हमको कोई मतलब नहीं है। वह तो मंत्री जी सुनेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास तो पूरी सूची है। लाल बहादुर नगर में सामूहिक नल जल योजना के लिए पानी का स्रोत कहां से मांग रहे हो ? आप हमारे सिंचाई स्रोत से ही तो मांग रहे हो। जो बांध किसानों के लिए बना है, वहीं से ही तो स्रोत सृजन करके लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। यह पूरी चर्चा सिंचाई से संबंधित है। ऐसा कोई भी सामूहिक नल जल योजना नहीं है, जो बने हुए सिंचाई परियोजना से ना जुड़ा हो। इसलिए लिंक तो है। मैं उसे साथ में नहीं जोड़ूंगा तो चर्चा कैसे करूंगा ?

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, वैसे तो नियम यह है कि किसी भी जल स्रोत में पहले जिन्दगी को बचाने के लिए पीने के पानी को प्राथमिकता होती है, फिर किसान को, फिर उद्योग को प्राथमिकता होती है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, इसके बाद आपको बोलना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यदि प्राथमिकता में कहीं से पानी आ रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अच्छा ध्यान आकृष्ट कर हैं। मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूं, आप किसानों की भी चिंता करते हुए underground जल स्रोत की चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, सामूहिक नल-जल योजना में निविदा दूषित होने पर संबंधित निविदाकार के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया है क्या ? आपने उच्च स्तरीय जांच करने के लिए भी कहा। उच्च स्तरीय कमेटी ने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया कि अमुक-अमुक व्यक्ति को निविदा से वंचित किया जाये, इनको निविदा में भाग न लेने दिया जाये और उनसे रिकव्हरी भी किया जाये, फिर भी उस जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। धरम लाल जी, यह आपका ही प्रश्न है। वह अभी चले गये हैं। समूह जल प्रदाय योजना में गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना,

जिसमें बृजेश शालूखे के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश, अन्य निविदा विजय शलूके की ज्वाइंट वेनेटर की कार्यवाही नहीं करना।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, आप डिमांड मांग में नहीं बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, वह ध्यानाकर्षण, प्रश्न एवं शून्यकाल के विषय हैं। आप मांग संख्या में बोलिये न कि उन्होंने कितना अच्छा योजना बनाई है, उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। आप उसमें बात करिये न।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं उसमें आऊंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी विधान सभा सत्र चल रहा है। यदि उसमें कार्यवाही नहीं हुई है तो आप ध्यानाकर्षण लगवा लीजिये। अभी शून्यकाल की सूचना दे दीजिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यह मामला पी.एच.ई. से संबंधित है। यदि आप लोग ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह मामला पेंडिंग पड़ा रहेगा। मेरा बताने का यही उद्देश्य है। यह मामला पी.एच.ई. से संबंधित है। मैं पी.एच.ई. से हट कर कोई बात नहीं कर रहा हूं। आप कार्रवाई किये रहते तो मैं समझता हूं कि यह मामला पेंडिंग नहीं रहता। आप लोग ही बार-बार प्रश्न लगा रहे हैं। आप लोग संतुष्ट हो जाते तो आप लोग प्रश्न क्यों लगाते? ये सारे लगभग आपका ही प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह मेरा प्रश्न है, लेकिन वह सारे के विषय आपके शासन के समय का है। इनके कार्याकल का पहला प्रतिवेदन आया है, उसमें आप जो बोल रहे हैं वह विषय नहीं है। यह आपकी करनी-भरनी ऐसा हो गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- अजय जी, जब आपका शासन आ गया है तो आप क्यों कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं? आप उनको क्यों बचा रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके खास आदमी हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इनका सिर्फ आरोप लगाने का काम है। वह लोग कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, कार्य किसी भी शासन का हो। लेकिन अब तो आपका शासन है। अब आप जांच करवा दीजिये। आप उसमें कार्रवाई करवा दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उनको अभी भी विश्वास नहीं है कि अभी उनका शासन है। वैसे आपका शासन है ही नहीं।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, बजट से संबंधित अनुदान मांग है। बाकी चीज चलते आ रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं अनुदान मांग के विषय से हट कर कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। अजय जी, आपकी सरकार आ गई है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। चन्द्राकर जी, अब मैं बजट पर आ रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- एतका बेर ले तैं हर भागवत सुनात रहे।

श्री दलेश्वर साहू :- नहीं, आपने भूमिका कहा न।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप इधर बोलिये। आमने-सामने चर्चा उचित नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, आपको मशीनें बदलनी पड़ेंगी। जब तक आप स्त्रोत के बारे में चिंतन-मनन नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी बजट में प्रावधान कर लीजिये, कितने भी करोड़ों रुपये खर्च कर लीजिये, ऐसे कई पानी टंकियां हैं, ऐसे कई योजनाएं हैं, जो आप अभी भी गरीब किसानों को जो घर-घर में नल की बात कर रहे हैं, वह असंभव प्रतीत होगा। अब मैं नगरीय निकाय के विषय में आना चाहूंगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने नगरीय निकायों में एस.टी.पी. के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत की है। एस.टी.पी. अशुद्ध जल को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। हमारी सरकार ने इसके लिए करोड़ रुपये खर्च किया है। आप देखेंगे तो हम लोग उस जगह को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। एक शब्द आया हुआ है। एस.टी.पी. पूरे प्रदेश में नया काम है। मैं जब पहली बार विपक्ष में था तो एक एस.टी.पी. की बात आई, तब हमने अग्रवाल जी से कहा कि हमारे डोंगरगांव में भी एस.टी.पी. की व्यवस्था कर दीजिये। लेकिन आज तक कोई एस.टी.पी. नहीं बना पाया। निविदा में ऐसे कंडीशन डाल दिये थे कि विदेश के यदि ठेकेदार आते तब भी नहीं बना पाते ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेण्डर लगे, लेकिन आज तक वह डोंगरगांव का स्टेपी नहीं बन पाया है। अब तो हम ध्यानाकर्षण लगाना ही बंद कर दिये हैं, कितने बार ध्यानाकर्षण लगाओगे ? सभापति महोदय, सुलझा हुआ जवाब मिलता है, अभी फिर से नई सरकार आई तो स्टेपी के लिये लगातार हर नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय निकायों में कार्य प्रारंभ किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सभापति महोदय, जब तक हमारे यहां के लोग जो निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदार हैं, वह अनुभवी नहीं होंगे, उस दिशा में उनका पारंगत होना आवश्यक है। सभापति महोदय, अभी लगातार प्राथमिक स्तर पर स्थल की अनुपलब्धता होने के कारण स्थल पर मटेरियल पहुंच मार्ग सुगम नहीं होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त निविदा की प्रक्रिया प्रचलित है। यह कितना हास्यास्पद बात है कि हमने ठेका ले लिया है और हमने योजना बना ली है, हम टेण्डर में पास हो गये, जिस जगह पर आपको बनाना है, हम उस स्थल पर मटेरियल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यह क्या बहाना है, यह एक प्रक्रिया नहीं है। सभापति महोदय, आपका बिलासपुर स्मार्ट में वही मामला है कि प्राथमिक स्तर पर अनुपलब्धता होने के कारण कार्य स्थल पर मटेरियल पहुंचाने हेतु मार्ग सुगम नहीं होने के कारण बंद है। सभापति महोदय, बिलासपुर सिटी, बिलासपुर स्मार्ट सिटी, ऐसे पूरे जहां-जहां है, वहां-वहां का सिर्फ एक कारण बताते हुये आपने, एक-दो-चार लोगों का हुआ है, वह अभी प्रारंभ है। मैं इसलिये बोलता हूँ कि खाली योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको धरातल पर लाना होगा। सभापति महोदय, हम कहते हैं कि हमने इतना वो किये, ये किये, इतना स्टेपी के लिये पैसा दे दिये, मैंने बताया कि मेरे डोंगरगांव का उदाहरण दे रहा हूँ। मंत्री जी, अगर

समीक्षा कर लगे तो अब निरस्त भी नहीं होगा और यह प्रतिवेदन से बाहर भी हो गया है, ऐसा लगता है । सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपये की स्वीकृति हुई थी, हमने वह स्वीकृति वर्ष 2013-2014 में कराया था और सिर्फ बिलासपुर और डोंगरगांव का दो ही स्वीकृत हुआ था, परन्तु बिलासपुर का ले-देकर चालू तो हुआ, लेकिन डोंगरगांव का कोई टेंडर ही नहीं लग पाया ?

सभापति महोदय :- थोड़ा संक्षेप करियेगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, नगरीय निकायों में नगरीय आवास योजना लागू है । चूँकि नगरीय क्षेत्र का है तो प्रधानमंत्री आवास के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा, फिगर कहीं दब गया है नहीं तो बताये रहता, नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास 2.0 लागू है । सभापति महोदय, आप 3201 आवास का भौतिक सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, यह स्वीकृत है, आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपने केन्द्र को लक्ष्य भेजा है, लेकिन आपको 25 प्रतिशत ही मिला है ? सभापति महोदय, फिगर अंदर में दब गया है, अंदर में ढूँढ़ने में टाईम लगेगा, आपने 100 का मांग किया और आपको केवल 25 का स्वीकृति आर्डर मिला है, आप 3201 का भौतिक सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, गरीबों को आवास देना, उनका घर बसाना हमारा उद्देश्य है । सभापति महोदय, जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि हम अपने उद्देश्य से भटक जायेंगे । सभापति महोदय, इसके बाद तीसरा नंबर लोक निर्माण विभाग का आता है । लोक निर्माण विभाग में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, आप ज्यादा कागज मत खोजिये ? एक काम करिये, दूसरे डिमांड मांग में जब बोलेंगे तो इसका उल्लेख कर देना। खोज के रखना । उतना चलेगा । दूसरे विभाग में उल्लेख कर देना, चलेगा । सरकार तो वही है, मंत्री तो वही है ?

श्री दलेश्वर साहू :- देखो, भाषणबाजी तो मैं करता नहीं हूँ । आपने संस्कृति विभाग के पैसे कहाँ-कहाँ खर्च किये हों, उसको भी बोल दूंगा । ये लाटा-बाटा कहाँ करवाते थे, पैसे को कहाँ ले जाते थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, इस विषय को दूसरे विभाग में बोल देना, वह चलेगा । आप पेपर खोजो मत और गाड़ी को बढ़ाते रहो । खोजकर रखना, भूल गया था करके दूसरे विभाग में बोल देना ।

श्री दलेश्वर साहू :- मेरी तैयारी है, ऐसा नहीं है ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति जी, मैं आखरी बात बोलूंगा । लोक निर्माण विभाग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं । मैं उदाहरण देते हुए आगे बढ़ूंगा । राजनांदगांव में डॉ. रमन सिंह जी बैठे हुए हैं। हमें वार्षिक संधारण मद का उपयोग कब करना चाहिए ? आवंटन पास हुआ है, पर जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया । वार्षिक संधारण मद, सड़क मरम्मत का काम, पेंच रिपेयरिंग का काम तो समय में होना चाहिए । चन्द्राकर जी, आप सुन रहे

हैं न । जुलाई निकल गया, जुलाई के बाद अगस्त आ गया । अगस्त के बाद हम लोग टेण्डर नहीं खोल पाये । जब हम लोग समय में पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमारी सड़क कैसे बनेगी । आज ही के प्रश्न का उत्तर आया है कि 2022-23 के वार्षिक संधारण मद का पैसा आप खर्च नहीं पाये । 4.38 करोड़ रूपए सड़क की मरम्मत का बचा हुआ है, भवन का बजट बचा हुआ है । अगर आप देखेंगे तो आप 2023 का बजट खर्च नहीं कर पाये । 2023-24 का बजट खर्च नहीं कर पाये और मैं 2024-25 की बात ही नहीं करता । चन्द्राकर जी, आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं?

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, इधर संबोधित करके बोलिए, डायरेक्ट बात मत करिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति जी, आप खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? चन्द्राकर जी बजट की बात बोल रहे हैं । यह फिगर एकदम ताजा फिगर है, आज की प्रश्नोत्तरी में आया है । आप टेण्डर नहीं खोल पा रहे हो, जुलाई-अगस्त एवं पूरा बरसात निकलने के बाद आपका टेण्डर नहीं खुला । जब हमने जिला स्तर पर बैठक की तो इन्होंने शायद शो काज़ नोटिस जारी किया है, आपका ये हाल है ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, बजट में आपके क्षेत्र की कुछ मांग हो तो आप उसको रखिए । आपके बोलते हुए 22 मिनट हो गए हैं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, दलेश्वर जी हमारे दल के पहले वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- अध्यक्ष जी ने आप सभी सदस्यों से कहा है कि बहुत लोग हैं और अध्यक्ष जी ने सभी को 10-10 मिनट का समय दिया है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, वे पहले वक्ता हैं, उन्हें पार्टी का समय मिले ।

सभापति महोदय :- इनके बाद आप दूसरे वक्ता हैं, फिर आपका समय कम हो जाएगा ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, हां, समय कम कर लीजिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे सड़क हो, चाहे नगरीय क्षेत्र का मामला हो, चाहे पीएचई का मामला हो, आपके बजट के खर्च का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पा रहा है । आपने बजट बना लिया, बजट में खर्च डाल दिया, पर आप धरातल पर उसे नहीं उतारोगे तो कोई मतलब नहीं है । आप सिर्फ 50 प्रतिशत या कुछ में 47 प्रतिशत, 40 प्रतिशत के अलावा न आप भवन निर्माण में कुछ खर्च पा रहे हैं, न सड़क निर्माण पर खर्च पा रहे हैं । आप किसी सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति देते हैं, पर काम नहीं होता । मैंने एक उदाहरण देखा । मेरे गांव में अलीवारा में एक सड़क बन रही है । हमने उसकी स्वीकृति कराई।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपके लिए एक सड़क बनवाई थी या नहीं ?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति जी, उसके लिए मुझे गर्भगृह में जाना पड़ा, आपने ऐसे आसान तरीके से नहीं दिए हैं । मेरे क्षेत्र की अलीवारा की सड़क के लिए मुझे गर्भगृह में जाना पड़ा । एक विधायक होने के नाते और आप जैसे मंत्री होने के नाते यह कितनी लज्जाजनक घटना थी । हमने

उदाहरण के तौर पर बताया । ऐसी कई सड़कें हैं, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदन, प्राक्कलन के पश्चात् आप देते हैं । मेरे अलीवारा गांव का मामला है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर लोक निर्माण विभाग के सचिव या डायरेक्टर बैठे होंगे तो वे सुनें । मंत्री जी तो उपस्थित हैं । हमने शानदार नाली की व्यवस्था कराई । पुल बनाने की प्राक्कलन स्वीकृति हुई, पर जब भुगतान हो गया तो मैंने कहा कि हमने तो नाली की भी व्यवस्था कराई थी, सी.सी. रोड़ की भी व्यवस्था कराई थी, वह कहां चला गया ? तो कहा गया कि जो भी हुआ, वह नहीं बना या बना होगा, जैसा भी होगा, हम मामले की तह तक नहीं गए । वह आधा-अधूरा काम हुआ और सड़क बन गई । ऐसे कई स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर आप काम नहीं कर पाते । ठेकेदारों को जो फायदा होता है, वह उसी काम को फटाफट कर लेते हैं और जहां काम क्रीटिकल है, जहां उनको पैसा नहीं बचना है, उस काम को नहीं करते । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अलीवारा की जो सड़क है, अलीवारा से टेकाहल्दी पहुंच मार्ग, की आप जांच करा लीजिएगा। सभापति महोदय, डोंगरगांव की एक फोरलेन बन रही है, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी, साल भर हो गया, पत्रकार और पेपर वाले हमारे ऊपर ही विश्वास करते हैं, हम क्या कर लेंगे, आपका कार्यकाल आ गया है। कुछ भी बिना अनुमति के यदि किसी भी संरचना का हम परिवर्तन करते हैं, तो बिना ई.एन.सी. या ए.सी. के ई.ई. का क्या यह दायित्व बनता है कि छोटा को बड़ा करना या बड़े को छोटा करना? वह बिना अनुमति के तो आप कर ही नहीं सकते। डोंगरगांव का जो फोरलेन है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें अनेक परिवार अपने परिवारजनों को खोए हैं, पति को खोए हैं, बाल-बच्चे को खोए हैं। मैं एक बार फिर माननीय अरुण साव जी से कहना चाहूंगा कि आप जब-जब जाते हैं, तो डोंगरगांव के बारे में पत्रकार आपसे प्रश्न करते हैं कि आपका राज आ गया है, आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि फोरलेन की जो परिभाषा है, चौड़ीकरण की जो परिभाषा है, जितने में नाली बननी है, जहाँ पर आपको विद्युत खंभा गड़ाना है, उसका संशोधन न हो। यह मेरा निवेदन है क्योंकि कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है। वहाँ के दुकानदार नहीं चाहते कि वह सड़क बने। आपसे तो अपेक्षा है। मैं रहता, मेरा कार्यकाल होता तो मैं जरूर बनाता। मैं लड़-लड़कर बनाता, चुनाव की हार-जीत अपनी जगह है, पर किसी का परिवार खोना यह मेरे लिए मुनासिब नहीं होता। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अरुण साव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डोंगरगांव की फोरलेन, जिसे हमने स्वीकृति प्रदान की थी, वह समय पर बन जाए और जो संरचना एस्टीमेट के आधार पर है, उसमें जरा भी संशोधन न हो, कोई उतार-चढ़ाव न हो। किसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यापारी से कभी प्रभावित न रहे, तभी हम आगे के भविष्य को सोच सकते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए हृदय से आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद):- माननीय सभापति महोदय, पिछले साल हमने माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के प्रतिवेदन पर चर्चा की थी। मंत्री जी, उस समय आप भी नए बने थे। अब तो आप डिप्टी सी.एम. हैं। आप सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सबसे बड़े वर्किंग डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा बजट आपके पास है। सारे दायित्वों के साथ आपको न्याय करना है, जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आपको शहरी क्षेत्रों में जो मैन्डेड मिला है, वह चिन्ह पर मिला है। ग्रामीण का अभी रिजल्ट आ रहा है। यदि चिन्ह पर मिला है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पार्टी ने भी आपको दायित्व दिया है, विश्वास व्यक्त किया है, तो आपकी योग्यता और क्षमता देखकर ही दिया है। इस साल जब हम चर्चा शुरू करेंगे, तो ये प्रतिवेदन आपकी उपलब्धियों पर है। प्रतिवेदन पर जब चर्चा होती है, तो आपकी उपलब्धि कितनी है, आपकी नीति और कार्यक्रम क्या हैं, आप क्या नवाचार कर रहे हैं, निजाम जो बदला, तो इस किताब के स्वरूप बदले या नहीं बदले। ये तीन चीजें हैं।

माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांग में आपके विभाग की संरचना और चार फोटो हैं। मैंने आपके तीनों प्रतिवेदन देखे। पी.एच.ई. का हाथ में है। अधिकारी बैठे हैं, कौन से अधिनियम, नियम से आप संचालित होते हैं? इसे पूरा तो बनवाइए। शहरी विकास विभाग ने यह जरूर दिया है, लेकिन बाकी दो विभाग कौन से नियम, अधिनियम से चलते हैं, उनको पता ही नहीं है। मैं तो आपको यह कहूंगा कि यह प्रतिवेदन अधूरा है। जिस चीज से आप गवर्न होते हैं, यदि वह शामिल नहीं है, तो फिर ये दूसरी ओर ले जाता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत गंभीर बात माननीय अजय जी ने कही है कि प्रतिवेदन अधूरा है और यदि प्रतिवेदन अधूरा है, तो फिर इस पर सदन में चर्चा क्यों होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं तो आपसे ही मांग करूंगा कि यदि सत्तापक्ष के बहुत वरिष्ठ सदस्य, जिन्हें बहुत लंबा अनुभव है, यदि उन्होंने कहा है कि प्रतिवेदन अधूरा है, तो आज इस चर्चा को रोककर दूसरे दिन जब प्रतिवेदन फिर से पूरा आ जाए, तब उसकी चर्चा हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, ये मेरा मत है, मंत्री जी का जब उत्तर आएगा तो वह बताएंगे कि वह पूरा है या अधूरा है। लेकिन आज तक मैं ये जानता हूं और आप भी जानते हैं, आप सी.एम. रहे हैं कि नियम और अधिनियम, जिससे विभाग गवर्न होता है, वह प्रतिवेदन में आता है।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, मैं अपने पिछले कार्यकाल की बात बता रहा हूं। उस समय एक मंत्री के विभाग का प्रतिवेदन नहीं आया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें हमने आपति ले ली थी।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें आपने आपति ले ली थी और हमने फिर उसकी तिथि बदल दी थी। सदन में यह परंपरा रही है। उस परंपरा का पालन करें। जब माननीय सदस्य ने आपति दर्ज कर दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं उस पूरी घटना के बारे में बता देता हूँ। भूपेश बघेल जी का पूरा गवर्नेस ही खत्म था। इसलिए खत्म था कि ग्रामीण विकास मंत्री, श्री टी.एस. सिंहदेव का नाम पुकारा गया तो मैंने खड़े होकर आपत्ति ली कि प्रतिवेदन बंटा ही नहीं है तो चर्चा किसमें होगी ? इन्होंने क्षमा मांगकर फिर उसको अगले दिन के लिये स्थगित किया। वह तो गवर्नमेंट की लापरवाही थी, आपके विभाग की लापरवाही थी। मैंने तो दूसरी बातों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिनियम और नियम क्यों छापे, वह उसको अपने उत्तर में बतायेंगे। वह अधूरा नहीं है। वह मुझे मेरी दृष्टि से लग सकता है कि यह जरूरी है। मैं आपको यह कह रहा था कि मोदी जी ने गरीबों के लिए जिन योजनाओं को संचालित किया, लागू किया, जिससे खासकर गरीबों का जीवन आसान हुआ। संपूर्ण स्वच्छता का एक भाग आपके पास है। जैसे शहरी भाग, हर घर जल, उज्ज्वला, आवास और मातृ वंदन जैसी योजनाएं आपके पास हैं, जिनमें आप राशि देते हैं। यदि आप पांचों, छः योजना को देखेंगे, जिसका लाभ गरीबों का मिलता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा आप संचालित कर रहे हैं। लेकिन आप यह देखिये। आप उत्तर देंगे तो मैं अपेक्षा करूंगा कि साल भर बदलने के बाद, निजाम बदलने के बाद हमने कौन सी नई योजना लांच की ? हमने परंपरा के ढर्रे को कितना चेंज किया ?

सभापति महोदय, मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बोलना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। बघेल जी, आपने पहला वक्ता दिया था। अब आप अगली बार अपने दल से बोलने के लिए किसी वक्ता को उतारेंगे तो वह पूरे प्रदेश में नहीं तो कम से कम आधे प्रदेश के बारे में तो बोले। वह केवल डोंगरगांव तक सीमित मत रहे। जब वह मांग संख्या में बोलेंगे तो इस बात को ध्यान में रखे।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, ऐसा है कि डोंगरगढ़ की हालत खराब है। अब ऐसा है कि हांडी में से एक चावल ही पर्याप्त होता है कि वह पका है या नहीं पका है। जब डोंगरगढ़ की स्थिति खराब है तो पूरे प्रदेश की हालत क्या होगी ? वह आप समझ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, आप उपलब्धियों को वर्ष 2024 की स्थिति में बताते हैं। यह चीजें कब से शुरू हुई ? कुछ चीजें उल्लेखित हैं, मैं उसका उल्लेख करूंगा। आपने रनिंग वाटर से पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या बतायी है। आप यह मान लीजिए कि 3,000 शालाओं में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्र 45,000 हजार है। आपने 41,000 में पानी दे दिया है, जिसमें आपने रनिंग वाटर बोला है और आपके पास 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आप सोलर पंप में 7400/12496 का आंकड़ा बता रहे हैं। अब यदि आपने उपलब्ध घरेलू कनेक्शन 40,000 दे दिया है तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन आपके जो आगे आंकड़े हैं, उसमें 40,000 कैसे पूरे होते हैं, आप उसको स्थापित कीजियेगा। मैं इसको इसीलिए बोलता हूँ कि आपने स्वीकार किया कि 653 गांव ऐसे हैं, जहां पानी नहीं है। यह क्यों बना ? जब बार-बार यही स्थिति बनती है, तब आपको निश्चित रूप से 2-4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप सिर्फ ई.ई. को

सस्पेंड करने को उपलब्धि मानते हैं और इनके जो चेले [xx], जो सामने वाले बैठे हैं, जिन्होंने [xx] है, आप उनकी जान बखशी क्यों कर रहे हैं ? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन डेढ़ साल में कतका कन [xx] हन ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर आई.व्ही.एफ. कंपनी खुल गे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- पहले ओकर हिसाब करवा। अब तुमन डेढ़ साल के बात ला ऊंहिच में धरे हन। तुमन अपन खात पियत हन अउ डकारत हन तो आवाज तक नइ आत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आप नियद नेल्लार में अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। आप वर्षों से वंचित समूह के बीच कम से कम पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको और आपके विभाग को बधाई ही नहीं, आपका अभिनंदन कर देता हूं। अब आप देखियेगा । पूर्ण समूह जल प्रदाय योजनाएं लगभग सभी पुनरीक्षित हुई हैं। क्या आपको मालूम है कि मैं 3-4 महीने पी.एच.ई. मंत्री था ? यह पुनरीक्षित करने का जो खेल है, वह मैं समझता हूं। ग्रामीण जल योजनाएं कब शुरू हुई हैं ? वह वर्ष 2013 में शुरू हुई हैं। कहीं पर प्रारंभ, कहीं पर शुरू और कहीं पर पुनरीक्षित लिखा है। आखिर ये इतने सक्षम अफसर है। ये डी.पी.आर. बनाते हैं तो प्रति डी.पी.आर. क्यों पुनरीक्षित होता है ? मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि निजाम बदला है तौर तरीका बदलना जरूरी है । तभी Mandate का सम्मान होगा। समूह जल योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। आप प्रशासकीय प्रतिवेदन का 15 नंबर का पेज खोलें। माननीय मंत्री जी, आपने जिन एक से 24 जल योजनाओं को हाथ में लिया है। यह आपके प्रतिवेदन में है। वर्ष 2011 से 12 से 1 चालू हैं। अभी वर्ष 2025 चल रहा है। मैंने शुरूआत में 4 नंबर को पढ़ा। इसमें मैं एक आखिरी 24 वें को पढ़ रहा हूं। यह वर्ष 2018 से है और अभी यह प्रगतिरत है। इसमें 2, 3 को छोड़कर जितने हैं सभी पुनरीक्षित हैं। आप मुझे अपने उत्तर में जरूर बतायेंगे कि यह पुनरीक्षित होता क्यों है। हमें एक 5 या 10 करोड़ रुपये की योजना को पूरा करने में कितने साल का समय लगना चाहिए। यह अवधि 10 साल, 12 साल और 15 साल क्यों है ?

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक बात कही थी। मेरे पास एक प्रकरण आया। वहां पर टंकी बन गई थी और पाईपलाईन का ठेका नहीं हुआ। एक जगह पर पाईप लाईन डल गई है और टंकी का ठेका नहीं हुआ। मैंने यह कहा कि जो पानी खिंचते हैं, वह जगह अलग है। नदी में जो पानी खिंचते हैं, उसे इंटेकवेल कहते हैं। उसका भी बाद में और होगा। यह दोनों बन जाएगा तब होगा। जब मैं थोड़े दिनों के लिए मंत्री था तो मैंने यह कहा कि आप यह तीनों टेण्डर एक साथ कीजिए और ऐसा कीजिए। उसके बाद आप टेण्डर कीजिए और उसमें दो, तीन बनाईये। लेकिन यह पुनरीक्षित और अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता मत चलाईये। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। यह आपके प्रतिवेदन में है। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मैं समूह जल योजना में थोड़ी सी बात कर देता हूं। आप देख लीजिए जैसे मैं नगरी-धमतरी

की बात कर देता हूँ। सांकरा घटुला में योजना की लागत 31 करोड़ रुपये है। संभवतः एक 32 करोड़ रुपये है। जितने दिनों से यह योजना स्वीकृत है इसमें 25 प्रतिशत, 40 प्रतिशत काम हुआ है। आपकी कोई भी समूह जल योजनाएं पूरी नहीं हैं। मैं तो यह बताऊंगा, आपसे यह पूछूंगा, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। मैं आपसे यह पूछूंगा तो नहीं। आप बहुत सक्षम आदमी हैं। आखिर यह योजनाएं पूरी कब होंगी ? आपका क्या कमिटमेंट है ? यह महसूस होना चाहिए कि अब निज़ाम बदल गया है। वह लोग चले गये हैं। आपको 54 सीटें मिली जो भा.ज.पा. की दृष्टि से सबसे बड़ा जनादेश था और इसी काम के लिए जनादेश था और यही कार्यसंस्कृति विकसित हो, इसके लिए भा.ज.पा. का शासन आया। इसी लिए देश में मोदी जी का शासन है।

श्री रामकुमार यादव :- वर्ष 2047 तक टारगेट है, उसमें आपका जरूर बनेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आई.वी.एफ. तकनीकी से माता-पिता बनना है। जितेन्द्र के लड़का तुषार कपूर है। ओ सिंगल फादर है। ओ हा लड़का होवा लिस। तहूं होवा ले अउ सिंगल फादर बन जा। समझ गेस।

श्री रामकुमार यादव :- ए मय नहीं कहात हौं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तहूं लड़का होवा ले।

श्री रामकुमार यादव :- जो अभी तुहं जो रोल हे तुमन सरकार के शक्ति कपूर हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओ योजना हा तोर बर रहे।

श्री रामकुमार यादव :- नारद के रूप में हो। ओति के न येति के। तुमन बीच में पड़े हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हर घर जल प्रमाणित गांव ग्रामों की जिलेवार जानकारी दी हुई है, जिसमें 19656 गांवों की जानकारी है। इसमें हर घर जल ग्रामों की संख्या दी गई है। जैसे मैं बालोद की जानकारी पढ़ देता हूँ। यह पहले नंबर पर है। मैं उदाहरण ही बोलूंगा। मैं पूरा नहीं बोलूंगा। इसमें गांवों की संख्या 690 दी हुई है, इसमें घोषित 190 है और प्रमाणित 122 है। इस घोषित और प्रमाणित का क्या मतलब हुआ ? आपने 40 लाख दे दिया, ऐसा बोलते हैं। इसमें इन पूरे आंकड़ों को जोड़ेंगे तो इस घोषित और प्रमाणित में क्या अंतर है, यह क्या चीज है ? हम प्रमाणित को 40 लाख मानेंगे या घोषित को 40 लाख मानेंगे। विभाग जो शब्दों की बाजीगरी करती है, यह बाजीगरी बंद होनी चाहिए। यह 40 लाख माने 40 लाख हो। मैंने आपका अभिनंदन किया कि यह गरीबों की सेवा है। यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इन उपलब्धियों के बाद आप यह देखिए कि हम नल जल योजना में 28 वें स्थान पर हैं। पूर्व की सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐसा हाल बनाया था कि अभी हम उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ये तो ठिकरापन हवय, डेढ़ साल में आप मन का यहां आलू छिलत हव। डेढ़ साल में का करत हव। हर चीज ला हमन ला कहत हवय। आप उसको डांटना है, डाटो। यह मेरे को बताईये तो यह लोग डेढ़ साल में क्या कर रहे हैं? उधर डांट रहे हैं और इधर बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप सीधे क्यों बात कर रहे हैं? आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वर्किंग डिपार्टमेंट में बोलने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है। नीतिगत विषय में आपने स्वीकार किया कि भूमिगत जल स्रोत की स्थिति खतरनाक है। आपने समूह नल जल योजना बनाई, आप यह बतायेंगे कि यह कब पूरी होगी ? मैं तो इसको पढ़कर नहीं जानता। सतही जल के उपयोग के लिए क्या नीति है ? दूसरा जो आप water recharge करते हैं, आपने जितनी जगह बताई हैं, आप water recharging की संरचना को देखने के लिए एकाध जगह दौरा करिये। आपके पास नगरीय प्रशासन विभाग है। आप water recharging उसके साथ भी मिलकर कर सकते हैं। P.W.D. के साथ भी मिलकर कर सकते हैं या आपके साथ मिलकर कर सकते हैं। water recharging की खतरनाक स्थिति के लिए जो नीति बननी चाहिए, वह नीति इसमें दिखती नहीं है। सतही जल उपयोग की खतरनाक स्थिति है, कोई नीति बननी चाहिए, यह इसमें दिखती नहीं है। दूसरी बात जो पब्लिक संस्थायें स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी हैं, यह अपेक्षा है कि आपकी शत-प्रतिशत कवरेज की इच्छाशक्ति दिखनी चाहिए। इसलिए मैंने बजट का उपयोग कहा, बजट के उपयोग को नहीं पढ़ता। लेकिन यह पढ़ देता हूं कि इस साल माननीय मंत्री जी ने आपको लगभग 4.99 प्रतिशत अधिक राशि दी। बाकी आप जो डिपार्टमेंट में छोटी-छोटी चीजें करते हैं, वह हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना कहूंगा कि यह जो आप 24 योजनायें पूरा कर रहे हैं-1, समूह जल योजनायें- 2, water recharging की पालिसी-3, सतही जल के उपयोग की नीति-4, पुनरीक्षित का खेल बंद हो-5 और जो संस्थायें हैं, स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी में पानी का शत-प्रतिशत एप्रोच हो, यह आप सुनिश्चित करेंगे तो प्रदेश की जनता को जरूर महसूस होगा कि निजाम बदला है।

सभापति महोदय, इसमें भी वही है, P.W.D. में नियम, अधिनियम पता नहीं है। प्राचीनकाल में हम पढ़ें तो बौद्धकालीन इतिहास में सम्राट अशोक थे, माननीय मंत्री जी जिनके समय का उल्लेख मिलता है कि सड़कें, कुएं, पुल, पुलिया बनवाई। शेरशाह सूरी जिन्होंने हिन्दुस्तान को Grand Trunk Road दिया। उसके बाद मैं सीधा नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का लेता हूं जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज प्रधानमंत्री सड़क योजना लाई और उसको जो आकार, प्रकार दिया, आगे बढ़ाया वह नितिन गडकरी जी थे जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। मैं चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं, मैंने चार नाम लिया है, छत्तीसगढ़ में सड़कों में याद किया जाये तो पाचवां नाम आपका जुड़े।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन गडकरी जी जिस स्कूल में पढ़ थे, उस स्कूल को हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बनाया था। इस बात को मत भूलिये।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बार-बार बीच में टोका मत करिये। जब आपकी बारी आयेगी तो आप बोलियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जब सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सभ्यता आती है, सड़कों की density में हम राष्ट्रीय स्तर में कब तक पहुंचने वाले हैं, उसके लिए हमारी क्या कार्य योजना है ? क्या दृष्टिकोण दस्तावेज है ? हमारा क्या संकल्प पत्र है ? आपने 2000 करोड़ रुपये से शुरुआत की। वित्त मंत्री जी भी इस सदन में हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक शुरुआत 2000 करोड़ रुपये के माध्यम से की। आपके पहले नंबर से ही शुरू करता हूं, छोटी-छोटी बातें हैं। आपने अपने प्रतिवेदन में प्रभारवाद स्वीकार किया है। आप प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं ? आपको मना किसने किया है ? भूपेश बघेल जी की कार्य संस्कृति थी, वह उठकर चले गये। जूनियर को प्रभार देना और प्रमोशन नहीं करना और प्रमोशन के बाद नीचे पद रिक्ति होगी तो भर्ती के अवसर बनेंगे तो जूनियर को या किसी अपात्र को प्रभार देना मतलब संदेह को जन्म देता है और मैं यह कहता हूं कि संदेह को जन्म नहीं देता यह उस सरकार का डॉयरेक्ट करने का स्टार्टअप था । यह हमारी कार्य संस्कृति है, यह भूपेश बघेल के गवर्नेंस का एक हिस्सा था । आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि यह संस्कृति बंद हो, नीचे पद खाली होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । साहब, अनुकंपा नियुक्ति प्रतिदिन के विषय हैं, इसमें वह क्या उल्लेख के विषय हैं ? लेकिन एक बात है कि आपके इस पूरे दस्तावेज़ में आपने कोई नई योजना प्रस्तुत नहीं की है, मैं चाहता हूं कि सड़क की कोई नीति जैसे विकासखंड तक हमने जोड़ दिया, कितनी भी बारिश में पुल-सड़कें बंद नहीं होतीं, हमने सभी प्रमुख जगहों को University को, College को, हवाई अड्डे को जोड़ दिया । जितनी ट्रेफिक डेंसिटी है उस हिसाब से उन सड़कों को जोड़ दिया । ट्रेफिक डेंसिटी कितनी है उस क्षमता का हम बनाएंगे, औद्योगिकरण हो रहा है तो औद्योगिक क्षेत्र हैं ।

माननीय सभापति महोदय, आजकल तो छत्तीसगढ़ में रेती खदान का एक नया उद्योग खुल गया है तो आपकी जो ग्रामीण सड़कें हैं वह कितनी क्षमता की बनती हैं और वहां पर कितनी क्षमता के ट्रक चलते हैं या वाहन चलते हैं या क्या चलते हैं ? आप एक सड़क बनाइए लेकिन वह उदाहरण बने, आपकी नीति उसमें बने कि हमने इन-इन सड़कों को चिन्हित किया है । यह औद्योगिक मार्ग हैं, उनको नीति में रखिए कि सी.एस.आर. में जिनके वाहन चलते हैं उसको बनाएं । जब उसके वाहन चलते हैं तो उसे हम या आप क्यों बनाएंगे ? आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस संबंध में कोई नीति बननी चाहिए कि यह छत्तीसगढ़ की एक सड़क नीति है जिसमें निजी क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सी.एस.आर. का, सरकार का यह हिस्सा होगा और खास तौर पर जहां ट्रेफिक की density है, वहां पर उस क्षमता की सड़कें बनायी जायेंगी । आप 10 की जगह एक बनाईए लेकिन वह चीज़ बनाईए जो ऐतिहासिक हो, शेरशाह सूरी की तरह या जो समृद्धि का मार्ग चूंकि किसी समय एक ही सड़क का बॉम्बे पुणे हाईवे का उदाहरण दिया जाता था । राजेश मूणत जी बोलते हैं अटलपथ एक्सप्रेस हाईवे तो यह अरुण एक्सप्रेस

हाईवे है। यह एक इतिहास में दर्ज होना चाहिए, वह नीति बननी चाहिए। हम जब प्रतिवेदन पढ़ते हैं तो कार्यशैली, उपलब्धि, नीति-कार्यक्रमों पर ही बात करते हैं। आपने इसमें जितने कार्य किए हैं सब अच्छे हैं लेकिन उससे भी अच्छा जो है वह आपकी फोटोग्राफ है। साहब, आपके फोटोग्राफर को मेरे पास भेजिएगा। मेरी जो फोटो है वह अच्छी नहीं आती है। फोटोजनिक कैसे होगा, यह मैं देखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अब एक बात है। मैं एक चीज़ को पूछता हूँ, आपके अधिकारी इसको नोट कर रहे होंगे तो यह 20 नंबर पेज पर है। राज्य द्वारा केंद्र सहायता योजनाओं की जानकारी है। राज्य द्वारा दिसम्बर, 2024 तक 2401.5 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से दिसम्बर, 2024 तक कुल 2400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और आपने उससे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, आपको जितना मिला है उससे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं तो यह किस तरह से करते हैं? योजना के बाहर सरकार देती है, क्या करती है? यह आप देखिएगा। ए.डी.बी. के लोन लेते हैं, चौथा चरण चल रहा होगा, पांचवा चरण चल रहा होगा। मेरी आपसे अपेक्षा है कि सड़कों का राजनीतिक आधार पर चयन मत कीजिए। यह अन्याय होगा, आप ट्रैफिक के हिसाब से चयन कीजिए, जरूरी एप्रोच के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से, हमारी वही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। मैं तो कभी कुरूद वगैरह बोलता नहीं हूँ, मैं जिला वगैरह नहीं बोलता हूँ, यह मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं आपसे अकेले में बात करके मांग लूंगा लेकिन जब विधानसभा में बोलता हूँ तो मुझे अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अभी तक इसका एप्रोच, पॉलिटिकल एप्रोच रहा है। दूसरी बात कि जब मैंने सड़क की बात की तो आपने घोषणा की थी और जिसमें मेरा एक नियम-139 था। जब भी घोषणा होती है और विधानसभा में क्रियान्वयन नहीं होता तो मैं उस विषय को जरूर उठाता हूँ क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। आपने प्रश्न के उत्तर में दिया है, इसी सत्र में दिया है आपको याद होगा। मेरे नियम 139 विषय में आपने कहा था कि हम सभी ब्लैक स्पॉट खत्म कर देंगे। अभी तक आप ब्लैक स्पॉट चिन्हित नहीं कर पाए हैं? जितने चिन्हित हैं, उसके लिए बजट में कहीं उल्लेख नहीं है कि ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए और कब तक खत्म करेंगे? आपकी घोषणा है, वह मेरी घोषणा नहीं है। नियम 139 में है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे। 33 हजार लोग 5 साल में मरे हैं। हम लोग देश में एकसीडेंट में 9वें नंबर में सबसे ज़्यादा हैं। क्या उन्नति, किसलिए उन्नति, किसलिए सड़क, किसलिए क्या चीज़ें हैं? सामुदायिक क्षेत्रों की योजनाएं क्यों हैं? जब लोग मर रहे हैं और हम देख रहे हैं तो इन योजनाओं का मतलब क्या है? "जनता के लिए जनता के द्वारा" लिंकन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो शासन ऐसा हो जिसमें जन क्षति न हो और जनता को लाभ मिले तो उत्तर में कम से कम इस बात को जरूर दीजिएगा कि आप ब्लैक स्पॉट खत्म करने की घोषणा इस हउस में किए थे, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री रामकुमार यादव :- 1 मिनट भईया। सभापति जी, हमन ला चन्द्राकर जी से बहुत कुछ सीखना हे, भले हम नए विधायक दोबारा विधायक बनगे हन, लेकिन हमर सीनियर विधायक जी से बहुत कुछ सीखना हे। जब सत्ता में रहथे तो कइसे बोलथे? अउ विपक्ष में रहथे तो कइसे बोलथे? आज आप सही मा उदाहरण हौ साहब भैया, लेकिन मोला ए बात के तकलीफ हे..।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, 1 मिनट।

श्री रामकुमार यादव :- 1 मिनट मोला सुन लो, फिर आप बोलिहौ, जब आप इहां विपक्ष मा रिहौ तो सत्ता पक्ष ला कइसे, हमन कोई गलती नहीं कहेन ओखर बावजूद भी हमन ला कइसे घेरके छत्तीसगढ़ में हमला आज हमनके चेहरा ला जो भी करेहौ, लेकिन आज हमन ला वोट नहीं मिलिस। लेकिन आज तुमन ला जेमेर रहना चाहिए, नहीं रहौ थव। हमर छाती दुखथे भैया, छाती दुखथे, ओखरे खातिर कहथव, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, अजय चंद्राकर जी से आप बाद में बाहर में ज्ञान ले लीजिएगा, जो लेना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, नहीं, मैं बता देता हूं। यहां बैठकर जितनी ताकत से वे बोल रहे हैं, तुम लोग कभी भूपेश बघेल जी के सामने मैं बोले थे क्या? बोले थे?

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी के यही तो मानना है कि सरकार के अतका बुराई करत है, अतका बुराई करत हे, हमला ओला देख करके जरूरत ही नहीं पड़थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतना दम भी तो होना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- एक भी तारीफ नहीं हे। ए प्रतिवेदन ऐसा है, ओ प्रतिवेदन ऐसा है। हमन सब तुम्हर बात ला सुनथन।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मुआवजा बंद हो गया है, इसलिए यादव जी की छाती दुख रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ए ममा। आप दोनों यादव बैठते हो, उनको सलाह दो। माननीय वित्त मंत्री जी ने आई.वी.एफ. तकनीकी से संतान पैदा करने के लिए बजट लाया है। आजकल सिंगल मदर, सिंगल फादर होते हैं। अभी उदाहरण दिया कि तुषार कपूर सिंगल फादर हैं, वह बन जाए। उसको उसमें लगाओ। समझ रहे हो?

श्री रामकुमार यादव :- मैं श्री कृष्ण भगवान के वंशज हव, मोला ककरो करय के जरूरत नहीं पड़य। मैं यदुवंशी कुल से हव।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, इसके बाद आप ही को बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, एक आंकड़ा पेज पर 62 नंबर है। स्नातक इंजीनियर इतने पंजीकृत किए गए हैं, लिखा है। जीवित पंजीयन की संख्या लिखा है। जीवित पंजीयन न। यह जीवित पंजीयन, मृत पंजीयन जो है, वह बड़ा हास्यास्पद शब्द है और उसके बाद आवंटित कार्य 23। ये क्या है? इससे अच्छा इसको मत करिए। यदि आपको बेरोजगार इंजीनियरों को, बेरोजगार लोगों को, स्नातक को काम देना है तो आंकड़े को पढ़ने में भी मजा आना चाहिए कि वास्तव हम काम कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं और जीवित और मृत जो है इसको हटाइए। ये जीवित पंजीयन शब्द ही बेकार शब्द है। कार्यावधि समाप्त हो गई, कुछ भी लिखें। अब दूसरी बात आपसे जो करना चाहता था, पी.डब्ल्यू.डी. के काम में बहुत वेरिएशन है। आप मैदान भी बनाते हैं, काल कोठरी भी बनाते हैं, एस्ट्रोर्टर्फ भी बना देते हैं। आप मूट कोर्ट भी बनाते हैं, आप एकाॅस्टिंग करते हैं। आपके पास इसकी विशेषज्ञता कितनी है? आपके विभाग की विशेषज्ञता कितनी है? आपके पास ऐसे विशेषज्ञ लोगों के पैनल हैं या नहीं है? इसको इसलिए पूछ रहा हूं कि काम की विविधता के कारण कि यह विशेषज्ञता नहीं होने के कारण जो बजट का खर्च है और बजट का जो उपयोग है और समय में जो होना है, वह समय में नहीं हो पाता। एक विशेषज्ञता की संस्था कम से कम आपके पास होनी चाहिए। या तो आपको विशेषज्ञ संस्थाएं बनाने के लिए स्थापना व्यय ज्यादा लगता है तो आप इम्पैनल करके रखिये जो समय-बद्ध तरीके से इन कामों को कर सकें और उनका मॉनिटरिंग कर सकें। कभी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के एस्ट्रोर्टर्फ का दौरा कीजिए, आपने बनाया है या कभी जशपुर के एस्ट्रोर्टर्फ का दौरा कीजिए और किसी से पूछिए कि वहां एस्ट्रोर्टर्फ में कितना लीटर पानी डाला जाता है। आप भी नए सी.एम.हाऊस में गए थे, वहां जो बैठक का हॉल बना है, मैंने एक लाइन में बोल दिया कि इसमें तो एकाॅस्टिक है ही नहीं। एकाॅस्टिक नहीं है तो उस हॉल को बनाने की क्या जरूरत थी? आज के समय में सी.एम.हाऊस का हॉल बने और वह भी बिना एकाॅस्टिक के, यह तो आश्चर्य की बात है। इसलिए आपको मेरा सुझाव है कि विशेषज्ञ रहें और उन चीजों को जो आप भव्यता के साथ बनाएंगे और बनाने जाएंगे, सब चीज आप करते हैं, मैंने आपके फोटो देखे हैं इसीलिए तो प्रशंसा की, मुझे फोटोग्राफर जरूर दीजिए, मेरा चेहरा फोटोजेनिक नहीं है, एकाध एंगल में खींच देंगे करके। यह आप करिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की धमनी को तैयार कर रहे हैं और वह धमनी बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सभ्यता के विकास अपने आप ही यहां तक आएगी। डेंसिटी में हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचें, पॉलिसी क्या हो, किन सड़कों को हम प्राथमिकता दें और जिन संस्थाओं से आप इसमें लिखते कि सी.आर.एफ. के लिए सेंट्रल रोड फंड। हम जिस लम्बाई की सड़क को इसमें स्वीकृत देख रहे हैं। हम भी लिख देते कि आपके पास पैसा नहीं है तो इसमें दें। बार-बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि सड़क का चयन ए.डी.बी. में, सी.आर.एफ. में या कहीं भी आप भेजते हैं तो छत्तीसगढ़ की कोई नीति बने उसके तहत उसका चयन हो। क्योंकि यह सड़क

छत्तीसगढ़ के लिए है किसी भूगोल के लिए नहीं है, उधर कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं या कोई और हैं । ये काम नीति के साथ आप करेंगे और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है और प्रदेश की चिंता है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियम 139 की चर्चा स्वीकृत हुई थी । अब आपको कुछ नवाचारी योजना, नई सड़कों के लिए 2 हजार करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री जनमन के लिए आपको 500 करोड़ रूपए मिले हैं । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी के लिए आपको 845 करोड़ रूपए मिले हैं । जितने पैसे आपको मिले हैं खेल प्रशिक्षण भवन, महाविद्यालय के लिए, स्टेडियम के लिए, जवाहर सेतु के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है । आप अच्छा काम करेंगे, बस इसमें जितनी चीजें हैं, जितना काम आपने किया है उसमें और तेजी आएगी, आपके नेतृत्व में यह प्रदेश आकार लेगा, आपका नाम गडकरी जी के बाद इस देश में लिया जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है । माननीय मंत्री जी जो चार नाम लिया, उसके बाद पांचवा नाम आपका ही होगा, ऐसा मुझे लगता है ।

डॉ. चरणदास महंत :- क्या लोक सभा भेजना चाहते हैं ? क्या इनको लोक सभा भेजना चाहते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बार और हो जाए ।

डॉ. चरणदास महंत :- क्या आप इनको लोक सभा भेजना चाहते हो, गडकरी जी के बाद दूसरे नाम के लिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बता रहा हूं न आपको । गडकरी जी ने राज्य में रहते ही पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप में पहली बार मुंबई-पुणे हाईवे बनाया था । वह करतब राज्य में रहते हुए कर सकते हैं, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है ? प्रोजेक्ट अच्छा बनाएंगे तो दिल्ली ने 20 हजार करोड़ स्वीकृत किया है तो 40 हजार करोड़ स्वीकृत कर देगी कि ऐसे डायनेमिक मिनिस्टर को और पैसा दिया जाए, जो अच्छा काम कर रहे हैं । किसी दूसरे हिस्से का पैसा काटकर दिया जाएगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- तो आप समर्थन तो किया करो, रोज बेचारे की टांग को खींच रहे हो, नया-नया आया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, बिल्कुल नहीं । मैंने तो कहा है कि गडकरी जी के बाद । और मैंने जिस बात को कहा है जिसका समर्थन आप करेंगे और शासन में जाएंगे तो लूटेंगे नहीं, सड़क बनाएंगे । वैसे अभी दूर-दूर तक जाने की संभावना नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं नगरीय निकाय विभाग, इस विभाग में मेरी बड़ी स्वाभाविक रुचि है ।

समय :

2.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैं दो विभाग नहीं पढ़ा था, इसमें पढ़ देता हूँ। आपने कुल बजट का 40 प्रतिशत व्यय किया है, अब इसको क्या लेंगे ? आप माननीय मंत्री हैं। मैं इसको आपके उपर छोड़ता हूँ। आप देखेंगे, मैं उदाहरण के लिए एक दो चीज को पढ़ देता हूँ, यदि कोई प्रशासकीय प्रतिवेदन देख रहे होंगे तो पेज नंबर 7 के कॉलम में लिखा है। स्वच्छ भारत अभियान, पुनरीक्षित प्रावधान वर्ष 2024-25 में 1, 1, 1, राशि एक-एक हजार रूपए होगा, कुल व्यय 0, 0, 0 है, व्यय का प्रतिशत 0, 0, 0 है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी/सामुदायिक एस्पिरेशनल शौचालय बजट आयोजन में कुल व्यय 0 है, व्यय का प्रतिशत 0 है। स्वच्छ भारत मिशन यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट में इतनी राशि का आयोजन है। कुल व्यय 0 है, व्यय का प्रतिशत 0 है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बजट आयोजन है, पुनरीक्षित बजट प्रावधान वर्ष 2024-25 में कुल व्यय 0, व्यय का प्रतिशत 0 है। मुझे 0, 0 पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आईईसी एवं बिहेवियर चेंज, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवेलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट, अमृत मिशन है। इन सब में कुल व्यय, व्यय का प्रतिशत ये सारी चीजें कितना बजट आयोजन है, ये लिखा है। मुझे जो समझ में आ रहा है, वह आ रहा है, आप उत्तर देंगे तो बताएंगे, उसमें क्या है। यही स्थिति स्वच्छ भारत मिशन के बारे में प्रशासकीय प्रतिवेदन के पेज नं. 13 में भी है। कुल व्यय 0, 0, 0 है, स्वच्छ भारत मिशन एस्पिरेशनल शौचालय जो भी लिखा है। सब के लिए आवास योजना है। पुनरीक्षित प्रावधान वर्ष 2024-25 में 9,89,200 है, उसमें 5,73,100 रूपए खर्च हुए हैं। इसमें सरल क्रमांक 125 है, सबके लिए आवास योजना में क्रमांक 126, 127 में शून्य है, बाकी सब चीजें शून्य है। क्या इसका आयोजन बंद कर दिया गया, क्या कर दिया गया ? मैं इसको नहीं समझ पाया, आप उत्तर देंगे तो बताएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजों में व्यय और व्यय का प्रतिशत भी 0, 0, 0 है। आपको भारत सरकार से 14 वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग से राशि प्राप्त हुई, आपने प्राप्त किया। लेकिन उसका प्रभाव क्या है ? आपको वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मिलिनियम प्लस सिटी से राशि मिली है। जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के लिए राशि मिली है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे थर्ड पार्टी या आप स्वयं जिससे चाहें उससे अध्ययन करवाएं, हम इस राशि के उपयोग के बाद कौन सी स्थिति में कहां पर हैं ? इसमें ठोस अपशिष्ट में राशि का उल्लेख है। 56 करोड़ रूपए, 107 करोड़ रूपए है। नान मिलिनियम प्लस सिटी छोटे लोगों के लिए है। फूटपाथ तथा विद्युतीकरण नागरिक सेवाएं हैं। साहब, आज मैं पेपर पढ़ रहा था, इसमें फूटपाथ तथा विद्युतीकरण नागरिक सेवाएं लिखा है। मैं सुबह सोकर उठा तो रायपुर में दो बार लाईट गोल हुई। मैं सो के उठकर पेपर पढ़ते-पढ़ते दाढ़ी बनाकर चाय पी रहा था। अब मैं रायपुर में थोड़ी देर गाड़ी रोक देता हूँ। आप बिलासपुर के सांसद रहे, पांच संभाग मुख्यालय है। आप मुझे रायपुर का एक इंडीकेशन बता दीजिए जो राजधानी के लायक हो, आप संस्थाओं को छोड़ दीजिए, राजधानी का मंत्रालय बना है, नया रायपुर बना रहे हैं। नागरिक सेवाओं में एक इंडीकेशन जो

राजधानी के स्तर का हो। यहां के एक ही विधायक माननीय सुनील सोनी जी बैठे हैं। एक आंधी आती है, लाइट गोल हो जाती है। उस दिन अमृत मिशन पर चर्चा हुई। 24X7 लाइट का मालूम नहीं है। ट्रैफिक के बारे में तो मेरा कई बार अशासकीय संकल्प आ गया है। मैंने नियम-139 में सड़क दुर्घटना पर भी बात की थी कि ट्रैफिक के लिए स्थानीय शासन जिम्मेदार है या परिवहन विभाग जिम्मेदार है या पुलिस विभाग जिम्मेदार है? यह ट्रैफिक लाइट किस मद से लगी है? इसको मुझे बताने के लिए आज तक कोई तैयार नहीं हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि न्यायधानी, राजधानी को छोड़कर जो तीनों संभागीय मुख्यालय हैं-दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर। मानव सूचकांक या नागरिक सेवाओं के सूचकांक में ये राजधानी के स्तर की सेवाएं हैं। सबसे महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिंदुस्तान में यदि कहीं पर होगा तो वह रायपुर में होगा। आप और हम चलते हैं और विधायक जी को भी लेकर चलते हैं। हम खड़े होते हैं और देखते हैं कि एयरपोर्ट जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं और यदि एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन जाएंगे तो कितने पैसे लगते हैं? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बोर्ड बनाया था। मैं आगे उसमें बात करूंगा। सीवरेज, वर्षा जल की निकासी, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट और जो नॉन मिलीनियम प्लस सिटीज को प्राप्त होने वाली राशि है, इसमें हमारी उपलब्धियां क्या हैं? इसको आपने नहीं लिखा है। आपको इन उपलब्धियों को लिखना जरूरी था।

माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने प्रधानमंत्री आवास की लागत के लिए केबिनेट से कुछ किया है। मैं प्रधानमंत्री आवास-2 का उल्लेख इसलिए कर देता हूं कि आपने उसमें बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि यदि किसी सिंगल गांव या दो गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत से नगर-पंचायत बनी। वह घास भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं, उन नगर-पंचायतों या जो गांव से नगर-पंचायतें बनीं, उनको हमने नजूल घोषित नहीं किया और उनको पट्टा नहीं दिया। यह बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जी पट्टा बांट रहे हैं। एक सेकण्ड, मैं उस स्कीम के नाम को भूल रहा हूं। वह प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आएगा। मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि आप भी गांव से आते हैं और लोरमी में भी शायद यह समस्या होगी कि उसको नजूल घोषित करके उनको पट्टा दें। वह उजड़े मत और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है-बेघर कोई न हो, सबके पास पक्की आवास हो। आप किसी तरह से नियम-कानून या निर्देश में संशोधन कीजिए। जब तक यह सुधार या यह कानून नहीं आएगा, तब तक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का शत प्रतिशत लाभ नहीं मिलेगा। आप बहुत क्षमतावान मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। आपको किसी क्षमता के कारण यह नेतृत्व दिया गया होगा। आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस चीज को जरूर दूर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सतत सफाई व्यवस्था। ठोस अपशिष्ट में निरंतर निगरानी की जरूरत है और किसी मॉडल को अपनाने की जरूरत है। उपचारित जल और अनुपचारित जल। उस दिन हम लोग

आपसे अरपा के बारे में प्रस्ताव करने की बात कर रहे थे। यह 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए है, लेकिन यह समस्या तो कोई भी शहर जो नदी के पास है तो वहां सबके लिए समस्या है। इसमें आपने अपने प्रतिवेदन में कोई भौतिक उपलब्धि या आर्थिक उपलब्धि नहीं बताई है। ये सतत सफाई, ठोस अपशिष्ट, अनुपचारित जल जैसी सारी चीजें आज की इस सदी के नये जमाने के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं और उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं उसको इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी तक मैं प्राक्कलन समिति का चेयरमेन हूं। अब वह निर्वाचित करेंगे तो मैं बदल जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं है। मैं समिति का उल्लेख नहीं करता हूं, परंतु आपको एक लाइन बता देता हूं कि वह भूपेश बघेल जी की सरकार के भ्रष्टाचार का एक स्मारक है। जब नये IAS लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो उनको best practices और corrupt practices दिखाये जाते हैं। ये जो नये IAS आते हैं, उनको इसको पूरा दिखाना चाहिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कैसे लूटा गया। उनको यह दिखाना चाहिए ताकि जो दूसरा IAS आएगा, एप्लीमेंटेशन के लिए आएगा तो कम से कम वह उसको देखकर संकोच करेगा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बूढ़ा तालाब में 47 करोड़ रुपये का काम चलकर देखिये तो सही। आप जो-जो indication तय किये थे, उस indication में कितना काम हुआ है, उसको चलकर देखिये। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि यह तो जीता जागता स्मारक है। मैं तो कहता हूं 653 गांव के लिए पानी नहीं है, अब कार्यवाही आगे बढ़ गई, जिसने गलत डी.पी.आर. बनाया, उसकी गलती नहीं है। उसके पीछे और भी लोग हैं, जो जान रहे थे और ऐसा कर रहे थे, उनको भी उल्टा टांगना उतना ही जरूरी है। यह जनता 2-2, 4-4 घंटे लाईन में लगी रहती है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बता देता हूं, मैं एक गांव ले चलूंगा, आप किसी को भेज दीजियेगा, वहां अभी से टैंकर चल रहा है, जहां टंकी बन गया है और पाईप लाईन बिछ गया है, वहां टैंकर चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी को ऐसा लूटा-कूटा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि राजधानी में नागरिक सुविधाओं के कौन से indication में यह राजधानी के लायक शहर है, आप उसको तय कर लीजिये और आपसे अपेक्षा है कि आप उसको ठीक करेंगे।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप और कितना समय लेंगे ? दोनों पक्षों से बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं तो आखिरी पेज की ओर बढ़ रहा हूं। जल्दी खत्म कर दूंगा। ई-बस, आपने ई-बस किसको-किसको दिए हैं, लेकिन हमने पहले जो पी.एस.यू. बनाया था, उसकी क्या स्थिति है ? यह भी सरकार का एक practices है। ई-बस मिले, आप राज्य से खरीदे और मांगें, लेकिन कृपा करके प्रार्थना है कि राजधानी में, छत्तीसगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता कीजिये। यह सबसे बड़ी समस्या है। यह आपसे विनम्र आग्रह है। ई-बस का संचालन कैसे होगा ? मैं एक फोटो देखा था। वह सही है या गलत है, मैं उसका उल्लेख नहीं करता। पुलिस विभाग में 5-6 सौ बोलेरो खरीदा

गया था। आकड़ें गलत हो सकते हैं, वह खड़ी-खड़ी सड़ गई, टायर वगैरह सब सड़ गये। पहले जो सिटी बस चलती थीं, वे कण्डम हो गये। क्यों कण्डम हो गए ? नहीं मालूम। अब ई-बस के लिए क्या-क्या चीजें चाहिये ? वहीं चार्जिंग स्टेशन चाहिए, डिपो चाहिए, सड़क चाहिए, संचालन के लिए समिति चाहिए, आपरेटर चाहिए। क्या चाहिए ? उपलब्धि के लिए इस शहर को इतना बस आवंटित कर दिया गया, यह achievement नहीं है। यह एक सूचना है। achievement तो यही होगा कि उसका सुचारु ढंग से संचालन हो रहा है। हिन्दुस्तान में सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट रायपुर या बिलासपुर में हो गया, मैं चाहता हूं कि आपमें एक commitment दिखे।

समय

2.13 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आप आजीविका मिशन में घोषणा-पत्र बनाने के लिए बैठे थे, आपके प्रतिवेदन में एक छोटा विषय उल्लेख है। हमने कहा था कि आजीविका मिशन में समझ लो, ग्रामीण विकास विभाग में बैंक वाले जो प्रशिक्षण देते हैं, उसको क्या बोलते हैं ? एजुसेट।

श्री रामकुमार यादव :- अब वोहू ला भुला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- चुप तो यार। अक्ल के बात है अऊ तै हा खड़े हो जाथस।

श्री रामकुमार यादव :- हमन परेशान हो गय हन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंक वाले स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण देते हैं, उन लोग उनको ही लोन नहीं देते हैं। देखियेगा, मुझे वह याद नहीं आ रहा है, याद आ जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रशिक्षण, इसके बैंक लिंकेज और इसके मार्केटिंग और प्रशिक्षण के लिए स्तरीय संस्थाएं होनी चाहिए। नगर निगम का एक ए.पी.ओ. या इनके यहां का एक ए.पी.ओ. किसी भी चीज के लिए प्रशिक्षण नहीं दे सकते। आप उनके लिए व्यवस्था कीजिये। अब यदि वे प्रशिक्षित हो गए और उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो उसके मार्केटिंग के लिए कोई जगह देंगे ? मैंने कहा था कि यदि दुकानें करोड़ों रूपए में बिक रहे हैं और नहीं बिक रहे हैं, तो उन गरीबों के लिए दुकानें आरक्षित कर दीजिये कि जो आजीविका मिशन से प्रशिक्षित लोग हैं, हम उनको दो दुकानें देंगे। जैसे केन्द्र सरकार एकता मॉल बनवा रही है। उस मॉडल के तहत उन गरीबों को भी लेने की क्षमता हो। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 23 प्रतिशत ही शहरी इलाका है। हिन्दुस्तान में 31 प्रतिशत इलाका शहरी क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय :- और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई साहब, मैं दो-चार मिनट में खत्म कर रहा हूं। पथ विक्रेताओं का चिन्हांकन का कार्य निकायों में पूर्ण है। भैया, इन लोगों को पुलिस क्यों दौड़ाती है? यह सबसे अच्छी चीजे हैं। इसमें आपकी संवेदनशीलता दिखती है। पथ विक्रेताओं के लिए आई.डी. कार्ड बनेगा। इसमें एक

चीज देखिएगा। माननीय रायपुर नगर विधायक जी। माननीय सुनील सोनी जी। यह प्रतिवेदन में शहरी बेघरों के लिए संचालित आश्रय स्थलों की संख्या 47 बता रहे हैं। मंत्री जी, मुझे यह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको देखिए और आप 47 में से एकाध स्थल का दौरा कीजिये। आप रायपुर नगर (ग्रामीण) विधायक को ले जाईये और 47 में से एकाध जगह जाकर देखिये कि बेघर लोगों के लिए यह आश्रय स्थल है। मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कहना चाहूंगा। साहब, आप जितना क्रियान्वित करवा सकते हैं, उसके लिए आप प्रदेश भर में पूरा अमला लगा दीजिये। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, वह उसके परिधि में आयें। यह प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है। जब हम अगले साल इसके achievement के लिए आपको बधाई देने के लिए खड़े होंगे तो साहब, यह दिखना चाहिए कि यह achievement शत प्रतिशत से ऊपर 110 प्रतिशत है। इसमें भी आपने पी.एच.ई. के अतिरिक्त जल आवर्धन योजना से शहरी क्षेत्र में कहीं-कहीं पर बनाया है। आप इसकी प्रगति देख लेंगे। वे लोग दो-तीन बोर टोक दिए हैं। यह आपने कब से चालू किया है, कब तक पूरी होगी, ये सारी चीजें इस प्रतिवेदन में नहीं हैं। प्रतिवेदन में यह सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। आपने पी.एच.ई. में जो पुनरीक्षित वाला दिया है, वह चीज इस प्रतिवेदन में होनी चाहिए। आपने इसमें राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में लिखा है कि मुख्यमंत्री वाई कार्यालय चलते हैं। मेरे ख्याल से वाई कार्यालय नहीं चल रहे हैं। वाई कार्यालय चलते हैं या नहीं चलते हैं, यह आप बताईयेगा? दूसरी बात, जैसा कि मैंने नीति की बात कही है, मैंने सड़क के लिए बात कही है। पूरे प्रदेश के लिए शहरीकरण होना भी विकास का एक मापदण्ड है। छत्तीसगढ़ कई वर्षों से 23.24% पर स्थिर है और भारत देश 31% में है। लगभग 1.34% की दर से शहरीकरण बढ़ रहा है। आपके आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ रहा है या बढ़ाएंगे, आप कितनी गति से बढ़ाएंगे, यह Commitment नहीं दिखता है। हम विकास के एक मापदण्ड को स्पष्ट करें कि शहरीकरण आगे बढ़े। यह भी एक विकास का सूचकांक है। महाराष्ट्र, गुजरात और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश आगरा तक ऐसे बढ़ रहा है कि जो आप एन.सी.आर. और एस.सी.आर. की बात कर रहे हैं, उसको भी आप विस्तारित कीजिये। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धमतरी की सभा में कहा था कि आप एस.सी.आर. बना रहे हैं, उसको धमतरी तक लाईये और रास्ते में जितने क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को शहर घोषित कीजिये। इसमें आपको पूंजीगत व्यय के लिए 38% पैसे मिले हैं। इसमें पिछले वर्ष के बजट से 11% की वृद्धि हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी भी कार्यक्षमता देखकर वृद्धि की गई होगी, शहर की आवश्यकता को भी देख कर वृद्धि की गई होगी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। आपको बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए 100 करोड़ रुपये मिले हैं। आपने एक नई योजना, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लाई है, उसके लिए आपको बधाई हो, ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए आपको बधाई हो, आपको नगरीय निकाय अधोसंरचना के लिए 750 करोड़ रुपये मिले हैं, उसके लिए आपको बधाई हो, आप गृह प्रवेश सम्मान समय से पहले सम्मानित करेंगे, उसके

लिए आपको बधाई हो। अमृत मिशन। आह ह ह! माननीय मंत्री जी, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन शब्द बड़ा जबरदस्त है। आप वैसा मत करियेगा। अमृत मिशन मतलब लोगों तक अमृत पहुंचे। नालंदा परिसर के लिए आपको 100 करोड़ रुपये दिया गया है। साहब, एक बात बता दीजिये कि इसका टेंडर कब तक जारी कर देंगे, इसकी डिजाईनिंग कब तक हो जाएगी, यह आप जरूर बताईयेगा?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, जे मन आ ला पहली बार देखत होही ओ हर समझ नई पात होही कि आप सत्तापक्ष के हौ कि विपक्ष के हौ। आप ला मानना पड़ही। आप ला जोहार हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार, मैं तोला बार-बार बोलथं कि आई.वी.एफ. तकनीकी के फायदा ले । दूसरा, अकल के बात होथे, वोटका बेर तैं बैठे कर । फेर भूपेश बघेल जी खड़ा हो जाथे कि मेरे विभाग को ऐसा बोल दिये । अध्यक्ष महोदय, इसको जरूर बतायेंगे कि जो 17 आपने घोषणा किये हैं, वह फ्लोर में कब तक चल देगा ? आपसे एक चीज पूछनी थी कि कल स्मार्ट सिटी में सुनील सोनी जी दुकान का विषय उठा रहे थे, दुकान नहीं बिका है, उसके लिये संशोधन किया गया है । आज के प्रश्न में मुझे जो आपने लिस्ट दी है, वह बड़ा खतरनाक है। अध्यक्ष महोदय, दुकान के आवंटन के लिये छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि पूरा भारत किया गया है और जिनको किराये में दिया गया है, किराये में दिया जा सकता है, यह संशोधन किया गया है । आप इसे देखियेगा । अध्यक्ष महोदय, जिनको दिया गया है ना, वह बंगलादेशी रोहिंग्या लोग हैं ? इन दोनों को चेंज करके 5 साल बड़ा खतरनाक गेम हुआ है यानी किराये में दिया जा सकता है और छत्तीसगढ़ को संपूर्ण भारत तथा संपूर्ण भारत से जो लोग आये हैं, इसको देखियेगा और जांच करवाईयेगा । यहां रोहिंग्या और बंगलादेश मिलेंगे । आप 3 लोगों को तो डिपोर्ट कर रहे हो ? गृह मंत्री जी, जो तीन लोग पकड़ाये थे, उसे आप डिपोर्ट कर रहे हैं ना ? इसमें और डिपोर्ट निकलेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बाद आपको सारी चीजें बताई, मैं एक चीज भर आपको कह रहा हूँ, जो तीनों प्रतिवेदन में आपको देखा, पढ़ा, थोड़ा सा समझा। एक बात मुझे और सब को एहसास होना चाहिये कि ये निजाम बदला है, अब यह अरुण देव का शासन आया है, विष्णु देव का शासन आया है । अध्यक्ष महोदय, अरुण यानी भगवान सूर्य होते हैं । वह कभी रुकते नहीं हैं, 24 घण्टे चरावेती-चरावेती वाले आदमी है । अध्यक्ष महोदय, मुझे नई योजना का अभाव दिखा कि साहब हमने यह तीनों विभाग में ऐसी योजना शासन आने के बाद लागू की है ? कुछ चीजें ऐसी है, जिसको नाली सभी में स्वीकृत होंगी, 184 जगहों के लिये पूरी नाली परियोजना बनाई जायेगी । जागिंग ट्रेड बनाये जायेंगे, नई चीजें हैं । आंतरिक मार्ग बनाये जायेंगे, गार्डन बनाये जायेंगे, नेशनल हाईवे पर बस स्टॉप बनाये जायेंगे, 24 घण्टे की बिजली, 24 घण्टे का पानी, स्टेडियम बनेंगे, कुछ ऐसे मापदण्ड ऐसे तय कीजिए । शहरी विकास के लिये आप कोई लैण्डमार्ग तय कीजिए, हम सुनिश्चित करेंगे । रायपुर जैसे शहरों में यह मापदण्ड अंतर्राष्ट्रीय सतर का हो, रायपुर-बिलासपुर जैसी जगहों में जो भी जनसुविधायें हैं, मैं तो पांचों संभागीय मुख्यालय की बात करता हूँ या एकाध-दो और बड़े शहर हैं, माननीय अध्यक्ष जी

का जो निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव हैं, जो सुविधायें हम विस्तारित करते हैं, आप यदि नाली परियोजना बना देते हैं, 100 रूपया देते हैं तो उस नक्शे के हिसाब से नाली बनेगी। अध्यक्ष महोदय, यदि कब्जा हो रहा है तो यह गार्डन बनेगा, यह खेल मैदान बनेगा, यह वेडिंग जोन बनेगा, आप जगह आरक्षित करवाईये। आप शहरी विकास के लिये कोई एक मापदण्ड तय कीजिए, विशेषज्ञता की संस्थायें तय कीजिए और छत्तीसगढ़ की प्रमाणिकता के साथ सेवा कीजिए। आपको बजट पर्याप्त मिला है, आप लागू करेंगे, आप क्षमतावान आदमी हैं, आपने वह क्षमता दिखाई है कि मैं कर सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमने जो पिछली बार चर्चा की थी, वह कार्य में चर्चा नहीं की थी, कारनामों में चर्चा की थी, हम चाहते हैं कि इस साल कार्य में चर्चा करें और अगले साल हम आपके बेहतर कार्यों में चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसे कांग्रेस की सरकार के बजट में अक्षर में लिखते हैं ना, पुस्तक में, किताब में, उसके लिये भी तरस गये थे भईया ? आप लोगों ने कम से कम दिखाया तो है ? इसी में खुश रहो। हम लोगों तो लिखाने के लिये भी तरस गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में जनपद के चुनाव हो रहे हैं, आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस भाग ले रही है, भाग नहीं रही है। माननीय, मैं उसका पता करके आता हूँ, फिर आपको खुशखबरी दूँगा।

अध्यक्ष महोदय :- भाग ले रही है, भाग रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- भाग ले रही है, भाग नहीं रही है ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- देखियेगा, जैसे बाकी जगह हुआ है, वहां से कहीं गायब मत कर देना।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहां से आकर खुशखबरी देता हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कांग्रेस के लोगों को किडनैप मत करियेगा। आप लोग बंद करके रख देते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कतको जितवा लव, मंत्री थोरी बनिहव, अइसने च रइहव। (हंसी)

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-20, 22, 24, 29, 67, 69, 76 एवं 81 में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पहले हमने ज्ञान पर काम किया और अब हम गति पर काम करेंगे। मैं गति के बारे में कुछ बात कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले लोक निर्माण विभाग के बारे में बात करूंगा। लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2024-25 में जो बजट आवंटन हुआ है, वह लगभग 8228 करोड़ के आसपास था। दिसम्बर, 24 तक 3452 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं, जो कि व्यय का 41 प्रतिशत है। इसी तरह पीएचई विभाग में वर्ष 2024-25 में लगभग 5,04,827 लाख का प्रावधान था, जिसमें से 1,74,612.86 का व्यय किया गया है,

जो 34 प्रतिशत है। इसी तरह से नगरीय निकाय का है। अगर हम गति की बात करते हैं तो यह गति रहेगी? जो बजट प्रावधान था, उसका आपने पीएचई 34 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 41 प्रतिशत व्यय किया है। हम ज्ञान और गति पर बात कर रहे थे। यह सिर्फ 41 प्रतिशत की बात नहीं है। जो हमारा वित्त नियम बना है, वह भी कहता है कि जो बजट प्रावधान है, उसका 60 प्रतिशत खर्च होना चाहिए। मैं यह मान रहा हूँ कि अभी 3 महीने का अनुमान इसमें नहीं है। 3 महीने का खर्च का अनुमान आएगा तो वह शायद 60 प्रतिशत को छू जाए, लेकिन क्या हम 60 प्रतिशत बजट खर्च करके खुश रहेंगे? नहीं। यह सरकारी तंत्र की गतिविधियाँ या गति मुझे तो सुस्त दिख रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 2047 का विजन दे रहे हैं और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन दे रहे हैं। प्रतिवेदन पढ़ने के बाद उनका सपना कैसे पूरा होगा, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) बहुत योग्य मंत्री हैं। इनका प्रतिवेदन प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाया होगा। लोक निर्माण विभाग में इनका जो पूंजीगत व्यय है, मैं उसी के 3 साल का तुलनात्मक अध्ययन बता देता हूँ। वर्ष 2022-23 में 155 कार्य पूर्ण हुए थे और 169 कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2023-24 में 132 कार्य पूर्ण हुए थे और 193 कार्य प्रगति पर थे। इस साल सिर्फ 87 कार्य पूर्ण हैं और 167 कार्य प्रगति पर हैं। इसमें शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग हैं, जिनके अंतर्गत इन्होंने व्यय किया है। ज्यादातर काम प्रगतिशील हैं और पूर्ण हुए काम बहुत कम हैं। तुलनात्मक अध्ययन में ही समझ में आ रहा है कि वर्ष 2023-24 में 38 कार्य पूर्ण हो गए थे और 56 कार्य प्रगति पर थे और इस साल 19 कार्य ही पूर्ण हुए हैं। यह आपका आंकड़ा है। इन्होंने प्रतिवेदन में फोटो भी लगाए हैं। उसमें ज्यादातर काम वह है, जो कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत हुए थे, काम पूर्ण हुए थे और इसमें डेंटिंग-पेंटिंग का कार्य इन्होंने किया है। ये जितने भी फोटो हैं सारे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपके प्रतिवेदन से ही बोल रहा हूँ। विभागीय मंत्री जी ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकृत रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज के कार्यों की सूची में दिया है कि - जिला रायगढ़ के हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग के किमी. 620/13-15 में लेबल क्रॉसिंग 313 खरसिया यार्ड के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण में लागत 64.95 है और कार्य की वर्तमान स्थिति अभी निविदा स्तर पर है। माननीय मंत्री जी, जब हम इसे छोड़कर गए थे, तब इसकी निविदा पूर्ण हो चुकी थी। अभी पिछले डेढ़ साल से इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि अभी भी यह निविदा स्तर पर है? अब ये तो समझ से परे है कि अगर निविदा हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, ठेकेदार वहाँ आकर निरीक्षण कर चुका है, यह डेढ़ साल पहले का है, तब भी वह काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? रुकने का कारण क्या है? आपको केवल ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसका डेढ़ साल पहले ठेका हो चुका है, बस काम शुरू करना है। आपकी सरकार में क्यों रोककर रखे हैं, यह समझ से परे है। या तो

आप सिर्फ यही सोचकर रखे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने इसे स्वीकृत किया था, तो कहीं उन्हें इसका श्रेय न मिल जाए, अगर ये सोचकर कर रहे होंगे, तो मैं इससे आगे आपको क्या बोलूँ। इस विषय पर मेरा दो बार प्रश्न लग चुका है और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि हम जल्द से जल्द इसका काम शुरू करेंगे। वह प्रश्न लगे हुए एक साल हो गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रायगढ़-धरमजयगढ़-कापू मार्ग को प्रगति पर बताया गया है। यहाँ हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने उसमें बहुत प्रयास किया कि वह रोड बन जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र पत्थलगांव तक भी वह रोड जुड़ती है। उसमें सिर्फ खरसिया से कापू तक की रोड को छोड़ दिया गया है, बाकी पूरी रोड बना दी गई है।

समय:

2.33 बजे

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)

माननीय सभापति महोदय, पत्थलगांव की पूरी रोड बन गई है, सिर्फ खरसिया से धरमजयगढ़ की रोड क्यों छोड़ी जा रही है? न तो आप उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, न तो हटा रहे हैं, न उसे भगा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? वह आपका कोई चहेता तो है नहीं तो फिर उसकी इतनी मनमानी क्यों चल रही है? आपका ई.ई. कहता है कि सर, वह सुनता ही नहीं है और हमें तो पता चला है कि वह भोपाल आदि से रिश्तेदारी लेकर आया है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। सर, हम लोगों की वहां गुहार है कि चल नहीं पा रहे हैं। अगर किसी को कापू से खरसिया तक आना है, तो उसे सोचना पड़ता है कि इधर से ले जाएं कि पूरा घुमाकर लेकर आ जाएं। हम दोनों ने वहाँ धरना-प्रदर्शन किया था। विधायक जी भी वहां थे और वहां ई.ई., ठेकेदार सब लोग उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम काम चालू कर देंगे। 15 दिन के अंदर काम चालू होना तो दूर आपका ई.ई. बोलता है कि सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको नहीं बोल सकता। आपके ई.ई. की ये स्थिति है। आप इसको समझिए, देखिए कि क्यों जबरदस्ती काम को रोककर रखे हैं। मेरे ख्याल से खरसिया से कापू 13 किलोमीटर का होगा और उस 13 किलोमीटर को छोड़कर उसने पूरा पैच बना दिया है और रोज हम लोग जब जाते हैं, तो इतनी धूल खाते हैं कि मत पछिए। मोटरसाईकिल से चलने वाले को तो दिखता भी नहीं है। एक किलोमीटर बाद क्या है, वह उसे दिखता नहीं है, ये स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, आपने प्रतिवेदन में ए.डी.बी. रोड के बारे में दिया है। ए.डी.बी. रोड में भी आपने इसको उपलब्धि में दिखाया है कि हमने महत्वपूर्ण मार्ग को ए.डी.बी. के जरिए किया है। माननीय सभापति महोदय, ए.डी.बी. रोड की भी यही स्थिति है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कुरू भाठा से तारापुर तक की ए.डी.बी. रोड है। वह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए लाइफलाइन बन सकती है क्योंकि उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी होगी। पिछले डेढ़

साल से उस रोड का काम रुका हुआ है। उसका काम पहले भी धीमी गति से चल रहा था लेकिन डेढ़ साल से तो उस रोड का काम पूरी तरह से रुक गया है। उसमें न तो ठेकेदार बलैक लिस्ट होता है। ठेकेदार का कहना है कि हमको शासन पैसा नहीं दे रही है। उसको रास्ते में आने वाले जिस घर को तोड़ना है, तो उस घर के मालिक को मुआवजा का पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे वह घर को नहीं तोड़ पा रहा है और अपना काम नहीं कर पा रहा है। मंत्री जी, यह 40 कि.मी. की रोड है। इस 40 कि.मी. की दूरी वाली रोड में उसने छोटे-छोटे पंच कार्य किये हैं, बाकी पूरी रोड को खोद दिया है। हमको पिछले डेढ़-दो साल से उससे आवाजाही में परेशानी हो रही है जबकि यदि आप यह रोड बना देंगे तो इस रोड के कारण छत्तीसगढ़ का व्यवसाय बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र के लोग आवाजाही करेंगे और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। इस स्थिति को सुधारिये। मैंने आपको सिर्फ 3 उदाहरण दिये हैं, एक, रेलवे ओव्हर ब्रिज का, दूसरा, ए.डी.बी. रोड का और तीसरा, धरमजयगढ़ से खरसिया वाली रोड का। उस रोड का काम जानबूझकर रोका जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी गलत नीयत से काम करेंगे लेकिन आपकी नाक के नीचे यह हो रहा है। मैं इसे गलत नीयत से इसलिए कहता हूं कि आप अपनी अनुदान मांग को देख लीजिए। उसमें उस क्षेत्र के लिए एक रोड नहीं है। धरमजयगढ़ में एक रोड नहीं, खरसिया में एक रोड नहीं। हम लोगों ने पूरा इस्टीमेट बनाकर दिया है। लैलूंगा को कुछ रोड मिली है, बाकी रायगढ़ जिले में अगर कहीं रोड बन रही है तो वह एक ही विधान सभा में बन रही है। अजय जी बोल रहे थे न कि हमको नाम चढ़ाने के लिए सोचना पड़ता था, बोलना पड़ता था। यहां तो नाम है ही नहीं। न खरसिया का नाम है, न धरमजयगढ़ का नाम है और न लैलूंगा का नाम है। यदि रायगढ़ जिले में कोई काम होगा तो एक ही विधान सभा में होगा। मंत्री जी, आपके अंडर में यह हो रहा है ? हम तो सोचते थे कि आप बहुत निष्पक्ष होकर काम करेंगे या तो आप दबाव में हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर बोलना चाहूंगा। मैंने बताया ही है कि हमारा 34 प्रतिशत व्यय हुआ है, इसको बढ़ाकर आप कितना ले जायेंगे ? मान लीजिए कि आप इन तीन महीनों में बहुत भी खर्च किये होंगे तो 30 प्रतिशत और खर्च होगा, कुल मिलाकर 60 प्रतिशत ही हुआ। अब आप बजट में अनुमान को बढ़ाते चले जाये, बढ़ाते चले जाये। उससे क्या फायदा होगा ? जब तक आप यहां से जो पैसे लेकर गये हैं, आप उस सीमा तक तो पहुंच नहीं रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, यदि मैं बसाहट और नलकूप खनन की बात करता हूं। आपने 6,000 नलकूप खनन का लक्ष्य रखा है और 3,000 नलकूप खनन हुआ है और आपने कहा है कि उसमें से 90 प्रतिशत कार्य सफल है। मैं तो इसी बात से चिंतित हो गया।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक तो इहां ले देकर 4 झन हे अउ उहूं में 1 झन सुतत हे। माननीय मंत्री जी के अतेक बड़े बजट में कतेक गंभीरता हे, ओ दिखत हे। कुल मिलाकर 5

झन हे अउ 1 झन हवय तो उहू सुतत हे अउ मोहले जी भी सुतत हे। ओला जगावत हव तो नइ जागय। अब हमन ला कौन ला कही, कैसे कही, का कही। मंत्री जी, आप ला धन्यवाद हे। आप मन हर देख लेव।

सभापति महोदया :- उमेश जी, आप जल्दी अपना वक्तव्य रखें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदया, इन्होंने इसमें कहा है कि हमने 3,577 नलकूप खोदे, जिसमें से 3,000 सफल हैं। माननीय मंत्री जी, आप भी चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं और हम लोग भी फील्ड में चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। पी.एच.ई. विभाग के पास तो यही डेटा नहीं है कि कहां का वॉटर लेवल कितना जा चुका है। किस गांव का वॉटर लेवल किस लेवल पर है। आपने फिक्स कर दिया कि हमको 300 मी. तक खोदना है, उसके बाद हुआ तो हुआ या नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप सबसे पहले तो पी.एच.ई. से इसका सर्वे कराईये। सर्वे से यह पता चलेगा कि किस गांव का वॉटर लेवल किस लेवल पर पहुंच चुका है। हमें अब इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वॉटर लेवल डाऊन हो रहा है, उससे हो सकता है कि आने वाले 5 साल, 7 साल बाद हमें बहुत गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें इसे पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसमें सबको विचार करना चाहिए। हम आने वाले 5 साल, 7 साल बाद गहरे जल संकट में जाने वाले हैं। अभी-भी 19-20 तहसील ऐसे हैं, जहां अभी से जल संकट शुरू हो चुका है। अभी तो गर्मी का मौसम आना बाकी है। हमारे प्रदेश में मई, जून के बाद वर्षा होगी।

सभापति महोदया :- माननीय उमेश पटेल जी, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदया, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा था कि आने वाले समय में यह गहरे संकट का विषय बनने वाला है और इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। मैं इसे आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ। इस विषय को लेकर आप ऑल पार्टी की बैठक करिये और इसमें ठोस कदम उठाकर, कुछ निर्णय लीजिए। इसकी आवश्यकता है। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को बिना पानी के न छोड़कर चले जाएं। इस प्रदेश में यह स्थिति है। जिस तरह से हमारे नल जल का दोहन हो रहा है। जिस तरह से हम लोग भूगर्भ जल को खराब कर रहे हैं इस पर कड़े कानून, नियम बनाने की आवश्यकता है। उन नियमों को कड़ी कार्यवाही के साथ नीचे स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, पूरे प्रदेश में यह जो बोरिंग खोदने वाला काम है। आप इस राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए करिये। क्योंकि मैंने फील्ड में जितना देखा है। जो पी.एच.ई. विभाग का बोरिंग है, वह कहीं पर भी सफल नहीं हो रहा है। क्या भईया, आपके क्षेत्र में बोरिंग खनन सफल होता है ? वहां भी सफल नहीं होता है। मतलब अगर आपने कहीं पर गड़ढा कर दिया तो वहां पर दो सालों के बाद खनन की मशीन आती है। विभाग के पास मशीन नहीं रहती। मैं, आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर

जिम्मेदारी है, आप इसको ठीक करिये या तो आप इस योजना को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपने जो आंकड़ा दिया है कि यहां पर 3 हजार 4 सफल हैं। मैं इस आंकड़े को सही नहीं मानता हूँ। क्योंकि मेरा फील्ड में जितना प्रैक्टिकल अनुभव है। यहां पर 3 हजार 500 में 3 हजार 4 सफल हो ही नहीं सकते हैं, उसमें 50 प्रतिशत असफल निकलते हैं। यहां पर नल जल मिशन योजना के बारे में बहुत बातें हुईं। यहां इस विषय में बहुत प्रश्न आये हैं और आपने भी इसमें बहुत उत्तर दिया है। जो एकचुअल रियलिटी है। माननीय महोदय जी ने इस विषय में प्रश्न भी किया था। यहां पर नल जल योजना की असलियत यह है कि ठेकेदारों ने सड़कों को तोड़-फोड़ कर पूरी पाईपलाईन बिछा दी है। वहां पर पानी का स्रोत कहां से आएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सभी जगहों पर पानी की टंकी बन चुकी है और पानी की टंकी बने 2 साल हो गये हैं।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जी बिल्कुल। बस थोड़ी सी बात है। सभी जगहों पर पानी की टंकी बन चुकी है, लेकिन प्रदेश के लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। यह हकीकत है। मुझे यह लगता है कि नल जल योजनाओं को सफल करने के लिए नीचे जमीन पर आना पड़ेगा। इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमने जो गांवों में पूरी सी.सी. रोड बनाकर, कीचड़ से मुक्त किया था। वहां पर वापस पूरा कीचड़-कीचड़ हो गया है। इसका कारण यह है कि न तो उसको ठेकेदार पूरा कर रहा है उनसे कुछ भी बोलिए तो वह कहते हैं कि हमारा पूरा पैसा नहीं आया है। सरकार ने उसे रोक दिया है। शासन से हमारा पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम कहां से काम करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह जो नल जल की समस्या है। यह जेल रोड के बंगले से सब शुरू हुआ था। उस समय आप भी मंत्री थे और वहीं एक मंत्री बैठते थे। वहीं से लेन-देन करके, व्यवस्था चरमराई थी। उसको संभालते-संभालते थक गये हैं। यहां व्यवस्था को संभालना बड़ा कठिन हो रहा है।

श्री उमेश पटेल :- नहीं। अगर उनसे व्यवस्था नहीं संभल रही है तो वह जिम्मेदारी छोड़ दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे।

श्री उमेश पटेल :- अगर चुनौती है तो वह उसका सामना करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन यह जो बीमारी की जड़ थी...

श्री उमेश पटेल :- आप यह बोल दें कि वह सक्षम नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों ने तीन बार टेण्डर लिया।

श्री उमेश पटेल :- भईया, अब हम लोग इधर आ गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों ने बंगले में बैठकर, टेण्डर बांट दिया था।

श्री उमेश पटेल :- हम लोग इधर आ गये हैं तो उसी बात को क्यों बोल रहे हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं। मैंने बताया कि उसका ईलाज हो रहा है।

श्री उमेश पटेल :- अगर आपको भी इधर ही आना है तो आप आ जाइये, आपका स्वागत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, आई.सी.यू., वेंटिलेटर में डालकर मरीज को दवा देंगे तो क्या वह व्यायाम करने लगेगा क्या ? अभी ताकत की दवाई दे रहे हैं, हम धीरे-धीरे व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- तो उसको चलाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिये। किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति क्या होती है ?

सभापति महोदया :- माननीय उमेश जी, आप अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदया, पूर्व में 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। तो हमारा आई.टी. का कॉलेज बंद होने की स्थिति में था। मैंने उसको 5 सालों तक चलाया। आज ऐसी स्थिति आ गई कि उसको फिर से बंद कर रहे हैं। इनकी इच्छाशक्ति नहीं है। मैं यह बोल रहा हूँ कि आपको चुनौती है, मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ। इस प्रदेश में चुनौतियां हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपको उन चुनौतियों से निपटना भी पड़ेगा। मैं इसको कहां बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इन चुनौतियों से निपटना जरूरी है, क्योंकि जिस उद्देश्य से नल जल योजना शुरू होनी थी, वह उद्देश्य आज के दिन में जीरो प्रतिशत है। मैंने खुद इस योजना में बहुत इंटरैस्ट लेकर अपने क्षेत्र में, अपने जिले में बहुत काम करवाये और सिर्फ 30 प्रतिशत आज के दिन में मेरे यहां वर्किंग है और कई जिले तो ऐसे हैं जहां नल जल योजना का कोई काम ही नहीं हुआ है। वह उधर से काट दिये हैं, वो उधर से काट दिये हैं।

सभापति महोदया :- उमेश जी, जल्दी समाप्त करिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदया, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आपका आदेश मिल गया, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। नल जल योजना में हमको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम आंकड़ों में जायेंगे, आपने आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं, लेकिन यह आंकड़ों में बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, आप practically होकर सोचिये और practically इस नल जल मिशन को करिये।

सभापति महोदया :- आप जल्दी समाप्त करिये, बाकी सदस्यों को बोलना है, बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है। आप अपनी बात पर रहें तो विषय नहीं जायेगा। आप खत्म करिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदया, जी, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। आधे से ज्यादा समय तो आपके पूर्ववक्ता अजय चन्द्राकर जी ले गये। नगरीय निकाय का हमारा टोटल खर्च 40 प्रतिशत है। उप मुख्यमंत्री जी यह आपके ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। आपके तीनों प्रतिवेदन को देखिये एक में 33 प्रतिशत खर्च, एक में 40 प्रतिशत खर्च और एक में 41 प्रतिशत खर्च हुआ है। आपने यह 03 महीने में कितना खर्च किया होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खर्च किया होगा, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई थी। अगर दिसंबर के डेटा को हम लोग सही मानें तो फिर यह बजट बढ़ोत्तरी किसलिये किये हैं ? इसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बजट में तो हम खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। गति ठीक नहीं है, आप

गति को ठीक करिये। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जो बजट अनुमान है, हम लोक निर्माण विभाग का बड़े ध्यान से देखते हैं। लोक निर्माण विभाग का इसलिए देखते हैं कि कितने सड़क, पुल, पुलिया हमारे यहां हुई होगी। सभापति महोदय, जीरो है। आपने जीरो कर दिया। कम से कम लिखने के लिए एक रोड दे देते। धरमजयगढ़, लैलूंगा में जीरो, एक रोड दे देते। अगर रायगढ़ में काम होगा तो सिर्फ एक विधान सभा में होगा। आप इस मानसिकता को हटाईये। सभापति महोदय, इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं हमारे आदरणीय श्री अरूण साव जी बहुत ही लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री, लोक निर्माण, जल जल संसाधन, नगरीय प्रशासन, विधि विधायी मंत्री और एकाध विभाग है तो मैं अभी जान नहीं रहा हूं, इन सभी विभागों के बजट की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, आज से 14 महीने पहले इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। नगरीय प्रशासन में नगर निगम, नगरपालिकाओं में रायपुर में बैठकर उनको सामान खरीद कर देने का काम और पैसे को बिना कमीशन लिये देने का काम नहीं होता था। मैं यह बहुत ही अधिकारपूर्वक, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सत्ता के संरक्षण में यहां के बड़े-बड़े महापौर इस शहर में रोहिंग्या को बसाने का भी काम करते थे। चूंकि वह बहुत ही जिम्मेदार महापौर के पद पर थे, रोहिंग्या लोगों को भी बसाने का काम करते थे और अकड़बाजी अलग दिखाते थे। लेकिन विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद, श्री अरूण साव जी के उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री बनने के बाद इस प्रदेश में सही मायनों में नगरीय निकायों में पिछले 14 महीनों में बहुत ही विकास के काम हुए। मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि मैं अरूण साव जी की तारीफ में कसीदे पढ़ दूं और कोई खुश हो, कोई नाराज हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 14 महीने में माननीय मुख्यमंत्री और श्री अरूण साव जी ने पूरे प्रदेश में नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग में 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के काम का न केवल भूमिपूजन किया बल्कि शिलान्यास भी किया। (मेजों की थपथपाहट) उसमें एक कार्यक्रम तखतपुर में भी हुआ तो यह एक ललक को दर्शाता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी कुछ करना चाहते हैं। इस छोर से उस छोर तक चारों तरफ पहुंचकर उन्होंने लोकार्पण के कार्यक्रम किये जो रिकॉर्डेड हैं, बजटेड हैं, जिनको स्वीकृति मिल चुकी है और जिनको प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है उन कामों का आपने शिलान्यास किया और जो काम हो गए थे उनका आपने लोकार्पण किया। मैं इसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं और आप बहुत ही सक्रिय हैं और इसी सक्रियता को बनाए रखिए। इन चारों-पांचों विभाग में आपकी सक्रियता से आने वाले वर्ष में हमारा परिणाम सुखद और फलदाई रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन का प्रश्न पिछले कई उसमें आ रहा है। यह बात सही है कि जल जीवन मिशन में जो काम हुए हैं उसमें कई काम अधूरे हैं। यह काम भी सही है कि

जल जीवन मिशन में जहां पर स्रोत मिलना चाहिए, वहां बिना स्रोत मिले पानी की टंकियां बना दी गयीं। यह बात भी सही है कि जहां पर नल की पाईपलाईन बिछानी हैं वह पाईपलाईन भी बिछा दी गयीं लेकिन यह काम पानी की टंकी एक साल में नहीं बन सकती है। पानी की टंकी आपकी सरकार में बनी है, पानी की टंकी बनी है आपके मंत्री के बंगले में ठेकेदारों को कमीशन लेकर के दिए गए काम के बदले यह जो गुणवत्ताविहीन बिना सिर-पैर का काम हुआ है, उसके कारण यह सब जल जीवन मिशन आज दम तोड़ने की स्थिति में पहुंच चुका था। मुझे मालूम है कि आपने एक पानी टंकी को तोड़ने का भी आदेश दिया था, मुझे मालूम है कि आप पानी टंकी का निरीक्षण भी करने गए हैं। हम लोग भी जाते हैं। इस सदन में ऐसा नहीं है कि जल जीवन मिशन के बारे में केवल आप लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। मैं खुद पोंगरिया गांव में गया हूं, वहां बीच सड़क में गड़ड़ा खोद दिया गया था और बगैर सी.सी. रोड बनाए ठेकेदार चला गया था। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से सवाल-जवाब किया है कि जो भी जल जीवन मिशन का ठेकेदार जिसने गांव की सड़कों और गलियों को खोदा है, अगर वह उसको नहीं बनाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वह किसी भी पार्टी के विधायक का क्षेत्र हो। छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में बनी हुई सड़क को तोड़कर जो कार्रवाई हुई है उसको बनवाने का काम आप ज़रूर ध्यान देकर करेंगे, आप इसमें रुचि ले रहे हैं। पी.एम. आवास योजना, प्रथम चरण में 2 लाख 49136 आवासों में से जो स्वीकृत थे, 2 लाख 5360 आवास पूर्ण कर दिए गए।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने गरीबों के दर्द को समझा है। माननीय मंत्री जी ने गांव में रहने वाले गरीबों को छत दिया, उनके ही पुण्य और प्रताप से हमारी सरकार बनी, उनके ही पुण्य और प्रताप से हम लोकसभा में जीते, उनके ही पुण्य और प्रताप से हम नगरीय प्रशासन में और पंचायतों में चुनाव जीत करके आए हैं। अभी पी.एम. आवास योजना- 2 भी लांच हुआ है। उसमें भी 15 हजार आवास देने का है और आपने केबिनेट में कोई मीटिंग ली है उसमें एक एक-डेढ़ लाख आवास और देने का है। यह आवास किसके लिये दिया जा रहा है? यह आवास गरीबों के लिए दिया जा रहा है। यह आवास किसके लिये बन रहा है? यह गरीबों के लिए बन रहा है लेकिन आपको हर काम में गलती दिखाई देती है।

माननीय सभापति महोदया, कोई बड़ा काम होता है तो एक-दो छोटी-मोटी गलतियां होती हैं। जब इसरो का भी सैटेलाइट लांच होता है तो आधा घंटे पहले उसको रोक दिया जाता है कि उसमें कुछ गलती दिखाई दे रही है करके तो जब इतने बड़े वैज्ञानिक जहां लगे हैं वहां पर भी गलती निकल सकती है तो इतने बड़े प्रदेश में 19600 गांवों में अगर कोई काम हम करने जा रहे हैं उसमें कोई गलती होगी उसको हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान में रखेगी। यह जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल ही आपने देखा कि मुआवजे के भ्रष्टाचार में दो डिप्टी कलेक्टरों को निलंबित

कर दिया गया । यह सरकार भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और यह सरकार चाहे वह ठेकेदार हों और चाहे वह इंजीनियर हों या कोई भी अधिकारी हो । अगर वह जनता के हित में किए गए काम में कोई भी मिलीभगत करके अगर ऊपर-नीचे करेंगे तो अरुण साव जी उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसा मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदया, अमृत मिशन-2 में 45 जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है । एक उसमें जल प्रदाय योजना, तखतपुर में 49 करोड़ रुपये की एक जल प्रदाय योजना की आपने स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए मैं तखतपुर की जनता की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) आपको मालूम हैं, दलेश्वर साहू जी चले गए । पीने के पानी के लिए बांध का उपयोग कर रहे हो, हां, कर रहे हैं। हां, हम करेंगे। क्योंकि पीने के पानी पर पहला अधिकार प्रदेश की जनता का है। दूसरा अधिकार यहां के किसानों को है और तीसरा अधिकार उसके बाद बच जाएगा तो उद्योगपतियों का है और इसीलिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें खुड़िया से पानी चल कर लोरमी आएगा। वहां से चल कर मुंगेली जाएगा। वहां से चल कर तखतपुर आ जाएगा और ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमारा खुड़िया डैम वहां से पानी देगा और हजारों लोगों की प्यास बुझाएगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इसके लिए भी आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। हमारी इस योजना को शीघ्र लागू कराने की कृपा करें। ऐसी 45 और हैं, उनको भी आप देखिएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने आपका बजट देखा। आप 100 नालंदा परिसर खोलने जा रहे हैं। मैं तो आपके पड़ोस का हूं। आपने तो लोरमी में खुलवा लिया है। आपको स्वाभाविक रूप से मेरा पक्ष लेना चाहिए और एक नालंदा परिसर तखतपुर में भी खोलने के लिए आपको खुलेआम घोषणा करनी चाहिए। देख लूंगा, मत बोलिएगा। आप बोलिए कि हां, हम तखतपुर में खोलेंगे और हम 99 को देखेंगे। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन तखतपुर की जनता भी आपसे उम्मीद रखती है, क्योंकि आप हमारे तखतपुर के ही तो हो, लोरमी के हो, मुंगेली के हो, आपका गांव भी 10 किलोमीटर दूर है, नालंदा परिसर में हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। हमारे लोगों को भी पढ़ने-लिखने, अच्छी सुविधा का अधिकार है। ये जरूर आप देने की कृपा करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तखतपुर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तखतपुर में विकास हो, इसलिए तखतपुर में 4 करोड़ रुपए की आपकी मदद चाहिए ताकि वहां पर एक अच्छा सा भवन बनाएं। जैसे आपके लोरमी में कबीर भवन बना है, उसी के तर्ज पर एक भवन के लिए हमें पैसा दीजिएगा। अभी तत्काल नहीं सही, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप जरूर दीजिएगा, ऐसी मैं आपसे मांग करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, बिलासपुर तखतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राखड़ से भरी हुई पचासों गाड़ियां 5-5, 8-8, 9-9 घंटे खड़ी रहती हैं और वह राखड़ की गाड़ियां तखतपुर से निकलकर वहां धूल धूसरित करती हैं। हमारे कांग्रेस के भाइयों ने चुनाव में नारा दिया था कि तखतपुर धूल युक्त है। तो मैं उनकी ही मांग का समर्थन

करता हूँ। तखतपुर को धूल मुक्त करना है। तो इन सब गाड़ियों को वहां से उस रास्ते से आने-जाने से मना कराइए। ये राखड़ गिराते जाते हैं, 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, वे कोई और दूसरा रास्ता चयन करें। तखतपुर का रास्ता सकरा है। घटना दुर्घटना होने की संभावना है मैं तखतपुर को धूल मुक्त कराना चाहता हूँ, जिसमें आपकी मदद चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत दूर का सोचा है। बिलासपुर, कटनी रेल मार्ग में जो उसलापुर है, वह मेरे विधान सभा में आता है और बिलासपुर से सीधा जुड़ा हुआ है। वहां एक ओवर ब्रिज है। जब जोगी जी थे, तब हम लोगों ने शिलान्यास किया था। अभी आपने नवीन रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए 650 मीटर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं आपके अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसको टॉप priority में रख कर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करें। ताकि बिलासपुर का जो ट्रैफिक है, जो मुंगेली, लोरमी, कोटा, तखतपुर की तरफ जाने वाला है, उससे हमको राहत मिले। आपने कोटा का एक बजट प्रावधान और किया है। कोटा से रतनपुर मार्ग पर 5 किलोमीटर आपने जो स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कोटा में हालांकि कांग्रेस के विधायक हैं, पर आपकी सोच ऐसी नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं। कोटा से रतनपुर जाने वाले हमारे तीर्थ यात्रियों को कोटा से रतनपुर हो कर जाने वाले अमरकंटक के यात्रियों को वह पांच किलोमीटर पहाड़ के समान लगता है और वहां से निकलने में कोटा की जनता को और कोटा में जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आप उसको भी priority में करवाइए। ए.टी.आर. का मैं बार-बार बोलता हूँ कि ए.टी.आर. मैं चाहे जो भी व्यवस्था आपकी सरकार के द्वारा वन विभाग के द्वारा की गई है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ए.टी.आर. की सड़कों का अचानकमार टाइगर रिजर्व की सड़कों का मरम्मत क्यों नहीं हो सकता? कौन अधिकारी बोलता है कि मरम्मत नहीं हो सकता? अगर ए.टी.आर. की मरम्मत नहीं हो सकती, तो मैं ऊटी से मैसूर आया था बांदीपुर टाइगर रिजर्व पड़ता है वहां तो बस चलती है, बड़ी चौड़ी सड़क है, उसकी रिपेयरिंग होती है तो ये 20 किलोमीटर के ए.टी.आर.की मरम्मत क्यों नहीं हो सकती। अचानक कमार टाइगर रिजर्व बनने के पहले अंग्रेजों के जमाने की सड़क है, मरम्मत तो करवा लीजिए। उसमें आप किसी को जाने दो या न जाने दो, लेकिन जो जाए तो ठीक से जाए, फॉरेस्ट वाले भी पेट्रोलिंग ठीक से करें, वह रास्ता पेट्रोलिंग करने के काम आएगा। वाइल्ड लाइफ की रक्षा के काम आएगा। उसकी मरम्मत के लिए आप एक हाईपावर कमेटी बना लीजिए या हाईलेवल की मीटिंग बुलवाइए, पी.डब्ल्यू.डी. के सेक्रेटरी हों, फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हों, उनके ई.इन.सी. हों, इनके पी.सी.सी.एफ. हों। बैठकर तय करिए कि अचानकमार में रिपेयर कराने में क्या तकलीफ है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है। आपको यह करना चाहिए क्योंकि वहां 30 गांवों में आदिवासी समाज के हमारे भाई रहते हैं, उनको पैदल आना है तो सड़क ठीक नहीं है, गाड़ी वहां जा नहीं सकती, स्कूल है नहीं, तो उनको जिंदा रहने का हक तो है न? उन्हें वह हक देना चाहिए।

बिलासपुर-तखतपुर एन.एच. भी ठीक से नहीं बना है । उसमें भी बहुत खामियां हैं, कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं । एन.एच. को ठीक से बनाना चाहिए । तखतपुर शहर के अंदर सी.सी.रोड बनाने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी है कि बेलसरी से तखतपुर के बरैला पुल तक सीसी रोड बनायी जानी चाहिए और जब तक सीसी रोड को मंजूरी मिलने में टाइम है तब तक वहां पर, सीसी मिलेगा सीसी मिलेगा, यह सोच सोचकर हम बैठे हैं और बड़ा-बड़ा गड़वा हमारा स्वागत करता है । उसके तत्काल रिपेयरिंग और डामरीकरण का आदेश जारी करा दें ताकि वह ठीक हो सके । सी.एम. बायपास के लिए भी आपने प्रावधान किया है, इसमें से एक बायपास मुझे भी चाहिए जो तखतपुर के बाहर से सीधा पंडरिया या निगारबंद की तरफ निकलेगा । वह ज्यादा लम्बा नहीं, 2 किलोमीटर का भी नहीं है, उसको देने की कृपा करें । सभापति महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- समय का ध्यान रखिएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 मिनट मैडम । मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं बोलूंगा नहीं, मैंने तो अपने काम की बात कर ली है । अब मैं ज़रा कुछ बात कर लूं । कई बार जब हम वित्त मंत्री से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी फाइल आएगी तो मैं कर दूंगा, एकाध किया भी है । आखिर ये फाइल पैदल जाती है या ऑटो में जाती है या रिक्शा में जाती है, आखिर कैसे जाती है ? आप ज़रा फाइल को भिजवा दीजिए ना, उसमें क्या-क्या करना पड़ता है ? अगर बजट में है तो फाइल को भिजवा दीजिए, आप च्वाइस करके भिजवा दीजिए, प्राथमिकता देखकर भिजवा दीजिए लेकिन वह फाइल थोड़ा तेज़ गति से चले ताकि काम हो । देखिए, डॉ. रमन सिंह जी ने भी कहा है और मैं भी पांचवी बार विधायक बना हूं मेरा भी अपना अनुभव है कि बजट तो सिर्फ 3 साल का होता है, आखिरी के दो साल के बजट तो तनखाह वगैरह बांटने में काम आए वहां तक ठीक है । तो कृपा करके जो भी प्रावधान है, उनमें से आपको जितना भी करना है तो आप वित्त विभाग को ज़रा तेज़ गति से भिजवाइए । मैं आज तक ब्रिज कार्पोरेशन को नहीं समझा । सब को समझ गया, दारू वाले विभाग को समझ गया, अंडा वाला, आंगनबाड़ी वाला सब समझ में आया लेकिन वाह रे ब्रिज कार्पोरेशन । हमने बजट में बमबम घाट का हमने ब्रिज का प्रावधान किया है । वह दो जिले को जोड़ेगा । मोहले जी और हमको जोड़ेगा, इनका बरेला जुड़ेगा और हमारा तखतपुर जुड़ेगा । अरे उसको तेज़ गति से कराइए, एक साल में कुछ नहीं हुआ । सभापति जी, अगर हम खुश होने के लिए बताएं तो बाद में गाली भी खाना पड़ता है, इसलिए आजकल बजट में आने के बाद कुछ बोलने में डर लगता है कि यह बजट में आ गया है, लोग पलटकर जवाब देते हैं कि हमने बहुत बजट देखा है, हमको बजट मत दिखाओ । आजकल लोग तेज़ हो गए हैं, एस्ट्रोर्ट में हॉकी हो रहा है । जनता का भी दिमाग तो एस्ट्रोर्ट जैसा चल रहा है । वहां पर तो लोग बहुत तेज़ गति से सोचते हैं । आज तक समाचार से ज्यादा तेज़ हैं वे लोग । इसलिए मंत्री जी, आप कृपा करके जो भी विभाग में आया हो उसको ठीक करा दीजिए और एक निवेदन और है । हमारे ग्रामीण सड़कों की हालत ठीक नहीं है, कम से

कम मरम्मत का तो काम करवा दीजिए, उसमें कुछ-कुछ फंड रहता है, जैसा भी है, जो बहुत ज्यादा चलने वाली रोड है उसको प्राथमिकता में करवा दीजिए, दूसरी प्राथमिकता में दूसरी सड़कों को करा दीजिए। ये सब कहते हुए मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं आपकी वर्किंग को नजदीक से देख रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छा दौरा करते हैं, चारों तरफ जा रहे हैं। लोरमी, पंडरिया, तखतपुर, सकती, बालोद सब तरफ जा रहे हैं। मैं आपकी बात कह रहा हूँ। इनका भी पूरा खयाल रखिए। सभापति महोदय, मान लीजिए हम बिलासपुर से चले तो तखतपुर पड़ेगा, तखतपुर के बाद कोटा पड़ेगा, उसके बाद लोरमी आएगा। अगर हम इनको कांग्रेसी है करके छोड़ देंगे तो मखमल में टाट का पैबंद सरीखे हो जाएगा। इनका खयाल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिलासपुर से चले तो हमें बिना जर्क लिए लोरमी तक पहुंचना है, कोटा का भी सड़क बनवा दीजिए। सड़क तो है जनता को ही चलना है, उसमें क्या कांग्रेस और क्या भाजपा। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी बात की दी है, मंत्री जी बहुत ध्यान से सिर हिलाकर समर्थन दे रहे हैं, सबका रास्ता बनेगा। मैंने कोटा के महामाया रोड का भी बोल दिया है, अटल श्रीवास्तव जी आप भाषण नहीं दे रहे हैं, मैंने पूछ लिया है। मैंने आपकी बात कह दी है। अचानकमार टाईगर रिजर्व की बात कर ली है, कोटा के सड़क की बात कर ली हैं। बिलासपुर से रायपुर का जो हाईवे है, उसमें कुछ मरम्मत तो चल रहा है, साहब वह पता नहीं वह कैसे टाईप बना है, आप एक बार और मरम्मत करा दीजिएगा। आप मुझे नालंदा परिसर जरूर दीजिएगा, यह मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे आप वरिष्ठ नेता सरीखे देखेंगे मत बोलिएगा, मुझे मेरे अरूण साव जी का बयान चाहिए जो मेरे अपने हैं। आप मुझे अपना समझकर 100 में से 1 नालंदा परिसर जरूर दीजिएगा, एक का अधिकार तो है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा माननीय अरूण साव जी से एक निवेदन है। हमारी सरकार के समय पेण्ड्रा बाईपास रोड के लिए 50 करोड़ रूपए आया था, जो कीमत है, वह भू अर्जन के कारण ज्यादा हो गई है। वहां के लोग मुझे लगातार फोन कर रहे हैं और आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। अभी मान लीजिए बजट ज्यादा नहीं है तो अगर उसका पार्ट में भी काम शुरू हो जाता तो मुझे लगता है कि अगले बजट तक वह पूरा हो जाएगा। कम से कम पार्ट वर्कआर्डर का काम हो जाए तो पेण्ड्रा वालों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव जी। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। दोनों तरफ के प्रथम वक्ता अपनी पूरी बात कह चुके हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बजट में सबसे सुंदर बात है तो मुझे फोटो ही दिख रहा है। आपका फोटो तो अच्छा छपा ही है लेकिन मैं

लोक निर्माण विभाग से शुरू करना चाहता हूँ। आपने जैसी तस्वीर छपाई है, अजय चंद्राकर जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। मैं उसी बात से शुरू करना चाहता हूँ। ऐसा फोटो पूरे छत्तीसगढ़ में धरातल में कहीं पर न बना है, न दिख सकता है। आप सदन में लॉटरी निकलवा लीजिए, अगर एक जगह ऐसा मिल जाए मैं महसूस करता हूँ कि एक जगह भी ऐसा नहीं मिल सकता। माननीय अरूण साव जी, आप केवल और केवल PHE विभाग के मंत्री नहीं हैं, प्रदेश के बहुत ताकतवर उपमुख्यमंत्री हैं। आज डेढ़ साल हो गया है, व्यय की स्थिति से स्पष्ट होता है कि आपके विभाग में कितना नियंत्रण है और विभाग में कैसे काम हो रहा है। इस सदन में हमारी सरकार के उपर बार-बार बात कही जाती है, जो बात नहीं हुई, वह बात भी बोला जा रहा है, असत्य कथन हो रहा है। यह बजट पुस्तिका आपके निर्देश पर प्रकाशित हुई है। हमारी सरकार में वर्ष 2022-23 में व्यय की प्रगति 93.51 प्रतिशत थी, आपकी प्रगति केवल 34.59 प्रतिशत है। आपके विभाग में कितना नियंत्रण है, विभाग कैसे काम कर रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आजादी की लड़ाई हमारे पुरखों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसी बात के लिए लड़ी थी कि गांव में भी पानी की व्यवस्था हो और गरीब को पानी मिले। एक तरफ डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, लेकिन यदि आप नल-जल योजना की स्थिति को देखेंगे तो आज गांव में पानी के लिए त्राहि-त्राहि हो रही है। पता नहीं कि मंत्री जी का ध्यान किस बात पर है और कहां है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने विभाग से संतुष्ट हैं या नहीं हैं या कुछ और चाहते हैं ? क्योंकि आपका ध्यान उसी में है। 34 प्रतिशत प्रगति। इसमें गांव वालों को एक और असुविधा हो रही है। नल-जल योजना के नाम से न तो हैण्ड पंप खोदे जा रहे हैं और न नल-जल योजना से पानी मिल रहा है। एक समय था कि आज से 40-50 साल पहले गांव के लोग और हमारी माताएं व बहनें नदियां जाती थीं। अब वही परंपरा फिर से शुरू हो रही है कि लोग नदी में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई गांवों में ऐसी स्थिति है कि रात को 3-4 बजे से लोग मटकी और जो भी बर्तन के सामान हैं, उनको लेकर हैण्ड पंप के सामने लाइन लगा रहे हैं। एक तरफ विकसित भारत वर्ष 2047 में सम्मिलित होने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार पानी पिलाने की स्थिति में भी नहीं है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की हो गई। यदि माननीय मंत्री जी मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप मुझे यह जरूर बताएं कि 1 साल तक ठेकेदारों का भुगतान क्यों नहीं हुआ है ? यह डबल इंजन की सरकार है। यदि 1 साल तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है तो नल-जल योजना का काम कैसे होगा ? दूसरी बात, अभी हमारे पूर्व वक्ता धर्मजीत भैया केवल और केवल कार्रवाई की बात बोल रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस विभाग में पेनाल्टी की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितने work में पेनाल्टी हुई ? विलंब होने पर वह सरपंच से लिखवाकर मात्र 1 कागज लगा देते हैं कि विवादित स्थल है। क्या उस विवादित स्थल के प्रमाण पत्र की सदन से जांच कराई जाएगी कि क्या वास्तव में वहां पर विवादित

स्थल था या उस ठेकेदार को संरक्षण देने के लिए वह कागज लगाया गया है? यदि यही रफ्तार रही तो नल-जल योजना छत्तीसगढ़ में एक कल्पना हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो आंकड़े पुस्तक में प्रकाशित किये गये हैं, उसमें जिस कार्य को पूर्ण बता दिया गया है कि इतने घरों में इतने नलों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। वास्तविक में कहीं पर ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां पर नल से पानी दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बात बोलना चाहता हूँ और जनता के हित में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल हैण्ड पंप खुदाई शुरू की जाये, तभी लोगों को पानी मिल सकता है। विभाग नयी मशीनें भी खरीदे। विभाग की मशीनों की हालत तो ऐसी है कि वर्तमान में जो मशीनें हैं, वह महीने में 2 बोर करने की स्थिति में भी नहीं हैं। 2 बोरिंग की खुदाई करने के लिए PHE के लोग इतनी सारी प्रक्रियाएं बताते हैं और उनको डिपॉटिट देने के लिए बोलते हैं। यह परिस्थिति है। माननीय सभापति महोदया, दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग जरूर करूंगा कि समूचे नल-जल योजना में।

सभापति महोदया :- आपको 5 मिनट से ऊपर हो गये हैं। आप जल्दी समाप्त करेंगे। देखिये, आपके दल के पास 52-57 मिनट का समय है और आपके काफी सदस्य बोल चुके हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदया, 5 मिनट में तो इसको कम्प्यूटर भी नहीं लेगा। (हंसी)

सभापति महोदया :- आप 10 मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी। माननीय सभापति महोदया, PWD की बात है। आजादी के पहले केवल दिल्ली और रायपुर जैसे शहरों में 400-500 फीट की चौड़ी सड़कें दिखती थीं। आजादी के बाद अब गांव में पक्की सड़क बनने की बात आई, लेकिन केवल और केवल। धर्मजीत भैया ने इस बात को कहा है। यदि आप सड़क को भी दलगत की राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो हम मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। दलगत की स्थिति सड़क में कैसे चल रही है कि हमारी सरकार में सड़कें स्वीकृत हुईं और उसकी राशि भी release हो गई, इस सरकार को राशि देने की भी जरूरत नहीं है। चूंकि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र का विधायक कांग्रेस का है, इसलिए क्या उस सड़क में केवल विधायक चलेगा ? हो सकता है कि मंत्री जी भी अपने रिश्तेदारों के पास या क्षेत्र के दौरे में जायेंगे तो उस सड़क में मंत्री जी भी चलेंगे। लेकिन दलगत भावना भारी पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 सड़क स्वीकृत है। इस सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए केवल एक लाईन का आदेश कर दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क, चाहे कोई भी सड़क हो, उसमें फिर से वित्त विभाग से स्वीकृति या अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है। यह केवल और केवल दलगत भावना के कारण हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदया, स्वयं भी कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं और जो पूर्व से स्वीकृत सड़कें हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. की स्थिति भी बताना चाहूंगा। पी.डब्ल्यू.डी. में केवल और केवल 41.95% राशि खर्च हुई है। जबकि सही वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से दिसम्बर तक 60 % राशि खर्च हो जानी चाहिए थी। हमारे इतने वरिष्ठ मंत्री जी, दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में परसूली से बनियाटोरा मार्ग, बेलर से मोहंदी मार्ग, अमेरा से बोईगांव मार्ग, डामनबोर से सूखी डबरी मार्ग, तेलीबांधी से पड़कीपाली मार्ग, कमरौद से चरौदा मार्ग, डूमरपाली से घुचापाली मार्ग, खोपली से सोनापोटी मार्ग, माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर सरकार अच्छी भावना से काम करना चाहती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं। यह बात सच है कि सत्ताधारी दल के धर्मजीत सिंह जी ने जिस बात कहा, वह सही है। मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया था। तो उनका एक ही शब्द था कि अगर विभाग से फाईल आयेगा तो मेरे पास नहीं रुकेगा। आखिर पी.डब्ल्यू.डी. फाईल को क्यों प्रस्तुत नहीं कर रही है ? यह केवल और केवल साजिश है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु राशि स्वीकृत कराया था। टेण्डर हो चुका है, टेण्डर खुल गया है, उसको भी रोका जा रहा है। उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की केवल इतनी ही गलती है कि उन लोग खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में जन्म लिए हैं। खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के तेन्दुकोना के महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनकी सिर्फ इतनी ही गलती है। नगरीय निकाय में पूरे डेढ़ साल में 15वां वित्त आयोग के अतिरिक्त कोई भी राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात बोलते हुए आपकी बात का आदर करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। अभी सदन में एक अच्छी बात आई है कि हम नगरों में रिंग रोड बनायेंगे, रिंग रोड बनेगा। लेकिन उसके अंदर के उद्देश्य से आपको आगाह करना चाहता हूं। क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ है। यह नगरवासियों के हित में बनेगा, उस जमीन में बटाकन होगा, माननीय मंत्री जी मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्राक्कलन बनने के पहले, स्वीकृति के पहले जो बात अभनपुर में हुआ है, वह नगरीय निकाय में होगा, इसका मुझे पूर्ण अंदेशा है। उसमें ऐसा कानून आना चाहिए कि बजट में सम्मिलित होने या स्वीकृति के पहले, स्वीकृति leak भी नहीं होना चाहिए कि वह सड़क कहां से गुजरेगा, डी.पी.आर. किनके हाथों में जायेगा। कुछ शक्तिशाली लोग अपने प्लॉट को फ्रंट में लाने के लिए रिंग रोड न बने, ऐसा करते हैं। वास्तव में जनता के हित में रिंग रोड बने, ऐसा कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मात्र दो मिनट। दिल्ली की डबल इंजन की सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र बागबाहरा में रिंग रोड निर्माण हेतु 2 सांसद खुद को लड्डू से तौलवा भी लिए, वह बजट में सम्मिलित भी हो गया। एक सांसद नहीं, डबल इंजन वाली सरकार के दल के सांसद ही लड्डू से तौलवा भी लिए, लेकिन वह केवल और केवल बजट में रह गया है। अगर इस योजना में

नगर में बाईपास रिंग रोड की स्वीकृति होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की सरकार में इसकी स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ की सरकार में स्वीकृति हो जाये। बागबहरा में रिंग रोड की आवश्यकता है। वहां आये दिन दुर्घटना हो रही है। नगरीय निकाय में एक और समस्या है। जैसे ही सरकार बनी तो यह लोग गरीब की आवास की बात बोल रहे हैं, गरीब के हित की बात बोल रहे हैं, लेकिन धरातल में जैसे ही सरकार बनी तो वे पी.डब्ल्यू.डी. की सीमा से दूर थे। सबसे पहले इनकी सरकार ने कोई काम किया है तो वह उस गरीब के पेट में जो व्यापार चल रहा है, उसमें बुडोजर चली, वह चाहे रायपुर की या चाहे बागबहरा की बात हो। वे गरीब की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास के संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि मटेरियल महंगा हो चुका है। गरीबों के घर की छत बन रही है, लेकिन गरीब कर्ज में जा रहे हैं। प्रत्येक हितग्राहियों को अतिरिक्त धनराशि बोनस के रूप में कम से कम 60,000 रुपये दिया जाये, उनको कर्ज मुक्त किया जाये, तभी उस छत के नीचे शांति से सो सकते हैं। यदि यह नहीं देंगे तो वे केवल और केवल कर्ज में छत भी उनके लिए महंगा पड़ेगा। उनको नींद भी नहीं आएगी। माननीय सभापति महोदय, मैंने जितनी भी बात बोला है, मैं अपने क्षेत्र के लिए जो भी मांग की है, उसके लिए मुझे विश्वास है कि मंत्री जी दलगत भावना को छोड़ कर प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में निर्णय लेंगे। क्योंकि यह धनराशि जनता की टैक्स की धनराशि है। इसलिए सारी जनताओं के हित में यह काम हो। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- सभापति महोदय, पांच मिनट में बोलना ही नहीं है। ऐसे ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मेरा आग्रह है। कहने वाले सदस्यों की काफी संख्या है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ को इतना कम समय कहेंगे तो थोड़ी बनेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मेरा बोलना कोई जरूरी नहीं है। पारित तो वैसे भी हो जाएगा। बिना बोले भी पारित हो जाएगा। मेरा यह कहना है कि इसमें महत्वपूर्ण विभाग हैं और इतने महत्वपूर्ण विभाग में हम समय-सीमा में चलेंगे तो यह संभव नहीं है। हम लोगों ने पहले भी विधान सभा में बोला है। हम लोग 12-01 बजे रात तक विधान सभा चलाते थे। आप यहां का रिकॉर्ड निकलवाकर देख लीजिये। हम सारे सदस्यों को बोलवाते थे। हमने 12-01 बजे रात तक विधान सभा चलावाया है। इसलिए घड़ी देखकर 5 मिनट बोलवायेंगे तो दिक्कत आएगी।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करेंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी, देखते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के द्वारा प्रस्तुत सभी विभागों की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हम जिस प्रकार से प्रदेश की विकास की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में रक्त को प्रवाहित करने के लिए जो धमनी का स्थान है, उसी प्रकार से प्रदेश के विकास में खास कर सड़कों योगदान है। उसको हम भूल नहीं सकते हैं। यदि आपकी अच्छी सड़कें होंगी तो आवागमन में सुविधा मिलेगी, यदि अच्छी सड़कें होंगी तो समय की बचत होगी, अच्छी सड़कें हैं तो गाड़ियों की टूट-फूट नहीं होगी और यदि अच्छी सड़कें हैं तो आप अबाध गति से वाहन चलाते हुए कम समय में दूरी को प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल वाहन स्वामियों के लिए ही नहीं है, बल्कि उससे व्यवसाय जगत भी जुड़ा हुआ है, उससे हमारे किसान भी जुड़े हुए हैं। उनके गांव में जो फसल का उत्पादन है, आपको उस उपज को मंडी में ले जाना है, समिति में ले जाना है, यदि आपकी सड़कें अच्छी हैं तो उसे काफी दूर ते ले जा सकते हैं। सभापति महोदय, आपकी माल ढुलाई की जो गाड़ी चलती है, हमारी जो ट्रकें चल रही है, उनकी डीजल की बचत होती है, समय की बचत होती है, सब्जी और बाकी उत्पादन खराब नहीं हो पाते हैं, समय पर ताजा फल प्राप्त हो जाते हैं और हम खाद्य पदार्थों को उनको उपलब्ध करा सकते हैं। सभापति महोदय, यह हमारी जो सड़कों का महत्व है, केवल सड़क के लिये नहीं है, बल्कि आम आदमी से जुड़ा हुआ सड़कों का जो महत्व है, मैंने इसीलिये कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सड़कों की है। सभापति महोदय, यदि मैं पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की सड़कों की बात करूँ तो आज की स्थिति में हमारी जो सड़कों की लंबाई है, वह 35,642 किलोमीटर है, जिसमें 3476 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, 4310 किलोमीटर राज्य मार्ग, 11,219 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग एवं 16,637 किलोमीटर अन्य जिला व ग्रामीण मार्ग है, यहां इसी प्रकार से पुल-पुलियों का स्थान है। सभापति महोदय, डॉ.रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में जाल बिछाना शुरू किया गया और हमारे पी.डब्ल्यू.डी द्वारा 15 साल में सड़कों को गांवों तक पहुंचाने का काम किया गया। सभापति महोदय, पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसके बाद सड़कों का कार्य बंद हो गया। सभापति महोदय, मैं नई सड़कों की बात नहीं करता हूँ, जो पुरानी सड़कें हैं, उसके पेंच रिपेयरिंग तक के लिये, इस सरकार के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण से सड़कें गड्ढों में तब्दील हुआ, हमारी जो सड़कों की स्थिति खराब हुई, उसके पहले छत्तीसगढ़ की सड़कों की पहचान पूरे भारत में हुआ करती थी, लेकिन 5 सालों में छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत बद् से बद्तर हो गई थी। सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैं न केवल नये सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, बल्कि हमारी जो पुरानी सड़कें हैं, उसके नवीनीकरण का कार्य, चौड़ीकरण का कार्य और उसके साथ में बरसात के बाद पेंच रिपेयर का काम जो होना चाहिये था, वह कार्य भी आरंभ हुआ और उसके लिये बजट में एक बड़ी राशि का प्रावधान हमारे

मंत्री जी के द्वारा किया गया। सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब बजट आवंटन किया तो 9000 करोड़ से अधिक राशि लोक निर्माण विभाग को दिया गया, 2000 करोड़ रुपये की राशि नई सड़कों के लिये दिया गया और इस प्रकार से लोक निर्माण विभाग में लगभग 1200 से अधिक सड़कों की लागत 8840 करोड़ रुपये अनुमानित है। सभापति महोदय, यह बजट में जो प्रावधान किये गये हैं और सड़कों को जो चिन्हांकित किया गया है और इसके साथ ही 522 नवीन कार्यों के लिये 2140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, मैं पूरे प्रदेश का बजट देख रहा था, हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में भी बजट प्रतिवेदन पढ़ते थे और बजट एलोकेशन देखते थे, वह एक जिला तक सीमित हो गया था। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री के जो जिले थे, चार महत्वपूर्ण मंत्री के जिले थे, इस तरह से वहां की सारी सड़कों का निर्माण हुआ और बाकी के जिले वंचित हो गये। सभापति महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री अरुण साव जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सुकमा से लेकर जशपुर तक सड़कों का जाल बिछाने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। यहां निश्चित रूप से अपेक्षाएँ जागी हैं। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की जनता की भी अपेक्षाएँ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी इच्छा है कि के क्षेत्र की सड़क बने, उनके क्षेत्र में पुल बने, उनके क्षेत्र में विश्राम गृह, कॉलेज का निर्माण, स्कूल के भवन का निर्माण हो, न्यायालय परिसर बने, उसके लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि जैसे आपको रायपुर से निकलकर बिलासपुर पहुंचना है तो सड़कों की स्थिति पहले से तो काफी सुधार गई है, लेकिन जब आप रायपुर से निकलते हैं और मेन रोड में जाते हैं तो आपको 30-35 मिनट का समय लगता है। आप जैसे ही बिलासपुर में प्रवेश करेंगे और नेहरू चौक तक जाएंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन बीच का जो रास्ता है, उसमें आपको केवल एक घंटा का समय लगेगा। उस तर्ज पर हमारे शहर के नजदीक में जो एप्रोच हैं, उसको फोरलेन में तब्दील किया जाये और फोरलेन बनाकर जो क्राउड है, जो हमारे ट्रैफिक हैं, उसको कैसे क्लीयर किया जाये, उसके लिए नई व्यवस्था की गई है। इसके साथ में रिंग रोड की बात आई है। आज भी अनेक शहर ऐसे हैं, जहां रिंग रोड की व्यवस्था नहीं है। आपको शहर से होकर गुजरना पड़ेगा और शहर से होकर गुजरेंगे तो आपका अधिकांश समय शहर पार करने में लगेगा। मैं समझता हूँ कि जहां-जहां रिंग रोड बनाए हैं और जब रिंग रोड बन जाएंगे तो आपका 30 प्रतिशत समय बचेगा होगी, आपके फ्यूल में बचत होगी और आपको एक बार पैसा लगेगा। रिंग रोड बनाने में आपको जो लाभ मिलने वाला है, उसके डीपीआर तैयार करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, पीडब्ल्यूडी में बोलने के लिए बहुत कुछ है, जितना बोलेंगे, वह कम है। मैं सारे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं एक बात उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) और अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जो सड़क बनाते हैं और सड़क बनाने के बाद में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में समस्या आ रही है कि हमारे प्रदेश के स्पंज आयरन मेन रोड में नहीं हैं, गांव में स्पंज आयरन खुल

गए हैं। हमारे पावर प्लांट खुले हैं, वह किसी भी गांव में खुल गए हैं। इसके साथ ही हम जो कोयला डम्पिंग करते हैं, वह कहीं भी खुल गए हैं। रेत का परिवहन करते हैं, यह सब 4 या 8 चक्के की गाड़ियां नहीं हैं, ये गाड़ियां 22 चक्के की हैं। यहां 18 चक्के, 22 चक्के की गाड़ियां चल रही हैं। यदि 22 चक्के की गाड़ी चल रही है तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि यदि हम उस सड़क को बनाएं तो उस सड़क का मापदण्ड क्या होना चाहिए, उस सड़क में कितने टन की गाड़ियां चलने लायक हैं? यदि नहीं तो हम इतना मेहनत और प्रयास करके उस सड़क को बनाएं और पता चलेगा कि 6-8 महीने के बाद में पूर्व स्थिति में सड़कें आ जाएंगी। ऐसे सड़क बनाने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम इस बात को कहेंगे कि हमारे गाड़ियों के टन की जो क्षमता है, उसके अनुरूप हमें सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा और उसके अनुरूप हम निर्माण करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए हमारी सड़कें बहुत अच्छी होंगी। हम एक बार सड़क बनाएं तो हम अपेक्षा करते हैं कि सड़कों को 5-7 सालों तक रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यहां पर ऐसी सड़कों का निर्माण होना चाहिए। खासकर बस्ती में जो सड़कों के हिस्से हैं, हमारी वह सड़क न उखड़े। उसके लिए आजकल सीसी रोड भी बनाते हैं, जिसमें पानी का ठहराव भी हो जाये तो हमारी सड़कें खराब न हों। इस मापदण्ड के साथ में सड़कों का निर्माण होना चाहिए। जिस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप से लोक निर्माण विभाग के लिए जो बजट प्रावधान किए गए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके लिए मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ।

माननीय सभापति जी, हम लोग जल मिशन के क्षेत्र में प्रतिदिन आवाज उठा रहे हैं कि यहां पर क्या स्थिति है और उस पर अनेक प्रश्नों में आपने जवाब भी दिया है। इसमें दो-तीन प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। एक तो हमारे जो 19656 गांव हैं, उन गांवों में हम पानी कैसे पहुंचाएं इसके अलावा हमारे जो 75000 मजरे-टोले हैं, जो कि हमारे गांव के सहयोगी आश्रित गांव हैं, ऐसे सभी जगहों पर हम पानी की उपलब्धता कैसे करें। जल जीवन मिशन बनने के पहले भी सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं रही हैं, उन योजनाओं को चिन्हांकित कर हम नए सिरे से कैसे लोगों के घर तक पानी पहुंचा सकें, उसके लिए भी आपने बजट में प्रावधान किया है, ताकि हमारे राज्य से जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ भी लोगों को मिले। इसी प्रकार से हमारी जो बसाहटें हैं, उन बसाहटों में पानी पहुंचाने के लिए हैंडपंप स्थापित करके उसके माध्यम से हम मजरा-टोला में पानी पहुंचा सकें, ये स्रोत भी आपने किया है, जिसके माध्यम से एक करोड़ ऐसे परिवारों को हम हैंडपंप के माध्यम से पानी पहुंचा सकें, यह भी आपके द्वारा प्रावधानित किया गया है और काफी समय से वह चल रहा है।

माननीय सभापति महोदया, आज हमारा वॉटर लेवल डाउन हो रहा है। इस बात को माननीय अजय चन्द्राकर जी के द्वारा प्रश्न के माध्यम से उठाया भी गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम 50 लाख परिवारों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र

मोदी जी के द्वारा एक नए मंत्रालय जल शक्ति मिशन का गठन किया गया और जल-जीवन मिशन गठित करने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के जो 50 लाख परिवार हैं, उन तक हम कैसे पानी पहुंचा सकें, उसके लिए राशि का आवंटन किया गया। राशि के आवंटन के समय जो पूर्ववर्ती सरकार रही, यदि उसने इस विषय को गंभीरता से लिया होता, तो मैं समझता कि आज आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से प्रश्न उठाया जा रहा है कि हमारा अधूरा क्यों है, पाईप लाईन बिछ गई है, टंकी बन गयी है, टॉटी लग गयी है लेकिन टॉटी लगने के बाद आज पानी क्यों नहीं निकल रहा है तो पानी नहीं निकलने का सबसे बड़ा जो कारण है, इसके लिए जो दोषी है, वह पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है क्योंकि उन्होंने पैसे का जो [xx] किया, उसके कारण इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की आम जनता भुगत रही है।

माननीय सभापति महोदया, अभी सरकार आने के बाद हमारे उप मुख्य मंत्री जी के द्वारा और पिछली सरकार के द्वारा जो प्रयास हुए, उससे लगभग 40 लाख घरों में पानी पहुंचाने का आपके प्रतिवेदन में बताया गया है। मेरे आज के प्रश्न में आपने जवाब दिया है कि अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण। कब तक पूर्ण होगा तो जबाब है 9 महीने में। यदि 9 महीने में पूर्ण होगा तो कितने प्रतिशत काम हो गया है, तो कहा गया कि 90 प्रतिशत काम हो गया है। यदि 90 प्रतिशत काम हो गया है, तो 9 महीने क्यों लगेंगे? यह अधिकारियों को तय करना चाहिए कि जब 90 प्रतिशत काम हो गया, तो 9 महीने की आवश्यकता क्यों है। हम वहाँ पहले पानी क्यों नहीं पहुंचा सकते? हमें पहले पानी पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें एक जो महत्वपूर्ण कारण आया है कि वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं लगा है। बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं लगा है ? या तो उनके द्वारा डिमांड नोट दिया नहीं गया है या तो आपने कनेक्शन नहीं मांगा है। यदि आपने कनेक्शन नहीं मांगा है तो आप डिमांड नोट दीजिये। वह आपको डिमांड नोट काटकर देंगे। उसके बाद आप पैसा पटाईये और गांव वालों को कनेक्शन दीजिये। आपका अधिकांश मामला इसी में रुका हुआ है। मैंने जनपद में बैठकर भी समीक्षा की थी तो उन्होंने बताया कि बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली विभाग तो कनेक्शन देने के लिये तैयार है लेकिन आप कनेक्शन लेने के लिये तैयार नहीं है। उसमें यह कहा जा रहा है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम पंप चालू नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों सरकारी विभाग है। यह कोई प्राइवेट विभाग तो नहीं है कि अलग से जाकर उनको एग्रीमेंट करना पड़े। आप उनको डिमांड नोट भेजिये और वह प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद आप उनका पैसा पटाईये, जिसके बाद आपको कनेक्शन मिलेगा और फिर आपका पंप चलना शुरू हो जायेगा, जिससे टंकी में पानी चढ़ेगा और जिससे लोगों को पानी मिल जायेगा। लेकिन उसके लिये आपको 9 महीने का समय चाहिए। आपको यह 9 महीने के समय की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा जल स्रोत सूख रहा है। हमको इस जल स्रोत के बारे में सोचना चाहिए कि हम आगे इसका उपचार कैसे करें ? हमको उसके उपचार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ 8 महीने तक पानी की सप्लाई होगी, उसके बाद जैसे ही गर्मी की स्थिति आयेगी, उस समय आपका पानी बंद हो

जायेगा। यदि पानी बंद हो गया, तो यह जो हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वह सब ठंडे बस्ते में चला जायेगा। उससे कुछ होने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम प्रत्येक परिवार के घर तक पाईप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराये। हम उस भावना को समझे और उसके अनुरूप काम करें तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह कार्य पूर्ण होगा। यह प्रधानमंत्री जी की महती योजना है। उससे खासकर हमारे ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा और इससे हमें जो पानी की समस्या आ रही है, वह समस्या भी समाप्त होगी। अब बहुत सारी जगहों पर खारा पानी है। पानी की गुणवत्ता है। आपने इसके लिए भी किट देने की योजना बनाई है। आपने उसके लिए जल बहन बनाने की योजना बनाई है। आप उनको किट देकर प्रशिक्षण देंगे, जिससे वह पानी की टेस्टिंग करें, जिससे पानी की गुणवत्ता बनी रहे। इसके लिये आपने जो व्यवस्था की है, मैं उसके लिए आपको निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूँ। हम अधिकांश देखते हैं कि जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उस दूषित पानी का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है। उसके कारण दुष्प्रभाव पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इसके लिये आप पूरे प्रदेश भर में 1 लाख जल बहन तैयार कर रहे हैं। वह जब तैयार हो जायेंगी, उसके आगे की प्रक्रिया इसमें नहीं दी गयी है। जैसे हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मितानिन बनायी है, इसी प्रकार से हम लोगों ने अलग-अलग क्षेत्रों में बनाया है। इसमें उसकी आगे क्या स्थिति बनेगी ? आप उनके लिये और कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि आप केवल उनको किट देकर छोड़ेंगे ? आने वाले समय में सबको इसकी जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से सबको इसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदया, इसी प्रकार से जो हमारे स्कूल हैं। शालाओं में पानी की व्यवस्था के लिए हैण्ड पंप, पाइपलाइन, रनिंग वाटर के माध्यम से 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये हैं। प्रदेश के 41,666 आंगनबाड़ी केंद्रों में रनिंग वाटर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारी जो आश्रम शालाएं हैं, उनके लिए समय-समय पर मांग आती रहती है। यह एक अच्छी व्यवस्था है कि जहां पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो या चाहे आश्रम शाला हो, उन सब के लिये पानी की व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो और उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। यह सरकार का एक अच्छा प्रयास है। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ । साथ ही हमारे जो समूह आधारित जल प्रदाय योजनाएं हैं, उसमें सतही पानी के स्रोत का उपयोग करके, पहुंचा सकें। यह जो लंबित हैं, हमको जितना जल्दी हो, इनको पूर्ण कराना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, यह लगभग-लगभग सभी विधान सभा क्षेत्र में है किसी एक स्रोत में 15 गांव हैं, किसी एक स्रोत में 24 गांव हैं और किसी एक स्रोत में 25 गांव हैं। प्रदेश की नदियों से सीधे जोड़ कर, हम उसे उन गांवों तक पहुंचा सकें। आज मैं यह देख रहा हूँ कि हमारी शिवनाथ नदी में

खासकर दो योजनाएं बनी हुई हैं। इसमें पूर्णता प्राप्त करने पर उन गांवों में गर्मी में पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। यह हमारी सरकार का एक अच्छा प्रयास है। हमको तब इस प्रयास में सफलता मिलेगी जब हम इस काम को समय पर पूरा करें। हम इस काम को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस विभाग की जो कमियां हैं, समय-समय पर हम लोग भी आपका ध्यान इस पर आकर्षित करते हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी देते हैं। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हम कैसे इस व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त करें। इस योजना की जो मूल भावना है कि इस प्रदेश के लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। हम उस काम को कितनी जल्दी कर सकते हैं। इसमें शीघ्रता के साथ काम करने की आवश्यकता है। जहां पर गड़बड़िया हो रही हैं, उन ठेकेदारों के ऊपर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि कहीं पर अधिकारियों ने मनमानी की है तो वहां पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसके साथ मैं हम व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करके, इन योजनाओं को लोगों के घरों तक पहुंचायें। निश्चित रूप से यह एक महती योजना है।

सभापति महोदया :- मेरा आपसे आग्रह है कि आप समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, हम इस योजना को नकार नहीं सकते हैं। इस योजना को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यह एक दिन की योजना नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के लिए है। मैं, आपसे इसके लिए आग्रह भी करूंगा और इसमें सुधार आने के बाद, आपने जो प्रसास किया है। आपने अभी इस बजट में उसके लिए राशि का उपबंध की है। मैं समझता हूँ कि उन राशियों के प्रावधान से यह सारे कार्य संभव होंगे। जहां पर अव्यवस्थाओं के शिकार हुए हैं, आप इन सारी चीजों को किनारे कर, आप इसकी समीक्षा करेंगे। हम प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लोगों के घरों तक यह पानी पहुंचा सकें। इसके लिए आपने जो प्रयास किया है, मैं, आपको उसके लिए बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदया, हमारे खासकर नगरीय निकाय हैं। मैं, माननीय मंत्री जी की इन नगरीय निकायों के बारे में एक लाइन में समीक्षा करना चाहता हूँ। सवा सालों में आपने जो इसमें काम किये। अभी इन सवा सालों के बाद जब आपकी परीक्षा की घड़ी आयी। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से नगरीय निकायों में काम हुए हैं, प्रदेश में लोगों को जो सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं, यहां जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान हुआ है। जो नगरीय निकाय का चुनाव हुआ उसमें हमारा जो परिणाम आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल ही कमल खिला है। यदि मैं एक लाइन में बोलूँ कि इन्हें कितना नंबर देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदया, ए अइसे ज्ञान बांटत हे कि छत्तीसगढ़ में एकर ले बढ़के कोई ज्ञानी नइ हे कहूं। लेकिन कोई गंभीरता से लेवत हे का। अगर आप ला गंभीरता से लेतिस ता आप ओति रहितेव। आप तो दोनों के बीच में बइठे हावव। सिर्फ 5 साल ज्ञान बांटना हे। एकख ले आप ला धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इन सवा सालों में आपके काम की जो समीक्षा है तो मैं 100 प्रतिशत नहीं, 102 प्रतिशत अंक की बात करूँ तो वह भी कम है। मैं, आपको इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) प्रधान मंत्री आवास योजना हमारी महत्वपूर्ण योजना है। इन आवासों को लेकर हमारी सरकार की गंभीरता दिखायी दे रही है। जिस प्रकार से यहां पर 2 लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत किये गये हैं। उसमें आपने 2 लाख 5 हजार 360 आवास को पूर्ण किया है। मैं, आपको इस Achievement के लिए बधाई देना चाहता हूँ। हमारी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी-2, द्वितीय चरण के लिए 42 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल में दर्ज की जा चुकी है। इसके लिए वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 15 हजार आवास की नई स्वीकृति मिली। सभापति महोदया, यह हमारे अत्यन्त खुशी का अवसर है। 19 जनवरी को आयोजित राज्य केबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के बाद मैं प्रधानमंत्री आवास के प्रथम चरण के 1 लाख 32 हजार कमजोर आय वर्ग की शासकीय परियोजनाओं हेतु राशि 3938 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में स्वीकृत अनुदान में 1950 करोड़ रुपये केन्द्रांश, 1450 करोड़ रुपये राज्यांश और उसके साथ मैं 538 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राज्यांश शामिल किया गया है। मैं इसको इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, चाहे मैं ग्रामीण आवास की या शहरी आवास की बात करूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो सोच रही है, उस सोच के साथ मैं प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। हमारे यहां जब हमारी 15 साल की सरकार थी, लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। लेकिन बीच में पूर्ववर्ती सरकार आने के बाद मैं उस सरकार की हालत ऐसी हो गई थी कि वह सरकार राज्यांश देने की स्थिति में नहीं थी। राज्यांश नहीं देने के कारण छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास बनना लगभग बंद हो गया था। गरीबों के सर के ऊपर मैं पक्के छत के निर्माण की जो आशाएँ जगी हुई थीं, पिछले 05 साल मैं उन गरीब लोगों को आवास नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मैं हमारी सरकार के द्वारा नये सिर से उन आवासों के लिये जो प्रयास हुए, केवल उतना ही नहीं है। मैं मंत्री जी को दो चीजों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मंत्री परिषद द्वारा बी.एल.सी. घटक अंतर्गत पूर्व स्वीकृत प्रति आवास लागत 3 लाख 21 हजार रुपये को बढ़ाकर 3 लाख 89 हजार प्रति आवास किया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसके लिए आपने प्रति आवास में 85 हजार रुपये 63 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 लाख 29 हजार रुपये प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कमजोर वर्ग के 1 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत प्रति आवास लागत राशि 4 लाख 75 हजार रुपये को बढ़ाकर 5 लाख 75 हजार रुपये किया है। राज्यांश की राशि 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति आवास में 12 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 2 लाख 80 हजार रुपये प्रति आवास देने का निर्णय लिया है, मैं इसके लिए मंत्री जी को, सरकार को बहुत-बहुत

बधाई देना चाहता हूँ। 27 हजार कमजोर वर्ग के आय वालों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए वर्ष 2025-26 में 8750 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सभापति महोदया, आपकी विवशता है कि जल्दी समाप्त करें।

सभापति महोदया :- आपके भाषण देते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदया, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, अपने-अपने विषय रखेंगे इसलिए मैं सारे विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नगरीय निकायों में काम हो रहे हैं, चाहें वहां पर ड्रेनेज, पानी की व्यवस्था हो, उसमें बहुत सारी योजनाएँ हैं। हम नये सिरे से शहर को कैसे सुंदर बना सकते हैं, हम पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, जल के स्रोत कैसे बना सकते हैं, इसके साथ ही साथ मैं हमारी बुनियादी अधोसंरचना का हम यहां पर किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, यह तमाम सब बातों को इस बजट के माध्यम से कुछ का क्रियान्वयन करने का, कुछ का डी.पी.आर. बनाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ-साथ हमारे स्ट्रीट वेंडर शहरों में काम करते हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडरों के लिए पथ विक्रेताओं के कल्याण हेतु 31956 आवेदनों पर 55 करोड़ रुपये का ऋण बैंको द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया है।

समय :

3.55 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, अलग-अलग समूह बनाकर महिलाओं को व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ई-बस सेवा कि प्रदूषण को हम कैसे दूर करें ? ई-बस सेवा के लिये बजट में जो प्रावधान किये गये, 240 ई-बस की स्वीकृति की गयी और इसी प्रकार से हमारे अधोसंरचना मद में नवीन स्वीकृति, पुरानी स्वीकृति और आने वाले समय के लिये एक अच्छी व्यवस्था की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक बात के लिये और बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इस अवसर पर हम जिस राज्य के विकास की चर्चा करते हैं, यहां की गाथा की बात करते हैं, यदि अटल जी छत्तीसगढ़ नहीं बनाते तो शायद यह चर्चा करने के लिये इस विधानसभा में हम उपस्थित नहीं रहते और इसलिये ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी के हम चिरस्थायी बनाने के लिये हमारे जो 186 नगरीय निकाय हैं उसमें अटल परिसर निर्माण के लिये माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो प्रावधान किया है और जो अटल परिसर बनाया जा रहा है, मैं इसके लिये बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) जो राज्य का निर्माण करे, जो राज्य को पोषित करे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी बाजपेयी जी ने आज निश्चित रूप से चूंकि जब हम छत्तीसगढ़ की चर्चा

करते हैं, जब भी छत्तीसगढ़ की चर्चा होगी तो उसमें यहां के विकास गाथा की बात आयेगी, यहां के इतिहास की बात आयेगी तो अटल जी के बिना वह अधूरा रहेगा और ऐसे अटल जी के नाम पर जो अटल परिसर बनाने का निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से इसके लिये बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, एक मिनट। आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रख चुके हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, जो बात आयी है, मैं उसी में बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- देखिये, समय की भी मर्यादा है। अभी बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा। आपने माननीय अटल जी के लिये सरकार जो करने जा रही है या किया उसके लिये धन्यवाद दिया, अच्छी बात है लेकिन जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से आज हम इस सदन में हैं उनके नाम पर भी यह सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी किसने बनायी? आपको मालूम है?

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, इनको 5 साल मौका मिला था, केवल नाम परिवर्तन करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। यह निर्माण कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी करती है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- केवल 5 साल में सब-कुछ नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, नाम परिवर्तन करने का रिवाज आपके में है। (व्यवधान) अभी भूमिहीन किसान योजना का नाम परिवर्तन आपने किया है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी किसने बनायी है? भारतीय जनता पार्टी ने बनायी है।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, 35 मिनट हो गये हैं। कृपया समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम जितने स्वतंत्रता संग्राम सैनानी हैं उनके नाम से कुछ न कुछ जो नहीं बने हैं, चूंकि इन लोगों ने तो 50 साल में और 60 साल में केवल एक ही काम किया है, वह है केवल एक परिवार का स्टेच्यू लगाने का और उसके अलावा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है उन सबको आप भूल गये। आपने किसी और को देखा है? केवल एक परिवार

और आपके सामने तो केवल एक ही परिवार है जिनका आप गुणगान कर सकते हैं लेकिन आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी लोगों को भूल गये । आज भारतीय जनता पार्टी उन सबको याद कर रही है और याद करके उनके नाम से कुछ न कुछ बना रहे हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को कभी मुर्दाबाद नहीं बोले । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप बैठिए । (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धरमलाल कौशिक जी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिये जिन्होंने अपना महती योगदान दिया, खूबचंद बघेल जी का जिनके नाम से स्वास्थ्य योजनाएं चल रही थीं उसको बदलने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों ? आप एक ही परिवार की बात करते हैं । (व्यवधान) माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया इसके लिये धन्यवाद देते हैं लेकिन जिन्होंने अलग राज्य के लिये छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ी, उनके लिये नाम का परिवर्तन क्यों ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह लोग केवल पट्टिका लगाना जानते हैं । कांग्रेस वाले पट्टिका लगाने के अलावा दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते हैं । अपने नाम की पट्टिका कैसे लगा सकें ? निर्माण कार्य नहीं करा सकते, हम लोगों ने जो बनाया है उसमें एक बढ़िया पट्टिका लगाकर के आ जायेगा कि देखो इसको हमने बनाया है । मैं आपको बिलासपुर के अनेक उदाहरण दे सकता हूं, मैं रायपुर का उदाहरण दे सकता हूं, नया रायपुर का उदाहरण दे सकता हूं । इन लोग केवल नाम बदलने का काम करने वाले हैं, अवसर आता है तो उनके लिये कुछ नहीं करने वाले हैं लेकिन जब सरकार में नहीं रहते तो इस बात की दुहाई देते हैं कि हम उनके हितैषी हैं । आप उनके हितैषी होते तो यह बात आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यहां पर अनुदान की मांगों पर..।

समय :

4.00 बजे

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी।

सभापति महोदय :- संगीता जी, प्लीज, समाप्त कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नाम बदलने की बात किये। इंदिरा आवास को किसने चेंज किया? इंदिरा आवास तो हमारा था। उसका नाम कौन परिवर्तन किया?

श्री रामकुमार यादव :- स्वामी आत्मानंद स्कूल को किसने चेंज किया?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभी नाम में बदलाव करने का काम इन लोगों का है। सभी योजना का नाम बदलकर आपने यूज किया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, संगीता जी को नाम गिनाता हूं।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है।

श्री सुशांत शुक्ला :- दीनदयाल जी स्वालंबन योजना को राजीव गांधी योजना किसने किया? दीनदयाल उपाध्याय सर्वसमाज मांगलिक भवन का नाम किसने चेंज किया? दीनदयाल उपाध्याय एल.ई.डी. पथ प्रकाश योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी एल.ई.डी. पथ प्रकार योजना के नाम पर किसने किया? पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केन्द्र का नाम राजीव गांधी आजीविका केन्द्र योजना किसने किया? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- स्वास्थ्य विभाग में नाम परिवर्तन किसने किया? आपने किया?

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिए। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- यहां पर मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल अंदर लाना मना है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, सदस्य मोबाइल का यूज कर रहे हैं। (व्यवधान) ये मोबाइल को देखकर बोल रहे हैं और नियम को तोड़ रहे हैं। (व्यवधान) मोबाइल अंदर लाना मना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है, अनुदान मांगों पर चर्चा है। महत्वपूर्ण मांग है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- नाम को बदलने का काम आपने किया। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मोबाइल देखकर बोलथे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोबाइल को देखकर बोल रहे हैं। क्या यही सरकार है? (व्यवधान) ऐसा परमिशन हमें भी दिया जाए। हम भी अपने क्षेत्र की बात मोबाइल देखकर करेंगे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, ये मोबाइल देखकर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं। अनुदान मांगों पर चर्चा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्या यही सरकार है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन छत्तीसगढ़ ला नीचे ला देहौ। छत्तीसगढ़ ला डेढ़ साल मा नीचे ला देहौ। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय जी, क्या इस तरीके से मोबाइल का सभा के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है? आपके समक्ष यह बात रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बताइए तो हम सभी मोबाइल देखकर अपने क्षेत्र की समस्या को आपके पास रखेंगे। सभापति महोदय जी, हमारे पास बहुत समस्या है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मैं तो कम पढ़े-लिखे हूँ, ओ महाज्ञानी हा मोबाइल चलाथे। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। आपने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना था या नहीं ? उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वह बजट भाषण था। बजट भाषण में आप चलाइए। आप विधान सभा में नहीं चला सकते। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमें आपका संरक्षण चाहिए। आप हमें भी परमिशन दिलवाइए, हम भी मोबाइल यूज करेंगे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह बजट भाषण था। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो मोबाइल लाता ही नहीं हूँ। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप सदन में मोबाइल नहीं चला सकते। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ये सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार से कुछ भी करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हमें भी परमिशन दिलवाइए, हम भी मोबाइल यूज करेंगे। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या इस सभा में मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है? हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप ही लोग बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप इसमें व्यवस्था दीजिए। इसमें व्यवस्था की बात है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमें आपका संरक्षण चाहिए। आप बताइए कि हम मोबाइल यूज कर सकते हैं क्या?

श्री रामकुमार यादव :- ये हमरा महाज्ञानी बताही। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप सीनियर हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस देश के भी और दुनिया के बहुत बड़े नेताओं में एक थे। कम से कम इतनी मर्यादा रखिए कि उनके नाम में कोई चीज हो रहा है तो उसमें दिक्कत मत पैदा हो। उनका सम्मान करिए।

श्री रामकुमार यादव :- मोबाइल चलाना है तो हमो मन चलाबो। हमें व्यवस्था चाहिए। आप व्यवस्था बताइए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमें व्यवस्था चाहिए कि हम मोबाइल यूज कर सकते हैं क्या? (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- क्या इस तरह से मोबाइल का यूज किया जा सकता है क्या? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप व्यवस्था बताइए। ये महाजानी हैं। जब देखो तब खड़ा हो जाये। सत्ता पक्ष के विधायक जी हा। आप व्यवस्था बताइए। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बोलना नहीं चाहता। एक बड़े नेता की मां के नाम से बिलासपुर में चौक बना दिया गया है, जिनका सार्वजनिक जीवन में कहीं रोल नहीं है। जो भी होगी, हमारी मां समान है, हमने स्वीकार कर लिया। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमें गुमराह कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं क्या गुमराह कर रहा हूँ। (हंसी)

सभापति महोदय :- देवेन्द्र जी, बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, हम सबसे पहले व्यवस्था मांग रहे हैं कि क्या हम सदन में मोबाइल यूज कर सकते हैं क्या ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय जी, एक मिनट बोलने दीजिए। हमें बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिलासपुर में बड़ा-बड़ा बैनर पोस्टर दिखा दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओती खड़ा होथे, हमन ला बइठ, बइठ कहिथे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमें व्यवस्था चाहिए। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारे साथीगण पूछ रहे हैं कि क्या फोन का ऐसा इस्तेमाल हो सकता है? इस पर व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ नहीं हुआ है। नाम की पट्टी भर लगी है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, आपके मया-दया विपक्ष के तरफ होना चाहिए । ओती देखो तो ओमन खड़ेच हे, खड़ेच हे । ओमन सत्ता पक्ष हे, पावरफुल व्यक्ति हे, हमन ले जादा मया करना चाहिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, मैं तो आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करता । मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ ।

सभापति महोदय :- सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं, रामकुमार जी । हमने तो कभी रोका नहीं । देखिए, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है ये मोबाइल का इस्तेमाल अमूमन सदन में नहीं किया

जाता । बजट पढ़ने का विषय जरूर था लेकिन इस तरह से किसी भी रूप से हम सब लोगों को सभा में मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है । सभी सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके द्वारा मोबाइल का उपयोग किया गया हो तो भविष्य में ऐसा न करें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद सभापति महोदय ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि नाम बदलने की राजनीति की शुरुआत किसने की ? आज मेरे साथी ब्यास जी बोल रहे थे कि फलाना नाम बदल बदया गया । (व्यवधान) जैसे को तैसा ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, इसका निराकरण हो गया । सुशांत जी आप बैठिये ।

श्री रामकुमार यादव :- इंदिरा आवास ला प्रधानमंत्री आवास कर दे हौ, आत्मानंद स्कूल ला पीएमश्री कर दे हौ, (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, मैंने बता दिया, सदन को इस बारे में अवगत करा दिया है, प्लीज बैठिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद सभापति जी, आपने व्यवस्था दी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिल्ली में मोदी जी ने औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, आपको तकलीफ है क्या ? औरंगजेब का नाम बदले हैं, आपको तकलीफ है क्या ? तुगलक रोड का नाम बदल दिया आपको तकलीफ है क्या ? अरे, औरंगजेब और तुगलक से बाहर निकालो भइया, आप लोग औरंगजेब में भी अभी तक फंसे हुए हो, कहां भला होने वाला है ।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी कृपया समाप्त करें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, विधि-विधायी विभाग, समाज की अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको त्वरित न्याय मिल सके और सरकार की यह मूल भावना है कि जिसके पास अर्थ का अभाव है, केवल उसके कारण उसको न्याय न मिले ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है और इसके माध्यम से उनके लिए वकील नियुक्त किए जाते हैं और उन वकीलों के द्वारा उनका पक्ष रखा जाता है । बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसके पास पैसे नहीं तो वे कहां जाएं ? लेकिन आज मूल भावना यह है कि हम उनको वकील उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके । इसके साथ में बदलते हुए परिवेश में जिस प्रकार से अभी उनको आधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से महाधिवक्ता कार्यालय, न्यायलयों और बाकी जगहों को हम कैसे सुसज्जित कर सकें, जिससे उनको अतिरिक्त संसाधन मिल सके, इसके लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है । हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, हाई कोर्ट के निर्णय, जर्नल्स उनको सहजता से उपलब्ध हो सकें । इन सारी बातों को लेकर छत्तीसगढ़ में आम लोगों तक सस्ता और सहजता के साथ में न्याय उपलब्ध हो सके इसके लिए समय-समय पर मदद करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है । उप

मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट में 1000 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनाए जाने की व्यवस्था की है, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। हमने मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में बनाया है, बाकी लोग भी समय-समय पर उसका उपयोग करते रहते हैं। सामाजिक गतिविधियां, शासकीय/अशासकीय कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी क्या सुधार हो सकते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास किया गया है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सारी अनुदान मांगों पर समर्थन करते हुए उसको सर्वसम्मति से, आप लोगों को बोल रहा हूं (प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए) मैं देख रहा था पुस्तक में आप लोगों के भी हिस्से में कुछ न कुछ आया है। ऐसा मत बोलना कि केवल इधर के लोगों को मिला है। आपके हिस्से में भी कुछ न कुछ आया है इसलिए इन अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित करें, ये सिफारिश करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे मंत्री जी बहुत ही वरिष्ठ हैं। चंद्राकर साहब, मैं दो लाईन कहना चाह रहा हूं :-

तुम्हारे फाईलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
सड़क, बिजली, पानी की समस्या से जूझ रहा है सारा गांव,
तुम्हारा सभी वादा हवाबाजी है, [xx] है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- लहरिया जी, ज्यादा कविता मत बोलिए, उसमें भूपेश बघेल जी को आपत्ति रहती है। भूपेश बघेल जी ने बजट के बारे में क्या कहा, यह कवि सम्मलेन है या बजट है। आप नेता की आपत्ति के बाद भी कविता पढ़ रहे हो। भूपेश बघेल जी को कविता पढ़ना पसंद नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं इसीलिए कविता में आ गया हूं क्योंकि मैं आपको गाना होली में सुनाऊंगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वहां कवि सम्मलेन हुआ है। इधर कविता कह रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग कवि सम्मेलन की शुरुआत करोगे तो हम लोग भी कवि सम्मेलन चलायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- जय सतनाम।

श्री देवेन्द्र यादव :- जय सतनाम। मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों ने उस दिन बजट पेश करके कवि सम्मेलन की शुरु कर दी है, हम लोग भी कविता कह रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- वे पिछली बार बोल नहीं पाए थे। पिछली बार आप लोगों ने प्रियंका वाड़ा जी के लिए सड़क गुलाबी कर दिए थे, वे उसको बोल रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री जी सांसद रहे चुके हैं, वर्तमान में प्रभारी मंत्री भी हैं। सभी गंवई, गांवों के बारे में जानते हैं। आज गांवों में सबसे विशेष विकराल समस्या पानी की है, अभी पूरी गर्मी नहीं आई है, गर्मी की शुरुआत हुई है और पूरा गांव अभी से जल के संकट से जूझ रहा है। हैंडपंप सूख गया है, कहीं-कहीं पर हैंडपंप की मशीन खराब है, कहीं पर पूरी मशीन बंद है। आपकी तरफ से इस बजट में मस्तूरी क्षेत्र के लिए कोई विशेष पहल नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 400-500 हैंडपंप दें। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, गांव-गांव में जाते हैं तो वहां से मांग आती है कि हमें हैंडपंप दीजिए, बोर खनन कर दीजिए। आपके इस बजट में इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जल जीवन मिशन एक [xx] है, हम गांव में कहीं भी जा रहे हैं तो टंकी बड़ा सुंदर दिख रहा है, उस गांव की शोभा बढ़ा रही है लेकिन उसमें पानी नहीं है, खाली खड़ा कर दिया गया है, टंकी बना दी गई है, पाईपलाइन भी बिछा दी गई है। जैसे पूर्व में माननीय सदस्यों ने कहा कि जल का स्तर कहां तक है, जल आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह जांचा नहीं गया और टंकी खड़ी कर दी गई। इसमें पैसों का दुरुपयोग किया गया, ठेकेदारों ने आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया है। जिस गंवई गांव का सपना हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने देखा था, आज वह भयावह संकट से जूझ रहा है। सपना गंवई गांव का था, आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। पहले अंडा आया या मुर्गी वाली कहावत हो गई है। आप लोगों ने जल की समस्या का समाधान किए बगैर ही टंकी खड़ी कर दी, पाईपलाइन बिछा दी, जल का कहीं अता पता नहीं है। आप लोगों ने टंकी तैयार की है, उसमें गांव के बच्चे खोज रहे हैं कि इसमें पानी कब आएगा ? मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिवनाथ नदी और हमारे क्षेत्र की लीलागर नदी में बहुत संभावनाएं हैं। वहां पर किसानों के हित में, पेयजल के हित में और किसानों के हित में नदी में व्यवस्था की जाये। हमारे बिलासपुर जिले में हमारी शिवनाथ व लीलागर नदी में पानी का लगातार बहाव भी है। इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। वहां पर बिजली की व्यवस्था हो और 25-30 गांवों में अलग-अलग पाइप लाइन बिछाई जाएं। जिससे वह किसानों में भी काम आए और पेयजल संबंधी समस्या भी हल हो। माननीय सभापति महोदय जी, बिलासपुर जिले की बैठक में अहिरन नदी की बात हुई। उस बैठक में हमारे सभी माननीय विधायक भी थे। लेकिन अभी तक इसका अता-पता नहीं है कि अहिरन नदी का पानी न खूंटाघाट बांध में है, न बिलासपुर जिले के शहर वालों को मिल रहा है और न ही हमारे मस्तूरी क्षेत्र में खूंटाघाट बांध से जो बारह माह पानी देना था, वह भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे द्वारा मांग की जाती है कि पानी छोड़ा जाए, लेकिन अभी खूंटाघाट बांध से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसलिए अभी से ही हमारे किसान भाई और आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- लहरिया जी, यह जल संसाधन विभाग नहीं है। यह पानी पीने वाला विभाग है।

श्री दिलीप लहरिया :- यह एक ही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह एक नहीं है। दूसरा, आप जो बार-बार अहिरन-अहिरन कह रहे हैं न, तो मैं वहीं पर थोड़ा आगे बैठता था। जब आप लोग बैठे थे तो उस सरकार में मैंने इस बात को 100 बार कहा था कि अहिरन नदी से न पानी आएगा और न किसी को पीने के लिए पानी मिलेगा।

श्री दिलीप लहरिया :- आप लोग अभी बिलासपुर में वाहवाही लूट रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कहां लूट रहे थे?

श्री दिलीप लहरिया :- कलेक्टोरेट की बैठक में लूट रहे थे। अहिरन नदी जुड़ रही है तो अब खूंटघाट में बारह महीने पानी आएगा और बिलासपुर शहर को पानी मिलेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो जुड़ जाएगी। लेकिन आप लोगों के जमाने में एक इंच भी काम चालू नहीं हुआ था।

श्री सुशांत शुक्ला :- धर्मजीत भैया, दो मिनट। दिलीप भैया, आप कौन सी बैठक की बात कर रहे हैं? हमें ध्यान नहीं है, लेकिन उस बैठक में यह बात जरूर उठी कि आपके कार्यकाल में अहिरन नाले का स्वरूप अमृत मिशन के साथ जोड़कर डी.पी.आर. की बर्बादी की गई, तब तो आप वहां पर चुप थे। आज आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री दिलीप लहरिया :- ठीक है। डेढ़ साल हो गये, अब तो आप कर दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- डेढ़ साल क्या होता है? भ्रष्टाचार की ईमारत की जो नींव आपने रखी, आज आप हमको उसको सुधारने की बात करते हैं। यह कहां की बात हुई?

श्री दिलीप लहरिया :- सुधारना नहीं है। ठीक है, वह 2 साल का प्रोजेक्ट था। अब तो आपकी सरकार को डेढ़ साल हो गये हैं। वह शहर वालों के लिए था और आपके लिए ही था।

सभापति महोदय :- चलिये। दिलीप जी, आप बजट अनुदान पर आइये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं बजट अनुदान के संबंध में यह कहना चाहूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- लहरिया जी, आप बजट अनुदान में कौन सी मांग संख्या के समर्थन में हैं?

श्री दिलीप लहरिया :- मैं सभी मांग संख्या के विरोध में हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- कौन-कौन सी मांग संख्या? आप एकाध को तो बताइये।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बताऊंगा। आप सुनिये तो सही।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह बताइये कि कौन सी मांग संख्या के समर्थन या विरोध में हैं?

श्री दिलीप लहरिया :- हम सभी मांग संख्या के विरोध में इसलिए हैं कि हमारे मस्तूरी क्षेत्र के लिए एक भी।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप उनको बोलने दीजिए। आप बैठिये। दिलीप जी बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, वह तो मांग संख्या का नंबर ही नहीं बता रहे हैं। उनको कुछ तो बताना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, उनको बहुत सारे काम होंगे, इसलिए वह सभी मांग संख्या पर बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, वह बोल रहे हैं। दिलीप जी, आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या को तो यहां पर सब पढ़ रहे हैं। आप यह बताइये कि मांग संख्या में क्या रखा है? चाहे वह 20 हो या 22 हो या 24 हो या 29 हो या जो भी हो, लेकिन क्या इसमें कोई व्यवस्था है? आपने मांग संख्या को दर्शा दिया है। हमारे मस्तूरी में भरारी जलाशय है। पानी के बहाव से वह लगातार टूट जाता है और खराब हो रहा है। जहां किसानों को पानी मिलना चाहिए, वहां उनको पानी न मिलकर वह खराब हो जाता है और उल्टा इससे किसानों को नुकसान होता है। हमारे क्षेत्र में PHE विभाग में लगातार पानी की समस्या है।

श्री अजय चंद्राकर :- लहरिया जी, कागज बहुत सारे हैं तो क्या मैं आपकी मदद के लिए आऊं?

श्री दिलीप लहरिया :- आप शांत रहिये। आप सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह अच्छी बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप दूसरा को दूसरा पढ़ देंगे। मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाता हूं।

श्री दिलीप लहरिया :- हां, मैं पढ़ूंगा-पढ़ूंगा। मैं दूसरा भी पढ़ूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या मैं आपकी मदद करने के लिए आऊं?

सभापति महोदय :- अजय जी, आप बैठिये। उनको बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं उनकी मदद करने के लिए चला जाता हूं। मैं उनको टोक नहीं रहा हूं। उन्होंने बहुत सारे कागज रख लिये हैं, उनको मालूम नहीं है कि कौन सी मांग संख्या का कौन सा कागज है।

श्री दिलीप लहरिया :-

"पुरानी यादों में उलझे हैं तुम्हारे दिन और रात,

घड़ी देखकर भूल जाते हैं आप लोग हर मुलाकात।"

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल तोला पार्टी से निकालही।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- सभापति महोदय, रहा सवाल पी.एच.ई. का।

श्री अजय चन्द्राकर :- रुक जा, मैं तोर काम के बात बतात हव। मस्तूरी क्षेत्र के कुछकाही मांग ले। मंत्री जी उदार ए, तोर क्षेत्र के सांसद रहिस ए। कहां तै नेतागिरी के लफड़ाबाजी मा फंसे हस।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- मांग रहा हूं, लेकिन मिलता नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये लफड़ाबाजी मा मत फंस, कुछ मांग ले।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- सभापति महोदय, आप थोड़ा शांत रहिये। मैं उसमें आ रहा हूँ।

सभापति महोदय :- अजय जी, बैठिये, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओ हा सांसद रहिस हे, दे देही, उदार मन के ए। तै नेता गिरी के लफड़ा मा मत फंस।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- सभापति महोदय, सड़क की मांग मैं आ रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- देख तै ज्यादा ए तरफ ओ तरफ बोलत हस।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप दोनों वरिष्ठ सदस्य लोग हैं। आप उनको बोलने दीजिये। लहरिया जी को बोलने दीजिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग गिलोहरने का काम करते हो और कुछ नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप उनको मत टोकिये, बोलने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गिलोहरना बंद कीजिये, ओला बोलन देव।

श्री धर्मजीत सिंह :- "कटनी का चूना है, सोच-समझकर छूना है" तोर ये गाना फेमस है। देखे रहिबे कटनी के चूना ए, सोच-समझकर छूना।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- सभापति महोदय, वह तब पता चलेगा। आपको मेरे गाने का बोल आपको चुभ रहा है, वह हमारे मंत्री जी को नहीं चुभ रहा है, ऐसा है।

माननीय सभापति महोदय जी, ठीक है मैं P.W.D. में आ रहा हूँ। प्रदेश के पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था दयनीय है। आप उसकी व्यवस्था करिये। नदियों में व्यवस्था दीजिये। हर जनप्रतिनिधियों को 4-5 सौ हैण्ड पम्प खुदवाने का आदेश हो ताकि हैण्ड पम्प का खनन हो और बोर ना सूखे। स्कूलों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, सड़क की बात है तो सड़क की बात ऐसा है कि जब गड़दा है और गाड़ी 10-20 कि.मी. की गति से दौड़ रहा है तो यह कैसी गति है ? आप लोग ज्ञान और गति की बात कर रहे हैं तो यह कैसी गति है ? हमारे क्षेत्र की एक सड़क है, जिसके लिए लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हुआ था उस एरिये का नाम सोनसरी से सोन बसंतपुर-मुकुंदपुर है। लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हुआ था।

श्री अजय चन्द्राकर :- लहरिया जी, आखिरी बात, सुन।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- आपके अधिकारी द्वारा उसका प्राक्कलन नहीं दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय लहरिया जी, सुन।

श्री रामकुमार यादव :- लहरिया जी भड़क गया।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, आप इधर देखकर अपनी बात बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उनको बोलने दीजिये, यह गंभीर विषय है।

सभापति महोदय :- अजय जी, उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर सो हाथ जोड़ के विनती ए तै एखर मन के चक्कर मा, लफड़ाबाजी मा मत फंस। चुपचाप तोर इलाका के कुछ मांग ले अउ बैठ जा। समझ जा। ओ हा तोर सांसद रहिस ए, उदार आदमी ए। तै कविता-वविता पढ़बे तो पार्टी से निकल जबे।

सभापति महोदय :- लहरिया जी 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- सभापति महोदय, चन्द्राकर जी जितना समय लिए हैं, मैं उतना समय नहीं ले रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आप उधर ध्यान मत दीजिये, आप अपनी बात करिये।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्राक्कलन बनाने में क्यों देरी होती है ? आप हमारे क्षेत्र में वर्ष 2024-25 वाला 2-3 सड़क दे रहे हैं। ठीक है, आप हमें 2-3 सड़क ही दीजिये, लेकिन अभी तक उस सड़क की स्वीकृति नहीं मिली है। यह हमारे क्षेत्र की गंभीर समस्या है। वर्षों से मल्हार मेन गेट से मन्दिर तक सड़क चौड़ीकरण की मांग है। आप मां डिण्डेश्वरी का दर्शन करने के लिए मल्हार गए भी हैं, उस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, यह मैं आपके सामने मांग ही रख देता हूँ। मस्तूरी मुख्यालय में कोई भी नेता, अभिनेता जा रहे हैं, लेकिन आज तक मस्तूरी मुख्यालय में रेस्ट हाऊस नहीं है। यह चिंता का विषय है या नहीं है ? यदि आप ही जायेंगे तो मैं कहां चाय पिलाऊंगा ? आप ही बताइये। आप होटल में चाय पीयेंगे क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- ए भईया, चन्द्राकर जी हा मस्तूरी जाही तो ओला ले के खेत मा जाय बर लागही।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- तोर बाई चाय बनाही अउ तै पिलाबे।

श्री दिलीप मस्तूरिया :- सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है। अन्य विधान सभा क्षेत्र में 2-3 रेस्ट हाऊस है। हमारे मल्हार में है, पचपेड़ी में है, लेकिन मस्तूरी मुख्यालय में अभी तक रेस्ट हाऊस नहीं है। आपके अनुदान मांग में इसके लिए उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै हा रेस्ट हाऊस ला का करबे ?

श्री दिलीप लहरिया :- आप बार-बार खड़ा मत होईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं हर मंत्री ला चाह पिला देहे, ओ हर चल दिस, फिर बाकी दिन तैं हर का करबे? तैं हर ऊहा ला दुघरा बनाबे का?

श्री दिलीप लहरिया :- नहीं, आप भी वहां लगातार आयेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी के जाय के बाद तैं हर रेस्ट हाऊस मा दुधरा बनाबे का?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक और मांग है कि मल्हार से बिनौरी तक के रोड में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी तक कम से 25-40 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। वहां फैक्ट्रियों से लगातार 12 चक्के, 18 चक्के की गाड़ियां दौड़ रही हैं। मल्हार से बिनौरी के बीच में पकरिया मोड़ एक जगह है, उस जगह को ऐसा बनाया गया है कि वह बहुत खतरनाक मोड़ है। मैं उस मोड़ को आपसे सीधा करवाने का निवेदन कर रहा हूं ताकि वहां लगातार ऐसी दुर्घटनाएं घटित न हो। मेरा एक और निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मल्हार-चिल्हाटी मार्ग है, जिसमें धनगवा, ओखर, बहतारा, भड़चौरा, चिल्हाटी तक का मार्ग बहुत ही जर्जर है। उन मार्गों की चौड़ीकरण के लिए बजट में भी आ चुका है। साथ ही साथ मैं आपसे बिनौरी से जुनवानी-नेवारी तक पहुंच मार्ग के लिए मांग रख रहा हूं। मैं आपसे एक और बकरखुदा-मटिया मार्ग से सरसेनी तक मार्ग के लिए निवेदन कर रहा हूं। एक और पचपेड़ी से केवतरा, भरारी, लोहर्षि, चिल्हाटी तक का रोड है। कुल मिलाकर मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में रोड का नाम ही नहीं है। लोक सभा चुनाव के समय एक बहिष्कार हुआ था। एक शिल्पहरी वाला धूमा-मानिकपुरी रोड है, वह सिर्फ हवा-हवाई में कागजों में बन रहा है। वह मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए माननीय कौशिक जी भी मांग करते हैं। मैं भी धूमा से ढेका, मानिकपुरी तक रोड के लिए आपसे मांग करता हूं। इसी तरह से अभी दो-तीन सड़कों की स्वीकृति के लिए लगातार इस बजट में और इससे पहले वाले वर्ष 2024-2025 के बजट में आया है, उसका जल्दी से आप स्वीकृति प्रदान करेंगे। मैंने नगर पंचायत मल्हार के लिए आपसे विशेष निवेदन किया है कि वहां की मेन गेट से माँ डिंडेश्वरी मंदिर तक रोड का चौड़ीकरण हो जाये। पेयजल की व्यवस्था भी दुरुस्त हो। मैं इन सभी मांग रखते हुए आपसे निवेदन है कि इन सभी मांगों को आपके मांग पत्र में शामिल किया जाये। यदि अगले बजट तक ये सारी मांगें पूरी होती हैं तो हमारे सभी क्षेत्रवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देंगे। जो सड़क जर्जर हैं, उसकी मरम्मत के लिए उसमें एक ठेकेदार को ठेका मिला था।

सभापति महोदय :- चलिये, जल्दी समाप्त करिये।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैंने मांग की थी कि जो सड़कें जर्जर हैं, उनकी मरम्मत हो जायें। अभी उसके लिए 20-25 लाख रुपये दिये गये थे, उन सड़कों की मरम्मत भी चालू हुई थी, लेकिन कहीं पर थोड़ा-बहुत रेती, मुरुम, गिट्टी गिरा कर वहां से चले गये। उसके बाद वहां कोई मरम्मत कार्य नहीं दिखा। इसलिए वहां लगातार एक्सीडेंट की संभावना है। वहां स्कूली बच्चे पढ़ाई-लिखाई करने के लिए जाते हैं। मेरा एक और निवेदन है। मैंने आपसे पिछले बजट में भी मांग की थी कि जयराम नगर ओव्हर ब्रिज वाला जो सड़क है, वह आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। उसको सात साल हो गये हैं। कृपा करके आप उसको भी जल्दी दिखवा लेंगे। मैं निरतू-बिटकूला और कुकदा मार्ग में जो

बाईपास मार्ग है, इसके लिए मैं सारी बात आपको अलग से अवगत करा दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इसको बजट में शामिल करते हुए इन सारी मांगों को पूरा करने का कष्ट करेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री सुनील सोनी जी।

श्री सुनील सोनी (रायपुर दक्षिण) :- सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। मैं वर्ष 2025-2026 के विभागीय बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि नगरीय निकाय के बजट को लॉग टर्म सोच के आधार पर बनाया गया है। सभापति महोदय, मैंने पार्षद और मेयर के रूप में देखा है, आप भी मेयर थे और आपका नगर निगम एक बार देश में पहला भी आया था, लेकिन सारे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका जो है, वहां प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन एक सोच है। सभापति महोदय, हम लोग जो देखते हैं कि कचरा निकालना एक समस्या है, हम सड़कों पर झाड़ू लगवाते हैं, नालियाँ साफ करवाते हैं, कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन उससे बड़ी समस्या यह है कि उसे कहां फेंके ? यह सबसे बड़ी समस्या रहती है। सभापति महोदय, मैं अरुण साव जी का धन्यवाद दूंगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में 230 करोड़ रुपये का प्रावधान रखना और 186 नगरीय निकायों की सोच रखना, यह छोटी-मोटी कल्पना नहीं है कि हम केवल 10 नगर निगम तक ही सीमित रह जायें। सभापति महोदय, हम अपने राज्य छत्तीसगढ़ को नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को सूखा कचरा और गीला कचरा इन दोनों में बांटकर, जो जमाना बदला है, मैं देश के अरबन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी था, देश घूमने का अवसर मिला और इसी कारण से इंदौर बार-बार पहले पायदान पर आता है। सभापति महोदय, उसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में काम किया और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में अरुण साव जी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय के अंदर में स्वच्छ भारत मिशन फेस 2 के अंदर में 58 नगरीय निकायों में भी 106 आकांक्षी शौचालय उसका निर्माण करना और 33.4 करोड़ का भी प्रावधान इसमें है। सभापति महोदय, कुलमिलाकर 380 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाला है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास जो रुका हुआ था, अगर देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में जहां पर गरीब आदमी रहता है, वहीं पर आवास बना रहा है, उसके अंदर तेजी से आवास पूर्ण भी हो रहे हैं। यह भी एक सुखद स्थिति है कि इन साल-सवा साल के अंदर थोड़ा सा उन लोगों का सूची में नाम था, उससे अतिरिक्त फार्म भरवाकर उनको अधिकार देना, उनको पक्की छत देना, यह वास्तव में अरुण साव जी के नेतृत्व में ईश्वरीय कार्य हो रहा है। सभापति महोदय, यह काम एक ऐसा काम है, आप जिसके अंदर देखेंगे और मैं इस बात को कई बार सोचा था, उस समय मेयर के रूप में भी सोचा था कि हम गरीब

आदमी को जितना दूर-दूर ले जायेंगे तो गरीब आदमी कहीं न कहीं सक्षम आदमी के घर में काम करता है, कोई सेवा के रूप में बर्तन मांजने का भी काम करती है, कोई झाड़ू लगाने का काम करता है और हमारी आय भी सीमित है। सभापति महोदय, हम जितना गरीब आदमी को दूर ले जायेंगे, वह उतना ही उसके लिये भी महंगा होगा, उसके लिये भी दुखदायी होगा। इस सोच के आधार पर प्रधानमंत्री आवास-2 के अंतर्गत आज अरुण साव जी ने बहुत बड़ा बजट रखा है। मैं उसके लिये भी बधाई दूंगा। सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों के अंदर में हमारे कर्मचारी लोग हैं, उनके लिये ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी., जैसे मकान बनाकर किफायती दर पर किराया देना और उनको भी शहरों के अंदर रहने का अधिकार देना, यह भी ...।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आज ले तीन साल पहले भी इंदिरा आवास बर वोतके पड़सा, पी.एम.आवास बर। अब पेट्रोल के, डीजल के, सीमेंट के, सब के भाव बढ़ गे हे। आपसे निवेदन हे कि आप सीनियर अव, सलाह देवव कि जो पी.एम.आवास में जो पड़सा मिलथे, वोमा कम से कम 10-20 हजार रुपया बढ़ाके अऊ देवव।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका रहेगा तो आप सलाह दीजिएगा।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर में 4-5 हजार इंदिरा आवास बनाकर आप श्रेय नहीं ले सकते। उस समय आप खोली बनाते थे, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, वह तेजी के साथ में बन रहा है और आम आदमी के जीवन के सपने को पूरा कर रहा है। अगर इस देश के अंदर देखेंगे तो करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले फेस 1 लाया, फिर फेस 2 लाया, ताकि उससे कोई वंचित न हों।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, आवास योजना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक निवेदन करती हूं कि आवास योजना में जिसको वास्तव में आवास की जरूरत है, उनको नहीं मिलता और एक ही व्यक्ति को दो, तीन बार आवास मिल रहा है तो उसमें कोई कार्यवाही करें कि एक ही व्यक्ति को दो, तीन आवास न मिले और वास्तव में जो जरूरतमंद हो, उनको यह आवास मिले।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, स्ट्रीट वैंडर्स को गति देना। कोविड कॉलखण्ड में हम सब लोगों ने इसको महसूस किया और उसके दर्द को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना और कहा कि वेडर्स की भी आमदनी हो और उन वेडर्स के लिए प्रधान मंत्री स्व निधि स्कीम लेकर आये और उस स्व निधि के माध्यम से 10 हजार रुपए लोन देना था। अगर वह 10 हजार रुपए पटाता है तो उसे 20 हजार रुपए और 20 हजार रुपए पटाता है तो उसे 50 हजार रुपए देने की योजना थी। आने वाले समय में मुद्रा बैंकिंग या MSEB के अंदर में शामिल होकर अन्य लोगों को रोजगार देने लायक बने। इस वेडर्स योजना को भी हमारे मंत्री श्री अरुण साव जी के नेतृत्व में हम तेजी के साथ दे रहे हैं और उन लोगों को

लगभग 291 करोड़ रूपए मिले हैं। इसके लिए बैंक के माध्यम से 55 करोड़ रूपए का ऋण जारी हो गया है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, लोगों को सस्ता परिवहन मिले। वातावरण भी प्रदूषित न हो। जो ई. बस का प्रावधान है, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप में आरसीबीएल कम्पनी बनाकर मैंने मेयर के रूप में इस राजधानी के अंदर में 40 बसों को चालू किया था, आज ई. बस के माध्यम से लोगों को सस्ता परिवहन मिलेगा। रायपुर राजधानी होने के कारण छत्तीसगढ़ के अधिक लोग यहां पर आते हैं, कोई व्यवसाय के लिए आता है, कोई मंत्री जी के पास में आता है, कोई अधिकारियों के पास में आता है, कोई अन्य प्रशासनिक कामों से आता है तो उनको सस्ता परिवहन उपलब्ध हो, इसका भी प्रावधान नगरीय निकाय में रखा गया है और उसके लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक सांसद के रूप में पिछला 5 साल देखा कि नगर पंचायत, नगर पालिका, निगम नगर के अंदर टोटी लगाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, गड्डे भरना तो बहुत दूर की बात है। कल भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमारे भी 10 मेयर चुनकर आये थे, इंडायरेक्ट रूप से आये थे, दूसरे रास्ते से आये थे। आज मेयर के डायरेक्ट चुनाव हमारे मुख्यमंत्री जी और अरूण साव जी के नेतृत्व में हुआ है और जनता ने हम पर विश्वास किया कि यही लोग हैं, जो काम कर सकते हैं। Triple engine की सरकार बनाना जरूरी है। अगर हमें नगर का विकास करना है तो उसमें पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर सहमति और विश्वास जाहिर किया और उसका परिणाम यह था कि चुनाव के पूर्व एक साल के अंदर में हमने काम किया। मैं नहीं जान रहा हूँ कि कितना पैसा है, लेकिन 7 हजार करोड़ से अधिक का काम कर रहे थे। मैं तो नया-नया विधायक बना था और जब नया-नया विधायक बना था तो मेरे हाथ में लिस्ट आई, नगर निगम ने लिस्ट दिया कि यहां नारियल फोड़ना है, वहां नारियल फोड़ना है, इसका भूमि पूजन करना है और डामर का काम तेजी के साथ में हुआ था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने इतने सारे भूमिपूजन किए।

सभापति महोदय :- संगीता जी, उनको बोलने दीजिए, टोकाटाकी मत कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहली बार आप लोगों ने आचार संहिता का पूरा उल्लंघन किया है। आचार संहिता 3.00 बजे लगी और आप लोग लगातार 10.00 बजे रात तक भूमि पूजन किए हैं और एक रोड का दो-दो, तीन-तीन जगह शुरुआत में, बीच में और लास्ट में भूमि पूजन किए हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, जो इन लोगों ने किया है।

श्री सुनील सोनी :- हम लोग काम कर रहे थे ना? पैसा स्वीकृत था ना?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जो नियम-कानून है, उसको तोड़ते हुए आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जो मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, कल जब हमारा जनपद अध्यक्ष बनने जा रहा था,

तो आप लोग सबको किडनैप कर लिए, निरस्त करवा दिए। इस तरह से हो रहा है। सब जनता जान रही है, देख रही है, सब समझ रही है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मुझे जब मैंने सांसद के रूप में देखा, तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है कि किसी नगर पंचायत में काम हुआ हो। अभनपुर में हमारी भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष था, मैं कहता था, कहीं तो नारियल फोड़वा ले भाई। बोले कि साहब पैसा नहीं है, अधोसंरचना में पैसा नहीं मिल रहा है, 15वें वित्त का पैसा भी हमें शर्तों के आधार पर मिल रहा है, काम ठप्प थे। मैंने उस समय अखबारों में पढ़ा था, हो सके तो मेरी जानकारी को आप लोग और पुष्ट कर देंगे, आप लोग सीनियर हैं, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा था कि पूरे प्रदेशभर में जहाँ गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों को पाटने के लिए सरकार ने लोन लिया था और उस आधार पर मैंने जब जानकारी हासिल की तो मुझे लगा कि यह बात सही है और लोक सभा में भी मैंने इस बात को कहा था कि यहाँ पर तो ये स्थिति है कि नई सड़क का निर्माण तो दूर की बात है, उसके प्रावधान ही नहीं थे लेकिन गड्ढों को पाटने के लिए लोन लेना, यह बहुत दयनीय स्थिति थी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आदरणीय सोनी जी, आप वरिष्ठ हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, उसमें वास्तविकता झलकनी चाहिए क्योंकि आप लोक सभा में सांसद भी रह चुके हैं। आप पहली बार चुनकर आए हैं, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गड्ढा पाटने के लिए हमें लोन लेना पड़ा और हर साल का औसत 35 हजार करोड़ का आ रहा है, तो ये किस बात का कर्ज है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं सोनी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- ये वहीं से आए हैं, जहाँ सबसे बड़े जीतने वाले हैं। हमारे इस देश के प्रधान मंत्री सबसे बड़े जीतने वाले से वहाँ से चुनकर आए हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, रामकुमार जी, ये डिबेट का विषय नहीं है, अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। आप बैठिए, सुनील जी आप अपनी बात कहें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं सोनी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज के पेपर में आया है कि कोई पार्षद/पंच महोदय के बदले में क्या उसका पति शपथ ग्रहण कर सकता है? ये बात आई है कि पत्नि पंच बनी है और पति शपथ ग्रहण किए हैं। ऐसा किसी सरकार में होता है? यह आपकी सरकार में हुआ है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, संगीता जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे आपने कभी खड़े होकर टॉकते हुए नहीं देखा होगा। मैं बात करता हूँ, तो बहुत एथेंटिक करता हूँ और तथ्यों के आधार पर करता हूँ, फिज़ूल के आरोप नहीं लगाता, गुमराह नहीं करता इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहता हूँ कि ये जो गुमराह करना, असत्य बोलना, इससे दूर हो जाएं। जनता आपसे दूर हो गई है और कार्यकर्ता भी असत्य बोल-बोल कर परेशान हो गया है, वह भी दूर होने वाला है। पार्टी को इतनी

दुर्गति में मत लाइए। बहुत पुरानी पार्टी है, इमारत थी, जिसे खंडहर बोलते हैं, वह अब ढह रहा है। इस स्थिति में मत आए, यही मेरा आपसे आग्रह है। अधोसंरचना मद के अंतर्गत विगत 1 वर्ष में राशि 806 करोड़ की नवीन स्वीकृति तथा राशि 876 करोड़ की किस्त राशि, अन्य मदों में 733 करोड़ रुपए, ये छोटी-मोटी बात नहीं हैं। आज नगरीय निकाय के अंदर कोई डिमांड आती है कि ये काम होना चाहिए, तो उस काम को करने के लिए सरकार ने अपने बजट में प्रावधान रखा है। उसमें नहीं शब्द नहीं रहेगा। नगरीय निकायों का विकास तेजी के साथ हो, इस इच्छा को प्रगट करते हुए इस बजट में प्रावधान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर नगर निगमों के अंतर्गत अटल परिसर बनाने के लिए 50 लाख रुपए, नगर पालिका में 30 लाख रुपए, नगर पंचायत के अंतर्गत 20 लाख रुपए का प्रावधान है, ताकि ये चिरस्थायी हो और आने वाली पीढ़ी को भी ये पता लगे कि इस प्रदेश का निर्माण अटल जी ने किया था। ऐसा कोई आंदोलन नहीं होने के बावजूद भी अटल जी छत्तीसगढ़ के साथ प्रेम करते थे। उस प्रेम का ही कारण था कि उन्होंने सप्रे स्कूल के मैदान में कहा था कि हमारी 11 में से 11 सीटें आयेंगी। लेकिन 8 सीटें आयीं। परंतु फिर भी वह अपने वायदे से नहीं मुकरे और हमको छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। जब पहला नालंदा परिसर यूनिवर्सिटी के सामने बना था। उसके उद्घाटन में मैं भी गया था और शायद उस पत्थर में मेरा भी नाम है। जब मैं वहां गया था तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार यहां पर इस परिसर को बनाया गया है। उस समय उसे डी.एम.एफ. फंड से बनाया गया था। मैंने उसका उपयोग देखा, जब मात्र 15 दिनों के बाद मेरे पास इतने फोन आने शुरू हो गये कि हमको वहां एडमिशन दिलवा दीजिये। नालंदा परिसर का शहर के अंदर विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मैं अरुण साव जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि जो शहर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह नरेश्वर तालाब, टिकरापारा है। वहां पर अभी-अभी भूमि खाली हुई है। वह भूमि रोड के ऊपर है। रायपुर शहर में, राजधानी में, सड़क के ऊपर बहुत कम जगह मिलेगी या मिलना ही नहीं है। वहां पर बच्चों के सबसे ज्यादा हॉस्टल है। माननीय अरुण साव जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उप मुख्यमंत्री जी, वहां पर बच्चों के बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। यह रायपुर राजधानी है और यहां पर केवल दो ही नालंदा परिसर हैं। सारे छत्तीसगढ़ के लोग रायपुर में पढ़ने आते हैं क्योंकि रायपुर में शिक्षण संस्थान होने के कारण वे उसका लाभ लेना चाहते हैं। मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से वहां पर एक नालंदा परिसर का भी निर्माण होगा।

सभापति महोदय, आने वाले समय बहुत कठिन है क्योंकि आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे सामने ट्रैफिक की भयावह स्थिति आने वाली है। उस ट्रैफिक प्लान का भी बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है। यदि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अंदर देखेंगे तो आने वाले समय में बस्तर से सरगुजा तक का

प्रावधान है। नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैं गिनाऊंगा तो काफी समय लगेगा और मुझको उतना समय नहीं दिया गया है। मैं इस बात को समझता हूं।

सभापति महोदय :- जी, 15 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, फ्लाई ओव्हर बनाना और उस फ्लाईओव्हर के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। मैं देखता हूं कि पंडरी से मोवा तक का जो फ्लाईओव्हर है, जिस रास्ते से हम विधान सभा आते हैं। अगर ऐसा रायपुर के अंदर के फ्लाई ओव्हर का भी प्रावधान रखा है। मैं उनकी दूरगामी सोच के लिये भी उनका स्वागत करता हूं। एक्सप्रेस फेस-2 का निर्माण किया जायेगा ताकि यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं जाना है तो वह बगैर रुके तेजी के साथ सीधे वहीं पहुंचे और उसके बीच में व्यवधान न हो। न ट्रैफिक सिग्नल का व्यवधान हो, न अन्य व्यवधान उत्पन्न हो, ताकि वह तेजी के साथ अपने गंतव्य की ओर पहुंचे। इसके लिये भी एक बड़ी सोच के साथ इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है। मैं उसके लिए भी बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिये भी बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आज अगर ट्रैफिक को देखेंगे तो उसके लिये एक्सप्रेस हाईवे हैं, ओव्हर ब्रिज है, फ्लाई ओव्हर है, अंडर ब्रिज है, रिंग रोड है, आज जिसके निर्माण की बहुत आवश्यकता है। अभी केंद्र सरकार ने विधान सभा से लेकर बलौदा बाजार तक को फोरलेन के अंदर शामिल किया। इस प्रकार से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री और अरुण साव जी के नेतृत्व में नई सड़कों का निर्माण होगा। यह सरकार लांग टर्म विजन के तहत काम कर रही है। मैंने पूरे बजट के अंदर देखा है और यह नई सोच है। पिछले पांच साल तक छत्तीसगढ़ ठहरा हुआ था। रमन सिंह जी ने जिस तेजी के साथ विकास के नये आयाम गढ़े थे, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ पुनः उसी रास्ते पर जा रहा है, इसको पढ़कर बहुत खुशी होती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जिसमें अमृत मिशन के अंतर्गत 744 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस बजट के अंदर आने वाली गर्मी से चिंता, यह वास्तव में पहले से चिंता करना, सॉलिड वेस्ट की चिंता और सफाई की चिंता की गयी है। मुझे इस बात की खुशी है । एक दिन माननीय अरुण साव जी का फोन आया। उस समय मैं तो विधायक भी नहीं बना था, लेकिन मेरे पास उनका फोन आया था कि सुनील भईया, हमें सुबह 6.00 बजे उठकर, एक जगह की सफाई देखने जाना है। जब जनप्रतिनिधि सड़क पर उतरते हैं और अपना पसीना बहाते हैं तब जाकर कोई शहर स्वच्छ होता है। माननीय मोदी जी का मिशन स्वच्छ भारत है तब यह कायम और कामयाब होता है। इस पर हमारी सरकार की मेहनत दिखती है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की दौरे करके, समीक्षा की जाती है, यह हमारे लिए एक शुभ संकेत है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत से विषय हैं। अमृत मिशन योजना में 744 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज शहरी विकास है। एक दिन मैंने रायपुर शहर में यह पूछा कि रायपुर शहर के आंगनबाड़ियों में कितने बच्चे पढ़ते हैं तो यह जवाब मिला। मेरे पास जो आंकड़े आये हैं, मुझे जो जानकारी उपलब्ध करायी गयी

है। यहां पर उन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 27 हजार बच्चे पढ़ते हैं। इस शहर के अंदर मॉडल आंगनबाड़ियां बने। अनेक शहरों में बने। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के अंदर बने। इसके लिए इसमें 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें नशा मुक्ति के केन्द्र के लिए भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बजट में ऐसे अनेक प्रावधान किये गये हैं। इसलिए मैं इस बजट का मन से समर्थन कर रहा हूँ। आने वाले समय में इस दिशा में तेजी के साथ काम हों। शहरी क्षेत्र प्रदेश का चेहरा होता है जब बाहर का व्यक्ति रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर में आता है तो उसको विकास दिखता है कि इस प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं काम कर रही है और यह सरकार तेजी के साथ शहरीकरण पर विश्वास रखती है। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के सारे शहर अच्छे होंगे और हमारी सड़कें अच्छी होंगी। फिर से मैं इस बजट का मन से समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और अरूण साव जी को धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात मांग संख्या 20, 22, 24, 29, 67, 69, 76 एवं 81 पर रखना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि आपने इसमें 41 प्रतिशत, 42 प्रतिशत, 46 प्रतिशत ऐसे Percentage wise राशि दी है। यह बजट में शामिल होने के बाद, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह राशि, आपके लोक निर्माण विभाग की व्यवस्था को बनाने के लिए पूरी हो पाएंगी। जैसे कि आप लोगों ने गति (GATI) को आगे बढ़ाने की बात कही है। आपके विभाग की गति बहुत ही कम है। जिसे आपको और बढ़ाना चाहिए। मैं, आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने विभाग के लिए बहुत सारी चिंता करनी चाहिए। आप पर जनता का विश्वास है। अभी आप यहां पर इस विभाग के मंत्री के रूप में हैं। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय अजय चन्द्राकर जी भी कह रहे थे कि जिस तरह से मानव शरीर में नसें, धमनियों की तरह फैली हुई हैं। वैसा ही अभी माननीय धरमलाल कौशिक जी कह रहे थे कि इस प्रदेश में सड़कों के जाल बिछेंगे। मुझे यह लगता है कि यहां आज की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि रखनी चाहिए थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत ही अच्छी तरीके से (GATI) के बारे में बताया है तो मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ कि इसमें और अनुदान मांगें रखें। पूर्व में यहां जनता के द्वारा जो मांगें की गई थीं, जिन पर पिछली सरकार में स्वीकृति मिली थी, वह भी आज वापस मंगा लिये गये। पूर्व की सरकार के समय के कई ऐसे टेण्डर थे, जिन्हें रोक दिया गया। जब हमारे द्वारा जानकारी मांगी जाती है कि इस प्रदेश में कौन सा ठेकेदार, कहां पर काम कर रहा है, यहां सड़कों की क्या स्थिति है और यहां कहां-कहां पर काम हो रहे हैं जब हम एस.डी.ओ., इंजीनियर से पूछते हैं तो हमें वह बताना नहीं चाहते हैं। आज

लोक निर्माण विभाग की यह स्थिति है। यहां ठेकेदार कहां-कहां किस हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं, आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक रोड छिपा से पलांदूर, पुल पुलिया सहित जो आज भी निर्माणाधीन है, अधूरा पड़ा हुआ है। जिसकी अद्यतन स्थिति क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। वहां पर जनता बहुत परेशान हो रही है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि वह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो। घुमका से गोपालपुर मार्ग का टेंडर रोक दिया गया जबकि वह पुराने समय में पुराने बजट में था। उसको टेंडर होने के बाद रोक दिया गया। गोटेपार से खजरे मार्ग का टेंडर रोक दिया गया। डोंगरगढ़ से बढईटोला मार्ग जो पिछले बजट में था, अभी उसको स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिनको रोकने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग में डोंगरगढ़ की सड़कें अत्यन्त जर्जर हो चुकी हैं। अगर विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि उनको अपना फर्ज याद दिलायें। बारिश के दिनों में सड़कों की दुर्गति हो जाती है, वह दुर्गति को सुधारने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी और उन अधिकारियों को सख्त निर्देश देने होंगे। आज कई ऐसी जगहों की सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। इसके बाद भी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को देखते हुए जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और हमारी बात नहीं सुनते और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि ढारा से खैरागढ़ की सड़क अत्यधिक जर्जर हो चुकी है जिसका निर्माण होना था, उसकी स्वीकृति हो गई थी, उसको फिर रोक दिया गया। आज स्थिति ऐसी थी कि वहां गड्डे स्वीमिंग पुल की तरह बन गये थे। मेरे बार-बार बोलने के बाद धर्मनगरी डोंगरगढ़ में जहां अभी मेला लगने से पहले जब मीटिंग हुई तो उसमें बड़ी मुश्किल से पेंच वर्क किया गया। वहां भारी वाहनों के कारण बार-बार गड्डे बने रहते हैं, बाईपास की सुविधा नहीं है। मैंने पिछले सदन में भी इस बात को रखी थी डोंगरगढ़ धर्मनगरी चारों तरफ से घिरी हुई है, एक तरफ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के बार्डर लगे हुए हैं, जहां भारी वाहन टोल बचाने के चक्कर में डोंगरगढ़ शहर से गुजरते हैं। उसके कारण से वहां अव्यवस्था बनी हुई है। उसके लिए मैंने आपसे पिछले समय में बाईपास की मांग की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। जो कार्य 20-25 साल से वहीं-वहीं पर रूक रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि उस कार्य को आगे बढ़ाया जाये। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने कुछ कामों की मुझे बजट में स्वीकृति दी है जो कि घनघोर जंगल के रहवासियों के लिए था। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगी। गाडाघाट जैसे लछनाटोला जहां पर इतना घनघोर जंगल है, वहां के निवासियों को बाहर आने-जाने में जो असुविधा होती है, उस जगह पर सड़क निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया है, उसे जल्द से जल्दी स्वीकृति प्रदान करें। मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि कलकशा और बलदेवपुर मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी सड़कें बनी हैं, वहां पर थ्रेसर की मशीन लगी हुई है और उन थ्रेसर मशीनों के कारण लोडेड गाड़ियां आने जाने के कारण वहां की सड़क की दुर्गति हो जाती है। वहां के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं पा पाते हैं। वहां की

स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि हम कई बार इस बात को सदन में रखे हैं। इस बात के लिए पिछली सरकार ने भी अपनी बात आगे बढ़ाई थी और वह मार्ग स्वीकृति में था। डी.एम.एफ. की राशि के लिए भी हम लोगों ने मांग रखी, लेकिन आज तक वह रोड नहीं बन पाई है। आपसे निवेदन है कि आपकी सरकार है और आप गति देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे मांग करती हूँ कि कलकशा- बलदेवपुर की सड़क जहां से भारी वाहन गुजर रहे हैं, वहां पर या तो उनको निर्देशित किया जाये और वहां अच्छी मजबूती से सड़क का निर्माण किया जाये।

सभापति महोदय, आपसे यह भी बताना चाहूंगी कि डोंगरगढ़ विधान सभा में थैलकाडीह में एक महाविद्यालय है, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वह भवन पहले से संचालित था, वहां पर स्कूल के भवन में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। स्कूल के भवन में शिफ्ट वाईज पढ़ाई होती है। सुबह कॉलेज लगता है और दोपहर को स्कूल लगता है। जहां पर वह भवन का निर्माण करना अति आवश्यक है। वहां पर पिछली सरकार में भवन की स्वीकृति मिल चुकी थी, भूमिपूजन हो चुका था। जैसे ही सत्ता बदली, वह भवन वापिस कर लिया गया और वहां के बच्चों को आज बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही भवन में स्कूल और कॉलेज चल रहा है। मैं आपको बताना चाह रही थी कि 11 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी मिनीमाता के कार्यक्रम में राजनांदगांव गये थे उसमें उन्होंने कहा था कि इनका भवन और साथ-साथ उनका जो नाम है, बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर रहेगा, उनको यथावत रखा जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है लेकिन आज वह बजट में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अब इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें।

समय

5.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि ऐसे तो बहुत से कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं। सी.ओ. ऑफिस दुर्ग में अभी तक सड़क निर्माण से संबंधित समस्त दस्तावेज जो हैं, चूंकि टेंडर प्रक्रियाधीन है उस टेंडर के बारे में न तो वे बता रहे हैं और कुछ जानकारी पूर्ववर्ती में थी उनके आधार पर मैंने यह मांगा है। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगी कि जो मोहारा से बसंतपुर, रूआंतला होते हुए सुकूलजहन तक 3 विधानसभा को यह टच करती है जिसमें माननीय अध्यक्ष जी का भी विधानसभा राजनांदगांव है। वह सड़क लगभग 20 सालों से जर्जर है। स्कूल-कॉलेज के बच्चे, यहां तक कि सोसायटियां भी उसी सड़क पर हैं और उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको भी संज्ञान में लेकर आगे बढ़ाईये। डोंगरगढ़ मेन रोड से कातलवाही पहुंच मार्च वह भी इसी स्थिति में डूबा हुआ है। पिछले समय में संक्शन होने के बाद यह सभी काम वापस क्यों हो गये? मैं आपसे इसीलिये निवेदन कर रही हूँ कि यह सारी मांगें जो पूर्व में भी थे और

इस बार के पिछले बजट में भी थे तो फिर आज तक वह कार्य अस्वीकृत क्यों हैं ? उसकी राशि जारी क्यों नहीं हो रही है ? आपने बजट में बहुत सारे रखे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा । मैं डोंगरगढ़ शहर के बाहर बायपास के लिये पहले भी कह चुकी हूं, इसको आपको आगे बढ़ाना होगा । घुमका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन पिछले बजट में याचिका में भी था और बजट में भी था लेकिन आज तक उस भवन का निर्माण नहीं हो पाया । वहां पर बारिश के समय में पानी टपक रहा था और वैसी ही स्थिति में उन मरीजों को वहां रहना पड़ा । माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उस भवन की भी आगे स्वीकृति दें । ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके कारण आज हमारी जनता परेशान है, चाहे सरकार किसी की भी हो । मेरा बोलने का अर्थ यही है कि सरकार किसी की भी हो, जो भी वह काम कर रहा है उसको बेहतर काम करना चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सभी कार्यों को स्वीकृति प्रदान करेंगे । मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां अभी जितने भी काम होते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो वहां प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है । वहां कभी विधायकों को बुलाया नहीं जा रहा है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है । आप अभी वर्तमान में शपथ-ग्रहण समारोह का देख सकते हैं कि उसमें भी हम विधायकों को नहीं बुलाया गया । मैं इससे पहले आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगी कि अधोसंरचना की राशि जो कि सांसद नहीं देते, कहीं कभी अधोसंरचना की राशि कोई सांसद नहीं देते लेकिन माननीय संतोष पांडे जी ने ऐसा कहकर वहां भूमिपूजन किया और उस समय चूंकि हम डोंगरगढ़ के विधायक हैं लेकिन हमको नहीं बताया गया तो इस तरह से गतिविधियां चल रही हैं । आपसे हम निवेदन करते हैं और व्यवस्थित तौर पर यदि आप गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं अर्थात् मैं इस दुर्गति को सुधारने के लिये आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विभागीय बजट की सभी मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी जी और हमारे विभागीय मंत्री श्री अरुण साव जी ने बजट में जो प्रावधान लाया है । निश्चित तौर पर यह विकसित भारत के विकसित छत्तीसगढ़ को गति प्रदान करने वाला है और इसका प्रमाण एक साल में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय उपमुख्यमंत्री अरुण साव जी ने विभाग के अंतर्गत जो बुनियादी जरूरतें हैं सड़क, नाली, पानी और आवास । इन चीजों पर इतना कार्य हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अभी नगरीय निकाय चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला है निश्चित तौर पर उन विकास कार्यों को आशीर्वाद स्वरूप जनता ने उसमें मुहर लगायी है । इसके पहले 5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा दौर गुजरा, इसमें सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय में

लगभग उनके महापौर और अध्यक्ष में उनकी सरकार रही। कभी छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर नगरीय क्षेत्रों में जब देश भर से लोग आते थे, देश से बाहर के लोग आते थे और ग्रामीण अंचलों के राज्यों से जब आते थे तो कहते थे कि हमारा क्षेत्र विकास कर रहा है। हमारा रायपुर नगर, हमारा जितना नगरीय निकाय क्षेत्र है। एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो रहा है, ऐसा कहा करते थे। लेकिन इन पांच सालों में जो दुर्दशा हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते फिर से हम वहीं धरातल पर पिछड़ चुके थे। अब उसका परिणाम है कि जनता ने अब इनको रास्ता दिखाया है कि आपकी जगह कहीं और है और विकास करने वालों का सम्मान कहीं और है। तो इस प्रकार से ये जो बजट है, निश्चित तौर पर फिर से पटरी पर लाने का काम, इस शहर को खूबसूरत बनाने का काम करने के लिए है। हर कोई गरीब सोचता था कि उनके सर पर पक्का मकान हो और इस सपना को फिर से पूरा करने का काम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करके किया है, जिसकी चर्चा लगभग सभी सदस्य करते हैं और चर्चा होगी भी, क्योंकि फिर से प्रावधान आया है और उसमें गरीबों के सर पर एक पक्की छाया बनने वाली है तो ये बहुत प्रशंसनीय है। उसी प्रकार से अभी इन पांच सालों में स्वच्छता को लेकर जो दुर्दशा हुई थी, जगह-जगह गंदगी पसरी हुई थी। नालियों की सफाई नहीं होती थी। झाड़ू लगता नहीं था। कचरों के ढेर में ये शहर तब्दील हो गया था। उसको स्वच्छ भारत मिशन के चलते हमारी सरकार ने ठोस और गीले कचरे के निष्पादन के लिए जो 380 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है और फिर से हमारा शहर अब स्वच्छ शहर में तब्दील होगा और जितने भी सर्वेक्षण होंगे, अब उसमें हमारा शहर फिर से एक अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से जितने भी हमारे ड्रेनेज सिस्टम हैं, उस सिस्टम को अपडेट करने के लिए, जल आवर्धन सिस्टम को अपडेट करने के लिए, कचरे के निष्पादन को अपडेट करने के लिए ऐसे अधोसंरचना के माध्यम से बजट लाकर 744 करोड़ रुपये का जो अमृत मिशन का बजट आया है तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय है और इसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर में जो जल आपूर्ति की समस्या है, इसकी हम पूर्ति कर पाएंगे, इसकी भरपाई कर पाएंगे क्योंकि लगातार जल स्तर गिरते जा रहा है और जल भी प्रदूषित होते जा रही है, जिसके कारण शहर में शुद्ध पेयजल की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है तो ये निश्चित तौर पर इस अमृत मिशन के माध्यम से 744 करोड़ रुपये का जो प्रावधान माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये हमारे लिए जीवनदायनी साबित होगी। गरीबों के लिए खास तौर पर स्ट्रीट वैंडर्स जो अपने जीविकोपार्जन के लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान लाया है तो इससे उनको भी सुविधाएं होंगी। उनका जीविकोपार्जन सुगम हो पायेगा। ऐसे अधोसंरचना मद से जो प्रावधान लाये हैं, ये निश्चित तौर पर बड़े कारगर साबित होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का प्रावधान लाये हैं, निश्चित तौर पर इसमें जो कार्य होने हैं, इससे शहर को एक नये स्वरूप में देखने को मिलेगा। फलाई ओव्हर के संबंध में यदि

मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूँ तो शहर के यातायात की जो बिगड़ती व्यवस्था है, इसको सुधारने के लिए यह बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि सिग्नल के कारण भीड़ इकट्ठी होती है, बच्चों को स्कूल जाने में जो अनेक असुविधाएं होती हैं तो बार-बार ये शिकायतें आती थीं, जिसके कारण आप लोगों ने जो फ्लाई ओवर का जो प्रावधान लाया है, खासतौर पर मेरे क्षेत्र में फुंडहर के पास है, भनपुरी के पास है सरोना के पास है, मोवा के पास है, द्रोणाचार्य स्कूल के पास है, ऐसे अनेक फ्लाई ओवर मेरे क्षेत्र में आये हैं। इससे यातायात में होने वाली असुविधा का समाधान होगा। ऐसे ही, मेरे ही क्षेत्र की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए फ्लाईओवर का और सड़क निर्माण का प्रावधान आया है इससे निश्चित तौर पर विकास को गति मिलेगी।

समय

5.10 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए नालंदा परिसर की मांग की है। मैं सुन रहा था सभी सदस्यों ने इसकी मांग की है। मैं भी चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक नालंदा परिसर बने। दलदल सिवनी में साइंस सेंटर के पास एक बड़ी जगह है जिसे हम इंदिरा वन बोलते हैं वहां लोगों का आना-जाना होता रहता है, वहां एक नालंदा परिसर का निर्माण हो जाए तो क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसी प्रकार से मेरी कुछ और मांगें हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र शहर के चारों तरफ फैला हुआ है। अगर हम बिलासपुर, सरगुजा संभाग की तरफ से आते हैं तो धनेली के पास से क्षेत्र प्रारंभ होता है वहां से लेकर भनपुरी पाटीदार भवन तक स्ट्रीट लाइट की सख्त आवश्यकता है। इसके न होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, छेड़खानी होती है और कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। वैसे ही संतोषी नगर टिकरापारा से लेकर मुजगहन तक मेरा क्षेत्र आता है। यहां बड़ी संख्या में कामगार लोग आते हैं, गांव से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहां भी रात्रि में जब लोग काम करके लौटते हैं तो लूटपाट और छेड़खानी जैसी आपराधिक घटनाएं होती हैं। वैसे ही पचपेड़ी नाका से लेकर माना तक स्ट्रीट लाइट की सख्त आवश्यकता है। अभी जो लगे हैं वे या तो चल नहीं रहे या जीर्णोद्धार स्थिति में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि यदि इसे बजट में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ पेयजल के लिए मेरी विशेष मांग है। मेरे क्षेत्र में बहुत सी कॉलोनी है, बीएसयूपी है, निजी कॉलोनियां भी हैं। इन सब कॉलोनीयों में लगातार पेयजल की मांग है। यहां बिल्डर की द्वारा उपलब्ध कराई गई पानी की व्यवस्था से मांग पूर्ण नहीं होने के कारण लगातार वहां रहने वालों की मांग बढ़ती जा रही है। आने वाले गर्मी के समय यदि हम चाहेंगे कि टैंकर से पानी की पूर्ति कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूर्ति हो पाएगी। आज पानी की खपत बढ़ चुकी है और आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि रोज एक गांव के बराबर आबादी मेरे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है जिसके कारण पेयजल की समस्या,

शुद्ध पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है तो विशेष रूप से स्टोरेज की, ओवर टैंक की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सभापति जी, मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, बहुत से तालाब हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं और इसमें भी प्लास्टिक, गंदगी और कचरे से अटे पड़े हैं, उसकी बदबू से आसपास के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लग गया है। इसमें भी अतिरिक्त प्रावधान लाकर इनकी सफाई के लिए, इनके सौन्दर्यीकरण के लिए अगर प्रावधान आते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि यह राजधानी है, शहर है, लोगों की बहुत आवाजाही है। ऐसी स्थिति में तालाबों का गंदगी से अटा रहना उचित नहीं है। खेल मैदान के लिए बहुत से शासकीय जमीनें हैं जिनमें अतिक्रमण होता जा रहा है। उनको सुरक्षित करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम स्टेडियम और खेल मैदान निर्माण कर देंगे तो वह भी बहुत उपयोगी और कारगर होगा। माननीय महोदय ने इस बजट में मेरे क्षेत्र के लिए बहुत से प्रावधान लाए हैं, उन सबके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैंने छोटी छोटी मांगें रखी हैं, उनकी पूर्ति करेंगे। इसी आशा के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप। कश्यप जी, पांच मिनट में बोलिएगा, बहुत से लोग हैं।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- जी-जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, GYAN और GATI की बात बजट में आई है। नीति तो बन रही है परंतु जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास होना पड़ेगा। मैं मुख्य रूप से 3 बिन्दु पर अपनी बात रखना चाहूंगा। इस बजट में अधोसंरचना मद हेतु 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं दस वर्षों तक नगरपालिका में पार्षद और उपाध्यक्ष पद पर रहा हूँ। मेरा अनुभव है कि छत्तीसगढ़ के लिए 750 करोड़ रुपये की जो राशि है, वह राशि कम है, इस राशि को बढ़ाना चाहिए था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ अनुभव बता रहा हूँ, यह छत्तीसगढ़ सरकार के लिए काम आएगा। जब नगरीय निकायों में अधोसंरचना मद की राशि जारी की जाती है, एक ऐसी मांग रहती है जो व्यर्थ प्रकार की रहती है। आप जब नगरपालिका, नगरपंचायत या नगर निगमों में राशि देंगे तो पार्षदगण अपने-अपने वार्डों के हिसाब से विकास की बात करते हैं जो कि औचित्यहीन रहता है। कई ऐसे निर्माण रहते हैं जिसको दोबारा कराते हैं। सी.सी. उपर सी.सी. रोड, नाली उपर नाली का निर्माण कराते हैं। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। जब अधोसंरचना मद का पैसा जाए तो कम से कम कोई कार्ययोजना बने। जैसे आप छत्तीसगढ़ सरकार की कार्ययोजना बनाते हैं, उसी प्रकार से नगरीय निकाय क्षेत्रों में उस नगर के प्लानिंग के हिसाब से काम हो ताकि मद के पैसे का सही इस्तेमाल हो सके इसलिए मास्टर प्लान बनाना आवश्यक है। जब मास्टर प्लान बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में साल दो साल, चार साल, पांच साल बाद वह बेहतर ढंग से होगा। सभापति महोदय, मैं अपने नगर का कुछ उदाहरण देना

चाहता हूँ। वर्तमान जांजगीर नैला नगरपालिका 1971 में गठन हुआ था, 54 वर्ष हो गए, जिला मुख्यालय बने 27 वर्ष हो गए, परंतु जांजगीर नैला नगरपालिका का दुर्भाग्य है कि आज भी वह नगरीय स्वरूप में नहीं आ पाया है। इन 25 वर्षों में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक रही है। बगैर प्लानिंग के अभाव में योजनाएं अधूरी की अधूरी रह जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चांपा एवं नवागढ़ नगर पंचायत भी शामिल है। अभी मेरी मांग है कि पहले प्लानिंग बनाएं, उसके बाद आप उनको बजट उपलब्ध कराएं। नालंदा परिसर की बात हो रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जांजगीर में 250 सीट नालंदा परिसर की घोषण हुई है, वहां पर स्थल का चयन भी हो चुका है। प्लानिंग बनाते समय सड़क, नाली, बिजली, तालाब, खेल मैदान, पेयजल आपूर्ति जैसे जो विषय हैं, यह जनता के लिए विशेष मांग है, उस मांग के अनुरूप कार्य योजना बने, यह मेरी मांग है। जब मध्यप्रदेश था तो देवास और जांजगीर में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान था। देवास कब का पूर्ण हो चुका है पर जांजगीर में आज भी नहीं बना है। गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या रहती है और बरसात के दिनों में पानी निकासी की व्यवस्था से आज हम संघर्ष कर रहे हैं। जांजगीर में खेल मैदान की बात आई थी। 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का टेण्डर भी हो चुका था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार हटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वह साढ़े 3 करोड़ रुपये का टेण्डर भी निरस्त हो गया और राशि वापस बुला ली गई। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसकी जो राशि वापस बुलाई गई है, उस राशि को आप पुनः वहां पर जारी करें। जांजगीर जिला मुख्यालय है तो वहां पर एक वृहत स्टेडियम की आवश्यकता है। जांजगीर जिला मुख्यालय बन गया है, परंतु आज भी वहां पर भवनों की कमी है। शासकीय कर्मचारी बिलासपुर या रायगढ़ से अप एण्ड डाऊन करके आना-जाना करते हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं या जो तकनीकी बातें आती हैं, उससे लेट-लतीफी के कारण उनको असुविधा हो रही है। जांजगीर में शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन की आवश्यकता है। उसके लिए भी राशि आवंटित की जानी चाहिए। ठाकुर छेदीलाल शासकीय महाविद्यालय में साढ़े 4 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। वहां पर कन्या महाविद्यालय अलग से खुल गया है। माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में वहां राशि जारी हुई थी और उसकी नयी बिल्डिंग बन गयी है, परंतु ठाकुर छेदीलाल शासकीय महाविद्यालय आज भी बिल्डिंग के नाम से अधूरा है। आखिर साढ़े 4 हजार छात्र कहां जायें? जब मैं मंत्रालय गया था तो उसकी स्वीकृति व सहमति हो गई थी, परंतु बजट में उसके लिए प्रावधान नहीं दिखा है। मेरी यह मांग है कि कृपा करके नये भवन के लिए वहां राशि जारी की जाये।

माननीय सभापति महोदय, जांजगीर के अमृत मिशन के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि आपने अमृत मिशन के लिये 744 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि जांजगीर-नैला नगर पालिका में मध्य प्रदेश के समय सन् 1998 में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए टेण्डर हुआ था। उसकी पाइप लाइन की सप्लाई भोपाल से हुई थी। उसकी पाइप पड़ी रही। वह ठेकेदार द्वारा

बिछायी गयी सीमेंट की पाइप थी, लेकिन वहां जल आपूर्ति नहीं हुई और वह फेल हो गया। जिस समय नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अमर भैया थे तो उन्होंने 36 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी, परंतु वह काम अभी भी अधूरा है। न इन तक बिल बन पाई और न टंकी बन पाई। वह आधी-अधूरी पाइप लाइन है और उसको भी ठेकेदार छोड़कर चला गया है। नवागढ़ नगर पंचायत में भी जल जीवन अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति के लिए राशि स्वीकृत की जाये। सभापति महोदय, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि आर.ओ. ट्रीटमेंट प्लांट की बात हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार योजना बनाती है और योजना बनाने के बाद अपने लोगों को खुश करने के लिए टेण्डर जारी कर दी जाती है। ठेकेदार उसका आधा-अधूरा काम करता है और भुगतान लेकर चला जाता है। जांजगीर-नैला, चांपा, नवागढ़ और वैसे ही संभवतः छत्तीसगढ़ की अधिकांश नगर पालिकाओं में आर.ओ. ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, परंतु उसकी उपयोगिता नहीं है। मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप एक बार उन स्थलों का निरीक्षण कर लें और निरीक्षण करने के बाद जो कार्य आधे-अधूरे हैं, वहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उसको पुनः चालू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने ई-बस की व्यवस्था करने की बात कही है। मुझे इसकी जानकारी है। मैं भी उसके उद्घाटन के समय वहां उपस्थित था। भाजपा की सरकार में ही सिटी बस की व्यवस्था की गई थी और सिटी बस से लोगों को सुविधायें मिलती थीं, परंतु आज के दिन में सिटी बस कंडम हालत में हो चुकी है और वह चल नहीं पा रही है। यदि 400 से अधिक सिटी बस की बात है तो आप जांजगीर-चांपा जिले को भी सिटी बस की सुविधा के लिए सिटी बस उपलब्ध कराने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, आवास योजना के तहत आप शहरी आवास के लिए 875 करोड़ रुपये जारी करेंगे। आज सभी माननीय सदस्यों ने इसपर चिंता व्यक्त की है कि उसमें गरीब क्षेत्र के लोगों के नाम तो आ जाते हैं, परंतु पट्टा नहीं होने कारण वह पात्र नहीं हो पाते हैं तो कम से कम वैसे लोगों के नाम भी उस सूची में जारी करें और छत्तीसगढ़ सरकार उन सबको पट्टा वितरण करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं लोक निर्माण विभाग के विषय में बात करना चाहूंगा, जिसमें भारी-भरकम राशि 9 हजार, 500 करोड़ रुपये और नई सड़क निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं इसमें भी अपनी हिस्सेदारी के लिए कहना चाहूंगा कि इस बजट में, इसके पहले वाले 2024-25 के बजट में बहुत सारी सड़कें स्वीकृत तो थीं, परन्तु काम शुरू नहीं हो पाया था। न उसका डी.पी.आर. बन पाया, न उसका टेण्डर हुआ था, कहीं से कुछ नहीं हुआ था। मुझे यह भी कहना है कि इस बार भी कई सारी सड़कें पुनः इस बजट में दी गई हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे इस बात की भी चिंता है और उसके लिए माननीय मंत्री जी से अपेक्षा भी करूंगा कि उन सारी सड़कों का समय में कम से कम टेण्डर हो जाये, समय पर काम हो जाये, तब तो

हमें बताना पड़ेगा कि हम सबके प्रयास से छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे क्षेत्र को भी ध्यान दिया और हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया है।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। मैं डी.आर.एम. ऑफिस जाता हूं तो उनका कथन रहता है कि नैला का ओव्हर ब्रिज स्वीकृत है। उन्होंने मुझे पत्र भी दिया और उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेज भी दिया गया है। वह पत्र मेरे पास है। मैं विभाग भी गया था, विभाग को उसकी जानकारी भी दी, परन्तु सेतु विकास निगम के द्वारा अभी उसका डी.पी.आर. नहीं बनाया गया है। इसको पुनः इस बजट में शामिल किया गया है। कृपा करके नैला पश्चिम केबिन में जांजगीर को बलौदा से, जांजगीर को कोरबा से जोड़ने हेतु अतिशीघ्र उस ओव्हर ब्रिज का निर्माण हो जाये। क्योंकि वहां रेलवे लाईन को क्रॉस कर जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में नैला-बलौदा मार्ग, नैला-पंतोरा मार्ग।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, अब समाप्त कीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यास जी, सुनो। तीन लोग हो, बात को समझ रहे हो ?

श्री ब्यास कश्यप :- मुझे तीन लोगों से मतलब नहीं है, मुझे बोलने का अवसर मिला है और मुझे बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात तो सुनो। बड़े नेतागिरी के चक्कर में पड़ोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे।

श्री ब्यास कश्यप :- एक रहेंगे, सेफ रहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो चाहिए, सीधा-सीधा वह मांग लो। भाषण बंद करो।

श्री ब्यास कश्यप :- आप चिंता न करें, हमारे सम्माननीय सदस्य कुछ फार्म में दस्तखत करने गये हैं। मैं तो मंत्री जी से ही मांग कर रहा हूं और मैं अच्छी चीजों की तारीफ भी कर रहा हूं, जिनको बजट में शामिल किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, फिर क्यों लंबा-लंबा भाषण दे रहे हो ?

श्री ब्यास कश्यप :- एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास। सबका एक साथ विकास दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके एक आदमी नहीं हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- कोई बात नहीं। आप उनकी चिंता छोड़िये, मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां आपका कोई नेता नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलोगे तो कोई नंबर नहीं बढ़ेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं सरकार के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलो, आगे बढ़ो, क्षेत्र के लिए मांगो, आपको दे देंगे।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- श्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इंतजाम किया होगा साहब, तो पीने का पानी अच्छा मिलेगा या कुछ और मिलेगा ? सभापति जी, high tea की व्यवस्था किए हैं तो बोल रहा हूं कि पानी अच्छा मिलेगा या दूसरा पेयजल भी मिलेगा ?

सभापति महोदय :- excise नहीं है।

सभापति महोदय :- सभा के समय में सायं 6.30 बजे तक की वृद्धि की जाये।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप जल्दी-जल्दी मांग कर 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये। क्योंकि यहां बोलने वालों की लंबी लिस्ट है, रात को 12 बज जायेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, नैला-बलौदा मार्ग, नैला-पंतोरा मार्ग, जांजगीर-केरा मार्ग, जांजगीर-पामगढ़ मार्ग, जांजगीर-पीथमपुर मार्ग, दहीदा-बम्हीनडीह मार्ग में नया पुल, जिसकी घोषणा दोनों मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी और श्री भूपेश बघेल दोनों ने किया है। उसकी स्वीकृति आ गई है, वह भी हो जाये। बीरगहनी-रोगदा मार्ग, चांपा-महुदा-मड़वा मार्ग, इसकी भी स्वीकृति हुई है। तेंदूभाठा-मड़वा-करमना मार्ग बन रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सड़क भारी-भरकम राशि से बन रहा है। दो विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए तेंदूभाठा- मड़वा-करमना मार्ग बनकर तैयार हो गया है, परन्तु कुछ पेच प्रायवेट land के कारण छूटा हुआ है। विभाग उस पर ध्यान दे और उस सड़क को कैसे भी करके पूर्ण कराने की कृपा करें।

सभापति महोदय, बायपास सड़क के लिए भी बजट आया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सड़क 30 करोड़ रुपये की लागत से बलौदा को जो अकलतरा विधान सभा क्षेत्र का है, वह निर्माणाधीन है। लगभग 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। चूंकि बगैर मुआवजा के निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन मुआवजा का मामला रुका हुआ है। उनका लगभग 1 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान

रूका हुआ है। अगर इस काम को भी जल्दी कर लिया जाये तभी उस पैसे का उपयोग है। नहीं तो उस पैसे का दुरुपयोग हो जायेगा।

सभापति महोदय :- श्री रिकेश सेन।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, नैला-बनारी बाईपास सड़क का निर्माण आवश्यक है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा। अभी नहर का रोड बिल्कुल खाली है। वहां पर बना हुआ कच्ची सड़क है। नैला से बनारी तक के लिए एक बाईपास सड़क के लिए भी बात आ जाये। किसान साथी नैला को जांजगीर से जोड़ने के लिए धरसा रोड है, उसमें अपनी सहमति ..।

सभापति महोदय :- आप लिख कर दे दीजियेगा। दो पत्ता पढ़ने का टाईम नहीं है। श्री रिकेश सेन। अब हो गया। समाप्त करिये। आप लिख कर दे दीजियेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं अवगत कराऊंगा ही। वह सब काम हो जाये।

सभापति महोदय :- आप कैसे अवगत करायेंगे? समय ही नहीं है।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, सभी सदस्य जल जीवन मिशन के बारे में कोई बोलते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय, किसने क्या किया, कैसे किया, आप उन सभी बातों को भूल जाईये। जो काम रूका हुआ है, उसको आप कैसे पूर्ण करें, इस बात की चिंता आपकी तरफ से एवं सरकार की तरफ से होनी चाहिए। यदि डी.पी.आर. बना है, यदि नल-जल योजना में पेयजल का स्रोत नहीं है तो कहीं से भी स्रोत लाकर टंकी भरवाईये और छत्तीसगढ़ की जनता को पेयजल की आपूर्ति करवाईये। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रिकेश सेन।

श्री सुशांत शुक्ला :- भ्रष्टाचार का हिसाब कौन देगा? पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया गया है। पी.एस.सी. और जल जीवन मिशन का जो भ्रष्टाचार की स्मारक खड़ी की गई है, उसका हिसाब-किताब कौन देगा? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भैया, आप लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार है। आ लोग उसकी जांच कराईये और यह डेढ़ साल का भी जांच कराईये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप उसका जांच कराईये।

श्री संदीप साहू :- क्या आप लोगों को पानी नहीं चाहिए?

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। राघवेन्द्र जी, बैठिये। मैं आपको बोलने के लिए समय दे रहा हूं। रिकेश जी, आप भी बिना भूमिका के अपनी बात कर लीजिये, क्योंकि समय कम है।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- सभापति महोदय, मेरे पास कुछ समय बचता ही नहीं है। मैं जब भी बोलता हूं तब विपक्ष के सदस्य रहते ही नहीं हैं। अभी सिर्फ पांच लोग बचे हैं। इसलिए अब मैं भूमिका नहीं बांधूंगा, मैं सीधा बात रखूंगा।

सभापति महोदय :- आपका समय शुरू होता है, अब। अब आप बोलिये।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, हम लोगों के साथ दिक्कत है कि भूमिका के लिए समय ही नहीं बचता है। ठीक है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आप अपना भाषण शुरू करिये।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, जब मैं सदन में नगरीय प्रशासन विभाग की चर्चा में नेता प्रतिपक्ष जी की बात को सुन रहा था तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर कुछ बातें कही थी कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग कोई भी बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी ने कुछ आंकड़ा बताया था। मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मेरा वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र, नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमें गुजरना होता है। जब हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद लॉटरी करते हैं, लॉटरी के बाद जब हितग्राही सभी राशि को पटा देते हैं, तब जाकर हम उसको मकान हैंडओव्हर करते हैं। उन्होंने किस प्रकार से आकड़ा प्रस्तुत किया है, वह मुझे नहीं मालूम। लेकिन मात्र एक वर्ष में ही मेरे विधान सभा में कम से कम 3400 आवास गरीबों को देने में सफल हुए हैं, जिससे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राहत मिली है। इसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। यह ऐसा बजट है, जिसे लेकर भिलाई क्षेत्र में खुशी की लहर है। जिस प्रकार से नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा एक वर्ष में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, चाहे वह अमृत मिशन योजना के अंतर्गत कार्य हो, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कार्य हो, हर दिशा में एक अग्रिम पहल किया गया है। यह इसी का नतीजा है कि हमारे माननीय मंत्री जी की पहल में, जिन्होंने एक साल में अथक प्रयास करके पूरे प्रदेश में दौरा करके नगरीय प्रशासन विभाग को मजबूती प्रदान की है, जिसके कारण हम वहां 10 में से 10 सीट जीत कर आये हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पारदर्शिता के साथ मूलभूत सुविधाएं जन-जन तक पहुंचाने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ-साथ उस विभाग के अधिकारियों ने भी किया है। सदन में कई बातें होती हैं। मैं कई बोर सोचता हूं कि मैं खड़े होकर उनको टोकने का प्रयास करूं, लेकिन इतने बड़े-बड़े नेता बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत जी के बारे में मुझे ज्ञात है कि जब मैं सात वर्ष का था तो वे पहली बार विधायक बन गये थे। जब वे ऐसी बड़ी बातें करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनका राजनीतिक जीवन मुख्यमंत्री पद तक का सफर था, ऐसी-ऐसी बातों को वे असत्य बोलते हैं, जिस वक्त कोर्सेवाड़ा जी प्रश्न उठा रहे थे कि भूपेश बघेल के निवास के बाजू से गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, उसको खत्म करने

का प्रयास नहीं किये, बल्कि उनके साथ मुख्यमंत्री रहते हुये उन्होंने कोई प्रयास नहीं किये हैं, लेकिन कोर्सेवाड़ा जी चूंकि विधायक हैं, उनके समर्थन में खड़े हुये हैं, उन्होंने भी कहा है कि यह गलत है । सभापति महोदय, मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जब इतने बड़े-बड़े पदों पर यह जाते हैं, उसके बाद आम जनता का काम क्यों नहीं कर पाते हैं ? सभापति महोदय, मैं चरणदास महंत जी को देखता हूँ, बड़ी मैच्यूरिटी के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वह मेरे बहुत मनपसंद नेता हैं, लेकिन जब वह बातें रखते हैं, आंकड़े रखते हैं, सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलना है तो कुछ भी बोल दे ? प्रधानमंत्री आवास को लेकर उन्होंने जो आंकड़े पेश किये थे तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ था, वे इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, मुझे लगा कि नहीं टोकना चाहिये, जब मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, सदन में मौका आयेगा तो अवश्य बोलूँगा । माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना देश के प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है, जिसे लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार और खासतौर से नगरीय प्रशासन मंत्री जी की विशेष रुचि रही है कि गरीबों को पक्का आवास मिले, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में, राज्यपाल जी के भी अभिभाषण में इसके साथ ही बजट में वित्त मंत्री मंत्री के भाषण के बाद उन्होंने कहा कि यह असत्य का जो पुलिंदा बना रहे हैं, उनको यह चीज सोचना चाहिये । सभापति महोदय, अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो साधुवाद देने का भी काम करना चाहिये । महतारी वंदन योजना के माध्यम से क्या हमको 1000 रुपया प्रतिमाह नहीं देना चाहिये, क्या कांग्रेस का कोई भी मित्र इस बात को नकार सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 500 रुपये देंगे, उन्होंने दिया क्या ? सभापति महोदय, ऐसे ही कई विषय हैं, चाहे वह ई-बस की बात हो, मैं आपको बता दूँ कि डॉ.रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, भिलाई को उन्होंने सिटी बस दिया, उन्होंने कहा था कि दुर्ग-भिलाई को सिटी बस की आवश्यकता है और सिटी बस यहां पर चले । सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ और शासन को बताना चाहता हूँ, आपको आश्चर्यचकित होगा कि पिछले पांच साल में 100 से ज्यादा सिटी बस को डम्प कर दिया गया, पिछले पांच सालों में सरकार की इच्छाशक्ति नहीं रही थी कि उस सिटी बस को चला दिया जाये ? सभापति महोदय, मैं नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, भिलाईवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिलाई के लिये ई-बस सेवा आरंभ करने हेतु प्रावधान किया है, इसके लिये आप साधुवाद और बधाई के पात्र हैं । सभापति महोदय, भिलाई शिक्षाधानी है, भिलाई खेलधानी है और भिलाई कलाधानी भी है । भिलाई की पहचान से छत्तीसगढ़ की भी पहचान बनती है, यहां एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। सभापति महोदय, भिलाई में रेल की पटरी बनती है, जिसमें पूरा भारत दौड़ता है, भिलाई को सजाने और संवारने के लिये लगातार एक वर्ष से विष्णु देव साय जी की सरकार और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी ने अथक प्रयास किये हैं । सभापति महोदय, भिलाई की इस मिनि इंडिया को रणनीति के तहत चाहे वह अमृत मिशन हो, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि टंकी बनाते हैं, लेकिन टंकी में पानी नहीं रहता

है। पाईप लाईन बिछाते हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिलता है। सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं उनको भिलाई ले जाना चाहता हूँ, भिलाई में शिवनाथ नदी से लेकर एक-एक वार्डों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। सभापति महोदय, पिछले पांच सालों में जो काम रुक गया था, उसे बहुत गंभीरता के साथ, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी अधिकारियों के साथ मिलकर इच्छाशक्ति के साथ घर-घर तक नल और नल से पानी पहुंचाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार का विधायक हूँ, मैं यहां पर सदन में देखता हूँ कि हमारे बड़े-बड़े विपक्ष के साथी, जो नेता हैं, वह सिर्फ इसलिये बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं कि अखबार में छपना है, सोशल मीडिया में आना है, धरातल तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है, लोग आंकड़े रखते हैं, लेकिन आँकड़ा तो बताना चाहिये कि कहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, किस जगह पर पानी नहीं पहुंच रहा है, कहां ऐसा फर्जी पाईप लाईन बिछाया गया है, जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है? सभापति महोदय, मैं भिलाई की बात करना चाहता हूँ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार लोगों को पानी मिल रहा है। अमृत मिशन के अंतर्गत माननीय मंत्री जी ने 272 करोड़ रुपये दिये हैं, 5 नये टंकी और बन रहे हैं, मैं इसमें एक चीज और चाहता हूँ कि...

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर यह आरोप लगा कि फर्जी आंकड़े हैं, मैं उस डिस्कशन में न जाकर आदरणीय सदस्य को सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि यहां पर जल जीवन मिशन में जो हो रहा है, उसमें सभी चिन्तित है। आदरणीय मंत्री जी भी चिन्तित होंगे, क्योंकि पानी कई जगह नहीं पहुंचा है और वह आंकड़े विधान सभा के पटल पर आये हैं। जो समस्या है उसको स्वीकार करने से कोई आरोप नहीं लग जाता है। हम पक्ष और विपक्ष इसीलिए यहां पर हैं कि उस समस्या से मंत्री जी को अवगत करा सकें, ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। तो कृपया आप इस तरह का आरोप न लगाएं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आप कम समय देंगे क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है कि मैं एक साल से चुनाव जीतकर आया हूँ, पर सदन में ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ। क्योंकि सब लोगों को बड़ी-बड़ी बातें बोलते, सुनते देखता हूँ। मेरे भाई राघवेन्द्र जी, जो विधायक साथी हैं, उन्होंने कहा कि आंकड़ा है। आप सदन में दस्तावेज के साथ आंकड़े क्यों नहीं रखते हैं कि किस जगह पानी नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आपको किसने नहीं बोलने दिया? मैं कह रहा हूँ कि आप बोलिए न।

श्री रिकेश सेन :- मैं बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- अब आप नहीं बोलेंगे तो कोई क्या नहीं बोलने दे रहा है? आप बोलिए न, मैं तो आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार ने अच्छा काम किया है तो मैं सरकार के समर्थन में कहना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय :- आपको जो बोलना है, वह बोलिए ।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, चूँकि मैंने कांग्रेस के कार्यकाल का पाँच साल और भाजपा के कार्यकाल के एक साल का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है । पिछले 5 साल में जिस प्रकार से भिलाई नगर निगम क्षेत्र में कई कामों को रोक दिया जाता था, आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल में आम जनता को मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हुईं, लेकिन इस एक साल में नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने सभी मदों से मिलाकर 325 करोड़ रुपये भिलाई नगर निगम को दिया, जिसके लिए मैं भिलाईवासियों की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभापति जी, यह पीड़ा इसलिए है कि मैं लगातार देखता हूँ कि सरकार किस शिद्दत के साथ में एक साल में जन-जन तक पहुँचकर काम कर रही है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि विपक्ष के साथी हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं । स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये तो पूरे राज्य के लिए हैं, लेकिन भिलाई में हम शहरी स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित हैं और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रतिदिन ऐसा कार्य हो रहा है कि आपको लगेगा कि यह क्लीन सिटी है । भिलाई वैसे भी ग्रीन सिटी है और भिलाई को क्लीन सिटी करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो नगरीय प्रशासन विभाग का है ।

सभापति महोदय, मैं लोक निर्माण विभाग की बात करना चाहूँगा । कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दुर्ग क्षेत्र में कामों को लगातार रोकने का प्रयास किया गया । पिछले शासनकाल के 6 मंत्री उस क्षेत्र से थे । माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं से थे, इसके अलावा कांग्रेस के बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े कद्दावर नेता वहाँ पर थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग में पिछले 5 साल में काम को रोका गया, पर इस एक वर्ष में फाईलों को बुलाकर, मंगाकर उसका अध्ययन करके पूरे दुर्ग संभाग में लगातार तेजी लाने का काम अरूण साव जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग में हुआ है । अभी माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ जगहों में फोरलेन की आवश्यकता है, जिसे हमें करना चाहिए । मेरा वित्त मंत्री जी से भी निवेदन है कि जब अगले बार वे भाषण पढ़ें, अधिकतर भिलाई जैसे शब्द को कई लोग नजरअंदाज करते हैं । प्रदेश में भिलाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए । मैंने आपको बताया कि भिलाई में एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट के साथ-साथ एजुकेशन हब है । आज बहुत से आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कला के क्षेत्र में हैं, खेल में हैं, राजनीति में हैं, वे कहीं न कहीं भिलाई की धरोहर हैं । जब भी भिलाई के लिए बजट में बड़ा एलान हो तो भिलाई शब्द का इस्तेमाल करके बड़ी उपलब्धि के साथ कोई बड़ा ऐलान करना चाहिए, कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए । नालंदा परिसर से लेकर कला के क्षेत्र में आडिटोरियम की बात कर लो, मूलभूत सुविधाओं की

बात कर लो, मुझे लगता है कि उसमें भिलाई को जोड़ने की आवश्यकता है। भिलाई इसी प्रकार से मिनी भारत की पहचान भी है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री अवार्ड लगातार भिलाई स्टील प्लांट को मिल रहा है। आज कई वर्षों से यह अवार्ड भिलाई के खाते में है। मेरा आपसे निवेदन यही है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मेरे विपक्ष के साथी लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। सबके विधान सभा क्षेत्र में सबको उम्मीदें हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी अच्छा काम हो। यहाँ पर हम चुनाव जीतकर आते हैं और जीतकर आते हैं, तो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि अपनी जनता को जवाब दे सकें कि आपके क्षेत्र में विकास होगा। क्योंकि जब बजट जैसा शब्द आता है, तो जनता का दिलोदिमाग हमारी तरफ रहता है कि आज सदन में क्या होने वाला है। बिलाईगढ़ को, गुंडरदेही को, अकलतरा को, तखतपुर को, भिलाई को क्या मिलने वाला है, इस प्रकार सबकी नज़र हमारे ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी का बजट, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बजट कहीं न कहीं जनता के हित में है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और आपसे उम्मीद है कि कभी भी नए विधायक अगर कुछ बोलना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाए। मैं अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ था, इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आपको 14 मिनट समय दिया। श्री द्वारिकाधीश यादव। श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई लगभग 180 किलोमीटर है। इसमें राज्य मार्ग 40 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग 42 किलोमीटर तथा ग्रामीण एवं अन्य मार्ग 98 किलोमीटर है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य जीवनदायिनी नदी महानदी बहती है, जहाँ पर वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद अंतिम संस्कार के लिए छत्तीसगढ़भर से लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। पवित्र नदियों के संगम के साथ-साथ पवित्र स्थल और मंदिर भी हैं। यहाँ माघ माह में मेला का आयोजन वृहद स्तर पर होता है। खरौद नगर में प्राचीन लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। माता शबरी का भी मंदिर है, जिसकी ऐतिहासिक प्रसिद्धि सभी को पता है, जिसके नाम से ही नगर का नाम शिवरीनारायण पड़ा है। ऐसे विधान सभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहती रहनी चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों को शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार एवं राजस्व से संबंधित कार्यों में कोई परेशानी न हो। इसके विपरीत कुछ ग्रामों के अंदरूनी भाग में अभी भी पर्याप्त सुविधा का अभाव है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधा का ख्याल रखा जावे, ताकि जनता को समुचित लाभ मिल सके। जैसे कि डोंगाकोहरौद रोड से ससहा मार्ग में बरसात के समय चलना दूभर हो जाता है और पूरे मार्ग की लंबाई बस्ती के अंदर से पांच किलोमीटर है, जिसमें बरसात के समय पानी का भराव रहता

है और ग्रामीणजन सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। पानी के भराव के कारण गंदगी और बरसाती बीमारियाँ होती हैं, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। मैंने डोंगाकोहरोद रोड और खरताल के लिए अपना प्रश्न भी लगाया था, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है। सदन में विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हैं, मैं उन्हें और माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि एक बार डोंगाकोहरोद रोड का सर्वे करने वह स्वयं चले जाएं, तो पता चल जायेगा कि वहां पर जनता कितनी परेशान है। वर्ष 2025-26 एवं वर्ष 2024-25 में पामगढ़ विधान सभा में कुल 18 सड़कों को बजट में शामिल किया गया है। अभी 8 को किया गया है और इससे पहले के सत्र में 10 को किया गया है लेकिन इन 18 सड़कों में से एक भी सड़क को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। पिछले साल का भी जो है, पिछले बजट सत्र से अभी का बजट सत्र आ गया और हमें एक भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। एक रोड है शिवरीनारायण से खरताल, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर 75 मीटर है, उसे प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, लेकिन वह निविदा स्तर पर टेंडर ओपन होने के लिए अधूरा पड़ा है, बंद पड़ा है। मैं सदन और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और विभाग से कहना चाहूंगी कि पामगढ़ की अगर 18 सड़कें बजट में शामिल हैं, तो कहीं न कहीं पामगढ़ पर अधिकारियों, विभाग और माननीय मंत्री जी की नजर है कि वहाँ पर जनता को अपनी सुविधाओं के लिए जरूरत है और अगर 18 सड़कों को बजट में शामिल करके उसे प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया में नहीं लाया जाएगा और दो साल बाद वह स्वतः निरस्त हो जाएगा, तो मुझसे पहले जो इस सदन में पामगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जो भी माननीय सदस्य वहां से आए हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बजट में जोड़वाया है। उस समय भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। यह एक लंबे समय से मांग है। चूंकि पामगढ़ में चार नगर पंचायत पड़ता है और चारों नगर पंचायत का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, जहां से गुजर कर जनता को अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिये जाना पड़ता है तथा विद्यार्थियों को स्कूल के लिये, कॉलेज के लिये जाना पड़ता है। पामगढ़ में 9 महाविद्यालय हैं, जिसके लिये दूर दराज के अंचल के गांव के बच्चे भी उसी रास्ते को पार करके आते हैं। वहां बड़े अच्छे अच्छे आश्रम भी हैं। वहां देव भूमि भी है, जहां पर माननीय मंत्री जी भी स्वयं जाते हैं। देवरघटा जैसे आश्रम भी है, जहां देवरी भुई गांव, तनद वाली रोड का भी जिक्र है। माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में और अभी के बजट सत्र में जो 18 रोड शामिल किये हैं, मैं इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी और विभागीय मंत्री जी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे माननीय सदस्य की तरफ से मस्तुरी से शिवरीनारायण तक फोरलेन सड़क की भी मांग आ रही है। मैं आभार व्यक्त करने के साथ एक आग्रह करती हूँ कि प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया में अगर कोई तकनीकी परेशानी आ रही है तो विभाग उसका जल्द से जल्द निपटारा करें और उस तकनीकी समस्या को दूर करें। क्षेत्र की जो जनहित की मांग है, उन समस्याओं का समाधान करके, जो रास्ता है, रोड है, उस कार्य को बेहतर करने के लिये विभाग आगे

आये। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करने के साथ-साथ अकलतरा नगर पालिका की बात भी रखूंगी। चूंकि पामगढ़ मेरा विधान सभा क्षेत्र है, लेकिन अकलतरा मेरा मायका और ससुराल दोनों हैं। मैं अकलतरा नगर पालिका के अंतर्गत इसी तलझया तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग करती हूं क्योंकि वह जगह सतनामी बाहुल्य है और चार वार्ड के लोग किसी की मृत्यु होने पर तालाब में नहाने जाने के लिये 3 कि.मी. की दूरी तय करते हैं। हमारी परंपरा के हिसाब से 10 दिनों का कार्यक्रम चलता है और उस समय तालाब में नहाने जाते हैं। दुःख के समय में घर से निकलकर 3 कि.मी. तक नहाने जाना, यह सही संदेश नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इसकी मांग करती हूं।

सभापति महोदय, अब मैं नगर पंचायत क्षेत्र में आती हूं। क्योंकि मेरे पास चार नगर पंचायत हैं। चूंकि पामगढ़ नगर पंचायत, नया नगर पंचायत है, जो अस्तित्व में आया है। मैं एक नगर पंचायत भवन, डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन, मैरिज हॉल युक्त सांस्कृतिक भवन, रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र, राहौद नगर पंचायत में एक इंडोर स्टेडियम और एक खेल मैदान की मांग करती हूं। मैं शिवरीनारायण में शबरी पुल से पुल चौक तक मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की मांग करती हूं। मैं मुख्य नाली शबरी कॉलोनी के पास से ललारी नाला तक के नाली निर्माण की मांग करती हूं। मैं नेहरू उद्यान एवं चौपाटी के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण की मांग करती हूं। मैं राम वन गमन पथ के पास नदी किनारे पिचिंग के कार्य की मांग करती हूं। वैसे ही खरौद भी अपनी जगह एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर शेड निर्माण, सर्व समाज मांगलिक भवन और खरौद नगर पंचायत में प्रवेश हेतु पांच भव्य स्वागत द्वार का और नगर के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और विभाग को अवगत कराती हूं कि पामगढ़ विधान सभा को सिर्फ एक दलगत राजनीति के रूप में न देखे।

सभापति महोदय :- आपका हो गया ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- उससे ऊपर उठकर जनहित का कार्य करें। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

सुश्री लता उसेण्डी (कोन्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री अरूण साव जी के विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर हो। उसके लिये सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनने के उपरांत जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में पैसा नहीं जायेगा, तब तक वे मुख्यमंत्री निवास तक नहीं जायेंगे। उस वायदे को उन्होंने पूरा किया और उन्होंने 18 लाख परिवारों के खातों में पैसा देने के बाद ही मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किया। उसी तर्ज में आगे बढ़ते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत जो शहरी मकान

बनते हैं, उसमें राशि 3 लाख 21 हजार से बढ़ाकर, 3 लाख 89 हजार रुपये की है, जिसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। साथ ही मैं आग्रह करूंगी कि जो प्रधानमंत्री आवास का नक्शा बनता है, उस नक्शे में शौचालय सम्मिलित नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि शहरी इलाके हैं, अगर उस नक्शे में शौचालय भी सम्मिलित किया जाये तो उस परिवार को शौचालय निर्माण के लिए सुविधा मिलेगी। ताकि उनको वह सुविधा प्रदान हो सके। हम यह देखते हैं कि हमारे जो शहर हैं नगर पालिकाएं हैं उसमें धीरे-धीरे करके ग्रामीणजनों का पदार्पण होता है। हमारे जो ग्रामीण भाई-बहन हैं वह रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं इसलिये शहरों में तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह सिर्फ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के कोण्डागांव नगर पालिका की बात कह रही हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है कि यह छत्तीसगढ़ के हर नगर पालिका, नगर पंचायत की बात है। वहां पर जो भूमिहीन परिवार हैं, वह वर्षों से वहां पर निवासरत हैं जिनके पास भूमि भी नहीं है और वहां सरकारी नज़ूल जमीनों पर तेजी के साथ कब्जे होकर, झोपड़ी बनाकर रहते हैं। जब कभी सरकार को उन जमीनों की आवश्यकता होती है तो फिर वहां से उन्हें हटाने की प्रक्रिया चलती है। उस समय हम सबके सामने एक विकराल स्वरूप आता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जो भी नगर पालिकाएं हैं, उन सभी क्षेत्रों में नगर पंचायत हैं जहां पर भी सरकारी भूमि खाली हैं, उन्हें आरक्षित किया जाये और वहां पर अटल आवास की योजना बनायी जाये ताकि हम भूमिहीन लोगों को आवास दे सकें, जो एक-एक कमरे के घरों में किराये से रहते हैं। पूर्व में भी यह योजनाएं नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में बनी हैं तो आने वाले समय में भी उसके लिए कोई प्लान बनना चाहिए। हमारी जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनमें हम यह देखते हैं कि उसमें मास्टर प्लान की कमी है। उनमें मास्टर प्लान नहीं होने की वजह से नालियों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, हर जगह हमारा शहर अव्यवस्थित होता है, जिसके कारण से हम बरसात या अन्य मौसम में देखें तो शहरवासियों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर नगर पालिका का एक मास्टर प्लान हो। ताकि आने वाले समय में जनसंख्या के आधार पर उसका एक नवनिर्माण हो। अब नालियों में बंद नालियों की ही स्वीकृति प्रदान करें, ओपन नालियों से भी दिक्कतें होती हैं। विशेषकर जब नगर पालिका, नगर निगम में सफाई की बात होती है तो यहां कार्यालय से कोई विशेष कार्ययोजना बने ताकि उन नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों में दिक्कतें न आयें। आप देखेंगे तो हर जगह हम सब के सामने इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बात करूं। हम लगातार यह देखते हैं। कभी-कभी कहीं पर अचानक बोर की आवश्यकता होती है तो जब हम हमारे पी.एच.ई. विभाग के अधिकारियों को कहते हैं तो वह गाड़ी भी भेज देते हैं, लेकिन सभी जगहों पर गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं। कहीं पर एक बोर खोदते हैं, दो बोर खोदते हैं फिर वह खराब हो जाती हैं। अगर वह गाड़ियां

मुख्यालय से 40, 50 किलोमीटर दूर चली गई हैं तो वहीं पर खड़ी रहती हैं और वह 40, 50 किलोमीटर दूर बनने के लिए आती हैं। कभी-कभी तो 100 किलोमीटर दूर जगदलपुर बनने के लिए जाती हैं। मुश्किल से 15-20 दिनों में एक या दो बोर खनन होता है। मुझे यह लगता है कि जहां-जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता है ताकि वहां सुचारु रूप से काम हो सके। माननीय सभापति महोदय, कुछ-कुछ इलाकों में फ्लोराईड युक्त क्षेत्र हैं और हमारे नगर पालिका के भी कुछ इलाकें हैं जिसमें इस तरह की समस्याएं आयी हैं। उसका परीक्षण कराके, माननीय मंत्री जी कार्यवाही करवा देंगे ताकि हमारे यहां से वह समस्या दूर हो।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं लोक निर्माण विभाग की बात करती हूँ। रायपुर से जगदलपुर 4 लेन की स्वीकृति हुई है, अगर हम उसके आगे देखते हैं तो यह स्पष्ट नहीं है कि रायपुर से जगदलपुर जो 4 लेन की स्वीकृति है वह आगे तक कहाँ जाएगी। क्योंकि जगदलपुर के बाद नगरनार स्टील प्लांट का जो एरिया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उस एरिया को क्लियर करेंगे। जो जगदलपुर से धनपूँजी है वहां स्टील प्लांट पड़ता है। वहां पर भी 20 किलोमीटर की दूरी है। उसके लिए भी कोई प्लान है, यह उसी में सम्मिलित है या नहीं है अगर यह सम्मिलित नहीं है तो उसको सम्मिलित करना अत्यन्त आवश्यक है और साथ में उसमें सर्विस रोड की भी आवश्यकता है। कोण्डागांव में जो बाईपास का निर्माण हो रहा है, उसमें दो तरह के प्राक्कलन बने थे जिसमें एक प्राक्कलन को फाईनल किया गया था। जब हम कोण्डागांव जिले में प्रवेश करते हैं जब हम शहर में प्रवेश करते हैं तो वहां नारंगी नदी पड़ती है। उस नारंगी नदी के जाने के बाद एन.एच. पर बाईपास निर्माण के लिए सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है, उसका 70 प्रतिशत काम हो चुका है।

समय

6.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, वह सड़क 90 डिग्री पर बन रही है। आने वाले समय में दुर्घटनायें बढ़ने के बहुत chances हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उस रोड के निर्माण में ज्यादा बजट नहीं आयेगा, उस रोड को अतिरिक्त बजट में लेकर नारायणपुर जाने का जो कुम्हारपारा चौक है, अगर उसको वहां से लेते हैं तो आने वाले समय में वह समस्याएँ नहीं रहेंगी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगी और आपके समक्ष एक बात भी कहना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में जब मैं विधायक बनी थी, उस समय तब हम गांव जाते थे और लोगों से कहते थे कि हम सड़क बना देंगे तो चुनाव के पहले लोग बोलते थे कि वोट तो दे देंगे लेकिन आप यह मत बोलिये कि आप सड़क बना देंगी। क्योंकि हम 60 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं, हमारी एक सड़क नहीं बन पाई। आप लोग वोट मांगने आये हो तो हम वोट तो दे देंगे, आप जीत जाओ, सड़क बनाना होगा तो बनाना, नहीं बनाना होगा तो नहीं बनाना। मैंने उस जगह में दो-तीन सड़कों को बनाने का वादा भी करके आई थी कि अगर

वह सड़क नहीं बनेगी तो मैं 05 साल बाद आपके गांव में वोट मांगने नहीं आऊंगी। लेकिन मैं उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी और लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देती हूँ कि जिन्होंने तत्काल स्वीकृति दी। कौडागांव विधान सभा में 15 साल में जिस तरह से infrastructure तैयार हुआ, आज लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपेक्षाएँ उतनी ही ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि उन्होंने नगरीय निकाय में जिस तरह से बजट साल भर में दिया, हमारे 22 वार्ड में 20 पार्षद जीतकर आये हैं। उसका श्रेय निश्चित तौर पर सरकार की उपलब्धि की तरफ जाता है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रही थी कि वर्ष 2024-25 में आपने मुझे 20 सड़कें बजट में प्रावधानित की थी जिसमें 02 सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और टेंडर लगा हुआ है। बाकी 18 सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है, कृपा करके उसे भी जल्दी करवा देंगे। क्योंकि कई बार फाईलों का मूवमेंट बातचीत के दरमियान जिस तरीके से आता है, आप सबने भी उस बात को इंगित किया है।

समय

6.02 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2025-26 के लिए भी मांग रखी थी जिसमें आपने मेरे विधान सभा के लिए 5 सड़कें उपलब्ध कराई हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ-साथ माकड़ी हीरापुर रोड में खेमसिंग यादव घर से झाकरपारा से भिरीण्डा-जरण्डी-अंरगुला मोड़ से कलीबेड़ा मार्ग तक 8 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण निर्माण कार्य, लुभा मुख्य मार्ग से गाया पारा होते हुए लुभा चौक से गम्हरी मुख्य मार्ग से संडसा बड़चबुतरा तक पुल-पुलिया सहित डामरीकरण कार्य लंबाई 7 किलोमीटर, गिरोला जड़ी पारा से चिलपुटी मेनरोड, जुनापानी एवं मुंडीडोंगरी पारा के बीच तक 4 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य, भांटगांव बड़ेपारा से बीजाडीह से भीरागांव सड़क पारा चौक, बीजाडीह स्कूल पारा से धरमारपारा बालोण्ड चौक तक 9 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य, पांडिनपारा से आंदुलबेड़ा होते हुये निलजी तक 4 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य, अंनतपुर से करण्डी तक 3 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण सड़क निर्माण, माकड़ी से ओटेण्डा पहुंच मार्ग के बीच मार्ग पर मध्यम पुलिया का निर्माण कार्य, निलजी से आंदुलबेड़ा तक 2.00 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य, जिला कोण्डागांव के सातगांव से सातगांव पदरपारा से सातगांव इन्स्पेक्टरपारा नानीपदर मार्ग पुल-पुलिया सहित डामरीकरण कार्य, लंबाई 5 किलोमीटर, ग्राम बड़े सोहंगा मुख्य मार्ग से दाबपारा तक 3.00 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित डामरीकरण सड़क निर्माण रह गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी भी स्वीकृति करके बजट उपलब्ध करा देंगे ताकि आवागमन की सुविधाएँ हमारे विधान सभा में सही ढंग से

हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री अरुण साव जी के बजट मांग पर अपना समर्थन देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता हम लोगों को जनहित में काम करने के लिए यहां तक भेजती है। हम जनता के अनुरूप काम करें इसलिए जनता की आवाज उठाने के लिए यह विधान सभा बनी है। मैं सीधे अपनी बातों पर आना चाहती हूँ कि खैरागढ़ में बाईपास रोड बनी है। यह रोड वर्ष 2018 की बनी हुई है। सोनेसरार से रानी रश्मि देवी महाविद्यालय तक वर्ष 2018 से स्वीकृति प्राप्त हुई है। लेकिन विभाग द्वारा पुनः estimate में सुधार करने के नाम पर 02 वर्ष तक उस कार्य को चालू नहीं किया गया। सड़क निर्माण बहुत ही घटिया तरीके से किया गया है। उक्त सड़क में 3 पुलिया बनाना है जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। ठेकेदार ने एक वर्ष से कार्य बंद कर दिया है लेकिन विभाग द्वारा ठेकेदार से कार्य नहीं कराया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार से मिलीभगत के कारण ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक सड़क बने 2 वर्ष हो गये हैं लेकिन उस सड़क में पुलिया नहीं बनने के कारण वह चालू भी नहीं हुआ है और सड़क उखड़ने भी लगी है। बायपास रोड इसलिये बना है ताकि वहां से जो बड़े-बड़े भारी वाहन और ट्रक गुजरते हैं उसके लिये बायपास रोड को बनाया गया है लेकिन विभाग की तरफ से और अधिकारियों की मनमानी के चलते हुए पुल को अभी अधूरा छोड़ा गया है और उस सड़क में अभी कोई वाहन चलने के लायक भी नहीं है और वह सड़क भी उखड़ गयी है। इसी कारण खैरागढ़ अमलीपारा से बाजार की तरफ भारी वाहन चलते हैं और इसी कारण वहां आये दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चूंकि अभी माननीय उपमुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इसकी जांच कराकर पुल और सड़क बनाने का कार्य करें और ठेकेदार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो पुल अब तक नहीं बना है उसे तत्काल बनाना चाहिए। आप कृपया उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करिये, उसे क्यों बंद कर दिया गया है, किस कारण से बंद किया है? यही मैं इस सदन के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और दनिया पुल नाला है। यह उच्चस्तरीय पुल है, जिसकी लागत 3 करोड़ 86 लाख की है, कार्य बंद है। वह कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत हुआ था लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आयी, प्रशासनिक स्वीकृत हुए उस कार्य को बंद कर दिया गया। क्या उस पुल को बनाने के लिये वहां की जनता ने जो मांग की थी वह गलत था? वहां एक्सीडेंट-दुर्घटना और कई बार ट्रैक्टर भी पलटे थे तो क्या वह जानकारी गलत थी? जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो ऐसा क्या कारण था कि उस कार्य को बंद कर दिया गया, उसे निरस्त कर दिया

गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पुल को पुनः बनवाने की मांग करती हूँ। दिलीपपुर से कांचरीमार्ग जिसको आपने पूर्ण बताया है, आप अभी उस मार्ग में जाकर देखिये। यहां विभाग के जो अधिकारी लोग बैठे हैं शायद उन्होंने गलत बताया है। हम उस क्षेत्र में जाते हैं, उस सड़क में हम लोग लगातार जाते हैं। जिस सड़क को आप पूर्ण बता रहे हैं, वह सड़क अभी से उखड़ गयी है, वहां साईकिल चलाने के लायक नहीं है। वहां बरसात के दिनों में साईकिल नहीं चल पाती है जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी, आप कृपया इसको भी संज्ञान में लीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकनिर्माण विभाग द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं। यह 2-3 साल पुराना है, वह सब उखड़ने लगी हैं। विभाग के द्वारा ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके घटिया तरीके से सड़क निर्माण कराया गया है उसमें पेंच वर्क के नाम पर राशि आहरण कर स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया जा रहा है। जर्जर सड़क में है, दिलीपपुर से कांचरी पहुंच मार्ग जिसको अभी आपने पूर्ण बताया है, वह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ सड़कों की मांग भी करना चाहूंगी कि मझौदा से बाजार अतरिया मार्ग लगभग 3 किलोमीटर का है उसको बजट में जोड़ा जाये। मेन रोड से जो पहुंच मार्ग है जो अतिआवश्यक है उसको हमने बजट में जोड़वाने के लिये दिया था लेकिन चूंकि वह छूट गया है तो मैं आपसे निवेदन भी करती हूँ कि आप कृपया इसको संज्ञान में लें और बजट में इसको जोड़ने की कृपा करें। चौथा है धरमपुरा से दिलीपपुर पहुंच मार्ग यह भी बहुत जरूरी है। इन जर्जर सड़कों को संज्ञान में लिया जाये, चूंकि बारिश के दिनों में वहां चलना बहुत मुश्किल होता है तो उसको बनाने की कष्ट करें। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने जितना भी बजट में जुड़वाया था, उसको आपके शासनकाल में आपने निरस्त कर दिया था। पुनः आपने उसको फिर से बजट में जोड़ा है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंत्री महोदय जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जितना भी आपने बजट में जोड़ा है, उसमें जल्दी से जल्दी प्रशासनिक स्वीकृति दें ताकि जल्दी से जल्दी हमारी सड़कें बनकर तैयार हो जाएं ताकि जनता की जो मांग है, उस मांग के अनुरूप वह पूरा हो जाए और हमारी जनता को चलने में कोई सुविधा न हो। यही निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं वित्त वर्ष 2025- 26 की अनुदान मांगों की मांग संख्या 20, 22, 24, 29, 67, 69, 76 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और सही मायने में यह बजट माननीय ओ.पी. चौधरी जी के माध्यम से लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, विधि एवं विधायी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए मेरे क्षेत्र के लिए और बिलासपुर

जिले के अरूणोदय के रूप में स्थापित हुआ है। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री अरूण साव जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बिलासपुर जिले के मेरे क्षेत्र के कोनी मोपका बाईपास, जो पिछले पांच सालों में ओवरलोडिंग ढुलाई के कारण बर्बाद हो गया, उसको पुनःस्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया। (मेजों की थपथपाहट) मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मोपका से सीपत फोरलेन, जो अवैध राखड़ ढुलाई के नाम पर पिछले पांच वर्षों में बर्बाद हो गया था, उस 15 किलोमीटर की सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। रतनपुर शहरी क्षेत्र में फोरलेन निर्माण के लिए 6.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मोपका से दर्राघाट एन.एच. 130 ए ग्रीन फील्ड मार्ग लंबाई 10.74 किलोमीटर के लिए फोरलेन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बिलासपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्रित्वकाल में एकमात्र सड़क श्रीकांत वर्मा मार्ग का निर्माण हुआ था, ये 25 साल बाद दूसरी बार बिलासपुर में एक नई सड़क का प्रावधान इस बजट में लाया गया है। कोनी, बिरकोना, खमतराई, बहतराई स्टेडियम होते हुए मोपका के लिए मैं दिल की अंतहीन गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने ये बजट प्रावधान किया। जो दो-तीन विषय छूट गए थे, उसमें से लगरा, फरहदा, खैरा रोड, ये अभी भी अवैध परिवहन के नाम से पिछले पांच वर्षों में तोड़ा गया और ये रायगढ़ के लिए बाईपास हो सकता है। कोरबा मार्ग से रायगढ़ के लिए इस सड़क के निर्माण का आग्रह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है। मंगलाधुरी पारा और उससे छोटी कोनी एक पुल का, ये अपने आप में सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति है कि पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई और इस बजट के पूर्व उसकी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि साइंस कॉलेज में जो ऑडिटोरियम आपके मुख्यमंत्रित्वकाल में बनना चालू हुआ था और पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उसके लिए राशि का आवंटन कर दें ताकि वह ऑडिटोरियम बनकर पूर्ण हो सके और जनता को उसका लाभ मिले। बहतराई स्टेडियम, एक विषय बहुत दिनों से संज्ञान में आता है कि हम खेल के संस्थान तो बनाते हैं, लेकिन रख-रखाव के अभाव में वह बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जितने भी खेल के परिसर प्रदेश भर में बने हैं, उसके रख-रखाव के लिए बजट में स्थाई मद हमेशा के लिए बने ताकि उनके रख-रखाव की व्यवस्था में हमारे खेल के परिसर खराब न हों, बर्बाद न हों। लगरा में एक नवीन पूल की मांग है। लगरा यानी बिलासपुर से सीपत एन.टी.पी.सी. जाने वाले मार्ग में एक नवीन पूल की मांग बहुत दिनों से जनता के बीच से आती है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वह भी खुले। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि लगभग 46 करोड़ 49 लाख का बजट प्रावधान विधि विभाग के लिए किया

गया है। लेकिन जब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट का निर्माण बिलासपुर में है और आपने बहुत समय-समय पर प्रयास भी किया कि प्रदेश के बाहर जो ट्रिब्यूनल स्थापित हैं, वह ट्रिब्यूनल छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़वासियों को आज ऐसे ट्रिब्यूनलों में जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल जाने की मजबूरी है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि रेल्वे क्लेम सेटलमेंट ट्रिब्यूनल की बिलासपुर में स्थापना हो, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक खंडपीठ की बिलासपुर में स्थापना हो। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना बिलासपुर में की जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की स्थापना बिलासपुर में की जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बिलासपुर में स्थापित किया जाए और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल का बिलासपुर में एक ऑफिस खुला हुआ है उसके ट्रिब्यूनल की आवश्यकता बहुत दिनों से बिलासपुर में लंबित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा इन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का भी बजट में प्रावधान हो और खुले।

बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है चूंकि माननीय मंत्री जी नगरीय प्रशासन के भी मंत्री हैं। बिलासपुर शहर एक अदद से टाऊन हॉल के लिए तरस रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों की 20 पंचायतों को वार्डों में सम्मिलित करके उसे विकास से रोकने की व्यवस्था बनाई। लेकिन बैठने की व्यवस्था नगर निगम के अधीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक नवीन टाऊन हॉल बिलासपुर में बने, ताकि नगर सरकार बिलासपुर के कार्य का सुचारू संचालन वहां से हो सके। यह मांग भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं। एक विशेष आग्रह यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में 20 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो 70 वार्ड बनाए गए, ऐसे बाह्य ग्राम पंचायतें जहां शहरी विकास की अवधारण पांच वर्षों से पहुंच नहीं पाई है, ऐसे 70 वार्डों में से 34 वार्डों को कम से कम विशेष पैकेज के माध्यम से वहां विकास पहुंचे। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अभी तक मुझे समझ में आया, स्वच्छ भारत मिशन। बिलासपुर चूंकि स्मार्ट सिटी के अधीन भी है और स्मार्ट सिटी 2.0 के अधीन स्वच्छ भारत मिशन से 70 वार्ड में कचरा कलेक्शन करने की व्यवस्था भी है, परंतु उस कचरे के निष्पादन के लिए बेलतरा विधान सभा के सेंदरी में ही एक प्लांट लगा है, जहां पर पानी की व्यवस्था दूषित हो रही है। उस प्लांट को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करके या कचरे के निष्पादन में कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे अरपा नदी का पानी दूषित न हो, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बन सके तो बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आज मेरा एक प्रश्न लगा था, समय सीमा के कारण वह नहीं आ पाया। एक विषय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो विषय नलजल मिशन के हैं वे पूर्ण नहीं हुए हैं और उसका जवाब यहां दिया गया है कि वे पूर्ण हो गए हैं। ऐसी योजनाओं की भी चिंता करना चाहिए जो आज बजट में विषय आता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक

निर्माण विभाग, नगर प्रशासन ऐसे विभाग जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। कार्यों में गुणवत्ता का संकल्प लेकर जब माननीय अरुण साव जी काम कर रहे हैं तो इसका प्रमाण आपके माध्यम से स्पष्ट होता है कि दर्जनों इंजीनियर गुणवत्ताविहीन कार्य और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण सस्पेंड किये गये हैं। जिसको जीरो टालरेंस की दिशा में सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति यह सरकार कर रही है तो मैं आपके माध्यम से सदन का सदस्य होने के नाते उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन विभागों में जीरो टालरेंस की व्यवस्था बनाकर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का जो प्रयास किया है, वह अपने आप में सराहनीय है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं इस आशा और विश्वास के साथ लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और वित्त विभाग की जो मांग मैंने की है वह आने वाले वित्त वर्ष में पूर्ण होगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो भाषण दे चुका हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बिलासपुर में अंग्रेजों के जमाने की रेल्वे कॉलोनी है, आपने भी देखा है। वहां पहले रास्ता पूरा खुला था। रेल्वे का पता नहीं कौन अधिकारी आया है, पता नहीं उसको क्या फितूर चढ़ा, उसने उस कॉलोनी के रास्ते को चारों तरफ से बंद कर दिया है। हम लोग बोल बोलकर थक गए, वहां के विधायक बोलकर थक गए। आप थोड़ा हस्तक्षेप कीजिए क्योंकि वह रेल्वे स्टेशन जाने का रास्ता है और कालोनी के लोगों के आने जाने का रास्ता है, उसको रोके मत। दूसरा, बिलासपुर से जो पेंड्रीडीह बायपास है, जो रतनपुर का रास्ता है वह बड़ा डेंजरस है। ब्लैकस्पाट हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। आप उसको टेक्निकल इंजीनियर लोगों से सलाह मशविरा करके दिखवाईए ताकि कोई भी यात्री जो अमरकंटक जाए तो उनकी सुरक्षा रहे। अगर आप उसलापुर ब्रिज को थोड़ी सी भी प्राथमिकता दे देंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें समय बहुत लगेगा, एक बार आपके हाथों से पुण्य का काम शुरू तो हो जाए। मैं जानता हूँ कि तिफरा ब्रिज भी कई सालों बाद बना था, ये ब्रिज भी मंजूर होगा तो इसको भी कई साल लग जाएंगे। अटल श्रीवास्तव जी, कोटा से रतनपुर आने का जो एक पुल टूटा हुआ था, वह बनना शुरू हुआ या नहीं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- बनना शुरू हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कर दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बहुत परेशान थे। मैं आपकी तरफ से धन्यवाद तो दे दूँ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे चुका हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उस पुल से भैंसाझार कनेक्ट होता है। कोटा से 10 किलोमीटर में भैंसाझार मिलता है लेकिन रतनपुर से भैंसाझार जाने में वह पुल आड़े आता था। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भैंसाझार में बहुत बेहतरीन रेस्ट हाउस बनवाया है। आप तो गये होंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरुण साव) :- आप नहीं ले गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप चलिए न, वह तो कोटा क्षेत्र में ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप एकाध दिन जब रतनपुर आएंगे तो उस रेस्ट हाउस में एक दिन रुकिए।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको अमिताभ बच्चन सरीखे कह रहा हूं, एक दिन तो गुजारिए हमारे भैंसाझार में। (हंसी) आपने ही बनवाया है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल आएंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप आईए बहुत सुंदर है, उसमें लिफ्ट वगैरह सब है। वह Five star जैसे नहीं बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि वहां Seven star से भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप कृपा करके आएं। उप मुख्यमंत्री जी आपका तो घर है, आप तो जब चाहें तब जा सकते हैं, आप हम लोगों को ले जाएं, आपके साथ जाएंगे तो हम लोगों का भी थोड़ा जलवा रहेगा। आप आईएगा और उसलापुर ओव्हरब्रिज को प्राथमिकता में जरूर बनाईएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी विभागीय मंत्री होने के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस रेस्ट हाउस में जरूर आएं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जवाब भी आना है और समय भी बहुत हो चुका है, हमारे कई साथी अलग-अलग कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब यदि कल आ जाता तो अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए कल ले लेंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं विधायक होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि आप भैंसाझार के रेस्ट हाउस में जरूर आएं।

अध्यक्ष महोदय :- सभी ने आग्रह किया है जरूर आएंगे। कुंवर सिंह निषाद जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मांग संख्या 20, 22, 24, 29, 67, 69, 76, 81 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बजट में गुंडरदेही विधान सभा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों ? इस बजट में गुंडरदेही विधान सभा को एक रूप की भी राशि नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से कुछ योजनाओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा है कि पुष्पवाटिका योजना जो पहले संचालित थी, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रिक्त भूमि पर सही उपयोग हेतु यह योजना चल रही थी, इसका एक खेल मैदान यूनिट होता था जिसमें लगभग 37 लाख रूपए में निर्माण किया जाता था। वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 235 खेल मैदान बने हैं। पूर्व की सरकार में विकास हेतु 52 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई थी, योजना प्रचलन में थी, आपकी सरकार

आते ही योजना बंद हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस योजना को संचालित करें और गुंडरदेही एवं अर्जुदा नगर पंचायत में पुष्पवाटिका उद्यान निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुक्तिधाम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरत की योजना होती है, इस योजना के माध्यम से हमने प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में पूर्व में लगभग 186 स्थानों पर 3844 लाख रूपए स्वीकृत किए थे, उसका निर्माण भी हुआ, बहुत जगह पूर्ण भी हुआ लेकिन अभी आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन में शायद छपा भी होगा, आपने क्या किया, आपने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार की जनकल्याण की योजना को बंद करने की बजाए बेहतर बनाएं ताकि लोगों को अंतिम समय में भी सुख और सुविधाएं मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी मांग करना चाहूंगा कि गुंडरदेही और अर्जुदा नगर पंचायत में मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव जो पूर्व में स्वीकृत हुए थे, उसे पुनः स्वीकृति प्रदान की जाए। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूर्व में स्वीकृत हुए काम को पुनः इस बजट में शामिल किया है। हम लोग नये काम की स्वीकृति के इंतजार में थे, लेकिन नये काम स्वीकृत नहीं हो पाये हैं तो मैं अपनी कुछ मांगों के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पूर्व के साथी विधायक रिकेश सेन जी ने कहा था कि आप जो आंकड़े लेकर बैठते हैं, वह फर्जी आंकड़े होते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये आंकड़े फर्जी नहीं हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे आंकड़े हैं, जिसमें हमको काम करने की जरूरत है। ऐसे-ऐसे गांव जहां पर पानी टंकी का निर्माण हो गया है, लेकिन वहां पाइप लाइन नहीं बिछी है और जल के स्रोत भी नहीं हैं तो ऐसे चिन्हित ग्रामों में यदि नदी में फिल्टर प्लांट स्थापित कर पेयजल हेतु पाइप लाइन विस्तारीकरण कार्य के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाये और टंकी तक पहुंचा दी जाये तो निश्चित ही इससे उन गांवों को लाभ मिलेगा। मैं कुछ गांवों के नाम का भी उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे- तांदुला नदी से यदि यह योजना संचालित होती है तो भिलाई, चीचा, ओझारसकरी, गब्दी, खुरसुल, मटिया, गोड़ेला, खुर्सीपार, खुरसुनी और मौहदीपाट। अगर खरखरा नदी से जोड़ेंगे तो जेवरतला, बरबसपुर, सिब्दी, भरदाकला, माहुद, बीजाभांठा, बघेली और यदि तांदुला नदी से जोड़ेंगे तो हीरूखपरी, तवेरा, हरणसिंधी, मचौद, भण्डरा, साजा गांव आते हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे यहां कुछ उद्यान रोपणी भी संचालित हैं। अर्जुदा का उद्यान रोपणी बहुत पुराना है, लेकिन पानी के अभाव में बहुत से पेड़ और बहुत से फलदार अच्छे वृक्ष सूख जाते हैं। मैं चाहूंगा कि उसके लिए हड़घन जलाशय में एक परियोजना चलाई जा रही है, उसका यदि विस्तार करके हम वहां तक पहुंचा दे तो उस नर्सरी को एक बढ़िया रूप दिया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी कुछ मांगों के लिए मैंने मंत्री जी से आग्रह भी किया था, लेकिन गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र के लिए बजट में एक भी काम स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा

और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बहुत सारी मांगें हैं, जो पूर्व में स्वीकृत भी हो गई थीं और वह बहुत से काम निरस्त हो गये हैं। संरचना मद और कुछ मद के जो काम थे, आप गुण्डरदेही और अर्जुदा नगर पंचायत में अधोसंरचना के कार्य को स्वीकृत कर दें क्योंकि उसका भूमि पूजन हो गया था। उसमें सांसद जी भी गये थे और हम दोनों ने संयुक्त रूप से उसका भूमि पूजन किया था, लेकिन लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये गुण्डरदेही के और 3 करोड़ रुपये अर्जुदा नगर पंचायत के दोनों कार्य वापस हो गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम अधोसंरचना मद के जो काम हैं, उसे आप तत्काल स्वीकृत करके उसे पुनः निर्माण कार्य के लिए अपनी सहमति दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अर्जुदा और गुण्डरदेही जल जीवन अमृत मिशन से जो 2.0 की योजना संचालित है, उसके संबंध में मैंने पिछले सत्र में भी आपसे निवेदन किया था कि जो काम हो रहे हैं, वह घटिया स्तर पर हो रहे हैं। आपके माध्यम से निर्देश भी हुआ था और जांच की टीम बनाई गई थी। जांच में आने वाले थे, लेकिन पता नहीं कि क्या कारण हुआ तो न जांच की टीम आई और न कोई विभागीय जांच हुई। आज लगभग आधे से ज्यादा गुण्डरदेही और अर्जुदा दोनों जगहों में बिना आधार व बिना मापदण्ड के पाइप लाइन बिछा दी गई है। इसमें मैं चाहूंगा कि कम से कम उस जगह की जांच होनी चाहिए, जिसका भुगतान भी हो चुका है। यदि आप चाहे तो आपकी एक टीम गठित हो जाये और उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जिससे जहां-जहां पर भी विसंगति हुई है, उसकी पूरी पोल खुल जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग से संबंधित कुछ काम हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहुत बहुप्रतीक्षित मांग शासकीय महाविद्यालय माहुद भवन के निर्माण के लिए 4.69 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था। उस समय के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी थे और उसका हमने संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया था। उसकी स्वीकृति भी हो गई थी, लेकिन वह पैसा आपके विभाग में पुनः वापस आ गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह माहुद (बी) के महाविद्यालय भवन का पैसा है तो उसे आप पुनः स्वीकृत करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। कुंवर जी, समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2-3 मांगें और करना चाहूंगा। मेरी एक महत्वपूर्ण मांग है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्जुनी-गोरकापार-सुखरी मार्ग पुल-पुलिया निर्माण संबंधी मांग की है। यह मेरी बहुत पुरानी मांग है। मैंने लगभग 2-3 बार यह मांग की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप मेरी यह मांग स्वीकृत कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनांदगांव से संबंधित मेरी एक महत्वपूर्ण मांग है, जो आपके विधान सभा क्षेत्र राजनांदगांव, डौंडीलोहारा, बालोद 4 विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है। राजनांदगांव से अर्जुदा, गुण्डरदेही, धमतरी, नगरी मार्ग को फोरलेन निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। राजनांदगांव से देवरी, लोहारा, दल्ली, अंतागढ़ मार्ग को चौड़ीकरण के साथ फोरलेन की स्वीकृति दे दी जाएगी तो अच्छा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया। मोहले जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी के भाषण समाप्ति तक सदन की कार्यवाही में वृद्धि की जाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने पुराने पुल-पुलिया के काम को इसमें जोड़ा है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात रख लीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी विभागों के लिए अच्छी तरह से बजट का प्रावधान रखा है। इनके विभाग को ज्यादा राशि भी मिली है।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, आपको बजट भाषण की जरूरत ही नहीं है। भैया आप तो अड़ोसी-पड़ोसी हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, मैं उसी पड़ोसी होने के नाते ही बोल रहा हूं कि मैंने उनको सुझाव दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- रोज खाना खाने जाते हो, चाय पीने जाते हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मांग पूरे क्षेत्र के लिए है, इसलिए बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट का जो प्रावधान होता है, वह 2 साल के लिए होता है और विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसलिए बजट के प्रावधान को भी 5 साल के लिए किया जाये और बजट में जो भी राशि का प्रावधान किया जाता है उसे बजट से बाहर न निकाला जाये, यह मैं कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, छोटे-मोटे काम के लिए, जैसे इधर-उधर गड्डे हैं, आधा-एक किलोमीटर डामरीकरण का काम है, उसके लिए जिला या संभाग स्तर पर एस.ई. और सी.ई. होता है। एस. ई. को 20 लाख रुपये तक की प्रशासकीय स्वीकृति करने का अधिकार है, उस राशि को बढ़ाया जाये, चाहे विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वहां से अधिकतर काम हो सकता है। जहां तक सी.ई. की

बात है, सी.ई. को 50 लाख तक प्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार है, उसे 1 करोड़ कर दिया जाये या सचिव हो तो उसे ज्यादा किया जाये, उससे बहुत से काम बजटीय स्थिति में वित्त विभाग को नहीं जायेगा। वित्त विभाग में जाने से किसी का कार्य नहीं होता है। जितने भी कार्य बजट में शामिल एवं स्वीकृत है, उसमें मैं मुंगेली क्षेत्र की बात करूँ तो 2-3 काम शामिल हुआ है, उसमें प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय नेशनल हाईवे निर्माण में मुआवजा की राशि भुगतान होना शेष है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किसानों के मुआवजा भुगतान का आश्वासन भी दिया था कि हम मुआवजा भुगतान हेतु केन्द्र सरकार को भेजेंगे। मुश्किल से 2 करोड़ की राशि है। उसमें कोई नियम आ गया है, नेशनल हाईवे में नाली बना है और बताया गया है कि पक्का नाली स्वीकृत नहीं हो सकता। वह किसानों की जमीन में बना है। उसे आर.ओ. के माध्यम से भेजा जाये। एक बार आर.ओ. के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन वह निरस्त हो गया था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपा करके पुनः भेजा जाये। 2 करोड़ मुआवजा की राशि है, राज्य सरकार स्वतः दे दे या केन्द्र सरकार से, गड़करी जी से बात करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली क्षेत्र में जो अग्निशमन गाड़ी है, फायर बिग्रेड वह खराब रहता है। आग लगने की कहीं न कहीं घटनाएं होती रहती हैं। तो फायर बिग्रेड गाड़ी की अलग से व्यवस्था की जायेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मुंगेली में आगर नदी है, वहां का पानी गंदा है। उस गंदे पानी को पीने हेतु निकालने के लिए फिल्टर प्लाण्ट की आवश्यकता है। वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट हो, जिससे गंदा पानी बाहर निकले, जिससे लोगों में बीमारी न फैले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दो नगर पंचायत बरेला और नगर पंचायत जरहगांव बनाया है। मैं उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। खुडिया बांध से ग्रूफ योजना के तहत पानी के लिए किया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। नगर पंचायतों में टैंकर नहीं है। शादी-ब्याह, दुःख-सुख के कामों के लिए पानी की जरूरत होती है। इसके लिए नगर पंचायतों को राशि दी जाये। वहां टैंकर की व्यवस्था हो और वहां फायर बिग्रेड की व्यवस्था हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले समय ए.डी.बी. में मार्ग को शामिल किया था। काफी समय हो गया है। ए.डी.बी. से बरेला से कुकुसदा और कुकुसदा से बरछा मार्ग का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सर्वे तो हो चुका है, लोगों का मुआवजा का प्रकरण भी है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी जाये, जिससे वहां की सड़कों का चौड़ीकरण हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई सड़क है दत्ताकापा से चन्द्रगही मार्ग, मुश्किल से आधा किलोमीटर की सड़क है, उसका निर्माण जिला या संभाग स्तर से हो सकता है, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

फंदवानी से गसीवकापा मार्ग, इस मार्ग के लिए भी अलग से राशि दें, मैं उप मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिटी बस की एक और मांग है। 5 वर्ष पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। केन्द्र सरकार ने भी 5 सिटी बस के लिए राशि दे दी है। तो 5 बस की व्यवस्था मुंगेली में हो, जिससे मुंगेली से बरेला, तखतपुर होते हुए वह बिलासपुर तक जा सकता है। मुंगेली से पड़भट्टा, मुंगेली से सेतगंगा, मुंगेली से लोरमी और मुंगेली से चकरभाठा तक बस जा सकता है। ऐसे 5 मार्ग राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। सिर्फ आपके आदेश की आवश्यकता है, ऐसा हो सकता है, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं।

जरहागांव नगर पंचायत बना है। उसके भवन के लिए भी राशि देंगे। वहां एक तालाब है, वह गंदा हो चुका है और बहुत से कीड़े-मकोड़े हो गए हैं। उसका सौन्दर्यीकरण हो जाये। उसके सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव भी आ चुका है। आप प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मांगों का समर्थन करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है कि आप हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे पारिवारिक रिश्तेदार हैं, जैसा अध्यक्ष महोदय कहते हैं। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कई चीजों से अवगत करा दिया है। चूंकि मोहले जी नहीं बोले हैं, कहेंगे इसलिए मुझे बोलना पड़ा, अन्यथा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 07 मार्च, 2025 को 11.00 दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 6 बजकर 35 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 (फाल्गुन-16, शक संवत् 1946) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

रायपुर (छ.ग.)

दिनांक : 06 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा